



Shares and Bonds Department
Head Office

Ref. No. HO/SD/105

Dated: 02.06.2018

The Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
✓ Bandra- Kurla Complex
Bandra East,
Mumbai-400 051

The Vice President
BSE Ltd.
25, P. J. Towers
Dalal Street
✓ Mumbai-400001

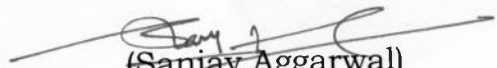
Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Annual Report 2017-18 of the Bank

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith a copy of Annual Report 2017-18 of the Bank.

Further, we submit that the Business Responsibility Report forms part of the said Annual Report 2017-18.

This is for your perusal and records please.


(Sanjay Aggarwal)
General Manager (F&A) and CFO

Encl: As stated

वार्षिक प्रतिवेदन **ANNUAL REPORT** **2017-2018**



*Har Kadam
aap ke Saath*

इलाहाबाद बैंक
 विश्वास की परंपरा



ALLAHABAD BANK
 A tradition of trust

www.allahabadbank.in

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001
www.allahabadbank.in

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2017-18

विषय-सूची / Contents

पृष्ठ सं. / Page No.

● निदेशक, लेखापरीक्षक, महाप्रबंधक गण आदि/ Directors, Auditors, General Managers etc.	02-04
● बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट/ Directors' Report of the Bank	05-23
● प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण/ Management Discussion and Analysis	24-40
● व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	41-51
● बासेल - III प्रकटीकरण/ Basel - III Disclosures	52-119
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट/ Report on Corporate Governance	120-154
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र/ Auditors' Certificate on Corporate Governance	155
● सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र/ Compliance Certificate by CEO and CFO	156-157
● बैंक के वित्तीय विवरण/ Financial Statements of the Bank	158-221
● बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report of the Bank	222-223
● समेकित वित्तीय विवरण/ Consolidated Financial Statements	224-258
● समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report on Consolidated Financial Statements	259-262
● इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाभांश भुगतान हेतु अधिदेश फार्म/ Mandate form for payment of dividend electronically	263-264

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS (यथास्थिति/AS ON 31-03-2018)

1.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन *	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	Smt. Usha Ananthasubramanian *	Managing Director and CEO
2.	श्री एन. के. साहू	कार्यपालक निदेशक
	Shri N. K. Sahoo	Executive Director
3.	श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
	Shri S Harisankar	Executive Director
4.	श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
	Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
5.	श्री विवेक दीप	भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक
	Shri Vivek Deep	RBI Nominee Director
6.	प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
	Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non-Official Director
7.	श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
	Shri Gautam Guha	Part Time Non-Official Director
8.	डॉ. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
	Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director
9.	श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
	Shri Sarath Sura	Shareholder Director
10.	डॉ. पार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक
	Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

* 6 मई 2017 से बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

* Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 6th May, 2017.

श्री राकेश सेठी ने 30.04.2017 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अपना कार्यकाल पूरा किया।
Shri Rakesh Sethi completed his tenure of Chairman and Managing Director on attaining the age of superannuation on 30.04.2017.

लेखा-परीक्षक/AUDITORS

1.	मे. राजू एंड प्रसाद	सनदी लेखाकार
	M/s Raju & Prasad	Chartered Accountants
2.	मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स	सनदी लेखाकार
	M/s Kansal Singla & Associates	Chartered Accountants
3.	मे. नंदी हलदर एंड गांगुली	सनदी लेखाकार
	M/s Nandy Halder & Ganuli	Chartered Accountants
4.	मे. दे एंड बोस	सनदी लेखाकार
	M/s De & Bose	Chartered Accountants
5.	मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स	सनदी लेखाकार
	M/s GNS & Associates	Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.
(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)
पी-22 बंडेल रोड,
कोलकाता-700019
दूरभाष सं. : 033-40116700,
फैक्स सं. : 033-40116739
ईमेल: rta@cbmsl.com

CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank)
P-22, Bondel Road,
Kolkata-700019.
Telephone No. : 033-40116700
Fax No. : 033-40116739
Email : rta@cbmsl.com

निदेशक मंडल Board of Directors



श्री एन. के. साहू
कार्यपालक निदेशक
Shri N.K. Sahoo
Executive Director



श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Smt. Usha Ananthasubramanian
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री एस. हरिशंकर
कार्यपालक निदेशक
Shri S. Harisankar
Executive Director



श्री राजीव रंजन
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Shri Rajeev Ranjan
Government Nominee Director



श्री विवेक दीप
भा.रि.वै.क. द्वारा नामित निदेशक
Shri Vivek Deep
RBI Nominee Director



प्रो. राधा शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Prof. Radha R. Sharma
Part Time Non-Official
Director



श्री गौतम गुहा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Gautam Guha
Part Time Non-Official
Director



डॉ. बिजय कुमार साहू
शेयरधारक निदेशक
Dr. Bijaya Kumar Sahoo
Shareholder Director



श्री सारथ सूरा
शेयरधारक निदेशक
Shri Sarath Sura
Shareholder Director



डॉ. पार्थप्रतिम पाल
शेयरधारक निदेशक
Dr. Parthapratim Pal
Shareholder Director



महाप्रबंधक General Managers



श्री संजय अग्रवाल
Shri Sanjay Aggarwal



श्री पार्थदेब दाटा
Shri Parthadeb Datta



श्री विपुल सिंगला
Shri Vipul Singla



श्री विकास कुमार
Shri Vikas Kumar



श्री एस. एल. जैन
Shri S. L. Jain



श्री सुरजानु गौर
Shri Surjanshu Gaur



श्री पी.सी. शर्मा
Shri P. C. Sharma



श्री इमरान ए सिद्दिकी
Shri Imran A Siddiqui



श्री एस.वी. एल. एन. नागेश्वर राव
Shri S.V.L.N. Nageswara Rao



श्री एन.एन. कुमार साहा
Shri N. N. Kumar Saha



श्री दिनेश कुमार
Shri Dinesh Kumar



श्री के. नन्दकुमार
Shri K. Nandhakumar



श्री बि.के. मित्र
Shri B. K. Mitra



श्री मुक्ति नाथ पटेल
Shri Mukti Nath Patel



श्री सुनील बरान जेना
Shri Sunil Baran Jena



श्री संजीव कुमार सूरी
Shri Sanjeev Kumar Suri



श्री अरुण कुमार पण्डेय
Shri Arun Kumar Pandeya



श्री बानभार साहू
Shri Banambar Sahoo



श्री विवेक.एम. पडगावकर
Shri Vivek M. Padgaonkar



श्री रविन्दर सिंह
Shri Ravinder Singh

इलाहाबाद बैंक निदेशकों की रिपोर्ट

ALLAHABAD BANK DIRECTORS' REPORT

वित्तीय वर्ष 2017-18 (वित्तीय वर्ष 18) के दौरान, बैंक का वैश्विक व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 5.57% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3,80,040 करोड़ (₹3.80 लाख करोड़) तक पहुंच गया। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 12.871 करोड़ रहा और इसने विदेशी अग्रिम में 12.82% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट के कारण -8.91% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। मार्च, 17 के अंत में बैंक की वैश्विक जमा राशि 5.81% की वृद्धि के साथ ₹2,13,604 करोड़ रही और सकल अग्रिम 5.27% की वृद्धि के साथ ₹1,66,436 करोड़ रहा। आपका बैंक कम लागत की जमाओं पर ध्यान केंद्रित करता रहा जिसके परिणामस्वरूप कासा जमा में वर्ष-दर-वर्ष 7.45% की अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है और 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति यह ₹98,419 करोड़ रही। तदनंतर, यथास्थिति 31 मार्च, 2018 को कासा अंश पिछले वर्ष के 45.79% की तुलना में बढ़कर 46.50% हो गया है।

बैंक का परिचालनगत लाभ अग्रिम पोर्टफोलियो पर दबाव और परिणामी रिवर्सल/ ब्याज न लगाने के कारण वर्ष-दर-वर्ष 11.08% कम हुआ है। यह वित्तीय वर्ष 18 के दौरान ₹3438 करोड़ रहा। निवल लाभ के रूप में, वित्तीय वर्ष 18 में हानि की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि उच्चतर प्रावधान 94.07% था और निवल ब्याज आय स्तरों में कमी आई थी। पिछले वर्ष की ₹314 करोड़ की निवल हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 18 में निवल हानि बढ़कर ₹4674 करोड़ हुई। बैंक का सीआरएआर वित्तीय वर्ष 17 के 11.45% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 18 में 8.69% रहा, थोक जमाधारियों में कटौती के कारण, जमा लागत वित्तीय वर्ष 17 के 5.94% से कम होकर वित्तीय वर्ष 18 में 5.33% हो गई।

इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशकों को 2017-18 हेतु लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों सहित बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

हमारा कार्यनिष्पादन

ए. वित्तीय विशिष्टताएं

ए.1. तुलन पत्र

During the financial year 2017-18 (FY18), the Bank's global business reached the level of ₹3,80,040 crore (₹3.80 lakh crore), registering a Y-o-Y growth of 5.57%. The Bank's international business stood at ₹12,871 crore and recorded a negative Y-o-Y growth of -8.91% on account of 12.82% Y-o-Y drop in overseas advances. Global deposits of the Bank stood at ₹2,13,604 crore which increased by 5.81% and gross advances grew by 5.27% and stood at ₹1,66,436 crore as at the end of Mar'18. Your Bank's continued focus on low cost deposits resulted in a healthy Y-o-Y growth of 7.45% in CASA deposits and the build-up stood at ₹98,419 crore as on 31st Mar'18. Subsequently, CASA share improved to 46.50% as on 31st Mar'18 from 45.79% a year ago.

The Bank's operating profit decreased by 11.08% Y-o-Y on account of stress on advances portfolio and resultant reversal/ non-booking of interest. It stood at ₹3438 crore during FY18. In terms of net profit, the quantum of losses increased in FY18 as provisions were higher by 94.07% and there was a decrease in net-interest income levels. Net loss rose to ₹4674 crore in FY18 as compared to a net loss of ₹314 crore a year ago. The Bank's CRAR stood at 8.69% in FY18 as compared to 11.45% in FY17. Owing to reduction in bulk deposits, the cost of deposits decreased to 5.33% during FY18 from 5.94% in FY17.

Against this backdrop, your Directors take pleasure in placing the Bank's Annual Report for 2017-18 along with audited annual financial statements.

OUR PERFORMANCE

A. FINANCIAL HIGHLIGHTS

A.1. BALANCE SHEET

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount ₹ in Crore)

मानदंड / Parameter	31 मार्च '17	31 मार्च '18	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %
	31 ST MAR'17	31 ST MAR'18	Y-O-Y GROWTH %
कुल व्यवसाय / Total Business	359974	380040	5.57
कुल जमाधारियां / Total Deposits	201870	213604	5.81
सकल अग्रिम / Gross Advances	158103	166436	5.27

ए.2. लाभ

A.2. PROFIT

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount ₹ in Crore)

मानदंड / Parameter	31 मार्च '17	31 मार्च '18	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %
	31 ST MAR' 17	31 ST MAR' 18	Y-O-Y GROWTH %
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	3867	3438	-11.08
प्रावधान / Provision	4180	8113	94.07
निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss)	(314)	(4674)	

ए.3. प्रमुख अनुपात

A.3. KEY RATIOS

मानदंड / Parameter	मार्च '17/Mar'17	मार्च '18/Mar'18
जमा लागत/Cost of Deposits	5.94	5.33
निधि लागत/Cost of Funds	5.74	5.23
निधि पर प्रतिफल/Yield on Funds	8.41	7.61
उधार लागत/Cost of Borrowings	3.52	4.15
निवल ब्याज मार्जिन/Net Interest Margin	2.54	2.20
आस्तियों पर प्रतिफल/Return on Assets	-0.13	-1.96
आय के सापेक्ष लागत अनुपात/Cost to Income Ratio	51.25	53.69

बी. आस्ति गुणवत्ता

विभिन्न समष्टि आर्थिक और अन्य कारकों के कारण आस्ति गुणवत्ता में सतत दबाव का सामना करने के कारण वित्तीय वर्ष 18 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था। यथास्थिति 31 मार्च, 2018 को बैंक का सकल एनपीए ₹26562.76 करोड़ (विव17: ₹20687.83 करोड़) और निवल एनपीए ₹12229.13 करोड़ (विव17: ₹13433.51 करोड़) रहा। अनुपात के रूप में सकल एनपीए प्रतिशत औए निवल एनपीए प्रतिशत क्रमशः 15.96% (विव17: 13.09%) और 8.04% (विव 17: 8.92%) था।

बैंक ने नए स्लिपेज रोकने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए और इसे विव17 के ₹11417.00 करोड़ की तुलना में विव '18 में ₹12903.28 करोड़ तक सीमित रखा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भी विव17 में 50.11% की तुलना में विव18 में बढ़कर 62.91% हुआ।

आस्ति गुणवत्ता सुधारने हेतु बैंक ने सतत वसूली अभियान शुरू किए और 28.58% की वृद्धि के साथ ₹3379.08 करोड़ वसूली की, इसमें से, ठोस प्रयासों, दैनिक मॉनिटरिंग और खाता विनिर्दिष्ट रेजोल्यूशन योजना के कारण ₹2071.86 करोड़ की नकद वसूली हुई। उपर्युक्त अवधि के दौरान एनपीए खातों में कुल कमी ₹7028.32 करोड़ थी।

बैंक ने कृषि क्षेत्र के मौजूदा माड्यूल की तरह अनुभव पर आधारित नियम के रूप में अन्य एनपीए खातों हेतु ओटीएस माड्यूल में निर्धारित सीमा ₹10.00 लाख से बढ़ाकर ₹15.00 लाख करते हुए मौजूदा ओटीएस योजनाओं में समुचित संशोधन किए हैं। इसके फलस्वरूप अप्रतिभूत छोटे उधार खातों के निपटान में तेजी आई है। इसके अतिरिक्त मासिक आधार पर निदेशक मंडल/एमसीबीओडी को सूचनार्थ प्रक्रिया नोट प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन धोखाधड़ी वाले घोषित खातों में ओटीएस की संस्वीकृति के अधिकार भी विभिन्न प्राधिकारियों, किंतु एफजीएमएलसीसी से कम नहीं, को प्रत्यायोजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त ऋण मुक्ति शिविर के माध्यम से समझौता/समाधान वार्ता तथा उधारकर्ताओं के साथ परस्पर बैठक के रूप में अन्य महत्वपूर्ण साधन अपनाए गए थे।

तथापि, ₹1.00 करोड़ से अधिक के बड़े उधार खातों की वसूली स्पष्ट कारणों से बैंक हेतु बाधित बनी रही। इन खातों की अनुवर्ती कार्रवाई, मॉनिटरिंग और वसूली हेतु ऑनलाइन माड्यूल "पार्थ" (पोर्टल फॉर एसेट रेजोल्यूशन थ्रू हॉट चेज) अपनाया गया जो इस क्षेत्र में समाधान सुनिश्चित करने में बहुत उपयोगी था। अब पार्थ के कवरेज का विस्तार ₹50.00 लाख और अधिक बकाया वाले एनपीए खातों तक किया गया है।

B. ASSET QUALITY

FY18 was a challenging year for the Indian Banking Industry due to continued stress faced in asset quality on account of various macroeconomic and other factors. As on 31st Mar'18, Gross NPA of the Bank stood at ₹26562.76 crore (FY17: ₹20687.83 crore) and Net NPA remained at ₹12229.13 crore (FY17: ₹13433.51 crore). In terms of ratio, Gross NPA Percentage and Net NPA Percentage were 15.96% (FY17: 13.09%) & 8.04% (FY17: 8.92%) respectively.

The Bank initiated various measures to arrest fresh slippage and restricted it to ₹12903.28 crore for the FY18 compared to ₹11417.00 crore for the FY17. Provision Coverage Ratio (PCR) also improved to 62.91% in FY18 from 50.11% in FY17.

To improve asset quality, the Bank initiated consistent recovery drive and recovered ₹3379.08 crore, out of which Cash Recovery was Rs. 2071.86 crore with a growth of 28.58 % due to concerted efforts, daily monitoring and account specific resolution plan. During the aforesaid period, total Reduction in NPA accounts stood at ₹7028.32 crore.

The Bank also made suitable amendments in existing OTS schemes by increasing the cut off limit from ₹10.00 lacs to ₹15.00 lacs in OTS module for other NPA a/cs in Thumb Rule module as in existing module for Farm Sector. This resulted in accelerated settlement of Unsecured small borrowal accounts. Further, power to sanction OTS in fraud declared accounts was also delegated to various authorities but not below the level of FGMLCC, subject to placement of process notes to Board of Directors/ MCBOD for information on monthly basis.

Further, compromise/negotiated settlement through Rin Mukti Shivir and one-to-one meeting with borrowers was adopted as another vital tool to tackle NPAs.

However, recovery in big borrowal accounts above ₹1.00 crore remained a constraint for the Bank for obvious reasons. For follow-up, monitoring and recovery in these accounts, online module "PARTH" (Portal for Asset Resolution through Hot chase) was introduced which was very useful in assuring resolution in this segment. Now the coverage in PARTH has been extended to NPA accounts having outstanding above ₹50 lakhs.

एनपीए खातों की कारगर और समय से मॉनिटरिंग तथा ₹50.00 लाख और अधिक के लेजर शेष वाले एनपीए खातों में विधिवत प्रक्रिया के अनुवर्तन हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर समर्पित कार्यपालकों के साथ वार रूम अवधारणा आरंभ की गई है।

बैंक की 9 आसिट वसूली प्रबंधन शाखाएं (एआरएमबी) भी हैं, जो अनन्य रूप से एनपीए समाधान का कार्य करती हैं।

वित्तीय वर्ष 18 में की गई पहल

- बैंक ने ₹50.00 लाख से अधिक बकाया वाले बड़े उधार खातों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल "पार्थ" लागू किया है। ऐसे उधारकर्ताओं पर मजबूत पकड़ और सामयिक विधिक कार्रवाई से वसूली हेतु इन खातों को नियंत्रित करने में हमारी पैठ बढ़ी है।
- बैंक ने ₹50.00 लाख से अधिक बकाया वाले बड़े एनपीए खातों में समुचित प्रक्रिया की गहन मॉनिटरिंग हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर समर्पित कार्यपालकों (दो सहायक महाप्रबंधक और एक मुख्य प्रबंधक) के साथ "वार रूम" आरंभ किया है।
- अन्य एनपीए खातों में अनुभव पर आधारित नियम पद्धति हेतु निर्धारित सीमा ₹10.00 लाख से बढ़ाकर ₹15.00 लाख करते हुए ओटीएस माड्यूल में समुचित संशोधन किए गए हैं।
- मासिक आधार पर निदेशक मंडल/एमसीबीओडी को सूचनार्थ प्रक्रिया नोट प्रस्तुत करने के अध्यक्षीय धोखाधड़ी वाले घोषित खातों में ओटीएस की संस्वीकृति के अधिकार भी विभिन्न प्राधिकारियों, किंतु एफजीएमएलसीसी से कम नहीं, को प्रत्यायोजित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी घोषित खातों में ₹6.52 करोड़ के लेजर शेष और ₹4.02 करोड़ की समझौता राशि वाले 71 ओटीएस प्रस्तावों का समाधान किया गया है।
- एनपीए खातों में पैठ बढ़ाने हेतु मंडलों/एफजीएमओ के साथ दैनिक वसूली की मॉनिटरिंग शुरू की गई।
- बैंक ने पिछले वर्ष सभी शाखाओं को सम्मिलित कर 12 वसूली कैम्पों (प्रत्येक माह एक कैम्प) का आयोजन किया। इसमें ₹3564.55 करोड़ की वसूली हुई, जो वसूली की दृष्टि से बहुत ही सफल रहा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) के विपणन हेतु वसूली एजेंसियों और बैंकिंग प्रतिनिधियों की सेवाओं का समुचित प्रयोग किया गया।
- वित्तीय वर्ष 18 के दौरान बैंक ने ₹1123.18 करोड़ के लेजर शेष वाले और ₹700.32 करोड़ की समझौता राशि के 73198 समझौता प्रस्ताव संस्वीकृत किए।
- बैंक ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता की और ₹314.56 करोड़ के बाकाया वाले 26950 मामलों का निपटान किया।
- वर्ष भर प्रभारित अचल और चल प्रतिभूतियों की ई-नीलामी की गई। संशोधित सरफेसी अधिनियम का लाभ उठाते हुए या तो प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से या संबंधित डीएम/सीएमएम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अचल संपत्तियों के वास्तविक कब्जे पर बल दिया गया। इस कार्रवाई से बैंक के पास वास्तविक कब्जे के अंतर्गत संपत्तियों की नीलामी में वृद्धि हुई है।
- प्रत्येक डीआरटी केन्द्र के नोडल अधिकारी को दैनिक आधार पर विधिक मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है ताकि डिफ्री प्राप्त करने और निष्पादन करने में विलम्ब को कम किया जा सके।

For effective and timely monitoring of NPA accounts and follow up of due process in NPA accounts having Ledger balance of ₹50.00 Lacs and above, concept of "War Room" has been introduced at Head Office level with dedicated executives.

The Bank also has 9 Asset Recovery Management Branches (ARMBs) which function exclusively for resolving NPAs.

Initiatives taken during FY18

- The Bank introduced Online Module "PARTH" for effective monitoring of big borrowal accounts having outstanding above Rs. 50.00 lacs. Hot chase of such borrowers and timely legal action increased our penetration rate to crack these accounts for recovery.
- Bank introduced "War Room" with dedicated executives (Two Asstt. General Managers and One Chief manager) at Head Office level for close monitoring of due process in NPA accounts having outstanding balance of ₹50.00 lacs and above.
- Suitable amendments in OTS module by increasing the Cut Off limit from ₹10.00 Lacs to ₹15 Lacs for Thumb Rule method in other NPA accounts.
- Power to sanction OTS in fraud declared accounts was also delegated to various authorities but not below the level of FGMLCC, subject to placement of process notes to Board of Directors/ MCBOD for information on monthly basis. This resulted in settlement of 71 OTS proposals with ledger balance of ₹6.52 Cr and Compromise sum of ₹4.02 Crore in Fraud declared accounts.
- Monitoring of daily recovery was introduced with Zones/ FGMOs to improve penetration in NPA accounts.
- The Bank organized 12 Recovery Camps in the previous year (one camp in each month) involving all the branches. This step was very successful in terms of recovery that amounted to ₹3564.55 crore. Services of Recovery Agencies and Banking Correspondents were properly utilized for marketing of One Time Settlement Schemes (OTS).
- During the FY18 Bank sanctioned 73198 Compromise cases with ledger balance of ₹1123.18 crore and compromise amount of ₹700.32 Crore.
- The Bank participated in National Lok Adalat actively and settled 26950 cases having outstanding of ₹314.56 crore.
- E-auctions of charged immovable & movable securities were carried out through-out the year. Special thrust was given in taking physical possession of immovable properties either with the help of Enforcement Agencies or by moving application before the concerned DM/CMM taking advantage of amended SARFAESI Act. This step resulted into increased auction of properties under physical possession of the Bank.
- Nodal Officer at each DRT centre was assigned the role of follow-up of legal cases on daily basis so as to minimize delay in obtaining decrees and execution.

- बढ़ते एनपीए से निपटने का एक अन्य उपलब्ध विकल्प था एआरसी को दीर्घकालिक/जटिल खातों की बिक्री। इसका उपयोग किया गया और वित्तीय वर्ष 18 के दौरान विभिन्न एजेंसियों को 216 खाते और ₹2539.21 करोड़ मूल्य की संपत्ति बेची गई थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु पहल की गई। समुचित सावधानी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पहचान किए गए उधारकर्ताओं को बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया और यह संख्या मार्च 17 के 101 से ढाई गुना बढ़ कर अब 257 हो गई है।
- प्रभावी और बेहतर मानिट्रिंग हेतु, सभी उधारखातों को मुख्यतः चार शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात् (i) ₹50,000 से कम (ii) ₹50,000 से ₹15.00 लाख (iii) ₹15.00 लाख से ₹1.00 करोड़ और (iv) ₹1.00 करोड़ से अधिक। जबकि प्रथम दो चरणों में ओटीएस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, अन्य अतिरिक्त विकल्प जैसे सरफेसी के अंतर्गत बिक्री, इरादतन चूककर्ता की घोषणा, रिस्ट्रक्चरिंग, डीआरटी में वाद दाखिल करना अगली दो श्रेणियों में अत्यंत विधिवत रूप से अपनाया जाता है। उच्च मूल्य के एनपीए खातों में वसूली हेतु महत्वपूर्ण साधन के रूप में आईबीसी/एनसीएलटी के माध्यम से समाधान का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ₹1.00 करोड़ से अधिक के बकाया वाले उधार खातों में मंडलीय प्रमुखों और एफजीएम के साथ मासिक वीसी बैठक की जाती है और “साध्य खातों” की पहचान की जाती है जिसमें तिमाही के अंदर बदलाव/वसूली की संभावना हो। समाधान सुनिश्चित करने हेतु इन खातों के संबंध में दैनिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 18 के दौरान बैंक ने आईबीसी के अंतर्गत समाधान हेतु ₹12566.11 करोड़ की राशि वाले 65 एनपीए खाते नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लि. (एनईएसएल) को भेजे हैं।
- आईबीसी के अंतर्गत विचारित सूचना उपयोगिता सेवाओं का प्रयोग करने हेतु नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लि. (एनईएसएल) के साथ टाईअप किया गया है।
- Sale of chronic/difficult accounts to ARC was another option available to tackle rising NPA. This was utilized in 216 accounts and assets worth ₹2539.21 Crore were sold to various agencies during the FY18.
- Initiatives for identifying Wilful Defaulters were undertaken in terms of guidelines of Reserve Bank of India. On completion of due diligence exercise, identified borrowers were declared as Wilful Defaulter by the Bank and the number now stands at 257, a two and half -fold jump from Mar'17 figure of only 101.
- For effective and better monitoring, all NPA borrowal accounts were categorized under four broad heads, viz. (i) Below ₹50,000 (ii) Rs.50,000 to ₹15,00 lakhs (iii) ₹15.00 lakhs to 1.00 crore and (iv) above ₹1.00 crore. While OTS is the main focus in first two stages, other additional options like sale under SARFAESI, declaration of willful Defaulter, restructuring, suit at DRT are followed very methodically for next two categories. Resolution through IBC/ NCLT are also used as important tools for recovery in high value NPA accounts. Further, for borrowal accounts having outstanding above ₹1.00 crore, monthly VC meetings are held with Zonal Heads and FGMs and 'Doable' accounts are identified where turnaround/ recovery is expected within the quarter. These accounts are then followed-up on daily basis to ensure resolutions.
- Bank has referred 65 NPA borrowal cases involving an amount of ₹12566.11 cr to NCLT for resolution under IBC during FY18.
- Tie-up with National E-governance Service Ltd. (NeSL) was done for utilizing the latter's information utility services envisaged under the IBC.

अपनाई जानेवाली नई पहल

- अनन्य रूप से एनसीएलटी संदर्भित मामलों की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय में एक पृथक “एनसीएलटी कक्ष” स्थापित किया जा रहा है।
- बेहतर बोलियां प्राप्त करने हेतु एआरसी में असाध्य एनपीए खातों का विपणन किया जाएगा।

सी. ऋण निगरानी

वित्तीय वर्ष 18 में नया स्लिपेज ₹12903 करोड़ था। मार्च 17 को यथास्थिति एसडीआर/एस4ए के अंतर्गत ₹3011 करोड़ का बकाया मार्च 18 में घटकर ₹498 करोड़ रह गया। 5/25 योजना के अंतर्गत बकाया ₹993 करोड़ रहा।

मार्च 17 में ₹4656 करोड़ के कुल मानक पुनःसंरचित अग्रिम मार्च 18 में घटकर ₹945 करोड़ रह गए। ₹3711 की कमी में एनपीए स्लिपेज में ₹2289 करोड़, ₹929 करोड़ का अपग्रेडेशन और बकाया/खाते बंद करने में ₹494 करोड़ की निवल कमी शामिल है।

मार्च, 17 को यथास्थिति सीडीआर, एसएमई और अन्य उद्यमों के अंतर्गत मानक पुनर्संरचना की राशि क्रमशः ₹1567 करोड़, ₹383 करोड़ और ₹2705 करोड़ थी जो मार्च 18 में घटकर शून्य, ₹44 करोड़ और ₹901 करोड़ रह गई।

New initiatives to be adopted

- A separate "NCLT Cell" at Head Office for exclusive monitoring of NCLT referred cases is being formed .
- Marketing of chronic NPA accounts among ARCs will be done to get better bids.

C. CREDIT MONITORING

Fresh Slippages to NPA in FY 18 were Rs 12903 Cr. The outstanding of ₹3011 Cr under SDR/S4A as on Mar 17 came down to ₹498 Cr in Mar 18. Under 5/25 scheme, outstanding stood at ₹993 Cr.

Total standard restructured advances of ₹4656 Cr in Mar 17 came down to ₹945 Cr in Mar 18. The reduction of ₹3711 Cr comprised ₹2289 Cr of slippages to NPA, ₹929 Cr up-gradation and ₹494 Cr net reduction in outstanding / closure of accounts.

Amount of standard restructuring under CDR, SME & other enterprises of ₹1567 Cr, ₹383 Cr and ₹2705 Cr respectively in Mar 17 was reduced to NIL, ₹44 Cr and ₹901 Cr in Mar 18

भारिबैं ने दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अपने परिपत्र सं. भारिबैं/2017-18/131 डीबीआर सं. 101/21.04.048/2017-18 के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित संरचना जारी की है। उक्त परिपत्र के प्रभाव के रूप में वित्तीय वर्ष 18 की चौथी तिमाही में एनपीए में स्लिपेज ₹1565 करोड़ और प्रावधान ₹645 करोड़ था। बैंक ने दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं।

बैंक संशोधित भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार खातों को एसएमए में वर्गीकृत कर रहा है और तदनुसार सीआरआईएलसी को रिपोर्ट कर रहा है।

एसएमए-0 स्तर से ही खातों की मानिट्रिंग की जाती है। शाखाएं/कार्यालय विभिन्न ऋण मानिट्रिंग साधनों के प्रयोग के माध्यम से ऋण मानिट्रिंग में गति लाने हेतु सतत अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं जैसे यूनिट का दौरा, स्टॉक विवरण डीपी निर्धारण, स्टॉक सत्यापन, अंतिम उपयोग का सत्यापन, प्रतिभूति का दौरा और मूल्यांकन, क्यूआईएस मानिट्रिंग, खाते का व्यवहार, स्टॉक लेखापरीक्षा, ऋण समीक्षा तंत्र, आवधिक विधिक लेखापरीक्षा, निरीक्षण और समवर्ती लेखापरीक्षा, सीआरआईएलसी, दैनिक एसएमए ट्रेकिंग, पूर्व चेतावनी संकेत आदि।

प्रलेखों की जांच और सत्यापन करने तथा अनियमितताओं, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु पूर्व-संवितरण साधन के रूप में प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और आर्किवल (देवा) का प्रयोग किया जाता है। एलएएमपी एक अन्य आनलाइन संवितरण-पश्चात साधन है जो सभी ऋण मानिट्रिंग पैरामीटरों के डाटा प्राप्त करता है, खातों की रेटिंग करता है तथा मानिट्रिंग को सुविधाजनक बनाता है।

बैंक ने अपने विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों (एफजीएमओ और मंका) में ऋण “मानिट्रिंग हेतु नोडल अधिकारियों” को नामोद्दिष्ट किया है जो अपने क्षेत्र में समग्र ऋण मानिट्रिंग प्रकार्यों पर नजर रखते हैं।

बैंक खातों की स्थिति में सुधार और स्लिपेज रोकने हेतु 360° ऋण मानिट्रिंग हेतु प्रतिबद्ध है।

डी. डिजिटलाइजेशन

वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक अपने ग्राहकों को रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। 31 मार्च, 2018 को बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 12.8 लाख तक पहुंच गई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 18 के दौरान अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को अद्यतन किया है जो निम्नानुसार है:

- अटल पेंशन योजना हेतु (एपीवाई) हेतु पंजीकरण
- मोबाइल बैंकिंग का आनलाइन पंजीकरण
- मोबाइल बैंकिंग में विभिन्न खाते जोड़ने की सुविधा
- आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेनों की शेड्यूलिंग
- तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्य कर भुगतान
- 15जी/15एच का आनलाइन प्रस्तुतीकरण।

मोबाइल बैंकिंग

बैंक लगभग 31 लाख ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान मोबाइल एप का अपग्रेडेड वर्जन लागू किया गया जो ग्राहकों को और अधिक सहजता से लेनदेन करने में समर्थ बनाता है। बैंक ने अपने एटीएम नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने की सुविधा भी शुरू की है।

RBI vide its circular no. RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC. 101/21.04.048/ 2017-18 dated February 12, 2018 issued Revised Frame-work for Resolution of Stressed Assets. As an impact of the said circular, slippage to NPA was ₹1565 Cr and a provision of ₹645 Cr in Q4 of FY 18. The Bank has taken adequate steps to comply with the guidelines.

The Bank is classifying accounts into SMA as per the revised RBI guidelines and reporting them on CRILC accordingly.

Monitoring of accounts is done right from SMA-0 level. The Branches / offices are continuously followed up for stepping up credit monitoring through use of various credit monitoring tools, such as Unit Visit, Stock statement & DP assessment, Stock verification, End use verification, Security Visit & Valuation, QIS monitoring, Conduct of account, Stock Audit, Loan review Mechanism, Periodic legal Audit, Inspection & Concurrent Audit, CRILC, Daily SMA tracking, Early Warning Signals etc.

Document Electronic Verification & Archival (DeVA) is used as a pre -disbursement tool to check & verify documentation & to weed out irregularities if any. LAMP is another online post-disbursement tool that captures data on all credit monitoring parameters, rates accounts and facilitates monitoring. It also provides Early Warning Signals (EWS)

Bank has designated "Nodal Officers for Credit Monitoring" in its various controlling offices (FGMO and ZO), who oversee all the credit monitoring functions in their span.

Bank is committed to 360° Credit monitoring to improve health of accounts and prevent slippage.

D. DIGITALIZATION

Alternate Delivery Channels

Internet Banking:

The Bank is providing Retail Internet banking & Corporate Internet banking facilities to its customers. The Internet Banking Customers of the Bank reached 12.8 lacs as on 31st March 2018. The Bank updated its Internet Banking Services during FY18 as under:

- Registration of Atal Pension Yojana (APY).
- Online registration of Mobile Banking
- Facility to link different accounts in Mobile Banking
- Scheduling RTGS / NEFT transactions
- Tamil Nadu & Chhattisgarh State tax payment
- Online 15G/15H submission

Mobile Banking

The Bank is providing Mobile Banking services to around 31 lakh customers. During FY18, upgraded version of the Mobile App was introduced, enabling the customers to do transactions with more ease. The Bank also introduced the facility to register for Mobile Banking through its network of ATMs.

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)

बैंक ने “आलबैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस”, एक मोबाइल एप शुरू किया है जो एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण सुविधा की अनुमति देता है। बैंक का कोई भी खाताधारक एप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान कर सकता है और ले सकता है। लाभार्थी को भुगतान निम्नलिखित चार विधियों के माध्यम से किया जा सकता है:

- वर्चुअल एड्रेस
- खाता सं. और आईएफएससी कोड
- एमएमआईडी और मोबाइल नम्बर
- आधार नंबर

रूपे प्रीपेड कार्ड

बैंक ने रूपे प्रीपेड कार्ड आरंभ किया है। विनिर्दिष्ट राशि के साथ कार्ड की रीलोडिंग के बाद यूजर कार्ड का प्रयोग एटीएम, पीओएस मशीन और आनलाइन साइट पर कर सकता है। जो बैंक का ग्राहक नहीं है, वह भी प्रयोग हेतु कार्ड खरीद सकता है।

प्वाइंट आफ सेल(पीओएस)

बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों हेतु प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों (पीओएस) के माध्यम से व्यापारियों से व्यवसाय अर्जित करना आरंभ किया है। पीओएस में सभी कार्ड (रूपे कार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा) स्वीकार किए जाते हैं। 31.03.2018 को यथास्थिति लगभग 2638 पीओएस मशीनें लगाई गईं।

एसएमएस अलर्ट सेवाएं

- एसएमएस अलर्ट बचत बैंक और चालू खाताधारकों को खाते के निष्क्रिय होने से पहले /बाद में भेजे जाते हैं।
- न्यूनतम शेष से कम राशि होने पर दंडिक प्रभार की कटौती के संबंध में ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।
- ग्राहकों को मीयादी जमा राशियों की परिपक्वता के संबंध में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

एटीएम

31 मार्च, 18 को यथास्थिति बैंक के कुल 1105 एटीएम/सीडी थे। इनमें से 624 एमओएफ परियोजना के अंतर्गत, 315 ओपेक्स के अंतर्गत और 166 केपेक्स माडल के अंतर्गत थे।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

समग्र भारत को कवर करते हुए सभी तीन ग्रिडों (उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी) में 145 एमआईसीआर/गैर-एमआईसीआर केन्द्रों पर सीटीएस का सफल कार्यान्वयन किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान उपर्युक्त ग्रिडों में 63 नए केन्द्र जोड़े गए। संसाधित चेकों की औसत मात्रा लगभग 1,21,500 चेक प्रति दिन है। बैंक नें दक्षिणी ग्रिड के आवक समाशोधन परिचालन को केन्द्रीयकृत करने हेतु भुवनेश्वर में केन्द्रीयकृत समाशोधन परिचालन केन्द्र(सीसीओसी) स्थापित किया है।

सीटीएस के कार्यान्वयन और बैंकिंग परिचालनों के समेकन तथा परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 18 के दौरान 15 सेवा शाखाओं को बंद कर दिया गया था।

Unified Payment Interface (UPI)

The Bank has launched "AllBank Unified Payment Interface", a Mobile App which allows funds transfer facility Mobile from one account to another account. Any Bank account holder, after registration in the app, can pay or pull funds through the application. The payments can be made to the beneficiary through four modes as under:

- Virtual address,
- Account Number & IFSC Code,
- MMID & Mobile Number
- Aadhaar Number

RuPay Prepaid Card:

The Bank has launched RuPay Prepaid card. After reloading the card with a specified amount, the user can use the card at ATMs, POS machines & Online sites. A non bank customer can also purchase the card for use.

Point of Sale (PoS):

The Bank has launched merchant acquiring business through Point of Sale machines (PoS) for the merchants to accept payments from its customers through electronic means. All card (RuPay, MasterCard & VISA) are accepted in the PoS. Around 2638 PoS machines have been installed as on 31.03.2018.

SMS Alert Services

- SMS alert is being sent prior to/after account becomes inoperative to the SB & Current account holders.
- Customers are being intimated through SMS regarding deduction of penal charges for fall in minimum balance.
- Customers are being intimated through SMS regarding maturity of the Term Deposit.

ATMs

The Bank has 1105 ATMs/CDs as on 31st Mar'18. Out of this, 624 are under MOF project, 315 under opex and 166 under capex model.

Cheque Truncation System (CTS)

CTS has been successfully implemented at 145 MICR/ Non MICR locations in all the three grids (Northern, Western & Southern) covering pan India. 63 new centres were added in the above grids during last year. Average volume of cheques processed is about 1,21,500 cheques per day. Bank has setup Centralised Clearing Operations Centre (CCOC) at Bhubaneswar for centralized inward clearing operations of Southern Grid.

With the implementation of CTS, and in order to consolidate banking operations and reduce operating costs, 15 service branches were dismantled during FY18.

सूचना सुरक्षा

- बैंक की सुप्रलेखित, बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईटी सुरक्षा नीति और आईटी सुरक्षा प्रक्रिया है जिसे नवीनतम रुझानों और सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुसार अद्यतन करने हेतु वार्षिक रूप से समीक्षा की जा रही है।
- आईटी सुरक्षा नीति और आईटी सुरक्षा प्रक्रिया के अलावा बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना भी अलग से लागू की गई है।
- बैंक ने विभिन्न सुरक्षा संकटों के उपशमन हेतु विभिन्न सुरक्षा साधन अभिनियोजित किए हैं जैसे फायरवाल, अतिक्रमण पहचान प्रणाली (आईडीएस), अतिक्रमण निवारण प्रणाली (आईपीएस), ई-मेल सिक्योरिटी गेटवे, एंटीवायरस साल्यूशन आदि।
- बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग हेतु हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, (एचटीटीपीएस), एक्सटेंडेड वेलिडेशन सिक्योर साकेट्स लेयर (ईवी एसएसएल) को कार्यान्वित किया है।
- सेकंड फैक्टर अथेंटिकेशन (वन टाईम पासवर्ड/ग्रिड कार्ड), वर्चुअल की बोर्ड और केप्चा को इंटरनेट बैंकिंग में कार्यान्वित किया जाता है।
- तिमाही वीएपीटी (वल्नरेबिलिटी एसेसमेंट एंड पेनीट्रेशन टेस्टिंग) और वार्षिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी सुरक्षा से संबंधित अंतराल, यदि कोई हो, को रोकने हेतु सीबीएस और संबद्ध अवसंरचनाओं हेतु संचालित की जाती है।

व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा की भरपाई

- बैंक का 4 टीयर डाटा सेंटर (डीसी) में डाटा सेंटर है और इसके कोर बैंकिंग साल्यूशन तथा अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों हेतु एक डिजास्टर रिकवरी साइट (डीआरएस) भी है।
- बैंक के पास अपने डीसी और डीआर साइट हेतु आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन है।
- आकस्मिकता की स्थिति में ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक की सुप्रलेखित, बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना है।
- बैंक ने नियर साइट डीआर उपलब्ध कराने हेतु मे. एसआईएफवाई साल्यूशंस का चयन किया है। लिंक सहित उपकरणों का संस्थापन पूरा कर लिया गया है। इस सेट-अप को वाशी नवी मुम्बई में परिचालित किया गया है।
- किसी आपतकाल के मामले में डीआर साइट की कार्यात्मक तैयारी की जांच हेतु तिमाही आधार पर डीआर ड्रिल संचालित किया जाता है।

अन्य पहल

- सीबीएस में सीकेवाईसीआर कार्यान्वित किया गया है।
- यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार बायोमीट्रीक अधिप्रमाणन हेतु सीबीएस में पंजीकृत डिवाइस (आरडी) सेवाएं।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य हेतु पीएफएमएस आधारित ई-भुगतान प्रणाली का एकीकरण।
- ग्राहकों को पसंदीदा भाषा में एसएमएस भेजने की सुविधा लागू की गई है।
- सीबीएस में फॉर्म 60 भरना।

Information Security

- The Bank has a well documented, Board approved IT security policy and an IT security procedure in place that is being reviewed annually to keep it updated as per latest trend and best practices.
- Board approved Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan have also been introduced separately apart from IT Security Policy and IT Security Procedure.
- The Bank has deployed various security tools such as firewall, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), e-Mail Security Gateway, Antivirus Solution etc. to mitigate various security threats.
- The Bank has implemented Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), Extended Validation Secure Sockets Layer (EV SSL) for internet banking.
- Second Factor Authentication (One Time Password /Grid Card), Virtual Keyboard and CAPTCHA are implemented in Internet Banking.
- Quarterly VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) and yearly Information System Audit are also conducted for CBS & allied infrastructures to plug in gaps related to security, if any.

Business Continuity Plan and Disaster Recovery

- The Bank has its Data Centre in Tier 4 Data Centre (DC) and also has a Disaster Recovery Site (DRS) for its core banking solution and other critical applications.
- The Bank has ISO 27001:2013 Certification for its DC and DR site.
- The Bank has well documented, Board Approved Business Continuity Plan to provide un-interrupted Customer Services in case of exigency.
- Bank has selected M/s SIFY Solutions to provide near site DR. The installation of equipments along with the links has been completed. The setup is made operational at Vashi, Navi Mumbai.
- DR Drill is conducted on a quarterly basis to keep testing DR site's functional preparedness in case of any emergency.

Other Initiatives

- CKYCR implemented in CBS.
- Registered Device (RD) Services incorporated in CBS for biometric authentication as per UIDAI guidelines.
- Integration of PFMS based e-payment system for the state of Rajasthan and Madhya Pradesh.
- Facility of sending SMS in preferred language of the customer has been implemented.
- Filling form 60 in CBS.

- सीबीएस में इनलैंड बैंक गारंटी फंक्शनलिटी का कार्यान्वयन।
- जीएसटी साफ्टवेयर माड्यूल का कार्यान्वयन.: बैंक ने जीएसटी साफ्टवेयर “सरलजीएसटी” को कार्यान्वित किया है और यह माड्यूल 01.07.2017 से लाइव है।

स्विफ्ट

सीबीएस, एक्जिम बिल, ट्रेजरी और अन्य प्रणालियों सहित स्विफ्ट का इंटरफेस: भारिबैं के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने एक्जिम बिल और सीबीएस को स्विफ्ट के साथ एकीकरण की प्रक्रिया 10.04.2018 से पूरी कर ली है।

डिजिटलाइजेशन- नया व्यावसायिक मूल मंत्र

बैंक ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया के डिजिटलाइजेशन में लंबी छलांग लगाई है। सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार हेतु नई आईटी पहल की गई हैं। यूपीआई, माइक्रो एटीएम और आधार भुगतान जैसे नए डिजिटल उत्पाद शुरू किए गए हैं। बैंक के पास 8250 आउटलेट का मजबूत नेटवर्क है जो देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आईटी समर्थित आनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक ग्राहक हितैषी विकल्प के साथ नवोन्मेषी वैकल्पिक ई-डिलीवरी चैनलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आगे, लेनदेनों के डिजिटलाइजेशन पर सरकार द्वारा बल देने और लेस-कैश समाज के निर्माण हेतु बैंक ने अनेक उत्पाद शुरू किए हैं।

- आधार सीडेड खातों में ईपीएस ऑन-अस और ऑफ-अस लेनदेन।
 - रुपये कार्ड का प्रयोग करते हुए पिन आधारित ऑन-अस और ऑफ-अस लेनदेन।
 - बीसी केन्द्रों में तृतीय पक्ष जमा की अनुमति।
 - बीसी केन्द्रों में आधार सीडिंग सुविधा।
 - ई-केवाईसी के माध्यम से खाता खोलना और ऑटो पापुलेशन को लाईव करना।
 - बीसी केन्द्रों में पासबुक मुद्रण सुविधा लाईव है।
 - व्यापारिक केन्द्रों में भुगतान करने हेतु, आधार आधारित भुगतान सॉल्यूशन, आधार पे सॉल्यूशन को लाईव किया गया है।
 - बीसी केन्द्रों में लघु मीयादी जमा खाते (आरडी/एफडी/डीडीपी/एमआईपी) खाते खोलने की सुविधा आरंभ की गई है।
 - बीसी केन्द्रों में रियल टाइम/ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा आरंभ की गई है।
- अपने ग्राहकों हेतु हमारे मौजूदा ई-उत्पादों को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नई विशेषताएं आरंभ की गई हैं।
- ई-कामर्स लेनदेनों में बेहतर सुरक्षा हेतु ओटीपी अधिप्रमाणन।
 - ईएफपीओं को ऑनलाइन कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान।
 - उत्पाद शुल्क का ऑनलाइन भुगतान (आईसीईजीएटीई)।
 - ऑनलाइन विद्यार्थी शुल्क संग्रहण।

- Implementation of Inland Bank Guarantee Functionality in CBS.
- Implementation of GST Software Module: Bank has implemented GST software "SaraGST" and the module went live on 01.07.2017

SWIFT

Interface of SWIFT application with CBS, Exim Bills, treasury and Other Systems: To comply with the RBI regulatory guidelines, Bank has completed the process of integrating EximBills and CBS with SWIFT w.e.f 10.04.2018

Digitalisation- New Business Buzz Word

The Bank has taken leap forward in digitization of its business processes. New IT initiatives have been put in place to improve delivery of services. New Digital products like UPI, Micro ATM and Aadhar Pay have been launched. The Bank has a strong network of more than 8250 outlets providing IT enabled online Banking Facilities with special focus on rural and remote areas of country. The Bank is focusing to innovate alternate e-delivery channels with customer friendly options.

Moving forward with Government's thrust on digitization of transactions and gearing up for less cash society, the Bank has introduced a number of products.

- AEPS On-Us & Off-Us transactions in Aadhaar seeded accounts.
- PIN based On-Us & Off-Us transactions using RuPay cards
- Third party Deposits are allowed at BC locations.
- Aadhaar seeding facility at BC Point.
- Account opening is enabled through e-KYC and auto population is live.
- Passbook Printing Facility is live at BC locations.
- Aadhaar based payment solution, Aadhaar Pay solution has been made live for making payment at Merchant Locations.
- Small Term Deposit (RD/FD/DDP/MIP) account opening facility is enabled at BC locations.
- Real time/Online SB account opening facility is enabled at BC locations.

New features have been introduced to make our existing e-products more and more convenient for our customers.

- OTP authentication for better security in e-commerce transaction
- On-line employees PF payment to EPFO
- On-line payment of customs-duty (ICEGATE)
- On-line student fee collection

वर्चुलाइजेशन

बैंक ने डीसी और डीआरएस में नॉन-कोर एप्लिकेशनों हेतु वर्चुलाइजेशन परिवेश को कार्यान्वित किया है। वर्तमान में अट्ठाइस (28) एप्लिकेशनों यथा मेल मैसेजिंग, एंटीवायरस, यूपीआई, जीएसटी, एएसबीए आदि को वर्चुलाइजेशन में सफलतापूर्वक माइग्रेट किया गया है। वर्चुलाइजेशन संसाधनों के अभीष्टतम उपयोग के माध्यम से भौतिक सर्वर की कुल संख्या में पर्याप्त रूप से कमी लाएगा।

सुरक्षा परिचालन केन्द्र(एसओसी)

बैंक एसओसी(सुरक्षा परिचालन केन्द्र) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिसके लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई है।

1. काल सेंटर सेटअप

- बैंक पूर्णतया आउटसोर्सड मॉडल पर काल सेंटर सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। काल सेंटर सेटअप विभिन्न सेवाओं/प्रकारों हेतु सुविधाजनक होगा जैसे इनबाउंड काल (ग्राहकों से) आउटबाउंड काल (नए उत्पाद संवर्धन, सॉफ्ट रिकवरी हेतु), आईवीआर, वेब चैट आदि।

माइक्रो एटीएम:

- वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत, बैंक ने माइक्रो एटीएम का प्रयोग करते हुए 5937 बैंक मित्र लोकेशनों पर आनलाइन इंटर-आपरेबल कियोस्क बैंकिंग साल्यूशन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं।
- रुपे कार्ड परिचालन सुविधा (माइक्रो एटीएम/पिन पैड कार्यक्षमताएं) को परिचालित किया गया है और बैंक मित्र लोकेशनों पर घरेलू रुपे कार्ड के प्रयोग के माध्यम से डिजिटल प्रेरणा के पक्ष के रूप में प्रोत्साहित किया गया।

शाखावार रिक्त लाकरों की स्थिति: रिक्त लाकरों की शाखावार स्थिति बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

ई. प्रबंधन सूचना प्रणाली(एमआईएस)

भारिबैंक को निर्बाध रूप से एमआईएस प्रदान करने हेतु बैंक ने आटोमेटेड डाटा फ्लो (एडीएफ) लागू किया है। विभिन्न हितधारकों को प्रदान किए गए डाटा में शुद्धता और संगति बनाए रखने के लिए बैंक ने केन्द्रीयकृत डाटा रिपॉजिटरी (सीडीआर) स्थापित की है। एमआईएस नई लेखा प्रणाली इन्ड एस के माध्यम से तुलनपत्र की तैयारी हेतु विश्लेषण और सूचना भी प्रदान करता है।

इन्ड एस के कार्यान्वयन की स्थिति

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित था कि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 से पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय लेखा मानकों (इन्ड एस) का पालन करें। बैंक ने सितम्बर 2016 और जून 2017 के अपने प्रोफार्मा इन्ड एस वित्तीय विवरण भारिबैंक को निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत कर दिए हैं।

फिलहाल भारिबैंक ने दिनांक 05.04.2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची सहित आवश्यक विधायी संशोधन करने हेतु इन्ड एस के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए अधिस्थगित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। तदनुसार, इन्ड एस का कार्यान्वयन इसकी मूल निर्धारित तिथि 01.04.2018 से 04.04.2019 तक आस्थगित माना जाता है।

Virtualization

Bank has implemented Virtualization environment for the non-core applications at DC & DRS. Currently Twenty Eight (28) applications such as Mail Messaging, Antivirus, UPI, GST, ASBA etc. have been successfully migrated to Virtualization. Virtualization will reduce the total number of physical servers considerably through optimum utilization of resources.

Security Operation Center (SOC)

Bank is in the process of Implementation of SOC (Security Operations Center) for which tendering process has been initiated

1. Call Centre Setup

- Bank is in the process of setting up Call Centre facility in Complete outsourced model. The call centre setup will facilitate various services/functionalities such as Inbound Calls (from customer), Outbound Calls (for new product promotions, soft recovery), IVR, Web Chat etc

Micro ATMs:

- Under Financial Inclusion Project, the Bank has provided Banking Facilities through Online Inter-operable Kiosk Banking Solution at 5937 Bank Mitra locations using Micro ATMs.
- The facility of RuPay Card operations (Micro ATM/Pin Pad functionalities) has been operationalised and encouraged as a part of digital push through usage of domestic RuPay card at Bank Mitra Locations.

Branch-wise Vacant Locker Status: Branch-wise position of vacant locker is being displayed in the Bank's website.

E. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)

The Bank has launched Automated Data Flow (ADF) to provide MIS to RBI seamlessly. Bank has set up a Centralized Data Repository (CDR) for maintaining accuracy and consistency in data provided to various stake holders. The MIS also provides analysis and information for preparation of Balance Sheet through new accounting system IndAS.

Status of Implementation of Ind AS

As per RBI guidelines, banks were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from Financial Year 2018-19, with comparatives of previous year. The Bank has submitted its Proforma Ind AS Financial Statements of Sept. 2016 and June 2017 to RBI, within the stipulated timeframe.

Meantime, RBI vide its Press Release dated 05/04/2018 has announced its decision to defer implementation of Ind AS by one year for making necessary legislative amendments including Third Schedule to Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, the date of implementation of Ind AS stands deferred to 01/04/2019, from the originally scheduled date of 01/04/2018.

इन्ड एस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त इन्ड एस के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु प्रधान कार्यालय में एक पृथक कक्ष की स्थापना की गई है। आईटी परिवर्तनों सहित यथाअपेक्षित प्रणालीगत परिवर्तनों पर विचार किया गया है और इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं

एफ. शाखाएं और कार्यालय नेटवर्क

घरेलू उपस्थिति

बैंक की संपूर्ण भारत में 3245 शाखाएं हैं। 3245 घरेलू शाखाओं में से 1207 ग्रामीण, 764 अर्ध-शहरी, 648 शहरी एवं 626 महानगरीय केन्द्रों में हैं। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान 3 नई शाखाएँ खोली गईं जिनमें से 1 ग्रामीण और 2 अर्ध-शहरी केन्द्रों में हैं। इसके अतिरिक्त, निकटवर्ती स्थानीय केन्द्रों के व्यवसाय को समेकित करने हेतु 2 मेट्रो और 1 शहरी शाखाओं को समामेलित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति

बैंक की हांगकांग में डीलिंग रूम सहित एक विदेशी शाखा है। हांगकांग शाखा का व्यवसाय 31 मार्च, 17 को यथास्थिति ₹14130.68 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 18 को यथास्थिति घटकर ₹12871.38 करोड़ रह गया। शाखा के व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.91% की कमी हुई। 31 मार्च, 18 को यथास्थिति जमाराशियां ₹2762.43 करोड़ रही जबकि अग्रिम ₹10108.95 करोड़ रहे। हांगकांग शाखा ने वित्तीय वर्ष 18 में ₹90.52 करोड़ का परिचालनगत लाभ और ₹44.86 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

जी. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक अपना अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय 53 प्राधिकृत/नामोदिष्ट शाखाओं के माध्यम से संचालित करता है जिनमें 5 अन्तरराष्ट्रीय शाखाएं और हांगकांग स्थित एक विदेशी शाखा शामिल हैं। बैंक की एकीकृत ट्रेजरी शाखा मुम्बई में एक केन्द्रीयकृत पूर्णतया सुसज्जित फारेक्स डीलिंग रूम है जो 9 करेंसियों में विदेशी मुद्रा लेनदेनों का संचालन करता है और 12 नोस्ट्रो एवं 1 वोस्ट्रो खाते का रखरखाव करता है। 31 मार्च, 18 को यथास्थिति बैंक का निर्यात ऋण 31 मार्च, 17 को यथास्थिति ₹2620.96 करोड़ के सापेक्ष ₹2424.65 करोड़ रहा। बैंक निर्यातकों को और अधिक ऋण प्रदान करने हेतु सभी कदम उठा रहा है। निर्यातकों को उन्हें उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देने हेतु विभिन्न केन्द्रों पर निर्यातकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैंक ने प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ कारस्पोडेंट संबंध बनाए रखा है। बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जमा और ऋण उत्पाद प्रदान कर अनिवासी भारतीयों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है जैसे एफसीएनआर, एनआरई और एनआरओ जमाराशियां आवास ऋण आदि। विदेशों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से धनराशि प्राप्त करने वाले घरेलू ग्राहकों को मुद्रा अंतरण सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने मे. यूआई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के साथ व्यवस्था की है।

एच. परिचालन प्रभाग

व्यवसाय प्रक्रिया

व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) संगठनात्मक कार्यनिष्पादन, मुख्यतः उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने हेतु मुख्य क्षमता को अधिकतम करने के लिए सतत आधार पर बैंक की मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं

For effective implementation of Ind AS, a Steering Committee headed by Executive Director has been formed. Further, a separate Cell to handle various activities relating to implementation of Ind AS has been formed at Head Office. Necessary system changes, including IT changes, have been envisaged and the steps for implementation of such changes are in progress.

F. BRANCH AND OFFICE NETWORK

Domestic Presence

The Bank has pan India presence of 3245 branches. Out of 3245 domestic branches, 1207 are at Rural, 764 at Semi-urban, 648 at Urban and 626 in Metropolitan Centres. 3 new branches have been opened during FY18, out of which 1 is at Rural and 2 at Semi Urban centers. Further, 2 Metro and 1 semi-urban branches have been merged to consolidate the business of closely located centres.

International Presence

The Bank is having one overseas branch with a dealing room at Hong Kong. The business of Hong Kong branch has decreased from ₹14,130.68 crore as on 31st Mar'17 to ₹12,871.38 crore as on 31st Mar'18. The business of the branch decreased by 8.91% on Y-o-Y basis. The total deposit as on 31st Mar'18 stood at ₹2,762.43 crore, whereas advances stood at ₹10,108.95 crore. The Hong Kong branch earned operating profit of Rs. 90.52 crore and net profit of ₹44.86 crore in FY18.

G. INTERNATIONAL BANKING

The Bank carries out its international business in India through its 53 authorized/ designated branches, which include 5 international branches, and also through its overseas branch at Hong Kong. The Bank also has a centralized fully equipped forex dealing room at Integrated Treasury Branch, Mumbai which handles forex transactions in 9 currencies and maintains 12 Nostro accounts and 1 Vostro account. Export Credit of the Bank as on 31st Mar'18 stood at ₹2424.65 crore as compared to ₹2620.96 crore as on 31st Mar'17. The Bank is taking all steps to increase the credit flow to exporters. Exporters' meets are arranged at various centres to explain various facilities available to them. The Bank maintains correspondent relationship with prime banks abroad. The Bank is also catering to the needs of Non-Resident Indians through its branches by providing various types of deposit & loan products e.g. FCNR, NRE & NRO deposits, Housing Loan etc. The Bank is also having an arrangement with M/s. UAE Exchange & Financial Services Ltd. to facilitate Money Transfer Services to the domestic customers receiving remittances from their relatives residing abroad.

H. OPERATIONS DIVISION

Business Processes

Business Process Re-engineering (BPR) Cell is functioning with the purpose of bringing desired changes in the existing systems and processes, products and business processes of

उत्पादों और व्यवसाय में बांछित परिवर्तन लाने के प्रयोजन से कार्य कर रहा है।

संसाधनों को अनुकूल बनाने, परिचालन लागत को कम करने हेतु बैंक स्थापनाओं का पुनर्गठन करने और अनावश्यक स्थापनाओं को हटाने हेतु कदम उठा रहा है। ऐसा ही एक कदम था बैंक की 15 सेवा शाखाओं को बंद करना और ग्राहक सेवा को प्रभावित किए बिना इनकी गतिविधियों का अन्य नामोद्दिष्ट शाखाओं में विलय करना।

सुरक्षा पहलू से समझौता किए बिना इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग को और अधिक ग्राहक-हितैषी बनाने हेतु विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं।

उच्च मूल्य के और असाधारण स्वरूप के लेनदेनों की त्वरित और बेहतर मानिट्रिंग हेतु बैंक ने एक नामोद्दिष्ट पोर्टल विकसित किया है।

बैंक ने ऐसे अनेक क्षेत्रों की पहचान की है जहां नई प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं। इससे ग्राहकों की सुविधा और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

आई. व्यवसाय विविधकरण

ए. बीमा व्यवसाय

i. जीवन बीमा

बैंक ने मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम के कारपोरेट एजेंट के रूप में वित्तीय वर्ष 17 के दौरान संग्रहित ₹103.73 करोड़ की कुल बीमा प्रीमियम के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 18 के दौरान 21860 पालिसियों से ₹124.64 करोड़ का प्रीमियम जुटाया है। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान जीवन बीमा व्यवसाय से बैंक का अर्जन वित्तीय वर्ष 17 के ₹9.63 करोड़ के सापेक्ष ₹10.34 करोड़ रहा।

ii. गैर जीवन बीमा

बैंक ने मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंडोरेंस कंपनी लि. के कारपोरेट एजेंट के रूप में वित्तीय वर्ष 18 के दौरान 371142 पालिसियों से ₹171.25 करोड़ का प्रीमियम जुटाया है, जिसने वित्तीय वर्ष 17 के ₹11.81 करोड़ के सापेक्ष ₹17.04 (एचसीपी सहित) करोड़ राजस्व अर्जित किया गया।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 18 के दौरान अपनी 84693 अनुकूलित "इलाहाबाद बैंक हेल्थ केयर प्लस" पालिसियों की बिक्री से ₹18.45 करोड़ की प्रीमियम राशि प्राप्त की, जिससे ₹2.35 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

बी. म्यूचुअल फंड

बैंक शाखाओं के माध्यम से 6 एएमसी की म्यूचुअल फंड योजनाओं का संवितरण कर रहा है अर्थात् रिलायंस निप्पोन एएमसी, प्रिंसिपल पीएनबी एएमसी, कोटक म्यूचुअल फंड एएमसी, यूटीआई एमएफ एएमसी, फ्रैंकलिन टेम्पटोन एएमसी और एस्सेल (पूर्व में पीयरलेस के नाम से ज्ञात) एएमसी।

बैंक ने म्यूचुअल फंड व्यवसाय के वितरण से वित्तीय वर्ष 17 के दौरान ₹49 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 18 के दौरान ₹66 लाख कमीशन अर्जित किया।

सी. डिपाजिटरी सेवाएं:

बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में ग्राहकों को डिपाजिटरी सेवाएं प्रदान कर रहा है और डिपाजिटरी सेवाएं प्रदान करके वित्तीय वर्ष 18 के दौरान ₹51 लाख की आय अर्जित की।

the bank on a continuous basis for maximizing performance, mainly productivity and efficiency.

With a view to optimisation of resources, reducing operating costs, the bank is taking steps for re-organisation of establishments, prune establishments which are not essential. One such move was closure of 15 Service Branches across the Bank and merging their activities with some designated branches without affecting customer service.

Various changes have been introduced to make the use of internet banking more customer-friendly without compromising with the security aspect.

For ensuring quick and better monitoring of transactions of high value and exceptional in nature, the bank has developed a designated portal.

The bank has identified a number of areas where new systems & processes are under development. This will improve the customer convenience and quality of customer service.

I. BUSINESS DIVERSIFICATION

a. Insurance Business:

i. Life Insurance:

Bank, as a corporate agent of M/s. Life Insurance Corporation of India, mobilized premium of ₹124.64 crore during FY18 from 21860 policies, as against total premium of ₹103.73 crore mobilized during FY17. Bank's earnings from Life-Insurance business during FY18 amounted to ₹10.34 crore as against ₹9.63 crore during FY17.

ii. Non Life Insurance:

Bank, as a corporate agent of M/s. Universal Sampo General Insurance Company Limited, collected premium amounting to ₹171.25 crore during FY18 from 371142 policies mobilized by the Bank, which earned revenue of ₹17.04 (including HCP) crore as against ₹11.81 crore, during FY17.

Bank collected premium amounting to ₹18.45 crore during FY18 from sale of 84693 customized "Allahabad Bank Health Care Plus" policies, which earned revenue of ₹2.35 crore as against ₹1.51 crore, during FY17.

b. Mutual Funds:

Bank is distributing the Mutual Fund schemes of 6 AMCs i.e. Reliance Nippon AMC, Principal PNB AMC, Kotak Mutual Fund AMC, UTI MF AMC, Franklin Templeton AMC and Essel (formerly known as Peerless) AMC through Bank branches.

Bank earned commission of Rs 66 lacs from distribution of Mutual Fund products during the FY18 as against ₹49 lakhs during FY17.

c. Depository Services:

Bank, as Depository participant of NSDL & CDSL, is providing Depository services to the customers and has earned an income of ₹51 lakhs during FY18 for providing Depository Services.

बैंक को 16 दिसम्बर, 2017 को कोलकाता में आयोजित एनएसडीएल के 32वें डीपी सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में पीएसयू बैंक श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम संख्या में डीमैट खाते खोलने हेतु एनएसडीएल से पुरस्कार प्राप्त हुआ

डी. आनलाइन ट्रेडिंग खाता:

बैंक मै.आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड के सहयोग से बैंक के डीमैट ग्राहकों को ब्रोकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। आनलाइन ट्रेडिंग गतिविधियों के माध्यम से बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 18 के दौरान ₹6.89 लाख की आय अर्जित की।

ई. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाकड एमाउंट (एसबीए) सेवाएं:

स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में पब्लिक इश्यू (आईपीओ/एफपीओ/राईट इश्यू) में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इस सुविधा को अब बैंक की समस्त शाखाओं में उपलब्ध कराया गया है।

बैंक की 92 नामोद्दिष्ट शाखाओं में ब्रोकर बिडेड आईपीओ फार्म की प्रोसेसिंग हेतु एसबीए सुविधा सिंडिकेट/सब सिंडिकेट सदस्यों हेतु भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान बैंक ने 206 आईपीओ हेतु ग्राहकों के आवेदनों को प्रोसेस किया।

एफ. नकदी प्रबंधन सेवाएं

नकदी प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत आय वित्तीय वर्ष 17 के दौरान ₹3.98 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 18 हेतु ₹4.35 करोड़ है।

नए उत्पाद

क. आलबैंक शक्ति:

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम के रूप में बैंक ने राष्ट्र की महिलाओं को एक बचत बैंक उत्पाद "आलबैंक शक्ति" देने का निर्णय लिया है जो निवेश के अवसर तथा बहुत कुछ उपलब्ध कराता है। यह उत्पाद उन्हें हेल्थकेयर उत्पाद, लाकर सुविधा में डिस्काउंट, स्वयं/पुत्री को उनके आवास ऋण और शिक्षा ऋण पर रियायती ब्याज दर का लाभ भी प्रदान करता है।

ख. आलबैंक कैश ऑप्शन

यह उत्पाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है।

सी. एमपावर

डिजिटल सुपुर्दगी को कारगर ढंग से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक ने "एमपावर" नाम एक मोबाइल एप लागू किया है। यह एप प्लेस्टोर/एपस्टोर में उपलब्ध है जिसे 100000 से अधिक ग्राहकों द्वारा डाउनलोड किया गया है और इस एप पर लेनदेनों की संख्या दैनिक आधार पर बढ़ रही है। इस एप को चैटबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई-कामर्स भुगतानों में व्यापक रूप से विस्तारित किया जाना है।

डी. आलबैंक सीनियर

देश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के अपने प्रयास के रूप में बैंक ने उनके लिए विशेष रूप से तैयार योजना "आलबैंक सीनियर" लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध लाभ

Bank received award from NSDL for opening the maximum number of Demat Accounts under PSU Banks category in the Eastern region during the NSDL's 32nd DP Conference held at Kolkata on 16th December 2017.

d. Online Trading Account:

Bank is providing Broking facility to the demat customers of the Bank in association with M/s. Aditya Birla Money Limited. An income of Rs. 6.89 lakh was earned by the Bank during FY18 on account of online trading activities.

e. Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) Services:

Being Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for submitting of application in public issues (IPO/FPO/ Right Issue), this facility has now been made available from all the branches of the Bank.

ASBA facility is also available for Syndicate/Sub syndicate Members for processing broker bidded IPO forms at 92 designated bank branches. During FY 2017-18, the Bank processed applications of the customers for 206 IPOs.

f. Cash Management Services:

The income under Cash Management Services was Rs. 4.35 crore for the FY 2017-18 as against Rs. 3.98 crore during FY17.

New Products

a. AllBank Shakti:

As a step towards women empowerment, the Bank has decided to offer the women of the nation a savings bank product "Allbank Shakti" that makes available investment opportunities & much more. This product also provides benefits to them in the form of discounts on healthcare product, locker facility, and concessional rate of interest on their housing loans & education loan for self / daughter.

b. AllBank Cash Option

This product gives an instant Overdraft facility in online and offline mode, for all individual deposit holders above 18 years of age.

c. emPower

In order to strengthen the digital delivery effectively, the Bank has introduced a mobile app named "emPower". This app is available on Playstore / AppStore which has since been downloaded by over 100000 customers and transactions on this app are increasing on daily basis. The app is scheduled to get major enhancements like Chatbot and Artificial Intelligence based e-Commerce payments.

d. AllBank Senior

In a bid to pay its tribute to the senior citizens of the country, Bank has decided to offer a specially designed scheme "Allbank Senior" for them. The scheme comes with multiple

लेकर आई है उदाहरणार्थ शाखाओं में तरजीह दिया जाना, लाकर किराए में डिस्काउंट, स्वस्थ जांच में डिस्काउंट, कार ऋण में ब्याज दर में रियायत तथा और बहुत कुछ।

जे . सरकारी व्यवसाय

पेंशनीकृत समाज के सृजन के प्रधानमंत्री के स्वप्न को कार्यान्वित करने हेतु बैंक ने वृद्धावस्था आय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 2017-18 में 164683 व्यक्तियों के नामांकन द्वारा एपीवाई के कवरेज प्रदान किया है

नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) हेतु प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में बैंक अपने दो कारपोरेट क्लाइंटो अर्थात इलाहाबाद बैंक और मै टेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, रांची की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसके अतिरिक्त बैंक अपनी 286 शाखाओं के माध्यम से जनसाधारण की वृद्धावस्था पेंशन आवश्यकता हेतु प्वाइंट आफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर (पीओपी-एसपी) के रूप में कार्य कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 18 के दौरान बैंक ने 3 सीरीज (14 श्रृंखलाओं) में स्वर्ण की धारिता कम करने और स्वर्ण के आयात को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई सोवरेन गोल्ड बांड स्कीम में सहभागिता की है।

2016 से पहले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन में 7वें वेतन आयोग -संशोधन की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के निर्णय को बैंक ने अगस्त 2017 में सभी पात्र पेंशनरों के संबंध में इसे कार्यान्वित कर दिया है।

के. ट्रेजरी -परिचालन विशिष्टताएं

घरेलू परिचालन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ट्रेजरी ने ₹610.23 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ अर्जित किया और इससे वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष-दर-वर्ष 33.09% की डी-ग्रोथ दर्ज की। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 18 के दौरान अर्जित ब्याज आय ₹4094.67 करोड़ है, जो पिछली अवधि के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष 0.61% प्रतिशत की डी-ग्रोथ है। घरेलू निवेश पोर्टफोलियो में ₹13304.88 करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात मार्च, 2017 में ₹55433.36 करोड़ से मार्च 18 में ₹68378.24 करोड़।

पोर्टफोलियो विशिष्टताएं

31.03.2018 को यथास्थिति बैंक का वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो ₹69036.12 करोड़ रहा जिसमें ₹68738.24 करोड़ का घरेलू निवेश और हमारी हांगकांग शाखा द्वारा विदेशी निवेश एचकेडी 358.68 एमआईओ अर्थात ₹297.88 करोड़ (1 एचकेडी 8.3050 की दर से परिवर्तित) रहा।

₹69036.12 करोड़ के पोर्टफोलियो को ₹41383.49 करोड़ (अर्थात 59.94%) के एचटीएम वर्ग, ₹27647.70 करोड़ (अर्थात 40.05%) के एएफएस वर्ग और ₹4.93 करोड़ (अर्थात 0.01%) के एचएफटी वर्ग, में विभाजित किया गया है।

31.03.2018 को यथास्थिति ₹219669.83 करोड़ के प्रभावी एनडीटीएल हेतु बैंक ने ₹61277.19 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूति बनाए रखी है जो 19.50% की आवश्यकता के सापेक्ष एनडीटीएल की 27.90% है। हमारी एसएलआर धारिता में से ₹39691.88 करोड़ जो कि एनडीटीएल का 18.07% थी एचटीएम वर्ग में 19.50% की सीमा के सापेक्ष रखा गया है।

बैंक के ₹7758.93 करोड़ के एनएसएलआर पोर्टफोलियो में मुख्यतः ₹2554.70 करोड़ के बांड्स/ डिबेंचर, ₹1910.23 करोड़ की प्रतिभूति

benefits for the senior citizens e.g. preferential treatment at branches, discount on locker rentals, discount in health checkups, concessional rate of interest in car loans and much more.

J. GOVERNMENT BUSINESS

For implementing the Prime Minister's dream for creating a pensioned society, the Bank extended the coverage for APY by enrolling 164683 individuals in 2017-18 to address the old age income security needs of the citizen.

As a Point of Presence (POP) for National Pension System (NPS), the Bank is catering needs of two of its corporate clients i.e. Allahabad Bank and M/S Tenughat Bidyut Nigam Limited, Ranchi. Apart from these, the Bank is acting as Point of Presence Service Provider (POP SP) for old age pension need of general public through its 286 branches.

During FY18, the Bank participated in 3 series (14 tranches) of Sovereign Gold Bond Scheme, launched by Govt. of India aiming to reduce the holding of the yellow metal and also to reduce import of Gold.

Central Government's decision on the recommendations of the 7th Pay Commission-Revision of pension of pre-2016 pensioners/ family pensioners was implemented by the Bank in August 2017 to all the eligible pensioners.

K. TREASURY - OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Domestic Operations:

The treasury earned a trading profit of ₹610.23 crores during FY 18, thereby posting a Y-o-Y de-growth of 33.09% over FY 17. Further, the Interest Income earned during FY18 was ₹4094.67 crores, a 0.61% Y-o-Y de-growth over the previous period. There was an increase in domestic Investment portfolio of ₹13,304.88 crores, i.e., from ₹55,433.36 crores in Mar'17 to ₹68738.24 crores in Mar'18.

Portfolio Highlights:

The global investment portfolio of the Bank as on 31.03.2018 stood at ₹69036.12 crores, which included domestic investment of ₹68738.24 crores and Overseas investment by our HongKong Branch to the tune of HKD 358.68 mio, i.e., ₹297.88 crores (converted @ 1HKD = ₹8.3050).

The portfolio of ₹69036.12 crores was split in to HTM category carrying ₹41383.49 crores (i.e., 59.94%), AFS Category carrying ₹27647.70 crores (i.e., 40.05%) and HFT category carrying ₹4.93 crores(i.e. 0.01%).

On an effective NDTL of ₹2,19,669.83 crores as on 31.03.2018, the Bank maintained SLR securities of ₹61277.19 crores which was 27.90% of NDTL against a requirement of 19.50%. Out of our SLR holdings, ₹39691.88 crores, which was 18.07% of NDTL, was .held in HTM category against a limit of 19.50%.

The Bank's NSLR portfolio of ₹7758.93 crores comprised mainly of ₹2554.70 crores of Bonds/ Debentures, ₹1910.23

रसीदे एवं ₹1496.26 करोड़ के शेयर और ₹1525.02 करोड़ के विशेष एसडीएल बॉन्ड्स, ₹156.27 करोड़ की अनुषंगी और संयुक्त उद्यम तथा अन्य हेतु ₹116.54 करोड़ सम्मिलित हैं। बैंक का इक्विटी पोर्टफोलियो ₹1496.26 करोड़ है जिसमें सीडीआर/ एसडीआर/ एस4ए योजनाओं के तहत ऋण रूपांतरण के माध्यम से प्राप्त ₹940.89 करोड़ के शेयर सम्मिलित हैं।

एल. ग्राहक सेवा

बैंक ने ग्राहक केन्द्रित नीतियां जैसे ग्राहक अधिकार नीति, जमा नीति, चेक संग्रहण नीति और क्षतिपूर्ति नीति बनायी है तथा इनको बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा बनाए गए “ग्राहकों हेतु बैंक वचनबद्धता कोड” और “सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु बैंक वचनबद्धता कोड” अपनाया है। बैंक द्वारा नागरिक अधिकार पत्र अपनाया गया है और यह बैंक की शाखाओं और वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने हेतु मासिक आधार पर प्रत्येक शाखा और मंडलीय कार्यालय में ग्राहक सेवा समिति बैठक आयोजित करता है।

ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष

सेवा में कमियों संबंधी बैंक के विरुद्ध शिकायतों को दर्ज करने हेतु ग्राहकों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु एक वेब आधारित पोर्टल बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in में कस्टमर केयर के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। प्रधान कार्यालय में सीधे प्राप्त शिकायतें भी मानिट्रिंग, रिकार्ड और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाती हैं। शिकायतों की प्राथमिकता और तीव्र निवारण के उद्देश्य से सभी शिकायतों को 3 बास्केटों अर्थात् ए,बी और सी. में वर्गीकृत किया जाता है। एमओएफ, डीपीजी (सीपीग्राम पोर्टल), आरबीआई, बीसीएसबीआई, सांसदों/विधायकों, अन्य विनियामकों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को तीव्रता से निपटाने हेतु बास्केट ए में रखा जाता है। प्रधान कार्यालय में बैंक का ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष है। बैंक द्वारा नामोदिष्ट महाप्रबंधक स्तर का नोडल अधिकारी समग्र बैंक की ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण व्यवस्था तंत्र के कार्यान्वयन की मानिट्रिंग करता है। ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जा रहा है और ग्राहकों को समुचित उत्तर दिया जाता है।

ग्राहक सेवा में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 18 के दौरान की गई पहल

त्वरित सेवा प्रदान कर, विविध उत्पाद और सेवाएं लाकर, ग्राहकों की शंकाओं का समय पर उत्तर देकर और ग्राहक शिकायतों का निवारण कर ग्राहक संकेंद्रित विभिन्न पहल भी की गई।

ग्राहक सेवा संबंधी बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक तिमाही रूप से आयोजित की जाती हैं। साथ ही हर एक शाखा और मंडलीय कार्यालयों में ग्राहक सेवा समितियां गठित की गई हैं। ग्राहक समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है जिसमें ग्राहकों/समिति के सदस्यों द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों/सुझावों, विलंब के मामलों, पेश आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया जाता है और ग्राहक सेवा में सुधार के उपाय बताए जाते हैं। सदस्यों में एक वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होता है।

एम. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और इसने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 18 के लिए

crores of Security Receipts and ₹1496.26 crores of shares and ₹1525.02 crores of Special SDL Bonds, Subsidiary & JV of ₹156.27 crore and Others for ₹116.45 crore. The equity portfolio of the Bank stood at ₹1496.26 crores, which included ₹940.89 crores of shares received through conversion of Debt under CDR/SDR/S4A schemes.

L. CUSTOMER CARE

The Bank has formulated customer centric policies, such as Customer Rights Policy, Deposit Policy, Cheque Collection Policy, and Compensation Policy and these are displayed in Bank's website. The Bank has adopted "The Code of Bank's Commitment to Customers" & "Code of Bank's Commitment to Micro & Small Enterprises" formulated by BCSBI. Citizen Charter is adopted by the Bank and is available at the branches and website of the Bank. The Bank also conducts Customer Service Committee meetings at every branch and Zonal Office on monthly basis for providing better customer service.

Customer Grievance Redressal Cell

A web based Portal aimed at providing the customers with a platform to lodge their grievances against the Bank for deficiency in services has been provided on the Bank's website www.allahabadbank.in under customer care. Complaints received directly at Head Office are also lodged through this portal for monitoring, record & follow up. In order to prioritise & expedite the redressal, all complaints are categorized in 3 Baskets, viz. A, B & C. Complaints received through MOF, DPG (CPGRAMS portal), RBI, BCSBI, MPs/MLAs, other regulators are put in the Basket A for expeditious redressal. Bank has Customer Grievance Redressal Cell at Head Office. The Principal Nodal Officer of the rank of General Manager designated by the Bank monitors the implementation of customer service and complaint handling mechanism for the entire Bank. Complaints received from customers are being redressed and suitable replies are sent to them.

Initiatives taken during FY18 for improvement in customer service

Several initiatives were also taken to remain customer focused by providing fast service, bringing in diversified products/ services, responding to customers' queries in time and redressal of customer complaints.

Standing Committee of the Board on customer service are held quarterly. Also, Customer Service Committees have been formed at each and every branch and at Zonal Offices. The Customer Service Committee meets once a month to study complaints/ suggestions, cases of delay, difficulties faced/ reported by customers/ members of the Committee and evolve ways and means of improving customer service. The members include a senior citizen too.

M. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The bank has been leading in the area of implementation of Official Language and achieved almost all targets in all

निर्धारित सभी मानदंडों में लगभग सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। सभी द्विभाषी सीबीएस और एचआरएमएस कम्प्यूटर हिन्दी इंटरफेस के तहत हैं। इस द्विभाषी प्रणाली को अपनाकर राजभाषा के कार्यान्वयन में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त बैंक सभी स्तरों पर हिन्दी पत्राचार आदि के लिए यूनिकोड फॉन्ट्स का उपयोग कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान बैंक को हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साथ ही देश के विभिन्न स्थानों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा भी बैंक कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। इसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हैदराबाद, मेरठ, पुणे, सीतापुर और वाराणसी से प्राप्त पुरस्कार शामिल हैं। रांची और गोंडा में भारत सरकार द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का बैंक सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 14.06.2017 पठानकोट शाखा, मंडलीय कार्यालय, अमृतसर, दिनांक 10.02.2018 को मंडलीय कार्यालय, नई दिल्ली का राजभाषा प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा न केवल हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक के प्रयासों के प्रति संतोष व्यक्त किया गया अपितु इन प्रयासों की सराहना भी की गई एवं बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की माननीय समिति द्वारा सराहना की गई। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा भी दिनांक 08.09.2017 को प्रधान कार्यालय का राजभाषा प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया और बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना की गई।

बैंक प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह को 'हिन्दी माह' के रूप में मनाता है। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें सभी संवर्गों के कर्मचारी उत्साह सहित भाग लेते हैं। विजेताओं को राजभाषा समारोह में पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी बैंक ने हिन्दी माह एवं अन्य कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और विजेताओं को पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा प्रथम अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से बड़ी संख्या में निबंध प्राप्त हुए एवं विजयी प्रतिभागियों को बैंक द्वारा 19-20 जनवरी, 2018 को स्टाफ कालेज लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया।

एन. अनुषंगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम

- आलबैंक फाइनेन्स लि., इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है कारपोरेट सलाहकार सेवा, परियोजना मूल्यांकन, इश्यू प्रबंधन, ऋण समूहन, डिबेंचर ट्रस्टीशिप और अंडरराइटिंग के काम में लगी हुई थी का 14.03.2018 से बैंक में विलय हो गया है।
- बैंक की आस्ति प्रबंधन कंपनी एएसआरईसी (इंडिया) लि. में अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ 27.04% की इक्विटी धारिता है।
- साधारण बीमा हेतु बैंक की संयुक्त उद्यम कम्पनी 'यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' में इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक लि., डाबर इन्वेस्टमेंट लि. और जापानी बीमा कंपनी "सोम्पो" के साथ 28.52% की इक्विटी धारिता है।

parameters prescribed by Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language for FY18. All the bilingual CBS and HRMS computers are under Hindi interface. By adopting this bilingual system, implementation of Rajbhasha is increasing. In addition, the Bank is using Unicode Fonts for Hindi correspondence at all levels.

During FY18, the Bank was awarded various awards for its excellent performance in the use of Hindi. Further, Town Official Language Committees situated in different locations of the country also awarded the Bank offices, which included awards from TOLIC Hyderabad, Meerut, Pune, Sitapur and Varanasi. The bank is successfully convening the Town Official Language Implementation Committee constituted by the Government of India in Ranchi and Gonda.

The third sub-committee of Committee of Parliament on Official Language visited our Pathankot Branch under ZO Amritsar on 14.06.2017 and ZO New Delhi on 10.02.2018. The Committee not only expressed satisfaction but also appreciated the efforts made by the Bank for progressive use of Hindi. Officials of DFS, MOF, GOI also inspected our Head Office on 08.09.2017 regarding implementation of Official Language and appreciated the work being done by the Bank for implementation of Rajbhasha.

The Bank observes "Hindi Maah" in the month of September every year. Various competitions are organized at all India level in which staff members of all cadre participate enthusiastically. The winners are awarded with prizes in Rajbhasha function. This year also, the Bank organized Hindi Maah and other programmes/competitions and awards and prizes were given.

In addition, the Bank organized the first All India Inter Bank Hindi Essay Writing Competition in which a number of essays were received from various PSBs and RBI. The winners were awarded in the Akhil Bhartiya Rajbhasha Sammelan organized by the Bank at Staff College Lucknow on 19-20 January, 2018.

N. SUBSIDIARY & JOINT VENTURE

- AllBank Finance Ltd., a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank, engaged in Corporate Advisory Services, Project Appraisal, Issue Management, Loan Syndication, Debenture Trusteeship and Underwriting, has since been merged with the Bank w.e.f. 14.03.2018.
- The Bank holds 27.04% equity stake in Asset Management Company "ASREC (India) Ltd.", along with other Banks/ Institutions.
- The Bank holds 28.52% equity stake in joint venture company "Universal Sampo General Insurance Company Limited" for general insurance along with Indian Overseas Bank, Karnataka Bank Ltd., Dabur Investment Ltd. and Japanese insurance major "Sampo".

ओ. इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक(एयूपीजीबी)

वर्तमान में बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (एयूपीजीबी) है जिसका प्रधान कार्यालय बांदा (उप्र) में है। यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 650 शाखाओं और 10 क्षेत्रों के साथ परिचालन कर रहा है। एयूपीजीबी का गठन 2010 में हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित छह आरआरबी का विलय करके किया गया था।

हमारे प्रायोजित आरआरबी की प्रदत्त पूंजी ₹61.93 करोड़ है। एयूपीजीबी की प्रदत्त पूंजी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और इलाहाबाद बैंक का अंशदान क्रमशः 50:15:35 अनुपात में है। इस आरआरबी की पूंजी में बैंक का अंशदान ₹21.67 करोड़ है। 31 मार्च, 18 को यथास्थिति प्रायोजित आरआरबी की निवल संपत्ति ₹824.69 करोड़ थी।

वर्ष के दौरान एयूपीजीबी का कुल व्यवसाय 31.03.2017 को यथास्थिति ₹16182 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को यथास्थिति ₹16541 करोड़ हो गया जो ₹359 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 2.22%)। 31 मार्च, 18 को यथास्थिति एयूपीजीबी की जमाशियां ₹10231 करोड़ रही (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि: 6.42%)।

31.03.2018 को यथास्थिति हमारे प्रायोजित आरआरबी का निवल लाभ 31.03.2017 को यथास्थिति ₹31.37 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2018 को यथास्थिति बढ़कर ₹35.33 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 12.62% की वृद्धि दर्शाता है। एयूपीजीबी अपनी स्थापना से ही लाभ में है। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान एयूपीजीबी का सकल एनपीए ₹607 करोड़ से घटकर ₹605 करोड़ (कुल अग्रिमों का 9.59%) रह गया। सभी 650 शाखाएं, 04 विस्तार पटल, और 13 प्रशासनिक केन्द्र सीबीएस पर हैं। एयूपीजीबी भारत का एकमात्र आरआरबी है जो अपने खुद के डाटा सेंटर का प्रबंधन कर रहा है। 31.03.2018 को यथास्थिति कर्मचारियों की कुल संख्या 2589 थी।

31.03.2018 को यथास्थिति पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खाता खोलने की प्रगति 10,95,392 खाते रही, जिसमें से 7,81,002 खातों में रुपये डेबिट कार्ड जारी किए गए थे। इन खातों में बकाया शेष ₹293.44 करोड़ था। एयूपीजीबी ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 294118 ग्राहकों और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 668130 ग्राहकों को नामांकित किया। एपीवाई योजना के अंतर्गत उपलब्धि हेतु एयूपीजीबी को पीएफआरडीए द्वारा "चैंपियन ऑफ चेंज" अभियान हेतु पुरस्कृत किया गया। 28318 बचत संबद्ध एसएचजी में से 27325 एसएचजी को ऋण से संबद्ध किया गया जिसमें बकाया राशि ₹123.08 करोड़ थी।

बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी अपनी उपस्थिति वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास में सक्रिय सहभागिता कर रहा है। कोर बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) के कार्यान्वयन से ग्रामीण ग्राहक भी नवीनतम प्रौद्योगिकी से लाभान्वित हो रहे हैं, इससे वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण निर्धनों को उनके घर के पास ही बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो रही है। सीबीएस कहीं भी बैंकिंग और एसएमएस एलर्ट के साथ कार्य कर रहा है।

हमारे प्रायोजित आरआरबी में वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत माइक्रो एटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, रुपये एटीएम कार्ड/केसीसी कार्ड, एफआईपी के अंतर्गत कियोस्क बैंकिंग साल्यूशन (केबीएस), ई-केवाईसी, डीबीटी के अंतर्गत आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एबीपीएस) सुविधा भी एयूपीजीबी द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जा रही है।

O. ALLAHABAD BANK UP GRAMIN BANK (AUPGB)

At present, one RRB i e Allahabad UP Gramin Bank (AUPGB) with Head Office at Banda (UP) is sponsored by our Bank. This is operating in 11 districts of UP with 650 branches under 10 Regions. AUPGB was formed in 2010 by amalgamating six RRBs sponsored by our Bank.

The paid up capital of our sponsored RRB is ₹61.93 crore. Central Government, State Government and Allahabad Bank contributed in paid up capital of AUPGB in the ratio of 50:15:35, respectively. The bank's contribution towards capital of this RRB was ₹21.67 crore. The Net worth of sponsored RRB as on 31st March'18 was ₹824.69 crore.

During the year, total business of AUPGB increased from ₹16182 crore as on 31.03. 2017 to ₹16541 crore as on 31.03.2018 showing an increase of ₹359 crore (YoY growth : 2.22 %). The deposit of AUPGB as on 31.03.2018 stood at Rs 10231 crore (YoY growth: 6.42%).

The Net Profit of our sponsored RRB as on 31.03.2018 stood at ₹35.33 crore as against ₹31.37 crore as on 31.03.2017, showing a YoY growth of 12.62 %. AUPGB is in profit since inception. The Gross NPAs of AUPGB decreased from Rs 607 crore to ₹605 crore (9.59% of total advances) during FY 18. All the 650 branches, 04 Extension Counters and 13 Administrative locations are functioning under CBS platform. AUPGB is the only RRB in India, which is managing its own Data Center. Total number of employees were 2589 as on 31.03.2018.

Progress in opening of accounts under PMJDY as on 31.03.2017 stood at 10,95,392 accounts, out of which Rupay Debit Cards were issued in 7,81,002 accounts. Balance outstanding in those accounts was ₹293.44 crore. AUPGB enrolled 294118 customers under PMJJBY and 668130 under PMSBY. AUPGB was awarded by PFRDA for the campaign "CHAMPION OF CHANGE" for achievement under APY scheme. Out of 27325 savings linked SHGs, credit linkage was done in 22756 SHGs accounts with an outstanding of Rs 123.08 crore.

The RRB sponsored by the Bank is actively participating in economic development of the areas of their presence. With the implementation of Core Banking Solution (CBS), rural customers are also getting benefit of latest technology, thus providing services to the rural poor under Financial Inclusion Plan at their doorsteps. CBS is running with anywhere banking and SMS alert.

In our sponsored RRB, the facility of Micro ATMs, RTGS, NEFT, Rupay ATM cards/ KCC cards, KIOSK banking Solution (KBS) under FIP, E-KYC, Aadhar Payment Bridge System (APBS) under DBT etc, are also being provided to customers by AUPGB.

पी. पुरस्कार एवं प्राप्ति

- बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को “बीएमए मैनेजमेंट वूमन एचीवर ऑफ दि इयर अवार्ड 2017” प्रदान किया गया।
- बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा “मध्यम बैंकों में सर्वोत्तम भुगतान पहल” की श्रेणी में विजेता करार दिया गया।
- बैंक को आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के संबंध में एनपीसीआई (भारिबैं द्वारा प्रायोजित) से “राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार 2016” भी प्राप्त हुआ।
- बैंक को ग्रुप-अदर स्टेट्स श्रेणी में पीएमजेडीवाई कार्यान्वयन में सर्वोत्तम बैंक घोषित किया गया और उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक द्वारा प्राप्त वित्तीय समावेशन परिदृश्य की अभिस्वीकृति स्वरूप इसे सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन पहल की श्रेणी में मध्यम बैंकों में भारतीय बैंक संघ द्वारा “बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2017” प्रदान किया गया।
- बैंक को स्कॉच समूह की स्वतंत्र थिंक एंड पालिसी एडवाइजरी से वित्तीय समावेशन की श्रेणी में प्रतिष्ठित “51वां स्कॉच अवार्ड 2018-पीएमजेडीवाई में प्लेटिनम अवार्ड” प्रदान किया गया।
- बैंक को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पीएफआरडी से “मेकर्स ऑफ एक्सिलेंस” भी प्राप्त हुआ।

क्यू. कर्मचारी शेयर क्रय योजना

बैंक के सभी पात्र कर्मचारियों को ईएसपीएस संबंधी निदेशकों की समिति द्वारा यथानिर्धारित ₹43.94 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹53.94 के निर्गम मूल्य पर बैंक के ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 50000000 (पांच करोड़) के नए इक्विटी शेयर नकद रूप में प्रस्तावित करते हुए “इलाहाबाद बैंक कर्मचारी शेयर क्रय योजना” (आलबैंक ईएसपीएस) आरंभ की गई थी। बैंक ईएसपीएस के अंतर्गत इक्विटी शेयर के रूप 87.66% का कुल अंशदान प्राप्त कर पाया और इस निर्गम में 21,742 स्टाफ सदस्यों ने अभिदान दिया।

आर. नए विनियामक निर्धारण

लगातार दो वर्षों से उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) और आस्तियों पर नकारात्मक प्रतिफल (आरओए) के कारण भारिबैं द्वारा बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्यवाई (पीसीए) संरचना के अंतर्गत रखा गया है। भारिबैं द्वारा इसमें सुझाए गए विनियामक निर्धारणों का बैंक द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है जिसमें जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के विस्तार, अन-रेटेड और उच्च जोखिम अग्रिमों में एक्सपोजर, गैर बैंकिंग आस्तियों के सृजन और थोक/मंहगी जमा राशियों/ जमा प्रमाण पत्र के निर्धारण/नवीकरण पर प्रतिबंध शामिल है। बैंक लाभांश के वितरण और लाभों के विप्रेषण तथा शाखा नेटवर्क के विस्तार के संबंध में भी प्रतिबंध का सामना कर रहा है।

इसी प्रकार, बैंक के टर्न-अराउंड हेतु बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सरकार द्वारा निर्धारित सुधार कार्यसूची का अनुसरण कर रहा है।

P. AWARDS AND ACCOLADES

- The Bank's MD & CEO was conferred the "BMA Management Women Achiever of the Year Award 2016-17"
- The Bank was adjudged the winner in category of "Best Payment Initiative amongst Medium Bank" by the IBA.
- The Bank also bagged the "National Payment Excellence Award 2016" on Aadhaar enabled Payment System from National Payments Corporation of India (Sponsored by RBI).
- The Bank was adjudged as the Best Bank in PMJDY implementation in the category of Group-Other states and bagged prestigious Prime Minister's Award for excellence in Public Administration for North 24 Parganas (West Bengal).
- Acknowledging the Financial Inclusion Landscape achieved by the Bank, it was adjudged as Runner Up in the category of Best Financial Inclusion Initiatives amongst Medium Banks - "Banking Technology Award 2017" by Indian Banks Association.
- Bank was conferred the prestigious "51st SKOCH AWARD 2018-Platinum Award in PMJDY" in the category of Financial Inclusion from the independent think and policy advisory body of SKOCH Group.
- The Bank also bagged "Makers of Excellence" award under Atal Pension Yojana from PFRDA.

Q. EMPLOYEE SHARE PURCHASE SCHEME

"Allahabad Bank Employee Share Purchase Scheme" (AllBankESPS) was launched, offering upto 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value ₹10/- each of the Bank, for cash at an Issue Price of ₹53.94 per equity share including a premium of ₹43.94 per equity share as determined by the Committee of Directors on ESPS to all the Eligible Employees of the Bank. The Bank was able to achieve 87.66% of total subscription offered as equity shares under ESPS and as many as 21,742 staff subscribed to the issue.

R. NEW REGULATORY PRESCRIPTIONS

Owing to high non-performing assets (NPA) and negative Return on Assets (RoA) for two consecutive years, Bank was brought under Prompt Corrective Action (PCA) framework by RBI on 2nd January 2018. The regulatory prescriptions suggested there in by the RBI are being meticulously followed by the Bank, which include restriction on expansion of Risk Weighted Asset (RWA), exposure to un-rated and high-risk advances, creation of non- Banking assets and accessing / renewing wholesale/costly deposits/certificate of deposits. The Bank also faces restrictions on distributing dividends & remitting profits and expanding branch network.

Similarly, the Bank is also pursuing the reforms agenda prescribed by the MOF, GOI for turnaround of the Bank.

एस. बैंक की भावी व्यवसाय योजना

अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न क्षेत्रों की आशावादी संभावनाओं के कारण, आपका बैंक अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ तालमेल बैठाकर इसका अधिकतम लाभ उठाएगा। बैंक मुख्य रूप से आक्रामक वसूली अभियान, कासा में और वृद्धि, स्मार्ट ऋणों (एस: स्माल, एम: माइक्रो, ए: एग्रीकल्चर और आरटी: रिटेल लोन) पर ध्यान केंद्रित कर ऋण बहियों को पुनःसंतुलित करने पर ध्यान देगा, जिससे प्रौद्योगिकी की सहायता से ऋण बही में इसका अंश बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, बैंक का विश्वास है कि इसके कर्मचारी इसकी बहुमूल्य आस्तियां हैं और इसलिए प्रशिक्षण के जरिए अधिकारियों का उन्नयन किया जाएगा। बैंक पूंजी जुटाने के लिये जोखिम भारित आस्तियों में कमी के साथ-साथ अन्य संसाधनों पर भी ध्यान देगा।

टी. निदेशक मंडल

31.03.2018 को यथास्थिति बैंक के बोर्ड में 3 पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् एक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशकों सहित 10 निदेशक थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

- श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन ने 6 मई 2017 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री राजीव रंजन को श्री अंशुमान शर्मा के स्थान पर 17.08.2017 से तीन वर्षों की अवधि हेतु बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप नियुक्त किया गया। श्री राजीव रंजन, व्यय विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थ हैं।
- डा. बिजय कुमार साहू, श्री सारथ सूर और डा. पार्थप्रतिम पाल 3 सेवानिवृत्त शेयरधार निदेशकों के स्थान पर 22 मार्च, 2018 से बैंक के बोर्ड में नए शेयरधारक के रूप में निर्वाचित किए गए।
- बोर्ड सरकार द्वारा नामित सेवानिवृत्त निदेशक और तीन सेवानिवृत्त शेयरधारक निदेशकों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए सराहना करता है।

यू. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखाओं की तैयारी में:

- महत्वपूर्ण अपक्रम, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखा नीतियों को संगत रूप से लागू किया गया है।
- उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और पूर्वानुमान लगाए गए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ/हानि का सही और उचित अवलोकन हो सके।

S. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

Taking into account the optimistic outlook of the economy and its different sectors, the Bank will align its business objective to maximize its gains. The Bank shall primarily focus on aggressive recovery drive, further build-up in CASA, rebalancing of loan book with focus on SMART loans (S: Small, M: Micro, A: Agriculture and Rt: Retail loans), thereby increasing its share to the loan book supported by technology. Further, the Bank believes that its employees are its valuable assets and therefore, up-scaling of officers by means of training shall be undertaken. The Bank will also look at different avenues to raise capital with simultaneous reduction in RWA.

T. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2018, there were 10 Directors on the Board of the Bank including 3 whole time Directors, i.e., one Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and two Executive Directors. During FY 2017-18, following changes took place in the composition of Board of Directors.

- Smt. Usha Ananthasubramanian took over as the MD & CEO of the Bank w.e.f. 6th May, 2017.
- Shri Rajeev Ranjan was appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 17.08.2017 vice Shri Anshuman Sharma. Shri Rajeev Ranjan is posted as Joint Secretary in the Department of Expenditure, Govt. of India.
- Dr. Bijaya Kumar Sahoo, Shri Sarath Sura and Dr. Parthapratim Pal have been elected as new Shareholder Directors w.e.f. 22nd March 2018 on the Board of the Bank in place of the 3 retired Shareholder Directors.
- The Board wishes to place on record its appreciation for the valuable contributions made by the retired Government Nominee Director and three retired Shareholder Directors.

U. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018:

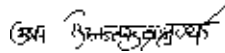
- The applicable Accounting Standards were followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2018;

- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रखरखाव हेतु समुचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- लेखा 'गोइंग कनसर्न' आधार पर तैयार किए गए हैं।

वी. आभार

निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और भारत सरकार तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों को उनके दिशानिर्देशों तथा वित्तीय संस्थाओं को उनके सहयोग, प्रबल समर्थन और मार्गदर्शन हेतु आभार प्रकट करता है। बोर्ड अपने शेयरधारकों को उनके समर्थन के लिए और अपने सम्मानित क्लाइंटों और ग्राहकों को उनके द्वारा दिए गए सतत संरक्षण हेतु उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड सभी क्षेत्रों में बैंक के कार्यनिष्पादन में समर्थन हेतु इसके कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के लिए उनकी भी हार्दिक प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,



उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन

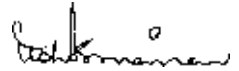
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and
- The accounts have been prepared on the principle of "going concern" basis.

V. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Reserve Bank of India, Securities Exchange Board of India, and Government of India and other regulatory authorities and financial institutions for their co-operation, strong support and guidance. The Board acknowledges the support of shareholders and also places on record its sincere thanks to its valued clients and customers for their continued patronage. The Board also expresses its deep sense of appreciation for the commitment shown by the employees in supporting the Bank in its performance on all fronts.

For and on behalf of the Board of Directors,



Usha Ananthasubramanian

Managing Director & CEO

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

क. उद्योग संरचना और विकास

भारत में बैंकिंग उद्योग एक विस्तृत इतिहास को समेटे हुए है। भारत में बैंकिंग ने एक लम्बा सफर तय किया है और बदलते समय के साथ नई उंचाइयों को छुआ है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने बैंकों के परिचालन में क्रांति ला दी है और इस घटनाक्रम के कारण बैंकिंग उद्योग और अधिक तेजी से और अधिक दक्षता के साथ सेवा प्रदान कर पाने में समर्थ हुए हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के संवर्धन तथा बैंक रहित एवं गैर-महानगरीय क्षेत्रों में विस्तार का संवर्धन करने के सरकार के सतत प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार हुआ है। इन सबके बावजूद बैंकिंग के बुनियादी पहलू अर्थात् आस्था और संस्था पर विश्वास अभी भी कायम है।

भारिबैं द्वारा 27 अप्रैल, 2018 को जारी एससीबी संबंधी अद्यतन आंकड़ों की स्थिति यह दर्शाती है कि सकल जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 8.20% की वृद्धि हुई जबकि बैंक ऋण 12.61% की जबरदस्त वृद्धि का साक्षी रह। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान रिटेल खंड (यथा वैयक्तिक, आवास, वाहन, क्रेडिट कार्ड) में उच्चतर ऋण उठाव समग्र ऋण मांग में सुदृढ़ तेजी लाने में सहायक रहा।

वित्तीय वर्ष 18 के दौरान भारिबैं ने रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की कटौती की और विकास का समर्थन करते हुए, +/-2% के बैंड के अंदर 4% की ग्राहक मूल्य सूचकांक(सीपीआई) मुद्रास्फीति के मध्यावधि लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य के अनुरूप मुद्रा नीति का तटस्थ रवैया बनाए रखा। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व रेपो और एमएसएफ अब क्रमशः 5.25% एवं 6.25% है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 19 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर 6.0% पर अपरिवर्तित रखा है।

केन्द्रीय बजट 2018-19 के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र को मुद्रा योजना हेतु ₹3 ट्रिलियन अथवा 46.34 बिलियन यूएस डालर का तथा ऋण सहायता, पूंजी और एमएसएमई को ब्याज सब्सिडी हेतु ₹3794 करोड़ (586.04 मिलियन यूएस डालर) का लक्ष्य आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या के निस्तारण हेतु भारिबैं को बैंकों को मार्गदर्शन की अनुमति देने के लिए बैंकिंग विनियम(संशोधन) अध्यादेश, 2017 को बदलकर बैंकिंग विनियम(संशोधन) बिल, 2017 लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 18 के दौरान, दो वर्षों की अवधि हेतु ₹2.11 लाख करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूजन की घोषणा की गई है। इसमें से ₹1.35 लाख करोड़ रिकेपिटलाइजेशन बॉन्ड के माध्यम से होगा और शेष ₹76000 करोड़ बजटीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। 2017-18 के दौरान रिकेप बॉन्ड और बजटीय आबंटन के माध्यम से क्रमशः ₹80000 करोड़ तथा ₹8139 करोड़ की पूंजी डाली गई थी।

वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता 2017 पारित किया गया जिससे बैंक क्षेत्र के मजबूत होने की संभावना है। यह बैंक की एनपीए समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वस्तुतः, बैंक ने बेहतर समाधान हेतु दबावग्रस्त मामलों को एनसीएलटी को भेजने हेतु पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं।

ख. अवसर और आशंकाएं

आधारभूत अवसंरचना पर व्यय में वृद्धि, परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन और सतत सुधारों से वृद्धि में और तेजी आने की संभावना है। ये सभी कारक यह दर्शाते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ वृद्धि हेतु तैयार है क्योंकि तेजी से बढ़ते व्यवसाय को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए बैंकों का रुख करना पड़ेगा।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बहुविध और समवर्ती चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्राहक की बढ़ती अपेक्षाएं आदि। बैंकिंग उद्योग भी असाधारण तेजी से बदल रहा है: ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग से वर्चुअल बैंकिंग। इन सभी ने संचयी रूप से नई आशंकाएं तथा अन्य आवर्ती समस्याएं पैदा की हैं।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

A. Industry Structure and Development

The banking industry in India has a huge canvas of history. Banking in India has been through a long journey and has achieved new heights with the changing times. The use of technology has brought a revolution in the operations of the banks and because of this development, banking industry has been able to deliver much faster and in a more efficient manner. Access to banking services has also improved over the years due to persistent government efforts to promote banking technology and promote expansion in unbanked and non-metropolitan regions. Nevertheless, the fundamental aspects of banking, i.e. trust and the confidence of the institution, remain the same.

The latest data on SCBs' position released by the RBI as on 27th April 2018 shows that the aggregate deposits increased by 8.20% Y-o-Y while bank credit witnessed a robust growth of 12.61%. During FY18, higher credit off-take to retail segment (like personal, housing, vehicles, credit cards) supported the robust pick-up in overall credit demand.

During FY18, the RBI reduced repo rate by 25 basis points and continued with the neutral stance of monetary policy in consonance with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index (CPI) inflation of 4% within a band of +/- 2 per cent, while supporting growth. Consequently, the reverse repo and MSF rate now stand at 5.75% and 6.25% respectively. Further, in its First Bi-monthly Monetary Policy for FY19, the RBI has kept the repo rate unchanged at 6.0%.

Under the Union Budget 2018-19, banking sector has been allocated a target of ₹3 trillion or US\$ 46.34 billion towards Mudra Scheme and ₹3794 crores (US\$ 586.04 million) towards credit support, capital and interest subsidy to MSMEs. Further, the "Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017" was introduced, replacing the "Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017", to allow the RBI to guide banks for resolving the problems of stressed assets.

During FY18, capital infusion of ₹2.11 lakh crores over a period of two years was announced. Out of this, ₹1.35 lakh crores would be through the recapitalization bonds, while the remaining ₹76,000 crores would be provided from the budgetary support. During 2017-18, capital was infused through recap bonds and through budgetary allocation at ₹80,000 crores and ₹8139 crores respectively.

Insolvency and Bankruptcy Code 2016 was passed during the year, which is expected to strengthen the banking sector. It will play an important role in addressing NPA issues of the bank. In fact, banks are already taking action to push stressed cases towards NCLT for better resolution.

B. Opportunities and Threats

Enhanced spending on infrastructure, speedy implementation of projects and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth. All these factors suggest that India's banking sector is also poised for robust growth as the rapidly growing business would turn to banks for their credit needs.

The Indian banking sector is faced with multiple and concurrent challenges, such as increased competition, rising customer expectations, etc. The banking industry is also changing at a phenomenal speed; from brick and mortar banking to virtual banking. All these have cumulatively given rise to new threats and other recurring issues.

एक प्रमुख समस्या है गैर-निष्पादक आस्तियों के पोर्टफोलियो में वृद्धि जिसने बैंकों की पूंजी की स्थिति और लाभप्रदता को पर्याप्त रूप से आशंकित किया है। दबावग्रस्त आस्तियों के लिए निवरण तंत्र लगातार विकसित किया जा रहा है, जिसने समय के साथ कुछ सकारात्मक परिणाम दिए हैं। बैंकों के लिए अब यह अपेक्षित है कि वे अपनी जोखिम निर्धारण क्षमता और जोखिमों के आकलन की योग्यता को सुदृढ़ करें ताकि वे केवल ऐसे जोखिम उठाएं जिसके बारे में समझ रखते हों और इनका प्रभावी ढंग से प्रबंध हो सकता हो।

साथ ही, प्रौद्योगिकी में उन्नयन से मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवा सामने आई है। बैंकिंग क्षेत्र अपने ग्राहकों को उन्नत सेवाएं प्रदान करने पर वृहत्तर बल दे रहे हैं और अपनी प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उन्नयन कर रहे हैं जिससे ग्राहकों का समग्र अनुभव बढ़े और बैंकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सके।

लागू की जा रही नेटवर्क प्रौद्योगिकी, ने व्यापक लाभ प्रदान किया है किंतु इससे जुड़े जोखिमों को नकारा नहीं जा सकता। सुरक्षा यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि बैंक और ग्राहक लाभ उठाएं। साइबर सुरक्षा आशंका गंभीर, सुनियोजित, अत्याधुनिक है और लगातार विकसित होती है। साइबर जोखिम प्रौद्योगिकी जोखिम तक सीमित नहीं है यह जन जोखिम भी है। फ्रेमवर्क में निर्धारित अनिवार्य नियन्त्रण इन जोखिमों के प्रति ग्राहकों को आपना दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करने हेतु तैयार किए जाते हैं। इन नियंत्रणों को समूचे संगठन में लागू करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि, पहुंच की अनुमति अथवा विशेषाधिकार गैर-इरादतन प्रदान नहीं किए जाते हैं।

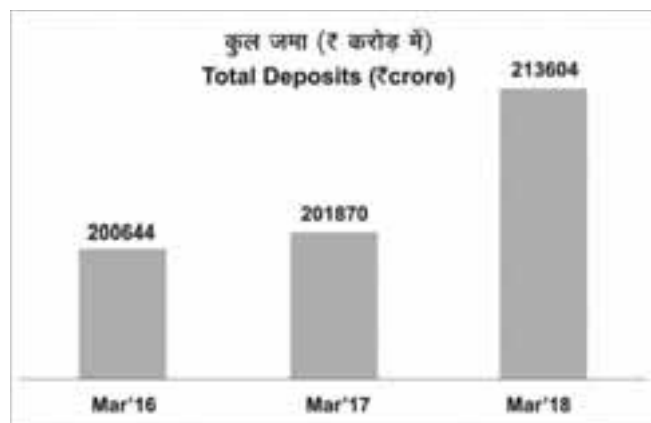
ग. खंड-वार या उत्पाद-वार कार्यनिष्पादन

बैंक का व्यवसाय मुख्यतः जमा, ऋण और निवेश से आता है। इस खंड में कुछ प्रमुख व्यवसाय खंड जैसे संसाधन संग्रहण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, रिटेल ऋण, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई आदि का विश्लेषण किया जाता है।

i. संसाधन संग्रहण

31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर बैंक की कुल जमा राशियां ₹213604 करोड़ रही और वर्ष-दर-वर्ष 5.81% की वृद्धि दर्ज की गई। सकल जमा राशियों में कासा जमा राशियों का अंश पिछले वर्ष के 45.79% की तुलना में मार्च 18 के अंत में बढ़ कर 46.50% हो गया।

मार्च 18 के दौरान बैंक ने अपनी थोक जमा राशियों को वर्ष-दर-वर्ष 61.24% घटाकर ₹8377 करोड़ से ₹3247 करोड़ किया है। बचत बैंक जमा राशियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर कासा जमा राशि अभियान चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 18 के दौरान कासा जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 7.45% की वृद्धि हुई और बचत बैंक जमा राशियों में 10.35% की वृद्धि हुई।



One major issue is the rising portfolio of non-performing assets which has considerably threatened the capital position and profitability of banks. The redressal mechanism for stressed assets has been constantly evolving, which in due course of time, has yielded in some positive results. Banks are now required to significantly improve their risk assessment capability and their ability to price risks, so that they take on only those risks that they understand and can effectively manage.

Also, the advancements in technology have brought the mobile and internet banking services to the fore. The banking sector is laying greater emphasis on providing improved services to their customers and also upgrading their technology infrastructure, in order to enhance the customers' overall experience as well as give banks a competitive edge.

Networked technology, on being introduced, has provided huge benefits, but the risks associated with the same cannot be ignored. Security is the key to ensuring that banks as well as customers reap the benefits. The cyber security threat is serious, concerted, sophisticated and it constantly evolves. Cyber risk is not limited to technology risk- it is also people risk. The mandatory controls set out in the framework are designed to help customers structure their approaches to these risks. These controls need to be applied throughout organisation, ensuring that no access permissions or privileges are unintentionally granted.

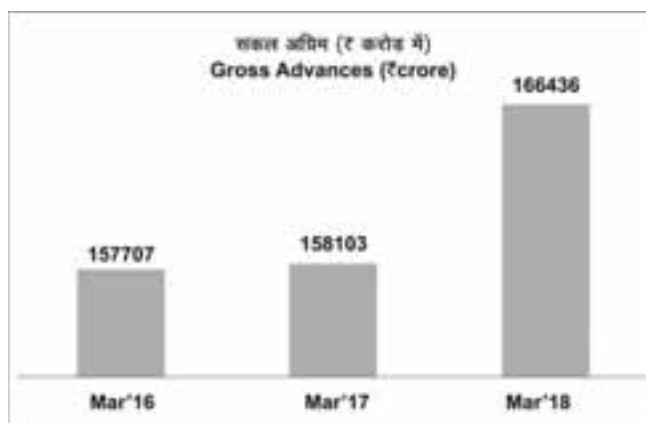
C. Segment-wise or Product-wise Performance

The Bank's business broadly comes from deposits, credit and investment. Some major business segments like Resource mobilization, Priority Sector Lending, Retail Lending, Financial Inclusion, MSME, etc. are analyzed in this section.

i. Resource Mobilization

The Bank's total deposits stood at ₹2,13,604 crores as at the end of 31st Mar'18 registering a Y-o-Y growth of 5.81%. The share to CASA deposits in aggregate deposits increased to 46.50% as at the end of Mar'18 as compared to 45.79% a year ago.

The Bank reduced its bulk deposits by 61.24% Y-o-Y from ₹8377 crores to ₹3247 crores during Mar'18. CASA deposits with special focus on SB deposits were the focus areas at the ground level. Consequently, CASA deposits increased by 7.45% Y-o-Y during FY18 and SB deposits increased by 10.35%.



ii. ऋण अभियोजन एवं सुपुर्दगी

31 मार्च, 18 को यथास्थिति बैंक का कुल अग्रिम 5.27% बढ़कर ₹166436 करोड़ हो गया। ऋण जमा अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष के 79.03% के सापेक्ष 78.64% रहा। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान बैंक के अग्रिमों पर प्रतिफल 7.80% रहा।

iii. खुदरा ऋण

31.03.2018 को यथास्थिति रिटेल ऋण के अंतर्गत पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष 25.05% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 को यथास्थिति ₹16293 करोड़ के सापेक्ष ₹20375 करोड़ था। रिटेल ऋण के अंतर्गत आवास ऋण, एक प्रमुख घटक, म वर्ष-दर-वर्ष 27% की गति से वृद्धि हुई।

अब बैंक के पास देश के विभिन्न केंद्रों में फैले हुए 53 केन्द्रीयकृत रिटेल बैंकिंग बुटीक (सीआरबीबी) हैं जो विशेष रूप से विनिर्दिष्ट रिटेल ऋणों को त्वरित और झंझट मुक्त तरीके से निपटान करते हैं।

iv. प्राथमिकता क्षेत्र

31 मार्च, 18 को यथास्थिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ₹68500 करोड़ रहा, जो 40% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 46.69% था। बैंक ने विनियामक अपेक्षा का 116.73% प्राप्त किया है।

ii. Credit Deployment and Delivery

Total advances of the Bank went up by 5.27% to ₹1,66,436 crores as on 31st Mar'18. Credit-Deposit ratio stood at 78.64% as against 79.03% in the last financial year. Yield on advances for the Bank stood at 7.80% during FY18.

iii. Retail Credit

The portfolio under Retail Credit as on 31.03.2018 stood at ₹20,375 crores as against ₹16,293 crores as on 31.03.2017, registering Y-o-Y growth of 25.05%. Housing Loan, a key constituent under Retail Credit grew at a pace of 27% Y-o-Y.

The Bank has now a total of 53 Centralised Retail Banking Boutiques (CRBBs) spread over different parts of the country specially catering to specified retail loans for quick & hassle free disposal.

iv. Priority Sector

Priority Sector Credit stood at ₹68500 crores as on 31st Mar'18, which was 46.69% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulated norm of 40%. The Bank achieved 116.73% of the regulatory requirement.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण / Priority Sector Credit

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	31.03.2017	31.03.2018
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जिसमें से/Priority Sector Credit, of which:	66644	68500
ए)/a) कृषि / Agriculture	27725	27682**
ख)/b)एमएसएमई (प्राथमिकता) / MSME (Priority)	29835	30654
ग)/c) अन्य / Others	9084	10164
कमजोर वर्ग / Weaker Sections	22420	23162
महिला लाभार्थी / Women Beneficiaries	8257	9401

** उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ऋण मोचन कृषि अग्रिम में नकारात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण था।

** Debt redemption in UP and Maharashtra was the main reason of negative growth in Agriculture advance.

लक्ष्य उपलब्धियां/ Target Achievements

	लक्ष्य / Target	उपलब्धियां/Achievements	
एएनबीसी का % / % to ANBC		31.03.2017	31.03.2018
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जिसमें से / Priority Sector Credit, of which:	40%	44.55%	46.69%
ए)/a) कृषि/Agriculture	18%	18.53%	18.87%
ख)/b) कमजोर वर्ग/Weaker Sections	10%	14.99%	15.79%
ग)/c) महिला लाभार्थी/Women Beneficiaries	5.00%	5.54%	6.41%

कृषि हेतु ऋण

31 मार्च, 18 को यथास्थिति कृषि ऋण ₹27682 करोड़ रहा, जो 18% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 18.87% रहा। बैंक ने निर्धारित मानदण्ड का 104.82% प्राप्त किया। लघु और सीमांत किसानों को ऋण ₹18963 करोड़ रहा जो 8% के निर्धारित मानदण्ड के सापेक्ष एएनबीसी का 12.93% है। विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत बैंक ने वित्तीय वर्ष 18 हेतु ₹11250 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹13005 करोड़ कृषि ऋण संवितरित किए।

कमजोर वर्ग और अजा/अजजा हेतु ऋण

31 मार्च, 18 को यथास्थिति कमजोर वर्गों को ऋण ₹23162 करोड़ रहा जो 10.00% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 15.79% है। 31 मार्च, 18 को यथास्थिति अजा/अजजा को अग्रिम ₹6962 करोड़ रहा जिसमें वर्ष-दर-वर्ष ₹330 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और इस अवधि के अंदर कमजोर वर्ग के अंतर्गत अजा/अजजा को अग्रिम का अंश 36% था।

महिला लाभार्थियों को ऋण

31 मार्च, 18 को यथास्थिति महिला लाभार्थियों को ऋण ₹9401 करोड़ रहा जो 5.00% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 6.41% था।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण

31 मार्च, 18 को यथास्थिति अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण ₹10432 करोड़ रहा जो 15.00% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष प्राक्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिम का 15.23% है।

माइक्रो ऋण

वित्तीय वर्ष 18 के दौरान माइक्रो ऋण के अंतर्गत 50660 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खातों में ₹770.46 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया, जिसमें से ₹737.18 करोड़ 47707 महिला एसएचजी को संवितरित किए गए। एसएचजी को ऋण वर्ष-दर-वर्ष 31.03% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹664.41 करोड़ से बढ़कर ₹870.83 करोड़ हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत 61497 महिला एसएचजी बचत से संबद्ध थे और ऐसे 45857 एसएचजी को ₹709.78 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य में इसके उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की ग्रेडिंग

31 मार्च, 17 को यथास्थिति बैंक के सभी 21 आरसेटी को "एए" ग्रेड (उच्चतम ग्रेड) प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या दोनों दृष्टियों से हमारे आरसेटी ने लक्ष्य को पार कर लिया था।

v. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो 31 मार्च, 17 को यथास्थिति ₹31182 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 18 को यथास्थिति ₹31547 करोड़ हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 1.17% की वृद्धि दर्ज की गई।

Credit to Agriculture

Credit to Agriculture stood at ₹27682 crores as on 31st Mar'18, which was 18.87% of ANBC against the stipulated norm of 18%. The Bank achieved 104.82% of the stipulated norm. Credit to Small & Marginal Farmers stood at ₹18963 crores, which was 12.93% of ANBC against the stipulated norm of 8%. Under Special Agricultural Credit Plan (SACP), the Bank disbursed ₹13005 crores agricultural credit against the target of ₹11250 crores for FY18.

Credit to Weaker Sections and SC/ST

Advances to Weaker Section stood at ₹23162 crores as on 31st Mar'18, constituting 15.79% of ANBC against the stipulated norm of 10.00%. Advances to SC/ST were at Rs. 6962 crores as on 31st Mar'18, registering Y-o-Y growth of ₹330 crores and share of advances to SC/ST under weaker section was 36% in the same period.

Credit to Women Beneficiaries

As on 31st Mar'18, credit to women beneficiaries stood at ₹9401 crores, which was 6.41% of ANBC against the stipulated norm of 5.00%.

Credit to Minority Communities

Credit to Minority Community stood at ₹10432 crores as on 31st Mar'18 which was 15.23% of total advances under PSC against the stipulated norm of 15.00%.

Micro Credit

Under Micro Credit during FY17-18, loan disbursement of ₹770.46 crores was done in 50660 Self Help Group (SHG) accounts, out of which ₹737.18 crores was disbursed to 47707 women SHG. Loan outstanding to SHG increased from ₹664.61 crores to ₹870.83 crores registering Y-o-Y growth of 31.03%. Under National Rural Livelihoods Mission (NRLM), 61497 women SHG were savings linked and loan amounting to ₹709.78 crores were disbursed in 45857 number of such SHGs. The Bank was awarded for its outstanding performance in the States of West Bengal and Uttar Pradesh by the respective State Governments.

Grading of Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs)

All 21 RSETIs of the Bank have been graded as "AA" (Highest Grade) as on 31st Mar'17. Both the targets against number of training programmes organized & number of candidates trained were surpassed by our RSETIs during FY18.

v. Micro, Small and Medium Enterprises

The portfolio of MSME loans of the Bank grew from ₹31,182 crores as on 31st Mar'17 to ₹31,547 crores as on 31st Mar'18, registering a Y-o-Y growth of 1.17%.

मुद्रा ऋण

बैंक ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत निर्धन में निर्धनतम को वित्तीय वर्ष 17 के ₹2159 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 18 के दौरान ₹22766 करोड़ का मुद्रा ऋण प्रदान किया।

vi. आस्ति गुणवत्ता

31 मार्च, 18 को यथास्थिति बैंक का सकल एनपीए वित्तीय वर्ष 17 के ₹20688 करोड़ के सापेक्ष ₹26563 करोड़ रहा और निवल एनपीए एक वर्ष पूर्व के ₹13434 करोड़ के सापेक्ष ₹12229 करोड़ रहा। प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए प्रतिशत और निवल एनपीए प्रतिशत क्रमशः 15.96% (वित्तीय वर्ष 17: 13.09%) और 8.04% (वित्तीय वर्ष 17: 8.92%) रहा। बैंक का प्रावधान कवरेज वित्तीय वर्ष 17 के 50.11% से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 18 के दौरान 62.91% हो गया।

vii. वित्तीय समावेशन

निम्नलिखित छह स्तंभों के माध्यम से मिशन मोड में समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से 28.08.2014 को प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) का आरंभ किया गया था।

स्तंभ 1 : बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच

- कुल 4580 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) को बैंक द्वारा 4355 बैंक मित्रों का अभिनियोजन कर पूर्णतया शामिल किया गया है एवं शेष 225 एसएसए को शाखाओं के माध्यम से शामिल किया गया है।

स्तंभ 2 : वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

- बैंक हमारे सभी अग्रणी जिलों में स्थित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और बैंक मित्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है।

स्तंभ 3 : बुनियादी बैंकिंग खाते खोलना

- 31 मार्च, 18 को यथास्थिति बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 75.98 लाख खाते खोले और इन खातों में बकाया शेष ₹2137.90 करोड़ था इस प्रकार 75.32% की जमा वृद्धि दर्ज की गई।

स्तंभ 4 : माइक्रो ऋण उपलब्धता

31 मार्च, 18 को यथास्थिति पीएमजेडीवाई ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है:-

पात्र खाते	संस्वीकृत ओडी	उपभोग किए गए ओडी खाते	उपभोग की गई ओडी की राशि (लाख)
170573	170573	44863	1217.35

स्तंभ 5 : माइक्रो बीमा(पीएमजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई)

- चालू वर्ष हेतु 31.03.2018 तक प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत बीमाकर्ता को 23.80 लाख ग्राहकों के ₹2.86 करोड़ के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया। बैंक ने 31.03.2018 तक ₹44.79 लाख का शुल्क आधारित कमीशन अर्जित किया।
- चालू वर्ष हेतु 31.03.2018 तक प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के अंतर्गत बीमाकर्ता को 7.38 लाख ग्राहकों के ₹21.33 करोड़ के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया। बैंक ने 31.03.2018 तक ₹238.67 लाख का शुल्क आधारित कमीशन अर्जित किया।

MUDRA Loans

The Bank extended MUDRA loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) to the poorest of the poor amounting to ₹2766.41 crores during FY18 against ₹2159 crores during FY17.

vi. Asset Quality

As on 31st Mar'18, Gross NPA of the Bank stood at ₹26,563 crores as against ₹20,688 crores during FY17 and Net NPA was at ₹12,229 crores as against ₹13,434 crores a year ago. In terms of ratio, Gross NPA Percentage and Net NPA Percentage were 15.96% (FY17: 13.09%) & 8.04% (FY17: 8.92%) respectively. The provision coverage of the Bank improved to 62.91% during FY18 from 50.11% a year ago.

vii. Financial Inclusion

The Prestigious Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched on 28.08.2014 with basic objective of achieving inclusive growth in Mission Mode through the following Six Pillars:

Pillar-1: Universal Access to Banking facilities

- A total of 4580 Sub Service Areas (SSAs) have been fully covered by the Bank through 4355 Bank Mitras and remaining 225 SSAs covered through Branches.

Pillar-2: Financial Literacy Programme

- The Bank provides financial literacy through Financial Literacy Centers (FLC) located in all our Lead Districts and Bank Mitras.

Pillar-3: Providing Basic Banking Accounts

- As on 31st Mar'18, the Bank opened 75.98 lakh accounts under PMJDY and the outstanding balance in these accounts stood at ₹2137.90 crore registering 75.32% deposit growth.

Pillar-4: Micro Credit availability

Status of Overdraft facility to PMJDY customers as on 31st Mar'18 was as under:

Eligible A/Cs	OD Sanctioned	OD Aailed A/c	OD Aailed Amt (Lac)
170573	170573	44863	1217.35

Pillar-5: Micro Insurance (PMJJBY & PMSBY)

- Insurance Premium has been remitted to the insurer for 23.80 lakh customers for an amount of ₹2.86 crore under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) up to 31.03.2018 for the current year. Bank earned the Fee based commission of ₹44.79 Lakh up to 31.03.2018.
- Insurance Premium has been remitted to the Insurer for ₹7.38 lakh customers for an amount of ₹21.33 crore under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) up to 31.03.2018 for the current year. Bank earned the Fee based commission of ₹238.67 Lakh up to 31.03.2018.

- 31.03.2018 को यथास्थिति पीएमजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 2430 और 680 दावों का निपटान किया गया। पीएमजेबीवाई और पीएमएसबीवाई हेतु बैंक का दावा भुगतान अनुपात क्रमशः 92.27% और 98.82% रहा।

स्तंभ 6 : असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

- 31.03.2018 को यथास्थिति अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर 229523 लाख प्रस्तावों का संग्रहण किया गया।

- A total of 2430 and 680 claims under PMJJBY and PMSBY respectively as on 31.03.2018 were settled. The claim paid ratio of the Bank for PMJJBY & PMSBY stands at 92.27% & 98.82% respectively.

Pillar-6: Unorganised sector Pension schemes like Atal Pension Yojana (APY)

- Since inception, the Bank has mobilized 229523 Lakh proposals under APY till 31.03.2018.

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन / Performance of Bank under Financial Inclusion:

क्रम सं./Sl. विवरण/ Particulars	31.03.2017	31.03.2018	अंतर/Variation	वृद्धि%/Growth
1. पीएमजेबीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या (लाख में) No. of A/Cs opened under PMJDY (in Lakh)	65.94	75.98	10.03	15.21%
2. खातों में शेष (₹ करोड़ में)/ Balance in the A/Cs (₹ in Crore)	1219.39	2137.90	918.51	75.32%
3. शेष वाले खातों की संख्या (लाख में)/ No of A/Cs with balance (in Lakh)	54.41	73.69	19.28	35.43%
4. शेष वाले खातों का %/ % of With Balance A/Cs	82.50%	96.99%	-	14.49%
5. संचयी आईपीएस लेनदेन (लाख में)/ Cumulative AEPS Transaction (in Lakh)	143.73	411.19	267.46	186.07%
6. आधार सीडेड खाते (लाख में)/ Aadhaar Seeded Accounts (in Lakh)	54.78	66.04	11.26	20.55%
7. आधार सीडिंग का %/ % of Aadhaar Seeding	83.07%	86.93%	3.86%	
8. जारी रुपये कार्ड (लाख में)/ Rupay Card Issued (in Lakh)	51.31	58.42	7.11	13.86%

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वैकल्पिक बुनियादी चैनल के माध्यम से बैंकिंग और नई पहल:

- माइक्रो एटीएम का प्रयोग करके एसएसए अवधारणा के माध्यम से 5063 बैंक मित्र लोकेशनों पर आनलाइन इंटर-आपरेबल कियोस्क बैंकिंग सॉल्यूशन। इसके अतिरिक्त बैंक ने गैर-एसएसए अवधारणा के माध्यम से बैंक मित्र संचालित 754 ग्रामीण तथा 120 शहरी बैंकिंग आउटलेट स्थापित किए हैं।
- खाता खोलने हेतु कागजी दस्तावेजों के बिना ग्राहक सत्यापन हेतु ई-केवाईसी सुविधा कार्यान्वित की गई।
- ऑन-अस एवं ऑफ-अस लेनदेनों हेतु आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (आईपीएस) और सभी बैंक मित्र लोकेशनों पर रुपये एटीएम कार्ड की स्वीकृति को पासबुक प्रिंटिंग सुविधा के साथ अनिवार्य बनाया गया है, इस प्रकार लेनदेन की लागत, मुद्रण और लेखन सामग्री आदि की लागत और ब्रिक एंड मोर्टार शाखाओं की स्थापना की लागत में कटौती हुई। साथ ही परिचालनगत जोखिम भी कम हुआ है क्योंकि आहरण और निधियों का अंतरण या तो आधार या कार्ड आधारित है।

Basic banking through alternate delivery channels and new initiatives under Financial Inclusion:

- Online Inter-operable Kiosk Banking Solution at 5063 Bank Mitra locations using Micro ATMs through SSA approach. Bank has further set up 754 Rural & 120 Urban Bank Mitra led Banking Outlets through Non SSA approach. Thus, the total bank mitra led Banking Outlets stood at 5937 as on 31.03.2018.
- For opening of account, e-KYC facility has been implemented for customer verification without any paper documents.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) for on-us & off-us transactions and RuPay ATM card acceptance at all Bank Mitra locations have been made mandatory along with Passbook printing facility, thus cutting down transaction cost, cost towards printing & stationery etc. and capital expenditure for setting up brick & mortar branches as well as reducing operational risk, as withdrawal and fund transfers happen either through Aadhaar or Card based.

- नई पहल योजना के अंतर्गत बैंक मित्र लोकेशनों पर पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा कार्यान्वित की गई है। इससे मुद्रण और लेखन सामग्री आदि की लागत घटने के साथ-साथ कोई पूंजीगत लागत भी नहीं आई है क्योंकि समस्त स्थिर लागतों का वहन बैंक मित्रों द्वारा किया गया है।
- शाखाओं में प्रतिदिन बचत बैंक खातों की संख्या बढ़ाने और जमा लागत में कमी करने हेतु बैंक मित्र लोकेशनों पर आनलाइन निधिक खाते खोलना।
- बैंक मित्र लोकेशनों पर आरडी/एफडी खोलने का कार्य पहले ही आरंभ हो गया है।
- वित्तीय समावेशन चैनलों के माध्यम से कुल जमा राशि आधार 142.98 लाख खातों के साथ ₹4676.69 करोड़ तक पहुंच गया है।
- बैंक बकाया (₹15.00 लाख तक) की वसूली को बैंक मित्र चैनल के माध्यम से परिचालित किया गया है और इस चैनल के माध्यम से 748 राईट-ऑफ खातों में ₹217.86 लाख की वसूली हो सकी

घ. दृष्टिकोण

आस्ति गुणवत्ता, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की, में भारी गिरावट हुई है, बैंकों के उच्च-दर वाले कारपोरेट व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निधियों के और अधिक किरायायती स्रोतों, जैसे बांड की ओर चला गया; बैंकों ने अपना ध्यान रिटेल खंड की ओर केंद्रित किया। विशेषकर शहरी क्षेत्रों और युवाओं में डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती लोकप्रियता से बैंक अपने व्यवसाय माडलों और विस्तार रणनीतियों को फिर से तैयार कर रहे हैं।

आगे देखें तो, कार्यशील पूंजी मांग में सुधार, निजी निवेशों में हल्की तेजी, आधारभूत अवसंरचना में सरकार के उच्चतर व्यय, जिन्स कीमतों में सुधार तथा रिकेपिटलाइजेशन योजना के कारण बेहतर पूंजी पर्याप्तता स्तर की वजह से बैंक ऋण में तेजी आने की संभावना है। तथापि, निकृष्ट आस्ति गुणवत्ता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निम्न पूंजी पर्याप्तता तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के कारण कुछ पीएसबी का ऋण परिचालन सिमित करने के चलते आगे वृद्धि बाधित होगी। विगत में अपर्याप्त अभिज्ञान, 2017 के दौरान आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को आस्तियों की निम्न बिक्री तथा मुख्यतः पुनर्संरचित मानक खातों में उच्च स्लिपेज अनुपात के कारण 2018 की पूरी अवधि के दौरान आस्ति गुणवत्ता दबाव प्रबल होने की संभावना है।

भारिबैं के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 19 के पूर्वार्ध में जोखिम का झुकाव ऊपर की ओर रहने के साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रा स्फीति 4.7% से 5.1% तक तथा उत्तरार्ध में 4.4% बने रहने की संभावना है। कई कारकों के मुद्रास्फीति अवधारणा को प्रभावित करने की संभावना है जैसे सामान्य मानसून का पूर्वानुमान, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें, घरेलू मांग में तेजी और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु एचआरए वृद्धि का सांख्यिकीय प्रभाव।

वित्तीय वर्ष 19 में आर्थिक गतिविधि की गति तेज होने की संभावना है। निवेश गतिविधि में पुनरुद्धार के स्पष्ट संकेत हैं जो पूंजीगत माल के उत्पादन में सतत विस्तार और आयात में वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है। साथ ही वैश्विक मांग भी बढ़ रही है जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और नए निवेशों में तेजी आनी चाहिए। समग्रतः भारिबैं ने वित्तीय वर्ष 19 हेतु जीडीपी वृद्धि के सुदृढ़ होकर 7.4% होने का अनुमान लगाया है।

ङ. जोखिम और चिंताएं

बैंक का जोखिम प्रबंधन दर्शन और नीति विनियामक मानकों, उद्योग की सर्वोत्तम परिपाटियों और बैंक की गतिविधियों के मान और जटिलता के अनुपात के अनुरूप हैं। इसमें जोखिम और आस्तियों पर प्रतिफल के बीच संतुलन कायम करते हुए अधिकतम प्रतिफल, शेयरधारकों के मूल्य में

- Under New Initiative Plan, Pass Book Printing Facility at Bank Mitra Locations has been implemented. This has resulted in reduction of cost towards printing & stationery etc. as well as there has been no capital cost as all fixed costs have been incurred by Bank Mitras.
- On line Funded Account Opening at Bank Mitra Locations implemented to improve per day SB account Opening of Branches and Reduce Cost of Deposit.
- RD/FD Opening Functionality at Bank Mitra Locations have already been commenced.
- The Total Deposit Base through FI Channel has reached ₹4676.69 crore with ₹142.98 Lakh No of accounts.
- Recovery of Bank's Dues (Up to ₹15.00 Lakh) got operational from Bank Mitra Channel and Bank Could recover ₹217.86 Lakh in 748 written-off accounts through this channel.

D. Outlook

Asset quality, especially of PSBs has deteriorated drastically; a significant chunk of banks' high-rated corporate business has switched to more cost-effective sources of funds such as bonds; the banks have shifted their focus to the retail segment. With digital banking becoming increasingly popular, especially in the urban areas and with the youth, banks are re-drawing their business models and expansion strategies.

Going forward, bank credit is expected to pick-up because of improving working capital demand, marginal pick-up in private investments, higher government spending on infrastructure sector, improvement in commodity prices and better capital adequacy level due to the recapitalization plan. However, further growth will be arrested by poor asset quality, low capital adequacy of public sector banks and limitation on the lending operations of a few PSBs because of prompt corrective action. Asset quality pressures are likely to be intense throughout 2018 due to inadequate recognition in the past, lower asset sales to asset reconstruction companies (ARCs) during 2017 and high slippage ratios, mainly from restructured standard accounts.

As per RBI projections, Consumer Price Index (CPI)-based inflation is likely to remain in the range of 4.7% to 5.1% during the first half of FY19 and 4.4% in the second half, with risks tilted to the upside. Several factors are likely to influence the inflation outlook, viz., assumption of a normal monsoon, volatile crude oil prices, pick-up in domestic demand and statistical impact of HRA increase for central government employees.

The pace of economic activity is expected to accelerate in FY19. There are clear signs of revival in investment activity as reflected in the sustained expansion in capital goods production and rising imports. Also, global demand has been improving which should encourage exports and boost fresh investments. On the whole, the RBI has projected GDP growth to strengthen to 7.4% in FY19.

E. Risks and Concerns

The Risk Management Philosophy and Policy of the Bank is aligned with regulatory standards, industry best practices and proportional to the scale and complexity of Bank's activity. This include optimizing the return by striking a balance between

सुधार हेतु बाजार अंश बढ़ाने का प्रयास, गुणवत्तापूर्ण आस्तियों के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि और पूंजी का संरक्षण सुनिश्चित करना शामिल है। बासेल III पूंजी विनियम संबंधी भारित के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया है और बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है। जोखिम मापन, मानिटरिंग और नियंत्रण कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु उद्योग की सर्वोत्तम परिपाटी के अनुसार एक स्वतंत्र जोखिम गवर्नंस संरचना स्थापित की गई है।

बैंक का एक सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचा है और इसने कारपोरेट और रिटेल क्लाइंट दोनों को शामिल करते हुए ऋण जोखिम रेटिंग माडल (जोखिम निर्धारण माडल-आरएएम) और स्कोर कार्ड विकसित किया है। ये माडल ऋण जोखिम के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध कराते हैं। आरएएम माडल की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने और सुदृढ़ता हेतु माइग्रेशन विश्लेषण करने हेतु आवधिक रूप से इसका विधिमान्यकरण किया जाता है। क्लाइंटों की आंतरिक रेटिंग पोर्टफोलियो समीक्षा और सतत आधार पर मानिटरिंग के अलावा विभिन्न स्तरों पर विवेकाधीन शक्तियों और ऋण मूल्यन से संबद्ध होती हैं। कारपोरेट पोर्टफोलियो के चूक की संभावना का आवधिक विश्लेषण किया जाता है और चूक की ऐसी संभावना इन्ड एस 109 के अंतर्गत संभावित ऋण हानि के अनुमान का आधार होती है और ऋण जोखिम प्रीमियम की मात्रा बताती है। बैंक के रिटेल उत्पादों कृषि क्षेत्र, एसएमई क्षेत्र, और अन्य में छोटे अग्रिमों, हेतु स्कोर कार्ड माडल जोखिम का त्वरित और सटीक निर्धारण करने, और निर्बाध ऋण सुपुर्दगी हेतु लाभदायक है।

एकल उधारकर्ता, समूह उधारकर्ता, अप्रतिभूत और पर्याप्त निवेश मानदंड हेतु विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों की मानिटरिंग नियमित रूप से की जा रही है।

एक विशेषीकृत बाजार जोखिम प्रबंधन डिवीजन ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करता है। बाजार जोखिम नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन, माडिफाइड ड्यूरेशन, पीवी01, स्टाप लास, वीएआर आदि के माध्यम से नियंत्रित होता है। विनिर्दिष्ट आस्तियों पर ब्याज दरें वैज्ञानिक आधार पर आधारित होती हैं। बैंक की आकस्मिकता निधियन योजना भी है जिससे तरलता संकट, यदि उत्पन्न हो, से निपटा जा सके।

एक समर्पित परिचालन जोखिम प्रभाग परिचालन जोखिम प्रबंधन के सुपरिभाषित ढांचे के अंतर्गत समग्रतः परिचालन जोखिम प्रबंधन की देखरेख करता है। परिचालन जोखिम की पहचान, मापन, मानिटरिंग और नियंत्रण परिचालन डाटा हानि, जोखिम और नियंत्रण स्वयं निर्धारण (आरसीएसए), मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) आदि के मूल कारक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।

विनियामक दिशानिर्देश

बैंक ने बासेल II और III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना हेतु ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है। विनियामक अपेक्षा के अनुसार संरचना/नीतियां बनाई गई हैं जिसमें ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम उपशमन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति, निवेश नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, समेकित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी), दबाव परीक्षण नीति, माडल जोखिम और रेटिंग दिशानिर्देश, आईटी सुरक्षा नीति आदि शामिल हैं।

कार्यान्वित अन्य प्रमुख पहलें

- बैंक में उद्योग में सर्वोत्तम जाखिम परिपाटियां और संस्कृति विकसित करने हेतु 35 मंडलीय जोखिम अधिकारियों हेतु आईआईबीएफ के

the risk and the return on assets, striving towards increasing market share to improve shareholders' value, augmenting business through quality assets and ensuring conservation of capital. RBI guidelines on Basel III Capital Regulations have been implemented. An independent Risk Governance Structure, in line with Industry best practices has been put in place to ensure independence of Risk Measurement, Monitoring and Control functions.

The Bank has sound Credit Risk Management Framework and developed Credit Risk Rating Models (Risk Assessment Model- RAM) and score card covering both Corporate and Retail Client. These models provide scientific method of assessing credit risk. The validation of the RAM models are undertaken periodically to ensure their efficacy and conduct migration analysis for the robustness. The internal ratings of the clients are linked with Discretionary Powers at various levels, loan pricing, apart from portfolio review and monitoring on ongoing basis. The Probability of Default for the corporate portfolio is analyzed periodically and such PD are the basis for estimation of Expected Credit Loss under Ind As 109 and quantifying the credit risk premium. The Score Card Models for Bank's retail products, small advances in Agriculture Sector, SME Sector and others are useful in achieving quick and accurate assessment of risk, smooth delivery of credit.

The monitoring of Prudential Exposure Norms for Single Borrower, Group Borrower, Unsecured and substantial exposure norms is being done regularly.

A Specialized Market Risk Management Division looks into Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk. The Market Risk is controlled through Net Overnight Open Position, Modified Duration, PV01, Stop Loss, VaR etc. Bank is also having contingency funding plan so as to take care of liquidity crisis, if at all arises.

A dedicated Operational Risk Management division takes care of overall management of operational risk within well defined framework of operational risk management. The identification, measurement, monitoring and control of operational risk is done through root cause analysis of operational loss data, Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) etc.

Regulatory Guidelines

The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computation of Risk Weighted Assets and Capital Adequacy Ratio under Basel II & III. In terms of regulatory requirement, the frame work/policies are in place, which include Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Investment Policy, Asset Liability Management Policy, consolidated Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Stress Testing Policy, Model Risk & Rating Guidelines, IT Security Policy etc.

Other major initiatives undertaken

- In order to impart the industry best risk practices and culture in Bank, one workshop in association with IIBF was

सहयोग से कोलकाता में 12 और 13 फरवरी को एक कार्यशला का आयोजन किया गया।

- हमारे बैंक में जोखिम प्रबंधन हेतु प्रयुक्त संरचना, प्रणालियों और माडलों के विधिमाम्यकरण का कार्य बैंक ने राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान, पुणे को सौंपा है। विधिमाम्यकरण प्रक्रिया एनआईबीएम द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई है।
- बैंक में प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति, समूह जोखिम प्रबंधन नीति लागू की गई है।
- पूंजी संरक्षण उपाय तथ एक्सपोजर प्रबंधन की मानिट्रिंग हेतु एप्स के रूप में विभिन्न निगरानी साधन विकसित किए जाते हैं।
- विभिन्न पैरामीटरों, यथा सकल गैर-निधिक एक्सपोजर, ऋण की भारित औसत परिपक्वता, योजनागत रिटेल ऋण, कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण और संपार्श्विक प्रतिभूमि के संबंध में बैंक ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए जोखिम सीमाएं निर्धारित की हैं।
- परिचालन जोखिम की बेहतर निगरानी और नियंत्रण हेतु बैंक में देश की सभी शाखाओं हेतु सिस्टम जनरेटेड मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) लागू किए गए हैं।
- इन्ड एस दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों के विभिन्न चरणों हेतु संभावित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना की पद्धति विकसित की है जिसमें 12 माह ईसीएल और लाइफ टाइम ईसीएल शामिल है। प्रति पक्षकार एक्सपोजर हेतु संरचना लागू है।

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

i. ऋण निगरानी

बैंक संशोधित भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार खातों को एसएमए में वर्गीकृत कर रहा है और तदनुसार सीआरआईएलसी को रिपोर्ट कर रहा है। एसएमए-0 स्तर से ही खातों की मानिट्रिंग की जाती है। शाखाएं/कार्यालय विभिन्न ऋण मानिट्रिंग साधनों के प्रयोग के माध्यम से ऋण मानिट्रिंग में गति लाने हेतु सतत अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं जैसे यूनिट का दौरा, स्टॉक विवरण, डीपी निर्धारण, स्टॉक सत्यापन, अंतिम उपयोग का सत्यापन, प्रतिभूति का दौरा और मूल्यांकन, क्यूआईएस मानिट्रिंग, खाते का व्यवहार, स्टॉक लेखापरीक्षा, ऋण समीक्षा तंत्र, आवधिक विधिक लेखापरीक्षा, निरीक्षण और समवर्ती लेखापरीक्षा, सीआरआईएलसी, दैनिक एसएमए ट्रेकिंग, पूर्व चेतावनी संकेत आदि।

प्रलेखों की जांच और सत्यापन करने तथा अनियमितताओं, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु पूर्व-संवितरण साधन के रूप में प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और आर्किवल (देवा) का प्रयोग किया जाता है। एलएएमपी एक अन्य आनलाइन संवितरण-पश्चात साधन है जो सभी ऋण मानिट्रिंग पैरामीटरों के डाटा प्राप्त करता है, खातों की रेटिंग करता है तथा मानिट्रिंग को सुविधाजनक बनाता है।

बैंक ने अपने विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों (एफजीएमओ और मंका) में ऋण "मानिट्रिंग हेतु नोडल अधिकारियों" को नामोद्दिष्ट किया है जो अपने क्षेत्र में समग्र ऋण मानिट्रिंग प्रकाश्यों पर नजर रखते हैं।

बैंक खातों की स्थिति में सुधार और स्लिपेज रोकने हेतु 360° ऋण मानिट्रिंग हेतु प्रतिबद्ध है।

ii. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/एंटी-मनी लाउंडरिंग (एएमएल)

बैंक की एक सुपरिभाषित केवाईसी-एएमएल-सीएफटी (कम्बेटिंग दि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म) नीति है जो ऐसा आधार है जिस पर बैंक का

conducted for the 35 Zonal Risk Officers at Kolkata on 12th and 13th February, 2018.

- Bank has assigned the job of validation of the Framework, Systems and Models used for Risk Management in our Bank to National Institute of Bank Management, Pune. The validation process has been successfully completed by NIBM.
- Reputation Risk Management policy, Group Risk Management policy are introduced in Bank.
- Various monitoring tools in form of Apps are developed to monitor the capital conservation measures and exposure management.
- Risk limits on various parameters, like aggregate non-fund exposure, weighted average maturity of loan, schematic Retail loans, Agriculture loans, MSME loans and collateral security are fixed by the Bank covering different geographical areas.
- System generated Key Risk Indicators (KRI) for all the branches across the country have been introduced in Bank for better monitoring and control of Operational Risk.
- As per IND AS guidelines, the Bank has developed methodology for computation of expected credit loss (ECL) for various stages of the assets, which include 12 months ECL and lifetime ECL. The frame work for counter party exposure is in place.

F. Internal Control System and their Adequacy

i. Credit Monitoring

The Bank is classifying accounts into SMA as per the revised RBI guidelines and reporting them on CRILC accordingly. Monitoring of accounts is done right from SMA-0 level. The Branches / offices are continuously followed up for stepping up credit monitoring through use of various credit monitoring tools such as Unit Visit, Stock statement & DP assessment, Stock verification, End use verification, Security Visit & Valuation, QIS monitoring, Conduct of account, Stock Audit, Loan review Mechanism, Periodic Legal Audit, Inspection & Concurrent Audit, CRILC, Daily SMA tracking, Early Warning Signals, etc.

Document Electronic Verification & Archival (DeVA) is used as a pre-disbursement tool to check & verify documentation & to weed out irregularities if any. LAMP is another online post-disbursement tool that captures data on all credit monitoring parameters, rates accounts and facilitates monitoring. It also leads to Early Warning Signals (EWS)

The Bank has designated "Nodal Officers for Credit Monitoring" in its various controlling offices (FGMO and ZO), who oversee all the credit monitoring functions in their span.

The Bank is committed to 360° Credit monitoring to improve health of accounts and prevent slippage.

ii. Know Your Customer (KYC)/Anti-Money Laundering (AML)

The Bank has well defined KYC-AML-CFT (Combating the Financing of Terrorism) Policy, which is the foundation on which

“केवाईसी मानदंडों, एएमएल मानकों, सीएफटी उपायों और प्रीवेंशन आफ मनी लाउंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 का अनुपालन” आधारित है।

बैंक समय समय पर भारिबैं द्वारा जारी केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करता है और बैंक द्वारा केवल केवाईसी अनुपालित ग्राहकों को स्वीकार किया जाता है। एक अपग्रेडेड एएमएल साफ्टवेयर संस्थापित किया गया है जो वाच लिस्ट स्कैनिंग, ग्राहकों की पहचान का सत्यापन, और संदिग्ध स्वरूप के लेनदेन की संवीक्षा हेतु स्वचालित अलर्ट जनरेशन सुविधा हेतु समर्थ बनाता है। “एएमएल साफ्टवेयर” ग्राहकों के खाते में हुए लेनदेन के आधार पर सिस्टम-आधारित एसटीआर अलर्ट जनरेट करता है। आईबीए कार्यदल की सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त अलर्ट परिभाषाओं की संभावना को और व्यापक बनाया गया है। अनन्यरूप से एएमएल साल्यूशन में जनरेट लेनदेनों/अलर्ट की मानिट्रिंग और संदिग्ध पाए जाने पर एसटीआर दाखिल करने हेतु आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में केंद्रीय लेनदेन मानिट्रिंग दल (एएमएल एवं केवाईसी कक्ष) कार्य कर रहा है। एएमएल की समर्पित टीम एएमएल द्वारा जनरेट किए गए अलर्ट की जांच करती है, संवीक्षा करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फार्नेशियल इंटेलीजेंस युनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को प्रस्तुत करती है। शाखा स्तर पर किए गए लेनदेनों के साथ साथ विधि प्रवर्तन एजेंसियों/समाचार पत्रों की रिपोर्टों से सूचना के आधार पर भी ऑफ-लाइन एसटीआर रिपोर्ट एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत की जाती है यदि कोई खाता बैंक के डाटाबेस में पाया जाता है। अन्य सांविधिक रिपोर्टों का सृजन अर्थात् गैर-लाभप्रद संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), क्रास बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (सीडब्ल्यूटीआर), पर भी एएमएल साफ्टवेयर में विचार किया जाता है। ये रिपोर्ट तदनंतर प्रधान कार्यालय, एएमएल एवं केवाईसी कक्ष द्वारा एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत की जाती है। बैंक निर्धारित समय के अंदर प्रतिमाह एफआईयू-आईएनडी को काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट (सीसीआर) प्रस्तुत करता है।

बैंक के हर एक ग्राहक के सिस्टम आधारित जोखिम श्रेणीकरण को कार्यान्वित किया गया है और जोखिम श्रेणीकरण की समीक्षा अर्धवार्षिक आधार पर अर्थात् अगस्त और फरवरी में की जाती है।

बैंक द्वारा केवाईसी का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी मंडलीय कार्यालयों और एफजीएमओ से नोडल अधिकारियों को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए प्रधान कार्यालय, एएमएल एवं केवाईसी कक्ष द्वारा नियमित मानिट्रिंग की जाती है। जाली पैन कार्ड के प्रस्तुतीकरण को रोकने के बड़े कदम के रूप में एनएसडीएल से पैन के आनलाइन सत्यापन को कार्यान्वित किया गया है और इससे मनी लाउंडरिंग गतिविधियों का सामना किया जाता है। बैंक ने यूआईडीएआई के सहयोग से आधार आधारित ईकेवाईसी को कार्यान्वित किया है।

सीएफटी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्राहकों के आन-बोर्डिंग के समय यूएनएससीआर सूची से वास्तविक समय में नामों की स्कैनिंग के कार्य को सीबीएस मेन्यू में कार्यान्वित किया गया है। नामों की यही स्कैनिंग मौजूदा ग्राहक में किसी संशोधन के समय सिस्टम द्वारा भी निष्पादित की जाती है।

हमारे एएमएल/केवाईसी/सीएफटी अनुपालित कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के हमारे प्रयास में बैंक ने शाखा स्तर पर पकड़े गए संदिग्ध लेनदेनों अथवा गतिविधियों की औपाचारिक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु एक समर्पित एएमएल पोर्टल “आलवाच” विकसित किया है।

केवाईसी/एएमएल/सीएफटी विषयों पर क्षेत्र कार्याधिकारियों को सुग्राही/शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों/कालेजों (एसटीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एएमएल और केवाईसी का एक सत्र अनिवार्य बनाया गया है।

the Bank's "implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002" is based.

The Bank strictly observes KYC and AML guidelines issued by RBI from time to time and only KYC compliant customers are accepted by the Bank. An upgraded AML Software has been installed which enables watch list scanning, verifies customer identity and facilitates generation of automated alerts for scrutiny of transactions of suspicious nature. The "AML Software" generates system-based STR alerts on the basis of transactions in the accounts of the customers is in place. The scope has been further widened with addition of more alert definitions as per recommendations of IBA working group. Central Transaction Monitoring Team (AML & KYC Cell) is functioning at your Bank's Head Office for exclusive monitoring of the transactions/alerts generated in AML Solution and filing of STRs, if found suspicious. This dedicated AML team screens alerts generated by the AML software, scrutinizes and submit Suspicious Transaction Reports (STRs) to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). Off-line STRs for attempted transactions at Branch level as well as STRs on the basis of information from Law Enforcing Agencies/New Paper Reports are also submitted to FIU-IND if any account found in Bank's database. Generation of other statutory reports viz., Non-profit Organizations Transactions Report (NTR), Cash Transaction Report (CTR), Cross-border Wire Transfer Report (CWTR), is also taken care by the AML software. These reports are in turn submitted to FIU-IND by Head Office AML & KYC Cell. Bank files Counterfeit Currency Report (CCR) every month to FIU-IND within the stipulated time frame.

System-based Risk Categorization of Bank's each and every customer has been implemented and review of Risk Categorization is carried out half yearly i.e. in August and February.

Regular monitoring is done by the Head Office AML & KYC Cell with active involvement of the Nodal Officers from all the Zonal Offices and FGMOs to ensure total KYC compliance by the bank. Online verification of PAN from NSDL has been implemented as a major step to prevent submission of forged PAN cards and thereby to tackle money laundering activities. Bank has implemented Aadhaar based e-KYC in collaboration with UIDAI.

Functionality of Real-time scanning of names from UNSCR list while customer on-boarding has been implemented in CBS menu as a step forward towards CFT. The same name scanning is also performed by the system at the time of any modification of existing customer.

In our continuous endeavor to strengthen our AML/KYC/CFT compliance programme, the Bank has developed a dedicated AML portal "AllWatch" to establish a formal reporting system for reporting of suspicious transactions or activities detected at the Branch level.

In order to sensitize/educate the field functionaries on KYC/AML/ CFT issues, training is imparted through the Training Centers/Colleges (STCs). One session on AML & KYC has been made mandatory in all the training programmes.

iii. आंतरिक और प्रबंधन लेखापरीक्षा

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम आधारित समवर्ती लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन करने से शाखाओं के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। लेखापरीक्षा संसाधनों को उच्च जोखिम क्षेत्र हेतु प्राथमिकता दी गई है। यह बैंक परिचालन में जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण ढांचे की पर्याप्तता और कारगरता के बारे में बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान पूरे देश में 2426 शाखाएं आंतरिक निरीक्षण के अधीन थीं। हमने जोखिम आधारित समवर्ती लेखापरीक्षा (आरबीसीए) को कार्यान्वित किया है, जिसमें हमारी 1144 शाखाएं समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत थीं जो भारिबैं द्वारा निर्धारित 70% के कवरेज के सापेक्ष हमारे कुल व्यवसाय के 77.30% को शामिल करती है। समवर्ती लेखापरीक्षा और आंतरिक निरीक्षण की अभिमुखता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी अंतर्निहित जोखिमों का स्वीकार्य स्तरों के अंदर प्रबंधन हो जाए।

हमारे सभी 49 मंडल, 8 एफजीएम कार्यालय और अन्य कार्यालय दो वर्ष में एक बार प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

व्यवसाय परिचालन के विहंगावलोकन हेतु प्रधान कार्यालय और विभिन्न मंडलों में आफसाइट मॉनिटरिंग कक्ष कार्यरत हैं। इस कक्ष की संभावना और कवरेज को संरचित और व्यापक बनाया गया है। कक्ष अब महत्वपूर्ण मदों के संबंध में एमआईएस की समीक्षा करता है जैसे उच्च मूल्य के/असामान्य लेनदेन और यदि कोई विपथन नजर में आता है तो ये नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं/विभागों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के विषय में जानकारी देते हैं।

बैंक ने कतिपय क्षेत्रों को 'जीरो टालरेंस क्षेत्र' 'फ्राड सेंसिटिव क्षेत्र' के रूप में निर्धारित किया है। इससे शाखाओं में प्रणाली और नियंत्रण में और मजबूती सुनिश्चित करने के साथ-साथ चूक और अनियमितताओं को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिलेगी। निरीक्षण नीति, आरबीआईए माड्यूल, प्रबंधन लेखापरीक्षा फॉर्मेट और जैडआईसी फॉर्मेट को परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा संशोधित/समीक्षित किया गया है।

हमारे सभी निरीक्षण अधिकारियों को वर्ष में एक बार पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम कराया जाता है। इसी प्रकार हमारे सभी समवर्ती लेखापरीक्षकों को भी मंडलों/प्रधान कार्यालय के शीर्ष कार्यपालकों द्वारा स्थानीय संवादमूलक प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रणाली में पर्याप्त और गुणवत्तापरक जनशक्ति नियोजित करते हुए हमारी निरीक्षण और लेखापरीक्षा कार्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

iv. अनुपालन

प्रधान कार्यालय में अनुपालन कक्ष उप महाप्रबंधक रैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की अध्यक्षता में गठित है जिसे बैंक के अनुपालन जोखिम की पहचान और प्रबंधन करने तथा बैंक के स्टाफ के अनुपालन के पर्यवेक्षण का समग्र दायित्व सौंपा गया है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यापक अनुपालन नीति बनाई गई है और अनुपालन मैनुअल तैयार किया गया है। बैंक की अनुपालन नीति के अनुसरण में बैंक ने एक स्वतंत्र अनुपालन संरचना गठित की है जो बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालनों, दोनों को कवर करती है। बैंक की अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार शाखा, नियंत्रक कार्यालय के प्रमुख और प्रधान कार्यालय में विभागों के प्रमुख को बैंक के अनुपालन कार्य की देखरेख हेतु नामोद्दिष्ट किया गया है। बैंक विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन में शून्य सहनशीलता नीति हेतु प्रतिबद्ध है और विनियामकों/लेखापरीक्षकों के प्रेक्षणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर अनुपालन कार्य और रिपोर्टिंग तंत्र के सुपरिभाषित क्षेत्रों के साथ सुदृढ़ अनुपालन संरचना स्थापित की गई है। बैंक के

iii. Internal and Management Audit

On implementation of Risk Based Internal Audit & Risk Based Concurrent Audit, the Annual Audit Plan is prepared as per the Risk profile of the branches. The audit resources are prioritized towards high risk areas. This provides a reasonable assurance to the Board and Top Management about the adequacy and effectiveness of the Risk Management and control framework in the Bank's operations. 2426 Branches across the country were subjected to internal inspection during FY 2018. We have implemented the Risk Based Concurrent Audit (RBCA) wherein our 1144 Branches are under Concurrent Audit covering 77.30% of our total business, as against 70% coverage stipulated by RBI. By convergence of Concurrent Audit & Internal Inspection, it is ensured that all the inherent risks are managed within the acceptable levels.

All our 49 Zones, 8 FGM Offices & other offices are subjected to management audit once in two years.

Offsite Monitoring Cell at Head Office, FGM Offices & different Zones have been in operation to keep a track of business operations with a bird's eye view. The scope and coverage of the Cell have since been structured and board based. The Cell is reviewing the MIS on critical items like high value / abnormal transactions and sensitizing the Controlling Offices / Branches / Departments for corrective action, if any deviation is observed.

The Bank has also identified certain areas as 'Zero Tolerance Areas' & 'Fraud Sensitive Area'. These will foster and ensure further robustness of the system and control in the branches as well as to keep the lapses and irregularities at minimum level. Inspection Policy, RBIA Module, Management Audit format & ZIC format have been modified / reviewed by the Operational Risk Management Committee.

All our Inspecting Officials are subjected to a refresher course once in a year. Similarly, all our Concurrent Auditors are also given interactive locational training by top management from Zones / Head Office.

All efforts are being made to strengthen our Inspection & Audit function by deploying adequate & quality man power in the system.

iv. Compliance

The Compliance Cell at Head Office is headed by Chief Compliance Officer in the rank of Deputy General Manager who has been entrusted with overall responsibilities of coordinating identification and management of Compliance risk of the bank and supervising the compliance staff bank wide. A comprehensive Compliance policy & Compliance manual in line with RBI Guidelines has been put in place. In pursuance of Bank's compliance policy, bank has instituted an independent Compliance structure which covers both domestic and overseas operations of the Bank. In terms of bank's Compliance Risk Management Policy, Heads of branches, controlling offices and Heads of departments at HO have been designated as Compliance Officer to look after the Compliance functions of the Bank. The Bank is committed to the policy of zero tolerance with respect to non-compliance with regulatory guidelines and observations of regulators/

व्यापक अनुपालन कार्य की आवधिक समीक्षा की जाती है और विस्तृत रिपोर्ट सूचना और आवश्यक निर्देशों हेतु बोर्ड/बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति/ वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है। सभी प्रयोज्य विधियों, विनियामक दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम परिपाटी कोड आदि के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित प्रणालियाँ और प्रक्रियाविधियाँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की नीति के अनुसार अनुपालन कक्ष आवधिक रूप से शाखाओं और प्रधान कार्यालयों के विभागों में विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच और सत्यापन द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित करता है। भारिबैं ने 01.04.2017 से बैंक में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण शुरू किया है और अनुपालन कक्ष भारिबैं के 200 विनियामक दिशानिर्देशों की अनुपालन लेखापरीक्षा करता है और बैंक के अनुपालन की स्थिति भारिबैं को ट्रेंच III रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

v. सतर्कता

बैंक सहित किसी भी संगठन में सतर्कता प्रबंधन का अभिन्न अंग होती है। सतर्कता गतिविधि का उद्देश्य संगठन के प्रचार्यों को अशक्त बनाना नहीं अपितु निर्णय लेने में दक्षता और प्रभावशालिता बढ़ाना है। संगठन के समग्र विकास के लिए प्रभावी सतर्कता अपेक्षित है। बैंक ग्राहक के धन के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है और दूसरी ओर उक्त निधियाँ विभिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं को ऋण देकर जोखिम उठाता है। दो अत्यंत भिन्न प्रचार्यों की मौजूदगी होने से संगठन में एक जीवन्त और सतर्क प्रणाली अपेक्षित होती है। एक कारगर सतर्कता प्रणाली न केवल वित्तीय क्षरण से सुरक्षा प्रदान करती है अपितु संगठन की लाभार्जन क्षमता भी बढ़ाती है। यह प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने का कारगर साधन है, हितधारकों में विश्वास पैदा करता है और अपने बहु-आयामी तथा सतत विकास हेतु अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस की आदत विकसित करता है।

सतर्कता ऋष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करती है और ऋष्टाचार की बुराई को समाप्त करने हेतु अतिसक्रिय, सहभागी और निवारक उपाय करती है और साथ ही यह सुनिश्चित करने पर बल देती है कि विभिन्न निवारक उपाय (चेक एंड बैलेंस) किए गए हैं तथा बैंक के दैनंदिन के प्रचार्यों में प्रणालियों और प्रक्रियाविधियों का पालन किया जाता है। सतर्कता ढांचा ऋष्टाचार अथवा कदाचार की संभावनाओं को समाप्त करने अथवा न्यूनतम करने हेतु धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों में मौजूदा नियमों और प्रक्रियाविधियों की जांच कर रहा है।

बैंक में धोखाधड़ियों को रोकने/पुनरावृत्ति से बचने बैंक में स्थापित चेक एंड बैलेंस को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न सुझाव कदम लिए गए हैं।

- मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 26.09.2017 और 14.02.2018 को क्रमशः मंडलीय कार्यालय, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में निवारक सतर्कता कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं जिसमें मंडल प्रमुख, मंडलीय कार्यालयों के अन्य वरिष्ठ कार्यपालक एवं अधिकारी तथा स्थानीय शाखा प्रमुख उपस्थित हुए। शाखा/कार्यालयों में निवारक सतर्कता संबंधी द्विमासिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया क्योंकि यह निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाविधियों को अपनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने का मंच है। धोखाधड़ी की हाल की घटनाओं में धोखेबाजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यप्रणालियों के बारे में बताया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपनाए जाने वाले निवारक उपाय भी सुझाए गए। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने मंका लुधियाना

auditors are redressed on priority basis. Further, a robust compliance structure with well defined areas of compliance functions and reporting mechanism have been established at various levels. Bank wide Compliance functions are reviewed periodically and comprehensive report is placed to Board/ Audit Committee of the Board/ Senior Management for information and necessary directions. Requisite systems and procedures have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws, regulatory guidelines and Best Practices Codes, etc. Compliance Cell conducts compliance audit by testing and verifying the compliance of regulatory directives and Bank's internal guidelines in branches and Head Office departments periodically as per Bank's policy. RBI has rolled out Risk Based Supervision in our Bank from w.e.f. 01.04.2017 and Compliance Cell conducted compliance audit of 200 regulatory directives of RBI and submitted the compliance position of the Bank through Tranche III report to RBI.

v. Vigilance

Vigilance in any organization including Bank is an integral part of management. The objective of vigilance activity is not to cripple the functioning of the organisation but to enhance its efficiency and effectiveness in decision making. Effective vigilance is required for overall growth of an organisation. Bank functions as custodian of customers' money, and on the other hand, undertakes risk by lending the said fund to different category of borrowers. The existence of two very different functions requires a vibrant and vigilant system in the organisation. An effective vigilance set up not only provides guard against financial erosions, but also enhances the profit earning capacity of the organisation. It is an effective tool to enhance the efficiency of the management, create confidence amongst the stakeholders and inculcate the habit of good corporate governance for its multi-dimensional and sustained growth.

Vigilance focuses on identifying the areas prone to corruption and taking various proactive, participative and preventive measures to eradicate the evil of corruption and also emphasizes to ensure that various checks and balances are in place and systems & procedures are observed in day to day functioning of the bank. Vigilance set up has been examining the existing rules and procedures in areas prone to fraud, to eliminate or minimize the scope for corruption or malpractices.

Various suggestions have been imparted to augment checks & balance in place in the Bank to prevent/avoid recurrence of frauds in the Bank:

- Preventive Vigilance workshops were conducted at Zonal Office, Chandigarh & Ahmedabad on 26.09.2017 & 14.02.2018 respectively by Chief Vigilance Officer which were attended by Zonal Heads, other senior executives and officers of Zonal Offices and local branch Heads. Emphasis was laid upon the need for holding bi-monthly meeting on Preventive Vigilance at branch/ offices as it is a platform for creating awareness about the need for adopting laid down systems & procedures. Various modus operandi adopted by fraudsters in recent incidents of fraud were also narrated and the preventive measures to be adopted were suggested to prevent recurrence of such incidents in future. CVO also visited ZO Guwahati, ZO Lucknow & STC Lucknow apart

और मंका अमृतसर की औचक सतर्कता जांच के अलावा मंका, गुवाहाटी, मंका, लखनऊ और एसटीसी लखनऊ का दौरा भी किया।

- पूरे देश में निवारक सतर्कता कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं जिनमें से 12 मंडलीय कार्यालयों में इन कार्यशालाओं की अध्यक्षता सतर्कता विभाग के उप महाप्रबंधक द्वारा की गई।
- ग्राहक शिकायतों पर नजदीकी नजर रखने और उनका समय से निस्तारण करने की आवश्यकता के बारे में क्षेत्र कार्याधिकारियों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनुदेश परिपत्र सं०.15113/सतर्कता/2017-18/01 दिनांक 07.07.2017 जारी किया गया था जिसमें बैंक में निवारक सतर्कता परिवेश को सुदृढ़ करने हेतु हमारे कर्मचारियों के लिए विभिन्न सूचनाओं का उल्लेख है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 30 अक्टूबर, 2017 से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन किया गया जो 04 नवम्बर, 2017 को समाप्त हुआ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आरंभ श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, कार्यपालक निदेशकगण श्री एन.के. साहू एवं श्री एस.हरिशंकर सहित, शपथ दिलाने से हुई। बैंक के सभी शीर्ष कार्यपालकगण, अधिकारियों और कर्मचारियों ने 30 अक्टूबर, 2017 को प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्वाह्न 11.00 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सहभागिता की। इसी प्रकार, पूरे देश में बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों ने 30 अक्टूबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अपने संबंधित शाखाओं/कार्यालयों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई।

सत्यनिष्ठा शपथ के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों पर निवारक सतर्कता तथा भ्रष्टाचार जागरूकता संबंधी 4200 बैनर और 3400 पोस्टर प्रदर्शित किए गए तथा 60000 पम्फलेट्स/हैंडआउट वितरित किए गए। नैतिक मूल्यों, लोकाचार तथा भ्रष्टाचार - निरोधी विषयों पर 94 वाद-विवाद/व्याख्यान/निबंध/चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान सीवीसी द्वारा दिए गए विषय पर देश भर में शाखाओं/कार्यालयों द्वारा विभिन्न स्थानों पर 93 कार्यशालाएं/सेमिनार/सैंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के अनुसरण में बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय सहित सभी मंडलीय कार्यालयों में 50 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और 8 अपीलीय अधिकारियों को नामोद्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिशानिर्देशानुसार बैंक हेतु एक पारदर्शिता अधिकारी भी नामोद्दिष्ट किया गया है। बैंक अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के माध्यम से भारत के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराता है और इसके साथ-साथ अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध के निपटान स्वरूप भी सूचना उपलब्ध कराता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु 3278 अनुरोध प्राप्त किए और प्रथम अपील हेतु 585 आवेदन प्राप्त किए जिनमें से 3145 आरटीआई आवेदनों एवं 560 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया। शेष आवेदन और अपीलें प्रक्रियाधीन थीं और अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत यथा अनुमत निपटान करने की निर्धारित अवधि के अंदर ही थे।

छ. बैंक का व्यवसाय

बैंक का कुल व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.57% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के ₹359974 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 18 को यथास्थिति बढ़कर ₹380040 करोड़ हो गया। इसी वित्तीय वर्ष में बैंक के विदेशी व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष 8.91% की कमी हुई और समग्र व्यवसाय में इसका अंश पिछले वर्ष के 3.93% की तुलना में 31 मार्च, 18 को यथास्थिति घटकर 3.39% रह गया।

from conducting surprise vigilance checking of ZO Ludhiana & ZO Amritsar.

- Preventive vigilance workshops were also held across the country out of which in 12 zones such workshop were chaired by DGM of Vigilance Department.
- In order to sensitize the field functionaries about the need for closer attention & timely redressal of customer's complaint, circular no. 15113/Vigilance/2017-18/01 dated 07.07.2017 was issued by the department mentioning various advices to our employees to strengthen preventive vigilance environment in the bank.

In pursuance to CVC directives, Vigilance Awareness Week was observed commencing from 30th October 2017 which ended on 4th November 2017.

The week commenced with the pledge administered by Mrs. Usha Ananthasubramanian, Managing Director & CEO along with Executive Directors, Shri N.K. Sahoo and Shri S. Harishankar. All the top Executives of the Bank, officers & employees participated in the pledge ceremony at Head Office, Kolkata at 11 a.m. on 30th October 2017. Similarly all Branches/offices of the Bank across the country observed Integrity Pledge with all employees of their respective branches/offices at 11.00 AM on 30th October, 2017.

Besides integrity pledge, 4200 banners & 3400 posters were displayed at the prime locations and also 60000 pamphlets/handouts were distributed on preventive vigilance and corruption awareness. 94 Debates/lectures/essay/drawing competitions were organized on moral values, ethics and issues relating to anti-corruption. During the period, 93 workshops/seminars/sensitization programmes were organized at different locations by offices / branches across the country on theme given by CVC.

Right to Information Act

In pursuance of the enactment of Right to Information Act, 2005, the Bank has designated 50 Central Public Information Officers at all its Zonal Offices and Eight Appellate Authorities including Head Office. Further, as per the directions of Central Information Commission (CIC), a Transparency Officer for the Bank, has also been designated. The Bank is providing information to the citizens of India through suo-moto disclosures on website as well as through disposal of requests for information received under the Act. During FY 2017-18, the Bank received 3278 requests for information and 585 First Appeals under the Act, out of which 3145 RTI applications and 560 RTI appeals were disposed of. The rest number of applications and appeals were under process and well within the stipulated period of disposal as allowed under the provisions of the Act.

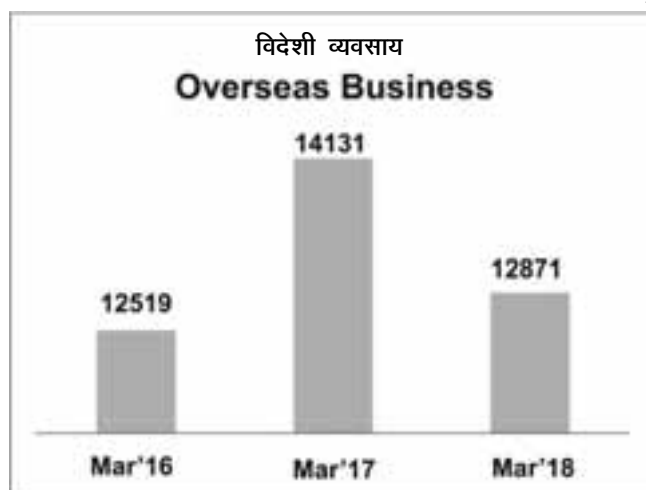
G. Business of the Bank

The Bank's total business increased to Rs. 3,80,040 crores as on 31st Mar'18 as against ₹3,59,974 crores in the previous year, registering a Y-o-Y growth of 5.57%. The Bank's overseas business declined by 8.91% Y-o-Y during the same financial year and its share to overall business came down to 3.39% as on 31st Mar'18 as compared to 3.93% a year ago.

(राशि करोड़ ₹ में)



Amount in ₹ crore)



ज. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के सम्मुख महत्वपूर्ण विकास

जनशक्ति नियोजन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने जनशक्ति योजना को अंतिम रूप देते समय आसन्न सेवानिवृत्तियों की संख्या, संभावित एट्रिशन, नई शाखाएं खुलने और अन्य क्षय पर विचार किया गया है और प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली गई है। पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ पांच वर्ष की अनुक्रमण योजना तैयार है जिसे अपेक्षानुसार संशोधित किया जाता है। यह योजना वार्षिक जनशक्ति योजना की दिशा निर्धारित करती है।

भर्ती योजना

सावधानीपूर्वक नियोजित शाखा/कार्यालय वार अपेक्षाओं तथा सेवानिवृत्तियों और अन्य क्षय के माध्यम से वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से संवर्गवार जनशक्ति अपेक्षा का निर्धारण किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान भर्तियां निम्नानुसार हैं:

पद/ Posts	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
परिवीक्षाधीन अधिकारी(पीओ)/Probationary Officers (PO)	428	138	452	474
विशेषज्ञ अधिकारी / Specialist Officers	101	18	145	91
कुल अधिकारी / Total Officers	529	156	597	565
लिपिकीय स्टाफ / Clerical Staff	344	624	660	793

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 300 अधिकारियों और 300 एसडब्ल्यूओ 'ए' की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है।

कर्मचारियों की आयु प्रोफाइल

रणनीतिपरक भर्ती नीति ने कार्यबल की औसत आयु बनाए रखने में मदद की है जो 31.03.2018 को यथास्थिति 39.10 वर्ष है। पिछले पांच वर्षों

H. Material Developments in Human Resources/ Industrial Relations front including number of people employed

Manpower Planning

During the year 2017-18, the Bank had taken into consideration, the number of impending retirements, expected attrition, new Branch opening and other wastages while finalizing the Manpower Plan and the exercise was completed well in time. A five year succession plan with a holistic approach is in place which is modified according to the requirements. This plan sets the direction for annual Manpower Planning.

Recruitment Planning

Cadre wise manpower requirement was assessed scientifically through a meticulously planned Branch/office wise requirement vis-à-vis retirements and other wastages. Recruitments during the last four years were as under:

The Bank has also initiated the process of recruiting 300 officers and 300 SWO-A during the FY 2018-19.

Age Profile of Employees

The strategic manpower planning has helped the Bank to maintain the average age of workforce at 39.10 years as on

में संवर्ग वार आयु प्रोफाइल(वर्षों में) निम्नानुसार है:-

31.03.2018. Cadre wise age profile (in years) in the last five years was as under:

संवर्ग / Cadre	31.03.2014 को यथास्थिति As on 31.03.2014	31.03.2015 को यथास्थिति As on 31.03.2015	31.03.2016 को यथास्थिति As on 31.03.2016	31.03.2017 को यथास्थिति As on 31.03.2017	31.03.2018 को यथास्थिति As on 31.03.2018
अधिकारी / Officers	39.4	39.3	39.25	38.66	38.16
लिपिक / Clerical	42.6	43.2	42.17	41.2	40.29
अधीनस्थ स्टाफ / Sub-staff	42.7	41.5	39.85	40.23	40.46
समग्रतः कर्मचारी / Employee as a whole	41.0	40.9	40.2	39.64	39.10

स्टाफ हेतु कल्याणकारी योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जारी रखीं जैसे इलाहाबाद बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समूह जीवन बीमा पालिसी, विभिन्न स्थानों पर होलीडे होम और मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ और चेन्नै में रोगियों के उपचार हेतु ट्रांजिट क्वार्टर, अधिकारियों/अवार्ड स्टाफ और उनके दंपति हेतु वार्षिक सामान्य स्वास्थ्य जांच सुविधा, सेवा के दौरान अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार कहतु अनुग्रह राशि के भुगतान की मृत्यु राहत योजना, प्रधान कार्यालय, नियंत्रक कार्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों में चिकित्सा परामर्श की सुविधा। बैंक अपने कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण भी प्रदान करता है जैसे आवास ऋण, कार ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा, बाढ़ ऋण आदि।

आरक्षण नीति

बैंक अजा/अजजा/ओबीसी कर्मचारियों के आरक्षण और कल्याण के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करता है। 31.03.2018 को यथास्थिति बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या में अजा/अजजा/ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

संवर्ग / Cadre	कुल संख्या Total Strength	अजा/अजजा/ओबीसी का प्रतिनिधित्व Representation of SC/ST/OBC					
		अजा/ SC	%	अजजा/ST	%	ओबीसी/OBC	%
अधिकारी / Officers	13686	2610	19.07	1143	8.35	3064	22.39
लिपिक / Clerks	6266	1777	28.36	534	8.52	1305	20.83
सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अधीनस्थ स्टाफ Sub-staff excluding sweepers	2099	1077	51.31	86	4.10	205	9.77
सफाई कर्मचारी / Sweepers	1916	1110	57.93	158	8.25	430	22.44
कुल / Total	23967	6574	27.42	1921	8.02	5004	20.88

औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध परिवेश सौहार्दपूर्ण है और बैंक यूनियनों/ऐसासिएशनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है। अधिकारी संवर्ग और अवार्ड स्टाफ संवर्ग की यूनियनों के साथ नियति रूप से औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

पदोन्नतियां

वित्तीय वर्ष 18 के दौरान वित्तीय वर्ष की प्रथम और द्वितीय तिमाही में लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति और अधिकारी संवर्ग के

Welfare Scheme for Staff

During the financial year 2017-18, the Bank continued its various welfare schemes viz. Scheme for Group Life Insurance Policy for officers/employees of Allahabad Bank; Holiday homes at various places and transit quarters for treatment of patients at Mumbai, Kolkata, Lucknow and Chennai; Annual General Health Check up facility for officers/award staff and their spouse; Death Relief Scheme for payment of Ex-gratia to the family of Officers/Employees who die in harness; facility of medical consultancy at Head Office, Zonal Offices, Staff Colleges and Staff Training Centers. The Bank also provides various loans to the employees viz. Housing Loan, Car Loan, Overdraft facility, flood loan, etc at concessional rate of interest.

Reservation Policy

The Bank meticulously follows the Government guideline regarding reservation and welfare of SC/ST/OBC employees. The representation of SC/ST/OBC employees in the total strength of the Bank as on 31.03.2018 was as under:

Industrial Relations

The industrial relations climate in the Bank is harmonious and the Bank maintains a cordial relationship with the unions/associations. Formal and informal meetings are held regularly with the unions in Officers' cadre as well as Award Staff cadre.

Promotions

During the FY17-18, Promotions from Clerical to Officers' cadre and promotions in various scales of officer cadre were

विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नति की गई; पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई पदोन्नतियां निम्नानुसार हैं।

conducted in the first and second quarter of the financial year; the promotions effected over the last five years were as under:

पदोन्नति / Promotion To	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टीईजी स्केल / TEG Scale VII	8	7	4	4	5
टीईजी स्केल / TEG Scale VI	15	19	8	11	12
एसएमजी स्केल / SMG Scale V	33	61	36	26	27
एसएमजी स्केल / SMG Scale IV	156	117	164	83	76
एमएमजी स्केल / MMG Scale III	618	209	600	319	253
एमएमजी स्केल / MMG Scale II	485	530	899	451	370
लिपिक से अधिकारी / Clerk to Officer	-	644	303	503	524
अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक / Sub-staff to Clerk	340	-	117	89	-

प्रशिक्षण गतिविधियां

हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास विभाग ने समय समय पर कारपोरेट उद्देश्यों और संगठन की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं।

बैंक के छह प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से दो प्रशिक्षण कालेज कोलकाता और लखनऊ में हैं, जो कार्यपालकों और अधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करते हैं तथा चार स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना और पंचकुला में हैं जो अवार्ड स्टाफ और अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सभी प्रशिक्षण कालेजों / स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में अनन्य रूप से कोर बैंकिंग साल्यूशन हेतु एक आईटी लेब है।

सभी श्रेणियों के अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ को संस्था में उनके प्रवेश से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। पीओ को बैंक की सेवा में आते ही दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण दिया गया। एसडब्ल्यूओ के लिए दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उच्चतर ग्रेड/स्केल में पदोन्नति के आकांक्षी अजा/अजजा/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/एमसी श्रेणी से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभिन्न ग्रेड/स्केल में नए पदोन्नत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे उच्चतर उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम हो सकें।

इसके अतिरिक्त मौजूदा अधिकारियों/कर्मचारियों को महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण दिया गया जैसे ऋण, रिटेल ऋण, कृषि वित्त, एमएसएमई, फारेक्स, आईटी, एनपीए प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, एचआर।

समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में अधीनस्थ-स्टाफ हेतु प्रेरणा संबंधी दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

“ट्रांजिशन टू इंडियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (इन्ड एसएस): इश्यूज एंड चैलेंजेज” से परिचित कराने हेतु आईसीएआई के विशेषज्ञों द्वारा ऋण अधिकारियों हेतु इंड एसएस संबंधी एक इन-कंपनी कार्यक्रम स्टाफ कालेज कोलकाता में आयोजित किया गया।

जोखिम अधिकारियों हेतु जोखिम प्रबंधन संबंधी इन-कंपनी कार्यक्रम स्टाफ कालेज, कोलकाता में आईआईबीएफ मुंबई द्वारा संचालित किया गया।

संकायों को समृद्ध बनाने हेतु हमारे प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों और संकायों हेतु “संकाय विकास कार्यक्रम” आयोजित किया गया था।

Training Activities

The HRD department has designed the training programs as per the corporate objectives and the priorities of the organization from time to time for capacity building of our officers/ employees.

The Bank has six training establishments, consisting of two training colleges at Kolkata and Lucknow which cater to the training needs of executives and officers and four staff training centres located at Hyderabad, Bhubaneswar, Patna and Panchkula which cater the training needs of award staff as well as officers. All the training colleges/ staff training centres are having one IT lab exclusively for Core Banking Solution (CBS).

Training is given to all categories of officers and award staff starting from their Induction into the organization. The POs were provided two months on boarding induction training. The SWO-As were provided two weeks Induction Training Program.

The officers/ employees belonging to SC/ST/OBC/PWD/MC categories aspiring for promotion to higher grade/ Scale were provided Pre-promotional training. Similarly newly promoted employees/officers in different grade/scale were provided training, so as to equip themselves to take up higher responsibilities.

In addition, for the existing officers/employees training in key subject areas like Credit, Retail lending, Agri-finance, MSME, FOREX, IT, NPA Management, Risk Management, Credit Monitoring, Inspection & HR were imparted.

A two-day special program for Sub-staff on motivation was conducted at all the training establishments.

To familiarize with the "Transition to Indian Accounting Standard (IND AS): Issues and Challenges" an In-Company program was conducted on IND-AS for the Credit Officers at Staff College, Kolkata by the experts from ICAI.

In-company program on Risk Management was conducted for the Risk Officers at Staff Training College, Kolkata by IIBF, Mumbai.

In order to enrich the faculties, "Faculty Development Program" was conducted for Principals & faculties of our training establishment.

कार्यपालकों और अधिकारियों को बेहतर एक्सपोजर देने हेतु बैंक बाह्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे सीएफएआरएल, एनआईबीएम, सीएबी, आईडीआरबीटी, एएससीआई, एफआईएमएमएडीए, एफआईडीआई, आईआईबीएम, आईआईबीएफ आदि के माध्यम से विशेषीकृत क्षेत्रों में भी अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

बैंक ने तीन कार्यपालकों को अपने ज्ञान को समृद्ध करने हेतु विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भी नामित किया है।

स्थानीय प्रशिक्षण

मंडलों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने हेतु उनके संबंधित मंका स्थलों पर हमारे प्रशिक्षण संस्थाओं के संकायों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ई-लर्निंग

बैंक ने डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण हेतु पहल की है। डिजिटल प्रशिक्षण हेतु आंतरिक रूप से तैयार किया गया वेब पोर्टल आरंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बैंकिंग विषयों को शामिल करते हुए ई-पाठ उपलब्ध होंगे जैसे रिटेल बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, वित्तीय समावेशन, विदेशी मुद्रा, डिलीवरी चैनल, जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा, निवारक सतर्कता वसूली और एनपीए प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि आदि।

वेब पोर्टल उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करेगा और हमारे कर्मचारियों को 24x7 डेस्कटाप, लैपटाप और मोबाइल पर उपलब्ध होगा। यह वेबसाइट हमारे कर्मचारियों को इंटरनेट और इंटरनेट दोनों के माध्यम से उपलब्ध होगी।

इस पहल से लोगों को ज्ञान की ओर जाने की बजाय ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा। इससे हमारे कर्मचारियों में पर्याप्त ज्ञान और कौशल विकसित करने और ग्राहकों की विविध जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

क्षमता निर्माण

भारिबैंक/आईबीए के निर्देशों/परामर्श के अनुसार "क्षमता निर्माण-प्रमाणन पाठ्यक्रम" तैयार किया गया है। प्रस्तावित नीति के अनुसार 5 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् i) ट्रेजरी परिचालन, ii) जोखिम प्रबंधन, iii) लेखा और लेखापरीक्षा, iv) ऋण प्रबंधन और v) विदेशी मुद्रा परिचालन में कार्य करनेवाले अधिकारियों हेतु यह प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है। कर्मचारियों ने प्रमुख क्षेत्रों में "प्रमाणन पाठ्यक्रम" आरंभ कर दिया है।

The Bank also provided training to its officers in different centres in specialized areas through outside reputed training institutions like CAFRAL, NIBM, CAB, IDRBT, ASCI, FEDAI, IIBM, IIBF etc. for providing better exposure to the executives and officers.

Bank also nominated three executives to attend the overseas training program to enrich their knowledge.

On Location Training

Locational programs were conducted by faculties of our training establishments to meet the training needs of the Zones in their respective ZO location.

e-Learning

The Bank has taken an initiative for capacity building of our employees through Digital Training. A WEB Portal on Digital Training, developed in-house, has been launched. Through this portal, e-lessons have been made available covering Banking topics on various focus areas viz. Retail Banking, Priority Sector Credit, Financial Inclusion, Foreign Exchange, Delivery Channels, Risk Management, Security, Preventive Vigilance, Recovery & NPA Management, Customer Service etc.

The WEB Portal provides high quality training and is available to our employees 24*7 on Desktop, Laptop and Mobile. This website is accessible to our employees both through Bank's Intranet as well as internet.

This initiative has brought learning to people instead of people to learning. It helps our employees to develop with adequate knowledge and skills to cater to the varied needs of our customers.

Capacity Building

As per RBI/IBA directives/ advices, a policy on "Capacity Building - Certification Courses" has been prepared. As per the proposed policy the acquiring of certification is mandatory for the officers working in 5 key areas viz. i) Treasury Operations, ii) Risk Management, iii) Accounts and Audit, iv) Credit Management, and v) Foreign Exchange Operations. Employees have started "Certification Courses" on the key areas.

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट-मार्च 2018

इलाहाबाद बैंक की स्थापना एक यूरोपीय समुदाय द्वारा 1865 में इलाहाबाद के ऐतिहासिक नगर में की गई थी। आज यह देश का प्राचीनतम संयुक्त स्टॉक बैंक है। 1923 में बैंक के प्रधान कार्यालय को कोलकाता स्थानांतरित किया गया।

सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आने हेतु 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ बैंक का इसकी 151 शाखाओं के साथ राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक ने भौगोलिक और उत्पाद विविधिकरण दोनों के माध्यम से वित्तीय बुनियाद को मजबूत करने के इरादे से अनेक रणनीतिपरक योजनाएं बनाई हैं। संपूर्ण भारत में फैली 3245 शाखाओं के अतिरिक्त हांगकांग में बैंक की एक शाखा है। बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिनमें मुख्य उत्पाद हैं-जमा राशि, ऋण एवं अग्रिम तथा विप्रेषण।

खंड क: कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

1. कंपनी की कारपोरेट पहचान सं. (सीआईएन): अप्रयोज्य
2. कंपनी का नाम : इलाहाबाद बैंक
3. पंजीकृत पता: इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2 एन.एस. रोड, कोलकाता-700001
4. वेबसाइट: www.allahabadbank.in
5. ईमेल आईडी: md@allahabadbank.in
6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष : 2017-18
7. कंपनी किस क्षेत्र में कार्यरत है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार)

वित्तीय सेवाएं, मुख्यतः बैंकिंग

8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी विनिर्माण/प्रदान करती है (तुलनपत्र में उल्लिखित)
(1) जमा राशियां (2) अग्रिम और (3) अनुषंगी सेवाएं
9. कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय के स्थानों की संख्या
 - i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या: वर्तमान में बैंक की एक शाखा हांगकांग(चीन) में हैं
 - ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति इलाहाबाद बैंक के 8 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय (एफजीएमओ), 49 मंडलीय कार्यालय, 3245 शाखाएं और 1105 एटीएम हैं।
10. कंपनी द्वारा बाजार सेवा-राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार, जैसा कि बिंदु सं 9(i) में उल्लिखित है।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शाखा नेटवर्क

खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (आईएनआर): ₹844.04 करोड़
2. कुल टर्नओवर(आईएनआर): कुल व्यवसाय ₹380040 करोड़ (कुल जमा राशियां: ₹ 213604 करोड़ + सकल अग्रिम ₹166436 करोड़)
3. कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर): ₹4674 करोड़ की हानि।
4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय (%): वर्ष के दौरान बैंक को हानि हुई है।
वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान सामुदायिक विकास में ₹645.77 लाख खर्च किया गया। इसका विवरण निम्नानुसार है:

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT- MARCH 2018

Allahabad Bank was founded in the year 1865 by a group of Europeans in the historic city of Allahabad. Today, it is one of India's oldest joint stock banks. The Bank's Head Office was shifted to Kolkata in 1923.

The Bank with its 151 branches was nationalized in 1969 with 13 major commercial banks to come under the ownership of Government of India. The Bank has undertaken strategic planning in order to strengthen financial foundation through both geographical and product diversification. In addition to 3245 branches across the length and breadth of India, the Bank has its overseas branch at Hong Kong.

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company : Not Applicable
2. Name of the Company : Allahabad Bank
3. Registered address : Allahabad Bank, Head Office, 2 NS Road, Kolkata - 700001
4. Website : www.allahabadbank.in
5. E-mail id : md@allahabadbank.in
6. Financial Year reported : 2017-18
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise) :

Financial Services, mainly banking

8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)
(1) Deposits (2) Advances (3) Ancillary services
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
 - i. Number of International Locations : Presently, the Bank has one branch in Hong Kong (China)
 - ii. Number of National Locations: Allahabad Bank has 8 Field General Manager Offices (FGMOs), 49 Zonal Offices, 3245 branches and 1105 ATMs as on 31st March 2018.
10. Markets served by the Company - National and International market as mentioned in point no 9 (i)
Both national and international markets with large branch network at national level.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR) : ₹844.04 crores
2. Total Turnover (INR) : Total Business : Rs 380040 crores, (Total Deposits : ₹213604 crores + Gross Advances : ₹166436 crores)
3. Total profit after taxes (INR) : Loss of ₹ 4674 crores
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%): The Bank has incurred losses during the year.
During FY18, expenditure of ₹ 645.77 lakh was incurred towards community development. The details are as under:

योजना/निधि Scheme/ Funds	राशि (लाख में)/ Amount (Rs. lakh)
21 आरसेटी और 19एफएलसी को वित्तीय सहायता Financial Assistance to 21 RSETIs & 19 FLCs	523.88
पिपुल्स फॉर एनिमल्स फंड में अंशदान Contribution to People For Animals Fund	2.00
राष्ट्रीय खेल विकास निधि में अंशदान Contribution to National Sports Development Fund	5.00
स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान Contribution to clean Ganga Fund	5.00
अग्रणी जिला में ऑलबैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना AllBank Girl Child Scholarship Scheme in Lead District	58.71
बैंगलोर में निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्वसेटी अकादमी में दान Donation to National Academy of RUDSETI (NAR) for Building at Bangalore	42.00
अलकाई ब्लॉक सांस्कृतिक और कल्याणकारी संघ (क्षेत्रप्रका पूर्व) Alkai Block Cultural & Welfare Association (FGMO East)	0.15
बायो क्रक्स रिवर्स वेंडिंग मशीन (देहरादून, क्षेत्रप्रका दिल्ली) Bio Crux Reverse Vending Machine (Dehradun, FGMO Delhi)	4.48
वुमेन हाइजीन (फॉर हर फाउंडेशन) क्षेत्रप्रका मध्य Women Hygiene (For HER Foundation) FGMO Central	2.00
सतना में कूड़ेदान की आपूर्ति Supply of Dustbin to Satna	1.60
झाड़ग्राम कला अकादमी में दान (मिदनापुर जोन) Donation to Jhargram Art Academy (Midnapore Zone)	0.50
खिदिरपुर जगन्नाथ मंदिर में 100 प्लास्टिक कुर्सी का दान Donation for 100 Plastic Chair to Kidderpore Jagannath Temple	0.45
कुल / TOTAL	645.77

खंड ग: अन्य विवरण

- क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं?
इलाहाबाद बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एकमात्र अनुषंगी ऑलबैंक फाइनांस लिमिटेड को 14.03.2018 से बैंक में विलय कर दिया गया है।
कंपनी के दो संयुक्त उद्यम हैं यथा
क) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
ख) असरेक
- क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर गतिविधियों में सहभागिता करती हैं? यदि हां तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या बताएं
नहीं
- क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरणार्थ सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर गतिविधियों में सहभागिता करती हैं? यदि हां, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें? (30% से कम, 30-60% 60% से अधिक)
नहीं

खंड घ: बीआर सूचना

- बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण
क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण
 - डीआईएन संख्या : 00160494
 - नाम: श्री एन.के.साहू
 - पदनाम: कार्यपालक निदेशक

Section C: Other Details

- Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?
The only wholly owned subsidiary of Allahabad Bank, AllBank Finance Ltd. has since been merged with the Bank w.e.f. 14.03.2018.
The company has two joint ventures viz.
 - Universal Sompo General Insurance Company
 - ASREC
- Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)
No
- Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with; participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]
No

Section D: BR Information

- Details of Director/Directors responsible for BR
 - Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies
 - DIN Number : 00160494
 - Name : Shri N. K. Sahoo
 - Designation : Executive Director

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

b) Details of the BR head

क्रम सं. S.No.	विवरण/ Particulars	ब्यौरा/Details
1.	डीआइएन संख्या(यदि प्रयोज्य हो) DIN Number (if applicable)	अप्रयोज्य Not Applicable
2.	नाम/Name	
3.	पदनाम/Designation	
4.	टेलीफोन नं. /Telephone number	033-2248 3597
5.	ईमेल आईडी/e-mail id	gmpd@allahabadbank.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां या नहीं में दें)

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

क्रम सं. S.No.	प्रश्न Questions	कारोबार नैतिकता Business Ethics	उत्पाद उत्तरदायित्व Product Responsibility	कर्मचारी कल्याण Wellbeing of Employees	शेयरधारक से संबद्धता एवं सीएसआर Stakeholder Engagement & CSR	मानवाधिकार Human Rights	पर्यावरण Environment	सार्वजनिक नीति Public Policy	सीएसआर CSR	ग्राहक संबंध Customer Relations
		पी/P 1	पी/P 2	पी/P 3	पी/P 4	पी/P 5	पी/P 6	पी/P 7	पी/P 8	पी/P 9
1.	क्या आपकी नीति/नीतियां हैं...? Do you have policy/policies for....?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
2.	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्दों में) Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है? यदि हां तो क्या इस पर एमडी/स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु कंपनी के बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है? Does the comp[any have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
6.	नीति को आनलाइन देखने हेतु इसका लिंक बताएं Indicate the link for the policy to be viewed online?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
7.	क्या नीति के बारे में सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक सूचना दी जाती है ? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है ? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y

9.	क्या नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु नीति/नीतियों से संबंधित कंपनी का कोई शिकायत निवारण तंत्र है ? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
10.	क्या कंपनी किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से नीति के कार्यान्वयन के संबंध स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराती है ? Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N

2. क. यदि क्रम संख्या 1 में किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' में है तो कारण स्पष्ट करें:
(दो विकल्पों तक चिह्न लगाएं)

2a. If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why:
(Tick up to 2 options)

क्रम सं. S.No.	प्रश्न Questions	पी P 1	पी P 2	पी P 3	पी P 4	पी P 5	पी P 6	पी P 7	पी P 8	पी P 9
1.	कंपनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई The company has not understood the Principles	अप्रयोज्य Not Applicable								
2.	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार कर कार्यान्वित कर सके। The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	कंपनी के पास इस कार्य हेतु कोई वित्तीय अथवा जनशक्ति स्रोत नहीं हैं The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	इसे अगले छह महीनों में कार्यान्वित करने की योजना है। It is planned to be done within next 6 months									
5.	इसे अगले एक वर्ष में कार्यान्वित करने की योजना है। It is planned to be done within the next 1 year									
6.	कोई अन्य कारण(कृपया विनिर्दिष्ट करें) Any other reason (please specify)									

3. बीआर से संबंधित गवर्नेंस

- कंपनी के बीआर कार्यानिष्ठादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएं। 3 माह के अंदर, 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक।

वार्षिक रूप से

- क्या कंपनी बीआर अथवा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपर लिंक क्या है? इसके प्रकाशन की बारंबारता क्या है?
कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करेगी और यह हाइपरलिंक www.allahabadbank.in पर उपलब्ध होगा।

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

Annually

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

The company would be publishing BR report as a part of Annual Report for 2017-18 and the same will be available under the hyperlink www.allahabadbank.in

खंड ड : सिद्धांत वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1: व्यवसाय का संचालन और अधिशासिता नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी तक सीमित है? हां/नहीं - हां
क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक है? - नहीं
2. विगत वित्तीय वर्ष में शेयरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण किया गया? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

वित्तीय वर्ष 18 के दौरान शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है

Section E: Principle-wise performance**Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability**

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/No. - Yes
Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs /Others? - No
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

The details of Complaints during FY 18 are as under:-

	वित्तीय वर्ष 18 के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Complaints pending at the beginning of the FY 18	वित्तीय वर्ष 18 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Complaints received during FY 18	वित्तीय वर्ष 18 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या Complaints resolved during	31.03.2018 को यथास्थिति लंबित शिकायतों की संख्या Complaints pending as on 31.03.2018
ग्राहक/Customers	211*	14476	14553	134
निवेशक/ Investors	01	277	278	Nil
कुल/ Total	212	14753	14831	134

हितधारकों को तत्पर और कारगर सेवा प्रदान करना सहज बनाने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष (सीजीआरसी) एवं निवेशक शिकायत कक्ष स्थापित किया है। ग्राहक, शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इन कक्षों से संपर्क कर सकते हैं।

* उल्लिखित स्थिति में इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक (एयूजीबी) की शिकायतें शामिल नहीं हैं।

सिद्धांत 2. व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हो और उनके पूरे जीवन चक्र तक निरंतरता प्रदान करें।

1. अपने तीन उत्पादों और सेवाओं की सूची बताएं जिनके डिजाइन में समाजिक अथवा पर्यावरणजन्य सरोकार, जोखिमों और/अथवा अवसरों को समाविष्ट किया गया है।
- क. ई-केवाईसी पद्धति के माध्यम से खाता खोला जाता है और ऑटो पॉपुलेशन सक्रिय है।
- ख. नए डिजिटल उत्पाद जैसे कि यूपीआई, माइक्रो एटीएम, एमपॉवर और आधार पे प्रारंभ किया गया है। बैंक के पास 9483 आउटलेट्स के साथ सुदृढ़ नेटवर्क है जो देश के ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए आईटी समर्थित ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।
- ग. हम एक बैंकिंग संस्थान हैं जो ऋण उत्पादों का व्यवसाय करता है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए छोटे बचत खातों में औरड्राफ्ट सुविधा और विभिन्न कृषि उत्पाद जो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सरोकारों से संबंधित हैं। हमारे उत्पाद समग्रतः समाज के लिए कोई जोखिम पैदा नहीं करते। अपितु हम तो मुद्रा, पीएमईजीपी, स्टैंड-अप इंडिया और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Customers' Grievances Redressal Cell (CGRC) and Shares & Bonds Department at its Head Office, Kolkata. Customers, Shareholders and investors may contact these Cells for any assistance.

* The position given is excluding complaints of Allahabad UP Gramin Bank (AUGB).

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
 - a. Account opening is enabled through e-KYC and auto population is live.
 - b. New Digital products like UPI, Micro ATM, emPower and Aadhar Pay have been launched. The Bank has a strong network of 9413 outlets providing IT enabled online banking facilities with special focus on rural and remote areas of country.
 - c. Ours is a Banking Institution dealing in credit products such as Kisan Credit Cards, Self Help Group, Overdraft to small savings accounts opened under PMJDY and various agri products, which directly address social concerns. Our products do not pose any risk to the society at large. Rather we help society by providing employment opportunity to unemployed persons through MUDRA, PMSGP, Stand-Up India and various other self employment schemes.

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद हेतु उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक)
 - i. पिछले वर्ष से पूरी मूल्य श्रृंखला में प्राप्त स्रोत/उत्पादन/वितरण में कमी।
सेवा संगठन होने के कारण यह खंड प्रयोज्य नहीं है।
 - ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा किए गए उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान हुई कमी
सेवा संगठन होने के कारण यह खंड प्रयोज्य नहीं है।
3. क्या स्रोतों की निरंतरता (ट्रांसपोर्टेशन सहित) हेतु कंपनी की कोई कार्यप्रणाली है?
 - i. यदि हां तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्रोत धारणीय था? साथ ही लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं।

वित्तीय संस्था हेतु अप्रयोज्य

4. क्या कंपनी ने उसके कार्यस्थल के आसपास स्थित समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाएं क्रय करने हेतु कोई कदम उठाएं हैं?
यदि हां तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
वित्तीय संस्था और सेवा संगठन होने के नाते स्थानीय और छोटे विक्रेताओं से माल और सेवाएं क्रय करने की संभावना सीमित है। बैंक एमएसएमई उधारकर्ताओं को अपने निवेश हेतु माइक्रो उद्यमों से मदद लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करता है।
5. क्या उत्पादों और अवशेष को रिसाइकिल करने हेतु कंपनी का कोई तंत्र है। यदि हां तो उत्पादों और अवशेष को रिसाइकिल करने का प्रतिशत क्या (पृथक रूप से यथा <5%, 5-10%, >10%) साथ ही लगभग 50 शब्दों में विवरण उपलब्ध कराएं।
अप्रयोज्य

सिद्धांत 3. व्यवसाय का संवर्धन सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए होना चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएं: **23967**
2. कृपया अस्थाई/संविदागत/दैनिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं: शून्य
3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं: **5057**
4. कृपया स्थाई विकलांग कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं: **661**
5. क्या प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संगठन है?
हां, इनमें से दो मान्यताप्राप्त हैं, एक अधिकारी से संबंधित हैं एवं दूसरा अवॉर्ड स्टाफ से संबंधित है।
6. स्थाई कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।
क. अवार्ड स्टाफ यूनियन: 70.04%
ख. अधिकारी एसोसिएशन 74.98%
7. पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल श्रमिक, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएं।

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

- i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
Being a service organization this section is not applicable
 - ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?
Being a service organization this section is not applicable.
3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?
- i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable for a Financial Institution

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local and small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Being a financial institution and a service organization, the scope to procure goods and services from local and small vendors is limited. The Bank encourages the MSME borrowers to source their inputs from micro enterprises.

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3 Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the Total number of employees : 23967
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis : Nil
3. Please indicate the Number of permanent women employees : 5057
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities : 661
5. Do you have an employee association that is recognized by management?
Yes, two of them are recognized; one pertaining to Officers and the other pertaining to Award Staff.
6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?
a. Award Staff Union : 70.04%
b. Officers' Association : 74.98%
7. Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

क्रम सं. Sl. No.	श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या No of complaints filed during the financial year	वित्तीय वर्ष के अंत में यथास्थिति लंबित शिकायतों की संख्या No of Complaints pending as on end of the financial year
1.	बाल श्रमिक/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी Child labour/forced Labour/involuntary labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2.	यौन उत्पीड़न / Sexual harassment	03	शून्य/NIL
3.	रोजगार में भेदभाव/ Discriminatory employment	शून्य/NIL	शून्य/NIL

8. आपके अंतर्गत वर्णित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षित किया गया?

- स्थाई कर्मचारी : 34.18%
- स्थाई महिला कर्मचारी : 25.23%
- अनियमित /अस्थायी /संविदागत कर्मचारी : शून्य
- विकलांग कर्मचारी : 18.46%

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety and skill up-gradation training in the last year?

- Permanent Employees : 34.18%
- Permanent Women Employees : 25.23%
- Casual/Temporary/Contractual Employees : Nil
- Employees with Disabilities : 18.46%

सिद्धांत 4: व्यवसाय सभी हितधारकों को विशेषकर वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवालों के हितों का सम्मान करने वाला और उनके प्रति अनुकूल होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हां/नहीं

हां, बैंक के हितधारकों में सरकार, निवेशक, बैंक के कर्मचारी और ग्राहक शामिल हैं।

2. उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवाले हितधारकों की पहचान की है।

बैंक अपने ग्राहकों को बीसीएसबीआई कोड के अनुसार सावधानीपूर्वक सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक ने वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवाले हितधारकों की पहचान की है। इन्हें मुख्यतः कमजोर वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2018 को यथास्थिति कमजोर वर्गों पर बकाया ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण का 15.79% था जो कमजोर वर्गों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जबकि भारतीय बैंक की नियामक अपेक्षा केवल 10% है।

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहने वाले हितधारकों को काम दिलाने के लिए कोई विशेष पहल की है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

- आरसेटी बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- एफएलसी ग्रामीण जनता को वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं।

Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes. The stake holders of the Bank include Government of India, Investors, and Employees and Customers of the Bank.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders?

The Bank is committed to serve its customers meticulously as per the BCSBI code. The Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. They are broadly classified as weaker section. Our special emphasis is evident from outstanding credit to weaker section as on 31.03.2018, which was 15.79% of Adjusted Net Bank Credit as against RBI's regulatory requirement of 10% only.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

- RSETIs provide vocational training to unemployed rural youth and women.
- FLCs are imparting financial literacy to rural masses.

सिद्धांत 5: व्यवसाय मानव अधिकारों के सम्मान और संवर्धन हेतु होना चाहिए

1. क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी को शामिल करती है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी है?

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

बैंक भारत के संविधान में उल्लिखित मानव अधिकारों से अवगत है और एसोसिएशनों की स्वतंत्रता और सामूहिक वार्ता का सम्मान करता है। बैंक मूल राष्ट्रीयता, नागरिकता, रंग, जाति, आस्था, धर्म, वंशक्रम, वैवाहिक स्थिति, लिंग, विकलांगता, उम्र, यौन अभिविन्यास, जन्मस्थान, सामाजिक स्तर या विधि द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निस्तारण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान ग्राहकों से कुल प्राप्त और निस्तारित शिकायतों की संख्या क्रमशः 14476 और 14553 है (पिछले वित्तीय वर्ष के शिकायतों सहित)। 99.09% निस्तारित

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान शेयरधारकों से कुल 277 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वित्तीय वर्ष 2018 के प्रारंभ में 1 शिकायत लंबित थी; और इन सभी 278 शिकायतों का वित्तीय वर्ष के दौरान संतोषजनक निस्तारण किया गया। 100% निस्तारित

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करनी चाहिए और इसे पुनःस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी है?
हां
2. क्या कंपनी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणजन्य मुद्दों के समाधान हेतु कोई रणनीति बनाई है/पहल की है? हां/नहीं। यदि हां तो वेबपेज आदि का हाइपर लिंक दें।
नहीं।
3. क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरणजन्य जोखिमों की पहचान और निर्धारण किया है? हां/नहीं
नहीं। तथापि बैंक अपने परिचालन स्थलों पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
4. क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। साथ ही यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है?

बैंक द्वारा शुरु की गई विभिन्न ग्रीन बैंकिंग पहलों में ई-केवाईसी पद्धति के माध्यम से खाता खोलना, पासबुक प्रिंटिंग से हटने के लिए ई-मेल के माध्यम से खाते का ई-विवरण लागू करना, आधार आधारित भुगतान समाधान, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) मोबाइल एप्लीकेशन कोर बैंकिंग साल्यूशन के अलावा, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम कार्ड हेतु ग्रीन पिन जनरेशन, एटीएम, बायोमेट्रिक एटीएम शामिल है और पेपरलेस बैंकिंग के संवर्धन हेतु शाखाओं में ई-लाबियां और स्टाफ और प्रशासनिक क्षेत्रों हेतु ई-गवर्नेंस भी शामिल है।

5. क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नालोजी, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में कोई अन्य पहल की है। हां/नहीं। यदि हां तो कृपया इस वेब पेज का हाइपर लिंक बताएं।
नहीं, तथापि बैंक अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाओं, बायोमास, छोटे जल और वायु शक्ति परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है ये सभी परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं।
6. क्या वित्त वर्ष हेतु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining. The Bank does not discriminate on the basis of national origin, citizenship, color, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the law.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

The total number of customer complaints received and redressed during FY18 was 14476 and 14553 (including spill-over complaints of the previous financial year) respectively. Resolved 99.09%

Number of investors' complaints received during FY18 was 277 and 1 complaint was pending at the beginning of FY18; and all 278 complaints were resolved satisfactorily during the financial year itself. Resolved 100%

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.
Yes
2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.
No
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N
No. However, the Bank is committed to reducing its carbon footprint at its places of operation.
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include Account opening through e-KYC methodology, e-statement of account through e-mail introduced to do away Passbook printing, Aadhaar based payment solution, Unified Payment Interface (UPI) Mobile Application apart from core banking solution, Green PIN generation for ATM Cards through Internet Banking, ATMs, biometric ATM, and e-lobbies in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.
No. However the Bank has financed many Solar Power projects, Biomass, Small Hydro and Wind Power projects, all of which are renewable energy projects.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company

अंदर कंपनी द्वारा किए गए उत्सर्जन/कचरे के संबंध में रिपोर्ट की जा रही है?

बैंक सेवा आधारित संगठन है अतः सीपीसीबी /एसपीसीबी इसमें प्रयोज्य नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात् संतोषजनक ढंग से निस्तारित न किए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिसों की संख्या।

अप्रयोज्य

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब प्रभावकारी सार्वजनिक और विनियामक नीति से संबद्ध हो तो जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं का नाम दें जिनके साथ आप कारोबार करते हैं।

बैंक निम्नलिखित का सदस्य है

क. भारतीय बैंक संघ(आईबीए)

ख. एसोचेम

ग. कान्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई)

घ. इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी)

ङ. एमसीसी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

च. बंगाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

2. क्या आपने सार्वजनिक माल में उन्नति या सुधार हेतु उक्त एसोसिएशनों के माध्यम से वकालत/लाबी की है? हां/नहीं यदि हां तो व्यापक क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें (झाप बाक्स, गवर्नेंस एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

समय-समय पर आईबीए से प्राप्त दिशानिर्देशों का बैंक द्वारा समुचित अनुपालन किया जाता है।

सिद्धांत 8: व्यवसाय को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम:पहल/परियोजनाएं हैं यदि हां तो उसका विवरण दें।

किसी भी देश का विकास तब तक अधूरा है जब तक वह समावेशी नहीं है और समाज के वंचित वर्ग को शामिल नहीं करता। बैंक अपनी विभिन्न पहलों से इन वर्गों तक पहुंचने और इन्हें बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की परिधि में लाने का प्रयास कर रहा है।

- बैंक ने सक्रिय रूप से वित्तीय समावेशन को संवर्धित किया है और 17732 ऑबिटत ग्रामों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4355 (उप सेवा क्षेत्रों-एसएसए) कियोस्क और शहरी क्षेत्रों में 708 कियोस्क द्वारा कवर किया है ताकि अपने छह सेवा प्रदाताओं, जो व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, के माध्यम से समाज के बैंक रहित, वंचित और अल्पसुविधा वाले वर्ग तक पहुंच बनाई जा सके।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को 24x7 आनलाइन इंटरआपरेबल फिक्स्ड प्वाइंट कियोस्क के माध्यम से बैंक मित्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- पीएमजेडीवाई योजना और बीएसबीडी खाते खोलने के अंतर्गत हमारे कमान क्षेत्र में सभी परिवारों को समाविष्ट किया गया है।
- 31.03.2018 तक बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कुल 75.98 लाख खाते खोले जो ₹2137.90 करोड़ शेष सहित 99.46% सक्रिय खातों के साथ सभी बैंकों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

The Bank is a service based organization and hence the CPCB/ SPCB is not applicable to it.

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as end of Financial Year.

Not applicable

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

The Bank is a member of:

- Indian Banks' Association (IBA)
 - ASSOCHAM
 - Confederation of Indian Industries (CII)
 - Indian Chambers of Commerce (ICC)
 - MCC Chamber of Commerce and Industry
 - Bengal National Chamber of Commerce and Industry
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

Guidelines received from IBA from time to time are followed meticulously by the Bank.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

Development in any country is incomplete if it is not inclusive and does not cover the underprivileged strata of the society. Banks through its various initiatives are striving to reach and bring these sections into the fold of basic banking services.

- The Bank has actively promoted financial inclusion programme and has covered 17732 allocated villages mapped to 4355 (Sub Service Areas-SSAs) Kiosks in Rural areas and 708 Kiosks in urban areas to reach the unbanked, deprived, underprivileged segment of the society through its Six Service Providers who engage Business Correspondents.
- Financial Inclusion programme is being implemented by Bank Mitras through 24 x7 online interoperable fixed point kiosks.
- All the households in our command area have been covered under PMJDY scheme and opening BSBD Accounts.
- Bank has opened a total of 75.98 lac accounts under PMJDY up to 31.03.2018, securing First Rank amongst all banks at 99.46% active accounts with balance of Rs. 2137.90 crores.

- बैंक ने बैंक मित्र केन्द्रों पर डिजिटल उत्पादों के साथ-साथ बैंक देयताओं की वसूली सहित बहुतायत जमा उत्पाद जैसे कि एसबी, आरडी और एफडी प्रस्तुत कर वित्तीय समावेशन और डिजिटलाइजेशन में गहरी पैठ बनाई है जिससे बैंक मित्र मॉडल की दृढ़ता बढ़ी है। वित्तीय समावेशन जमाएं ₹4676.69 करोड़ तक बढ़ी है जो वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान 90.05% की वृद्धि है।
 - 31.03.2018 तक किए गए आईपीएस लेनदेन की संख्या 411,18,842 रही।
 - 31.03.2018 को यथास्थिति पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आधार सीडीड खातों की संख्या 66.05 लाख तक पहुंच गई जो कुल पीएमजेडीवाई खातों का 86.93% है जबकि उद्योग औसत लगभग 78.00% है। जहां आधार नंबर उपलब्ध है वहां सभी पीएमजेडीवाई खातों में आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है।
 - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः व्यक्तिगत दुर्घटना और किसी प्रकार से मृत्यु होने पर कवरेज हेतु 28.11 लाख जनसंख्या को पीएमएसबीवाई के अंतर्गत और 8.09 लाख को पीएमजेडीवाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। अल्प पेंशन हेतु एपीवाई (अटल पेंशन योजना) वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो गुणा बढ़कर 2.29 लाख सब्सक्रिप्शन हो गया है जो लगभग 95% बैंक मित्रों द्वारा संग्रह किया गया है।
 - बैंक 20 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और 5063 समर्पित बैंक मित्र चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार कर रहा है।
 - बैंक मुख्यतः हमारे अग्रणी जिलों में स्थित 21 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और उनकी उत्पादकता और रोजगार क्षमता को उन्नत कर रहा है।
 - बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण में सक्रिय योगदान कर रहा है।
2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/स्वयं के फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/ सरकारी तंत्र/किसी अन्य संगठन द्वारा किए जाते हैं?
- आरसेटी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और एफएलसी/बैंक मित्र चैनल के माध्यम से वंचित लोगों की सहायता करने के अलावा बैंक ने दो समाजोन्मुख योजनाओं अर्थात् अग्रणी जिलों में आलबैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना और अग्रणी जिलों के सरकारी विद्यालयों में विद्युत पंखों को उपलब्ध कराने की योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों की मदद की है।
3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का निर्धारण किया है ?
- बैंक की पहुंच बढ़ने के कारण कम लागत की जमा राशियों के संग्रहण में बैंक मित्रों का योगदान उल्लेखनीय रहा।
 - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना बैंक में सफलतापूर्वक लागू की गई।
 - बैंक की पहल के त्वरित प्रभाव का निर्धारण इसके प्रभाव क्षेत्र और बड़ी संख्या में अर्ध साक्षर व्यक्तियों द्वारा पूरे विश्वास के साथ बैंक खातों का परिचालन किए जाने से स्पष्ट है। आरसेटी द्वारा दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से बड़ी संख्या में (विशेषकर महिलाएं) उद्यमी बन गई हैं और उनमें से अधिकांश ने सफलतापूर्वक बैंक ऋण प्राप्त किया है।
4. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है। राशि भारतीय रुपए में और शुरु की गई परियोजनाओं का ब्योरा।
- वित्तीय वर्ष 18 के दौरान सामुदायिक विकास में ₹645.77 लाख खर्च किया गया। इसका विवरण निम्नानुसार है:
- Bank has embraced Deepening of Financial Inclusion & Digitalization process by offering Plethora of Deposit Products like SB, RD & FD at Bank Mitra points along with Recovery of Bank's Dues and with Digital Products the sustainability of Bank Mitra Model has been increased. The FI deposits have surged to Rs. 4676.69 crores, registering 90.05% growth during the FY18.
 - The number of cumulative AEPS transactions taken place up to 31st March 2018 stood at 411,18,842.
 - The number of total Aadhaar seeded accounts under PMJDY reached 66.05 lac as on 31.03.2018 which was 86.93 % of total PMJDY accounts, against the industry average of 78% approximately. Aadhaar seeding has been completed in all PMJDY accounts where Aadhaar number is available.
 - Under Social Security Schemes, 28.11 lakh populations have been covered under PMSBY and 8.09 lakh under PMJJBY for coverage against Personal accident and any other casualty respectively. The APY (Atal Pension Yojana) for Micro Pension has been increased two fold in FY 2017-18 to 2.29 Lakh No of Subscription primarily due to almost 95% mobilization by Bank Mitras.
 - Bank is spreading awareness about banking among the villagers through 20 Financial Literacy Centers (FLCs) and 5063 dedicated Bank Mitra channel.
 - Bank is imparting vocational training to rural women and youth and improving their productivity and employability through our 21 Rural Self Employment Training Institutes spread mostly in our lead districts.
 - The Bank is actively associated with financing under various governments sponsored schemes.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?
- Apart from providing vocational training to village youth through RSETIs and helping underprivileged through FLCs/ Bank Mitra Channel, the Bank has helped school children through its two socially oriented programmes viz. 'All Bank Girl Child Scholarship Scheme in Lead Districts' and 'Scheme for providing Electric Fans in Govt. Schools of Lead Districts'.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?
- Due to improved outreach, contribution by Bank Mitras for mobilization of low cost deposits has been phenomenal.
 - Direct Benefit Transfer scheme has already been rolled out and gained momentum in the Bank.
 - A quick impact assessment of Bank's initiatives is evident from a larger number of semi-literate/illiterate customers are now confidently operating their Bank accounts. The vocational trainings given by the RSETIs have allowed large numbers of youth (especially women) to become entrepreneurs and most of them have also successfully availed bank credit.
4. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken?
- During FY18, expenditure of ₹ 645.77 lakh was incurred towards community development. The details are as under:

योजना/निधि Scheme/ Funds	राशि (लाख में) Amount (Rs. lakh)
21 आरसेटी और 19 एफएलसी को वित्तीय सहायता Financial Assistance to 21 RSETIs & 19 FLCs	523.88
पिपुल्स फॉर एनिमल्स फंड में अंशदान Contribution to People For Animals Fund	2.00
राष्ट्रीय खेल विकास निधि में अंशदान Contribution to National Sports Development Fund	5.00
स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान Contribution to clean Ganga Fund	5.00
अग्रणी जिला में ऑलबैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना AllBank Girl Child Scholarship Scheme in Lead District	58.71
बैंगलूर में निर्माण हेतु राष्ट्रीय रूडसेटी अकादमी में दान Donation to National Academy of RUDSETI (NAR) for Building at Bangalore	42.00
अलकाई ब्लॉक सांस्कृतिक और कल्याणकारी संघ (क्षेत्रप्रका पूर्व) Alkai Block Cultural & Welfare Association (FGMO East)	0.15
बायो क्रक्स रिवर्स वेंडिंग मशीन (देहरादून, क्षेत्रप्रका दिल्ली) Bio Crux Reverse vending Machine (Dehradun, FGMO Delhi)	4.48
वुमेन हाइजीन (हर फाउंडेशन हेतु) क्षेत्रप्रका मध्य Women Hygiene (For HER Foundation) FGMO Central	2.00
सतना में कूड़ेदान की आपूर्ति Supply of Dustbin to Satna	1.60
झाड़ग्राम कला अकादमी में दान (मिदनापुर जोन) Donation to Jhargram Art Academy (Midnapore Zone)	0.50
खिदिरपुर जगन्नाथ मंदिर में 100 प्लास्टिक कुर्सी का दान Donation for 100 Plastic Chair to Kidderpore Jagannath Temple	0.45
कुल/ TOTAL	645.77

5. आपने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।
- हमारे अग्रणी बैंक कक्ष, बैंक द्वारा की गई उपर्युक्त पहल की प्रगति और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इन पर नजर रखते हैं कि उक्त पहल से वांछित सामाजिक बदलाव आए। अग्रणी बैंक से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हम अपनी सामुदायिक पहल में समुचित रूप से संशोधन करते हैं। बैंक एसएलबीसी/सरकार की वार्षिक कार्य योजना में सहभागिता करता है।

सिद्धांत 9: व्यवसाय को चाहिए कि यह अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से मान दे।

- वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत क्या है?
वित्तीय वर्ष 18 के अंत में 0.91% (134) ग्राहक शिकायतें लंबित थी।
- क्या कंपनी उत्पाद लेवल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है जो स्थानीय विधि के अनुसार अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त हो? हां/ नहीं/अप्रयोज्य/अभ्युक्तियां (अतिरिक्त सूचना)
बैंक द्वारा प्रस्तुत उत्पाद और सेवाओं के बारे में सूचना पम्फलेट और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध है और इसे बैंक की वेबसाइट (www.allahabadbank.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।
- क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार परिपाटी/गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और/ अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कोई मामला दायर किया है और जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हो। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। शून्य।
- क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान जानने का कार्य किया है? हां।

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Our Lead Bank Cells (LBCs) track the progress and effect of the aforesaid social initiative taken by the Bank to ensure that the same are bringing about the desired social changes. Depending upon the feedback from LBCs, we suitably modify our community development initiatives. The Bank participates in annual action plan of SLBC/ Government.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

- What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?
0.91% (134) customer complaints were pending at the end of FY18.
- Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)
Yes. The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and are also made available in the Bank's website (www.allahabadbank.in).
- Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so. NIL
- Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends? Yes.

**31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु (समेकित)
बासेल-III की संरचना के अंतर्गत स्तम्भ-III प्रकटीकरण
बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचना प्रयोज्य है
इलाहाबाद बैंक**

सारणी डीएफ-1	प्रयोज्यता की संभावना
---------------------	------------------------------

(I). गुणात्मक प्रकटीकरण

ए. समेकन हेतु विचार किए गए संस्थाओं के समूह की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश	समेकन की लेखा संभावना के अंतर्गत समावेशन	समेकन की पद्धति	समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत समावेशन	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	समेकन की किसी एक संभावना के अंतर्गत समेकन किया गया है, तो उसका कारण
मै असरेक (इंडिया) लि. (भारत)	हां	एस 21 के अनुसार समेकित	हां	एस 21 के अनुसार समेकित	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एस 21 के अनुसार समेकित	हां	एस 21 के अनुसार समेकित	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
मै. युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कं. लि.	हां	एस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	एस 21 के अनुसार समेकित	अप्रयोज्य	विनियामक दिशानिर्देश

बी. लेखा और विनियामक समेकन की दोनो संभावनाओं के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई संस्थाओं के समूह की सूची
लेखा और विनियामक समेकन की दोनो संभावनाओं के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई संस्थाओं का कोई समूह नहीं है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

सी. समेकन हेतु विचार किए गए समूह संस्थाओं की सूची

(₹ मिलियन में)

संस्था का नाम	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल तुलनपत्र आस्तितां (लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)
असरेक (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	980	1,885
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	619	1,21,335

डी: सभी अनुषंगी कंपनियों में पूंजी विसंगतियों की कुल राशि जिसे समेकन विनियामक संभावना में शामिल नहीं किया गया है
किसी अनुषंगी कंपनी में पूंजी विसंगतियां नहीं हैं, जिसे समेकन विनियामक संभावना में शामिल नहीं किया गया है।

ई: बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है।

संस्था का नाम/निगमन का देश	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल इक्विटी/मताधिकार के अनुपात में बैंक का धारण %	जोखिम भारित पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति के प्रयोग में विनियामक पूंजी का परिमाणात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा	3682	28.52%	सीआरएआर में 5 बीपीएस की कमी

**एफ: बैंकिंग समूह के अंतर्गत निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधा: बैंकिंग समूह के अंतर्गत निधियों के अंतरण
अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधा नहीं है।**

CONSOLIDATED DISCLOSURES UNDER BASEL-III CAPITAL REGULATIONS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

1. SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the banking group to which the framework applies: ALLAHABAD BANK

TABLE DF – 1	SCOPE OF APPLICATION
--------------	----------------------

(I). Qualitative Disclosures

A: List of group entities considered for consolidation

Name of the entity [Country of incorporation]	Inclusion under accounting scope of consolidation	Method of consolidation	Inclusion under regulatory scope of consolidation	Method of consolidation	Reasons for difference in method of consolidation	Reasons for consolidation under only one of the scope of consolidation
ASREC (India) Ltd. [India]	Yes	Consolidated in accordance with AS21	Yes	Consolidated in accordance with AS21	Not Applicable	Not Applicable
Allahabad UP Gramin Bank [India]	Yes	Consolidated in accordance with AS21	Yes	Consolidated in accordance with AS21	Not Applicable	Not Applicable
Universal Sompo General Insurance Company Limited [India]	Yes	Consolidated in accordance with AS21	No	Not Applicable	Not Applicable	Regulatory guidelines

B: List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.
There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(II) Quantitative Disclosures

C: List of Group Entities Considered for Consolidation

(₹ in Millions)

Name of the entity	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	Total balance sheet assets (as per accounting balance sheet)
ASREC (India) Ltd.	Asset Recovery Company	980	1,885
Allahabad UP Gramin Bank	Banking	619	1,21,335

D: The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation: There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

E: The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

(₹ in Millions)

Name of the insurance entity	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	Bank's holding in the total equity or proportion of voting power (%)	Quantitative impact of regulatory capital of using risk weighting methods versus using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance Company Limited	General Insurance	3,682	28.52%	Improvement in CRAR by 6 basis point

F: Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

पूँजी पर्याप्तता

- बैंक को भारिबैं द्वारा इसके बासेल।।। संबंधी मास्टर परिपत्र के तहत निर्धारित पूँजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अध्यधीन रखा गया है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति न्यूनतम 5.5% कामन इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) (सीसीबी सहित 8%) के साथ 9% { पूँजी कंजर्वेशन बफर(सीसीबी) सहित 11.5% } के जोखिम भारित आस्ति अनुपात(सीआरएआर) में न्यूनतम पूँजी बनाए रखे। बासेल।।। संबंधी इन दिशानिर्देशों को 1 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया गया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक द्वारा अनुरक्षित किए जाने हेतु अपेक्षित न्यूनतम पूँजी अपेक्षा 7.375 % कामन इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) सहित 10.875% है (1.875% के सीसीबी सहित)
- बैंक जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु निश्चित पूँजी बनाए रखने हेतु एवं किसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम के सापेक्ष गुंजाइश रखने के लिए नियमित रूप से अपनी पूँजी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करता है जिससे सभी हितधारकों का हित सुरक्षित रह सके। बैंक भविष्य में अपनी गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु अपेक्षित पूँजी की समीक्षा के लिए वार्षिक आधार पर पूँजी नियोजन का कार्य करता है। साथ ही, सभी जोखिम का व्यापक रूप से निदान करने और आवश्यक अतिरिक्त पूँजी बनाए रखने हेतु बैंक की सुपिरभाषित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) है।
- बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की गणना हेतु हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन दृष्टिकोण को अपनाया है।
- 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति, ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम हेतु बैंक की पूँजी अपेक्षा का सार और पूँजी पर्याप्तता अनुपात नीचे प्रस्तुत है:

(₹ मिलियन में)

क्रम संख्या	विभिन्न जोखिमों हेतु पूँजी अपेक्षाएं	पूँजी अपेक्षा *
ए	ऋण जोखिम	126,099
ए 1	अप्रतिभूत पोर्टफोलियो हेतु	126,099
ए 2	प्रतिभूत पोर्टफोलियो हेतु	-
बी	बाजार जोखिम	15,459
बी 1	ब्याज दर जोखिम हेतु	10,546
बी 2	इक्विटी जोखिम हेतु	4,833
बी 3	विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु (स्वर्ण सहित)	81
बी 4	जिन्स जोखिम हेतु	-
बी 5	आप्लान जोखिम हेतु	-
सी	परिचालन जोखिम	16,187
सी 1	मूल संकेतक दृष्टिकोण	16,187
सी 2	मानकीकृत दृष्टिकोण यदि प्रयोज्य हो	-
डी	कुल पूँजी अपेक्षा	157,746

*पूँजी अपेक्षा की गणना जोखिम भारित आस्ति के 10.875% पर की गई है।

विवरण	एकल	समेकित
सामान्य इक्विटी टीयर 1(सीईटी 1)	5.57%	5.71%
टीयर 1 सीआरएआर	6.69%	6.83%
कुल सीआरएआर	8.69%	8.83%

TABLE DF – 2

CAPITAL ADEQUACY

CAPITAL ADEQUACY

- The Bank is subject to the capital adequacy guidelines stipulated by RBI vide its master circular on Basel-III. As per the said guidelines, the Bank is required to maintain a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of 9% {11.5% including Capital Conservation Buffer (CCB)}, with minimum Common Equity Tier I (CET1) of 5.5% (8% including CCB) as on 31st March 2019. These guidelines on Basel III have been implemented since 1st April 2013 in a phased manner. The minimum capital required to be maintained by the Bank for the year ended 31st March 2018 is 10.875% with minimum Common Equity Tier 1 (CET1) of 7.375% (including CCB of 1.875%)
- The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and to cushion against the risk of losses against any unforeseen events so as to protect the interest of all stakeholders. The Bank conducts exercise of Capital Planning on an annual basis to review the capital required to carry out its activities smoothly in the future. Also, the Bank has well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under which the Bank also assesses the adequacy of capital under stress to comprehensively assess all risks and maintain necessary additional capital.
- The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR, as per the guidelines of RBI.
- A summary of the Bank's capital requirement for credit, market and operational risk and the capital adequacy ratio as on 31st March 2018 is presented below:

(Amount ₹ in Million)

S.No.	Capital Requirements for Various Risks	Capital Requirement*
A	CREDIT RISK	126,099
A.1	For non- securitized portfolio	126,099
A.2	For Securitized portfolio	-
B	MARKET RISK	15,459
B.1	For Interest Rate Risk	10,546
B.2	For Equity Risk	4,833
B.3	For Forex Risk (including gold)	81
B.4	For Commodities Risk	-
B.5	For Options risk	-
C	OPERATIONAL RISK	16,187
C.1	Basic Indicator Approach	16,187
C.2	Standardized Approach if applicable	-
D	TOTAL CAPITAL REQUIREMENT	157,746

*Capital requirement is computed at 10.875% of RWA.

Particulars	Standalone	Consolidated
Common Equity Tier I (CET I)	5.57%	5.71%
Tier 1 CRAR	6.69%	6.83%
Total CRAR	8.69%	8.83%

3. ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

ए. जोखिम प्रबंधन: उद्देश्य और संगठन संरचना

ए.1. बैंक कारगर रूप से जोखिमों की पहचान, मापन, नियंत्रण, निगरानी और रिपोर्ट करता है। बैंक की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के प्रमुख पैरामीटर बोर्ड अनुमोदित नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर जोखिम अभिशासन संरचना, व्यापक प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर निर्भर करता है।

बी. बैंक की संरचना और प्रणालियाँ

बी.1. बैंक ने मुख्य जोखिम अधिकारी को नियुक्त किया है जो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करता है।

बी.2. विशेष रूप से बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों का सर्वेक्षण और समन्वय करने हेतु जोखिम प्रबंधन समिति(आरएमसी) नामक निदेशक मंडल की एक उप-समिति गठित की गई है।

बी.3. ऋण नीति सहित विभिन्न ऋण जोखिम रणनीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों की निगरानी हेतु कार्यपालकों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।

सी. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को उधार, व्यापार, समझौते या अन्य वित्तीय लेनदेनों के संबंध में उत्पन्न प्रतिबद्धताओं को उधारकर्ता अथवा प्रतिपक्षकारों द्वारा पूरा करने की असमर्थता या अनिच्छा के कारण स्पष्ट रूप से चूक करने से उत्पन्न उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षकारों द्वारा चूक करने या ऋण गुणवत्ता में अवमूल्यन से संबद्ध संभावित हानि अथवा उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणवत्ता में वास्तविक अथवा मानी गई गिरावट से उत्पन्न पोर्टफोलियों के मूल्य में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऋण जोखिम व्यक्तियों, गैर-कारपोरेट, कारपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अधिराज्य के साथ बैंक के लेनदेन से उत्पन्न होता है

डी. बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

डी.1. बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुव्यवस्थित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति दस्तावेज संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्व तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं जिसके माध्यम से बैंक को होने वाले ऋण जोखिमों की पहचान, आकलन करने में मदद मिलती है और उनका प्रबंधन उस संरचना के अंतर्गत किया जाता है जिसे बैंक अपने अधिदेश एवं जोखिम वहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त समझता है।

डी.2. बैंक द्वारा खातावार ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं/एक्सपोजर कैप के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाती है और ऋण जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने हेतु आंतरिक दक्षता विकसित की जाती है।

डी.3. उत्तम ऋण जोखिम प्रबंधन परिपाटियाँ विकसित करने हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति वसूली नीति, वसूली प्रबंधन नीति आदि भी हैं जो ऋण जोखिम की निगरानी के अभिन्न अंग हैं और विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का विशेष रूप से भारिबै/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के निवेश मानदंडों, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों, आय अभिज्ञान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

डी.4. इसके अतिरिक्त बैंक की ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है जिसमें बैंक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित किए गए हैं। ये प्रतिभूतियाँ उस ऋण जोखिम के विरुद्ध उपशमन के रूप में कार्य करती हैं जिसमें बैंक एक्सपोज्ड हो।

ई. ऋण मूल्यांकन /आंतरिक रेटिंग :

ई.1. बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक उधारकर्ता एवं संविभाग स्तर पर जोखिमों के सतत मापन एवं निगरानी के माध्यम से करता है। बैंक के पास एक सशक्त आंतरिक क्रेडिट रेटिंग संरचना और सुव्यवस्थित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रणाली है।

ई.2. आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेडिंग मॉड्यूल में प्रबंधन जोखिम से संबंधित परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मुद्दे, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम एवं परियोजना जोखिम शामिल हैं। बाजार स्थितियों के आधार पर उद्योग जोखिम के आँकड़े निरंतर अद्यतन किये जाते हैं।

ई.3. प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की समीक्षा की जाती है। सशक्त ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर संस्वीकृत ऋण प्रस्तावों हेतु त्रिस्तरीय क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया और मंडलीय कार्यालय/शाखा स्तर पर संस्वीकृत प्रस्तावों हेतु क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया की द्विस्तरीय प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभाग से इतर रेटिंग की वैधता (तीसरा चरण) शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के मामले में रेटिंग की वैधता जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है।

ई.4. बैंक ऋणों की संस्वीकृति हेतु सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का अनुसरण करता है। मंडलीय कार्यालय, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर अनेक समितियाँ गठित की गई हैं। मंडल प्रमुख, समप्र/उमप्र की अध्यक्षता में जैडएलसीसी समप्र/उमप्र/मप्र, क्षेत्र महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एफजीएमएलसीसी, मप्र महाप्रबंधक (ऋण) की अध्यक्षता में एचएलसीसी मप्र, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एचएलसीसी कानि, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में सीएसी और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में एमसीबीओडी (बोर्ड की प्रबंधन समिति)। विनिर्दिष्ट कट-ऑफ से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रबंध

3. CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURE**A. RISK MANAGEMENT: OBJECTIVES AND ORGANISATION STRUCTURE**

A.1. The Bank identifies, measures, control, monitor and report risks effectively. The key parameters of the Bank's risk management activities rely on the risk governance architecture, comprehensive processes and internal control mechanism based on Board approved policies and guidelines.

B. ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK

B.1. The Bank has nominated Chief Risk Officer, who reports to the Managing Director and CEO.

B.2. A Sub-Committee of Board of Directors termed as Risk Management Committee (RMC) has been constituted to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.

B.3. A Credit Risk Management Committee of executives has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policy and to monitor Bank's Risk Management functions on a regular basis.

C. CREDIT RISK

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with default by or diminution in the credit quality of Borrowers or Counterparties arising from Outright default due to inability or unwillingness of a borrower or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions; or Reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality of borrowers or counterparties. Credit Risk emanates from a bank's dealings with an individual, non-corporate, corporate, bank, financial institution or sovereign.

D. BANK'S CREDIT RISK MANAGEMENT POLICY

D.1. The Bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organizational structure, role and responsibilities and the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified, managed and controlled within the framework which the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance limits.

D.2. Credit Risk is monitored by the Bank account wise and compliance with the risk limits / exposure cap approved by the Board is ensured. The quality of internal control system is also monitored and in-house expertise has been built up to tackle all the facets of Credit Risk.

D.3. The Bank has taken earnest steps to put in place best Credit Risk Management practices. In addition to Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Board approved Lending Policy, Investment Policy, Country Risk Management Policy, Recovery Management Policy etc. which form integral part in monitoring of credit risk and ensures compliance with various regulatory requirements, more particularly in respect of Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Statutory Authorities.

D.4. Besides, the Bank has also put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interests of the Bank. These securities act as mitigants against the credit risk to which the Bank is exposed.

E. CREDIT APPRAISAL / INTERNAL RATING

E.1. The Bank manages its credit risk by continuously measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has robust internally developed credit risk grading / rating modules and well-established credit appraisal / approval processes.

E.2. The internal risk rating / grading modules capture quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.

E.3. The rating for every borrower is reviewed. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a four tier system of credit rating process for the loan proposals sanctioned at Head Office Level, three tier system at FGM office/ Zonal Office level and two tier system at Branch level which includes validation of rating independent of credit department. For the proposals falling under the powers of Bank's Head Office, the validation of ratings is done at Risk Management Department.

E.4. The Bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Various committees have been formed at ZO, FGMO & HO Level. ZLCC AGM/DGM/GM headed by Zonal Head, FGMLCC headed by Field General Manager, HLCC GM headed by GM (Credit), HLCC ED headed by ED (Executive Director), CAC headed by MD & CEO and MCBOD (Management Committee of the Board) headed by MD& CEO. A structure named New Business Group (NBG) headed by MD& CEO has been constituted at Head Office level for considering in-principle

निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तर पर नया व्यवसाय समूह (एनबीजी) नामक संरचना का गठन किया गया है।

एफ. पिछला देय और हासित की परिभाषा (लेखा प्रयोजन हेतु)

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का पालन करता है जिसका सारांश निम्नानुसार है

एफ.1. अनर्जक आस्तियां

पट्टाकृत आस्ति सहित कोई आस्ति तब अनर्जक हो जाती है जब यह बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है।

ऋण अथवा अग्रिम में अनर्जक आस्तियां वे हैं जहां

- I. मीयादी ऋण के संबंध में जहां ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि हेतु अतिदेय रहती है।
- II. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिनों तक अनियमित रहता है जैसा की नीचे उल्लिखित है।
 - क. यदि नियमित/ तदर्थ सीमाओं का नवीकरण/समीक्षा नवीकरण/समीक्षा अथवा तदर्थ सीमा की संस्वीकृति से 180 दिनों के अंदर नहीं की जाती।
 - ख. यदि स्टॉक विवरण लगातार 90 दिनों की अवधि हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाते और लगातार 90 दिनों तक ऐसे अनियमित आहरण पर सीमाओं/आहरण की अनुमति दी जाती है
- III. क्रय किए गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहते हैं।
- IV. अल्पावधि फसलों हेतु बकाया तिथि के बाद मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अदत्त रहता है।
- V. दीर्घावधि फसलों हेतु बकाया तिथि के बाद मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसल मौसम तक अदत्त रहता है।
- VI. दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में लिक्विडिटी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है।
- VII. किसी खाते को केवल तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर पूर्णतया जमा नहीं हो जाता।

एफ. 2. अनियमित(आउट ऑफ ऑर्डर) स्थिति

किसी खाते को “अनियमित” तब माना जाता है यदि बकाया शेष लगातार संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक बना रहे। उन मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो या तुलनपत्र की तिथि से 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं हुआ हो अथवा जमा की गई राशि उस अवधि के दौरान नामे लिखी गई राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खातों को “अनियमित” माना जाता है।

एफ.3. अतिदेय

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय हो जाती है जब बैंक द्वारा निर्धारित की गई अवधि के दौरान उसका भुगतान नहीं किया जाता।

एफ.4. अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज/मूलधन बकाया में है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय को गणना में नहीं लेता और निवेश के मूल्य में हुए ह्रास हेतु समुचित प्रावधान करता है।

अनर्जक अग्रिमों(एनपीए) की भांति अनर्जक निवेश(एनपीआई) वह होता है जहां:

- I. ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहती है।
- II. यह आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिमानी शेयरों पर लागू होता है जहां तय लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता।
- III. इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु.1 प्रति कंपनी है तो इन शेयरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है।
- IV. बैंक की बहियों में निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा एनपीए है, उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी किन्ही प्रतिभूतियों में निवेश एनपीआई और विलोमतः होता है।
- V. डिबेंचरों/बांड में निवेश, जिन्हें अग्रिम स्वरूप का माना जाना है, निवेशों पर यथाप्रयोज्य एनपीआई मानकों के अधधीन हैं।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए. सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	एक्सपोजर का प्रकार	घरेलू (बकाया)	विदेशी (बकाया)	कुल
1.	निधि आधारित	1,918,965	110,479	2,029,444
2.	गैर-निधि आधारित	289,842	98	289,940
3.	कुल	2,208,807	110,577	2,319,384

* निधि आधारित एक्सपोजर में अग्रिम पोर्टफोलियो शामिल है जबकि गैर-निधि आधारित एक्सपोजर में बैंक गारंटी और साख पत्र के कारण एक्सपोजर शामिल है।

approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off point.

F. DEFINITION OF PAST DUE AND IMPAIRED (FOR ACCOUNTING PURPOSES)

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

F.1. NON-PERFORMING ASSETS

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- I. Either Interest and/ or installment of principal dues remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- II. The account remains 'out of order' for 90 days as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
 - a. If the regular/ad-hoc limits are not reviewed/ renewed within 180 days from the due date of review/renewal or sanctioning of adhoc limit,
 - b. If the stock statements are not submitted continuously for a period of 90 days and limits/ drawings are allowed on such irregular drawing power continuously for 90 days.
- III. The bill remains overdue and unpaid for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- IV. The installment of principal or interest thereon remains unpaid for two crop seasons beyond the due date for short duration crops,
- V. The installment of principal or interest thereon remains unpaid for one crop season beyond the due date for long duration crops.
- VI. The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- VII. An account is classified as NPA only if the interest due & charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

F.2. 'OUT OF ORDER' STATUS

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

F.3. OVERDUE

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

F.4. NON PERFORMING INVESTMENTS

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- I. Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- II. This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- III. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- IV. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, the investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI and vice versa.
- V. The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

Quantitative Disclosures

A. Gross Credit Risk Exposure Including Geographic Distribution of Exposure (Amount ₹ in Million)

SL No	Exposure* Type	Domestic	Overseas	Total
1.	Fund Based	1,918,965	110,479	2,029,444
2.	Non-Fund Based	289,842	98	289,940
3.	Total	2,208,807	110,577	2,319,384

*Exposure for Fund based includes advance portfolio whereas non-fund based includes exposure due to Bank guarantee and Letter of Credit.

बी. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

बकेट	नकद एवं भारिबैंक	बैंक जमाशेष #	अग्रिम	निवेश	स्थिर आस्तियां	अन्य आस्तियां	सकल योग
अगला दिन	9,121	10,414	12,357	194,943	-	127	226,962
2 - 7 दिन	1,210	56,791	16,888	8,559	-	296	83,744
8 - 14 दिन	1,354	5,540	12,251	6,600	-	285	26,030
15 - 30 दिन	1,088	3,585	23,693	5,511	-	616	34,493
> 1 माह - 2 माह	1,009	-	21,487	5,426	-	969	28,891
> 2 माह - 3 माह	797	-	11,994	5,252	-	892	18,935
> 3 माह - 6 वर्ष	3,959	-	158,865	20,010	-	3,676	186,510
> 6 माह - 1 वर्ष	5,421	3,072	118,242	30,365	-	5,729	162,829
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	28,272	28,726	469,854	146,930	-	23,154	696,936
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	14,373	13,181	163,003	81,784	-	20,301	292,642
> 5 वर्ष	26,306	-	511,975	171,760	31,321	27,811	769,171
कुल	92,910	1,21,309	15,20,607	6,77,140	31,321	83,856	25,27,143

#अन्य बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन सहित

सी. अनर्जक आस्तियां(एनपीए) और उनका संचलन

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
ए.	एनपीए की सकल राशि	2,65,628
ए.1	अवमानक	55,473
ए.2	संदिग्ध 1	59,099
ए.3	संदिग्ध 2	1,11,870
ए.4	संदिग्ध 3	17,158
ए.5	हानिगत	22,028
बी.	निवल एनपीए	1,22,291
सी.	एनपीए अनुपात	
सी.1	सकल अग्रिम में सकल एनपीए	15.96%
सी. 2	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	8.04%
डी.	एनपीए का संचलन (सकल)	
डी.1	वर्ष के आरंभ में अथ शेष	206,878
डी.2	वर्ष के दौरान वृद्धि	129,033
डी. 3	वर्ष के दौरान कमी	70,283
डी.4	अवधि की समाप्ति पर यथास्थिति इतिशेष	265,628

डी. गैर निष्पादक निवेश(एनपीआई) और निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान का संचलन

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
ए.	अनर्जक निवेश की राशि	7,092
बी.	अनर्जक निवेश हेतु किए गए प्रावधानों की राशि	4,065
सी.	निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधानों का संचलन	
सी.1	वर्ष के आरंभ में अथ शेष	5,759
सी.2	तिमाही के दौरान किया गया प्रावधान	11,552
सी.3	राइट ऑफ	-
सी.4	अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	4,090
सी.5	वर्ष के अंत में इति शेष	13,221

B. Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets

Buckets	Cash & RBI Balances	Bank Balances #	Advances	Investments	Fixed Assets	Other Assets	Grand Total
Next day	9,121	10,414	12,357	194,943	-	127	226,962
2 – 7 days	1,210	56,791	16,888	8,559	-	296	83,744
8 –14 days	1,354	5,540	12,251	6,600	-	285	26,030
15 – 30 days	1,088	3,585	23,693	5,511	-	616	34,493
Over 1 month – 2 months	1,009	-	21,487	5,426	-	969	28,891
Over 2 months – 3 months	797	-	11,994	5,252	-	892	18,935
Over 3 months – 6 months	3,959	-	158,865	20,010	-	3,676	186,510
Over 6 months – 1 years	5,421	3,072	118,242	30,365	-	5,729	162,829
Over 1 years – 3 years	28,272	28,726	469,854	146,930	-	23,154	696,936
Over 3 years – 5 years	14,373	13,181	163,003	81,784	-	20,301	292,642
Over 5 years	26,306	-	511,975	171,760	31,321	27,811	769,171
Total	92,910	1,21,309	15,20,607	6,77,140	31,321	83,856	25,27,143

Includes Balances with other banks and money at call & short notice.

C. Non Performing Assets (NPA) and its Movement.

(Amount ₹ in Million)

S. No.	Particulars	Amount
A.	Amount of Gross NPA	2,65,628
A. 1	Substandard	55,473
A. 2	Doubtful 1	59,099
A. 3	Doubtful 2	1,11,870
A. 4	Doubtful 3	17,158
A. 5	Loss	22,028
B	Net NPA	1,22,291
C	NPA Ratios	
C. 1	Gross NPAs to Gross Advances	15.96%
C. 2	Net NPAs to Net Advances	8.04%
D	Movement of Gross NPA	
D. 1	Opening balance at the beginning of the year	206,878
D. 2	Additions during the period	129,033
D. 3	Reductions during the period	70,283
D. 4	Closing balance as at end of the period	265,628

D. Non Performing Investments (NPI) and Movement of Provision for Depreciation on Investments

(Amount ₹ in Million)

S. No.	Particulars	Amount
A.	Amount of Non-Performing Investments	7,092
B	Amount of Provision held for Non Performing Investments	4,065
C	Movement of provisions for depreciation on investments	–
C. 1	Opening balance at the beginning of the year	5,759
C. 2	Provisions made during the period	11,552
C. 3	Write-off during the period	
C. 4	Write-back of excess provisions during the period	4,090
C. 5	Closing balance as at end of the period	13,221

ई. विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधान का संचलन

(₹ मिलियन में)

प्रावधान का संचलन	विशिष्ट प्रावधान#	सामान्य प्रावधान @
वर्ष के आरंभ में अथ शेष	71,768	13,859
तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	1,06,855	993
राइट ऑफ	35,542	-
अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	-	6,344
प्रावधानों के बीच समायोजन/अंतरण*	22,475	(3)
वर्ष के अंत में इतिशेष	72,543	7,512

#एनपीए हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व, @ मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व

*एनपीए की बिक्री हेतु और पीडब्ल्यूओ खाते में अंतरण हेतु प्रावधान

एफ. आय विवरण में सीधे बुक किए गए राइटआफ और वसूलियों का विवरण

(₹ मिलियन में)

आय विवरण में सीधे बुक किया गया राइट आफ	-
आय विवरण में सीधे बुक की गई वसूलियां (राइट आफ में)	7,284

जी. एनपीए और प्रावधानों का भौगोलिक वितरण

(₹ मिलियन में)

क्रम सं. विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
1. सकल एनपीए	2,64,193	1,434	2,65,627
2. एनपीए हेतु प्रावधान	1,42,211	870	1,43,081
3. मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	7,013	499	7,512

एच. पिछले बकाया ऋणों की अवधि

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	31 दिसम्बर, 2017 को यथास्थिति विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
1.1	31-90 दिन	-	-	-
1.2	91-365 दिन	55,140	332	55,473
1.3	1-2 वर्ष	58,985	113	59,099
1.4	2-4 वर्ष	1,10,882	988	1,11,870
1.5	4 वर्ष से अधिक	39,187	-	39,187
1.6	कुल	2,64,194	1,434	2,65,628

E. Movement of Specific & General Provision**(Amount ₹ in Million)**

Movement of provisions	Specific Provisions[#]	General Provisions[@]
Opening balance at the beginning of the year	71,768	13,859
Provisions made during the year	1,06,855	
Write-off during the year	35,542	-
Write-back of excess provisions during the year	-	6,344
Adjustments/Transfers between provisions during the year*	-	(3)
Closing Balance as at end of the period	1,43,081	7,512

[#]Represents provisions for NPA, [@]Represents provisions for Standard Advances

*Amount utilized towards sale of NPAs and transfer to PWO account.

F. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement**(Amount ₹ in Million)**

Write offs that have been booked directly to the income statement	-
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	7,284

G. Geographic Distribution of NPA & Provisions**(Amount ₹ in Million)**

SL No	Particulars	Domestic	Overseas	Total
1.	Gross NPA	2,64,194	1,434	2,65,628
2.	Provisions for NPA	1,42,211	870	1,43,081
3.	Provisions for Standard Advances	7,013	499	7,512

H. Ageing of past due loans**(Amount ₹ in Million)**

SL No	Particulars as on 31st Dec, 2017	Domestic	Overseas	Total
1.1	31-90 days	-	-	-
1.2	91-365 days	55,140	332	55,472
1.3	1-2 years	58,985	114	59,099
1.4	2-4 years	1,10,882	988	1,11,870
1.5	Over 4 years	39,187	-	39,187
1.6	Total	2,64,194	1,434	2,65,628

आई. एक्सपोजर का उद्योगवार संवितरण

(₹ मिलियन में)

उद्योग	31 मार्च 2018 को यथास्थिति			31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही हेतु			
	एक्सपोजर		सकल एनपीए	प्रावधान		राइट- आफ	एनपीए हेतु प्रावधान
	निधिक*	गैर निधिक		एनपीए	मानक अग्रिम		
सावधी जमा के सापेक्ष अग्रिम	49,933	9,490	0	0	20	0	0
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	302,022	—	16,035	5,441	625	986	1,948
समस्त इंजीनियरिंग	45,286	23,523	21,504	9,658	45	51	4,583
विमाननम	—	—	—	—	—	—	—
मूल धातु एवं धातु उत्पाद	95,274	35,471	57,622	27,446	95	12	5,563
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	48,958	6,100	8,440	7,121	202	3	542
सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	10,680	3,906	1,415	514	27	7	62
कांच एवं कांच के सामान	1,354	536	6	2	3	1	1
पेय एवं तंबाकू	4,019	329	551	280	11	2	119
वाणिज्यिक स्थावर संपदा	28,111	1,101	8,900	4,702	117	5	118
कंप्यूटर सफ्टवेयर	783	332	—	—	4	—	—
विनिर्माण	31,576	65,080	16,567	10,929	46	589	5,592
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	56	41	8	1	—	1	—
शिक्षा ऋण	15,762	—	595	161	51	164	94
खाद्य प्रसंस्करण	26,855	5,100	6,243	3,973	216	29	1,977
रत्न एवं जवाहरात	10,015	3,891	5,036	4,009	5	1	3,675
आवास ऋण	140,134	13,604	4,623	1,000	449	34	478
आधारभूत संरचना	228,051	53,894	2,8364	14,880	961	—	8590
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,072	3	111	30	3	3	3
खनन एवं उत्खनन	18,340	7,176	6,621	5,998	8	1	4,837
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	183,597	—	354	243	578	—	110
म्युचुअल फंड एवं एनबीएफसी से इतर बैंकिंग एवं वित्त	91,442	2866	—	—	410	—	—
पेपर एवं पेपर उत्पाद	11,779	1,666	3,294	1,222	28	3	280
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं	10,155	4,712	2,984	2,108	21	2	933
नाभिकीय इंधन							
व्यावसायिक सेवाएं एवं	34,670	73	2,163	555	85	80	181
खुदरा व्यापार	96,213	2,801	6,741	2,344	187	247	879
रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	6,357	2,540	398	108	14	7	36
शिपिंग	4,176	—	—	—	17	—	—
कपड़ा	58,430	5,760	15,822	11,647	250	4,096	2,136
पर्यटन, होटल और रेस्तरां	11,535	414	3,606	960	20	4	115
परिवहन परिचालन	5,330	163	462	174	15	8	59
वाहन और ऑटो ऋण	14,950	123	1,591	1,021	53	17	461
वहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	11,165	1,981	7,648	2,949	7	4	300
थोक व्यापार	32,215	1,683	6,013	4,686	62	0	2,291
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	3,142	2,378	124	35	8	20	12
अन्य उद्योग जो ऊपर शामिल नहीं हैं	469,611	22,415	31,784	18,879	2,870	241	9,134
कुल	2,104,054	294,227	265,628	143,081	7,512	6,620	55,112

* निधिक एक्सपोजर में ऋण एक्सपोजर एवं निवेश एक्सपोजर शामिल है।

गैर-निधिक एक्सपोजर में बैंक गारंटी, साख पत्र और वायदा संविदा शामिल हैं।

I. Industry Type Distribution of Exposures
(Amount ₹ in Million)

Industry	As on 31.03.2018					For quarter ended 31 st March 2018	
	Exposure		Gross NPA	Provision for		Write -offs	Provisions for NPA
	Funded*	Non-Funded*		NPA	Standard Advances		
Advances against Fixed Deposits	49,933	9,490	0	0	20	0	0
Agriculture & Allied activities	302,022	–	16,035	5,441	625	986	1,948
All Engineering	45,286	23,523	21,504	9,658	45	51	4,583
Aviation	–	–	–	–	–	–	–
Basic Metal and Metal Products	95,274	35,471	57,622	27,446	95	12	5,563
Chemicals and Chemical Products	48,958	6,100	8,440	7,121	202	3	542
Cement and Cement Products	10,680	3,906	1,415	514	27	7	62
Glass and Glassware	1,354	536	6	2	3	1	1
Beverage & Tobacco	4,019	329	551	280	11	2	119
Commercial Real Estate	28,111	1,101	8,900	4,702	117	5	118
Computer Software	783	332	–	–	4	–	–
Construction	31,576	65,080	16,567	10,929	46	589	5,592
Consumer Durables	56	41	8	1	–	1	–
Education Loans	15,762	–	595	161	51	164	94
Food Processing	26,855	5,100	6,243	3,973	216	29	1,977
Gems & Jewellery	10,015	3,891	5,036	4,009	5	1	3,675
Housing Loans	140,134	13,604	4,623	1,000	449	34	478
Infrastructure	2,28,051	53,894	2,8364	14,880	961	–	8590
Leather & Leather Products	2,072	3	111	30	3	3	3
Mining and Quarrying	18,340	7,176	6,621	5,998	8	1	4,837
Non-Banking Finance Companies	183,597	–	354	243	578	–	110
Banking & Finance other than NBFCs & MFs	91,442	2866	–	–	410	–	–
Paper & Paper Products	11,779	1,666	3,294	1,222	28	3	280
Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	10,155	4,712	2,984	2,108	21	2	933
Professional Services	34,670	73	2,163	555	85	80	181
Retail Trade	96,213	2,801	6,741	2,344	187	247	879
Rubber, Plastic & their Products	6,357	2,540	398	108	14	7	36
Shipping	4,176	–	–	–	17	–	–
Textiles	58,430	5,760	15,822	11,647	250	4,096	2,136
Tourism, Hotel and Restaurants	11,535	414	3,606	960	20	4	115
Transport Operators	5,330	163	462	174	15	8	59
Vehicle/Auto Loans	14,950	123	1,591	1,021	53	17	461
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	11,165	1,981	7,648	2,949	7	4	300
Wholesale Trade	32,215	1,683	6,013	4,686	62	0	2,291
Wood & Wood Products	3,142	2,378	124	35	8	20	12
Other Industry not included above	469,611	22,415	31,784	18,879	2,870	241	9,134
Total	2,104,054	294,227	265,628	143,081	7,512	6,620	55,112

*Funded Exposure include Credit exposure and investment exposure

#Non-Funded Exposure includes Bank Guarantee, LC and Forward Contract

31 मार्च, 2018 को यथास्थिति उद्योग में बैंक के कुल निधिक और गैर-निधिक के 5% से अधिक एक्सपोजर

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	उद्योग	सकल ऋण का %
1.	आधारभूत अवसंरचना	11.76%
1.1	जिसमें से: विद्युत	6.01%
2.	मूल धातु और धातु उत्पाद	5.45%
2.1	जिसमें से लौह एवं इस्पात	4.54%
3.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	7.66%

सारणी डीएफ-4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की जोखिम भारत आस्तियों की गणना हेतु भारिबैंक के बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे घरेलू प्रतिपक्षकारों के संबंध में जोखिम भार दावों हेतु बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) अर्थात ब्रिकवर्क्स, केयर, क्रिसिल, इकरा, इंडिया रेटिंग्स, एसएमईआरए तथा विदेशी प्रतिपक्षकारों हेतु स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, मूडीज एवं फिच द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करें।

बैंक भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इश्यूअर रेटिंग तथा अल्पावधि और दीर्घावधि लिखत/बैंक सुविधाओं की रेटिंग का प्रयोग कर हा है जिसे मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों अर्थात ईसीआरए द्वारा समनुदेशित किया जाता है, जो जोखिम -भार के समनुदेशन हेतु पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किए जाते हैं। अनिवासी कारपोरेट और विदेशी बैंकों के दावों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, मूडीज एवं फिच द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

तीन प्रमुख जोखिम बकट में बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर (रेटेड और अनरेटेड) निम्नानुसार है।

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	जोखिम भार	निधिक	गैर निधिक
1	100% से कम जोखिम भार	12,47,120	1,67,937
2	100% जोखिम भार	5,88,410	57,747
3	100% से अधिक जोखिम भार	1,93,914	64,256
4	पूँजीगत निधियों से कटौती	-	-
	कुल एक्सपोजर	20,29,444	2,89,940

सारणी डीएफ-5

ऋण जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

बैंक बोर्ड अनुमोदित ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन के आधार पर विभिन्न संपार्श्विक वित्तीय और गैर-वित्तीय, गारंटियों और ऋण बीमा का ऋण जोखिम शमन हेतु प्रयोग करता है जिसमें जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन के विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं। नीति बैंक द्वारा स्वीकार्य जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन के स्वरूप, संपार्श्विक हेतु प्रलेखन एवं अभिरक्षण करार, और मूल्यांकन दृष्टिकोण एवं आवधिकता जैसे पहलुओं को शामिल करती है।

ऋण जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा की गणना के प्रयोजन हेतु बैंक केवल उन संपार्श्विकों को मान्यता देता है जो मानकीकृत दृष्टिकोण संबंधी भारिबैंक बासेल III में जोखिम शमन हेतु पात्र है जो निम्नलिखित हैं।

- बैंक में नकद जमा
- सर्राफा और जवाहरात सहित स्वर्ण
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

Exposures to industries in excess of 5% of total Funded & Non Funded of the Bank as on Mar 31, 2018

(Amount ₹ in Million)

S. No.	Industry	% of Funded & Non Funded Exposure
1.	Infrastructure	11.76%
1.1	Out of which: Power	6.01%
2.	Basic Metal and Metal Products	5.45%
2.1	Out of Which: Iron and Steel	4.54%
3.	Non-Banking Finance Companies	7.66%

TABLE DF – 4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

The Bank has used the Standardized Approach under the RBI's Basel III capital regulations for calculation of risk-weighted assets of its credit portfolio. The RBI guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Rating Agencies (ECRA) namely Brickworks, CARE, CRISIL, ICRA, India Ratings, SMERA and Infomerics for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties.

The Bank is using issuer ratings and short-term and long-term instrument/bank facilities' ratings which are assigned by the accredited rating agencies, i.e. ECRA, published in the public domain to assign risk-weights in terms of RBI guidelines. In respect of claims on non-resident corporates and foreign banks, ratings assigned by international rating agencies i.e. Standard & Poor's, Moody's and Fitch is used.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

The Bank's exposure on its advance portfolio (rated and unrated) bifurcated in three major risk buckets are as follows:

(Amount ₹ in Million)

Sl. No.	Risk Weight	Fund Based	Non Funded Based
1	Below 100% risk weight	12,47,120	1,67,937
2	100% risk weight	5,88,410	57,747
3	More than 100% risk weight	1,93,914	64,256
4	Deduction from capital funds	-	-
5	Total Exposure	20,29,444	2,89,940

TABLE DF – 5

CREDIT RISK: MITIGATION : DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES

The Bank uses various collaterals both financial as well as non-financial, guarantees and credit insurance as credit risk mitigants based on its board approved Credit Risk Mitigation and Collateral Management policy which include detailed guidelines for risk mitigation and collateral management. The policy covers aspects such as the nature of risk mitigants/ collaterals acceptable to the Bank, the documentation and custodial arrangement of the collateral, the valuation approach and periodicity etc.

For the purpose of computation of capital requirement for Credit Risk, the Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in the RBI Basel III guidelines on standardized approach, which are as follows:

- Cash deposit with the Bank
- Gold, including bullion and jewelry
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

बैंक पूंजी निर्धारण हेतु व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में जब संपार्श्विक लिया जाता है तो बैंक संपार्श्विक के प्रभाव को निवर्त कर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु प्रतिपक्ष के समायोजित एक्सपोजर की गणना करता है। बाजार संचलन के कारण प्रतिभूति के मूल्य में संभावित भावी उतारचढ़ाव को ध्यान में रखते हुए बैंक भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित हेयरकट द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को समायोजित करता है।

पूंजी गणना के प्रयोजन हेतु बैंक ऋण संरक्षण को मान्यता देता है अर्थात् निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी गई गारंटियों को भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार मात्र माना गया है।

- संप्रभुता अर्थात् केन्द्र और राज्य सरकारें
 - संप्रभु संस्थाएं जैसे निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल एन्टरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), और राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लि., सीजीएफईएल सीआरजीएलआईएच के अंतर्गत अन्य गारंटियां
- ऋण जोखिम शमन मुख्यतः बैंक के पास रखी नकद जमाराशि से किया जाता है और इस प्रकार जोखिम (ऋण एवं बाजार) शमन संकेन्द्रण निम्न रहता है/

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ऋण शमन द्वारा सुरक्षित निवेश

विवरण	(₹ मिलियन में)
पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित कुल एक्सपोजर	66,355
गारंटियों द्वारा सुरक्षित कुल एक्सपोजर	89,403

सारणी डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक/समूह का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

- Life insurance policies with a declared surrender value
- Debt securities rated at least BBB (-)/PR3/P3/F3/A3
- Units of Mutual Funds

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut, as prescribed by RBI, to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements.

For the purpose of capital calculation, the Bank recognizes the credit protection i.e. guarantees, given by the following entities, considered eligible as per RBI guidelines:

- Sovereigns i.e. Central and State Governments
- Sovereign entities which includes Export Credit Guarantee Corporation (ECGC), Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) and other guarantees covered under National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC).

The credit risk mitigation taken is largely in the form of cash deposit with the Bank and thus the risk (credit and market) concentration of the mitigants is low.

Quantitative Disclosures

Exposure covered by Credit Mitigation

Particulars	(₹ in Million)
Total exposure covered by eligible financial collateral	66,355
Total exposure covered by guarantees	89,403

TABLE DF – 6

SECURITIZATION: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH QUALITATIVE DISCLOSURES:

The Bank/Group does not have any securitization exposure.

सारणी डीएफ-7

व्यापार बही में बाजार जोखिम

- बाजार जोखिम को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और पण्य वस्तुओं के मूल्य जैसे बाजार के उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तनों/संचलनों से उत्पन्न स्थिति के कारण बैंक को होने वाले हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का एक्सपोजर व्यवसाय बहियों (एएफएस और एचएफटी श्रेणी) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधी लिखतों एवं इक्विटियों), विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आगम एवं इक्विटी पर हानि के प्रभाव को कम करना।
- बैंक में कारगर बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु निवेश, विदेशी मुद्रा परिचालन, फारेक्स मार्केट में ट्रेडिंग डिराइवेटिव, आस्ति देयता प्रबंधन एवं तनाव परीक्षण संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं। नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों, इक्विटियों, विदेशी मुद्रा और डिराइवेटिव में परिचालन सुदृढ़ व्यवसाय परिपाटियों और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है।
- बैंक ने बाजार जोखिम के मापन, मानिटरिंग और प्रबंधन हेतु विभिन्न सीमाएं तय की हैं, जैसे - मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिमिट, डे लाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, वीएआर लिमिट, डील साइज लिमिट, काउंटर पार्टी लिमिट, इंस्ट्रुमेंट-वाइज लिमिट, डीलर-वाइज लिमिट, स्टाप लास लिमिट आदि। इन सीमाओं की दैनिक आधार पर मानिटरिंग की जाती है तथा निर्धारित समयसीमा के अनुसार शीर्ष प्रबंधन को इसकी रिपोर्टिंग की जाती है।

बाजार जोखिम पूंजी अपेक्षा

- बैंक ने बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना हेतु भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण: बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी अपेक्षा

(₹ मिलियन में)	
विवरण	कुल
ब्याज दर जोखिम	10,546
इक्विटी स्थिति जोखिम	4,833
विदेशी विनिमय जोखिम	81
कुल पूंजी अपेक्षा	15,460

TABLE DF – 7**MARKET RISK IN TRADING BOOK**

- Market Risk is defined as the possibility of loss caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to Market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.
- The Bank has put in place Board approved Policies on Investments, Foreign Exchange Operations, Trading in Forex Market, Derivatives, and Stress Testing for effective management of market risk. The policies ensure that operations in fixed income securities, equities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound business practices and as per extant regulatory guidelines.
- The Bank has put in place various limits to measure, monitor and manage market risk, viz., Modified duration Limits, Day Light Limits, Overnight Limits, Aggregate Gap Limits, VaR Limit, Deal Size Limits, Counterparty Limits, Instrument-wise Limits, Stop Loss Limits etc. The limits are monitored on daily basis and reported to the top management as per stipulated timelines.

Market Risk Capital Requirement

- The Bank has adopted Standardized Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for Market Risk.

Quantitative Disclosures: Total Capital Requirement for Market Risk**(Amount ₹ in Million)**

Particulars	Amount
Interest rate risk	10,546
Equity position risk	4,833
Foreign exchange risk	81
Total Capital required	15,460

सारणी डीएफ-8

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम

- परिचालन जोखिम से तात्पर्य, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या प्रविधियों या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक या प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है।
- बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति निरूपित की है। परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन से जुड़ी हुई बोर्ड द्वारा अंगीकृत अन्य समर्थक नीतियाँ हैं : (ए) अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति (बी) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (सी) अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और एन्टी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) से संबंधित नीतिगत दस्तावेज (डी) व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा निवारण योजना (ई) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति आदि।
- बैंक द्वारा अंगीकृत परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु ब्योरेवार प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी रूप से नियंत्रित, समाप्त, अभिज्ञात, मूल्यांकित एवं चिह्नित करने और भौतिक परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग हेतु दायित्वों के सुस्पष्ट समनुदेशन के द्वारा बैंक के दिन-प्रतिदिन की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों को व्यापक एवं सुसम्बद्ध, आंतरिक नियंत्रक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया है।

पूंजी अपेक्षा

- बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विगत 3 वर्षों के घनात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के बराबर है।
- तदनुसार यथास्थिति 31.03.2018 को परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा ₹16,187 मिलियन है।

सारणी डीएफ - 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी):

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी):

- ब्याज दर जोखिम, जोखिम की ऐसी स्थिति है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तनों का तत्काल प्रभाव बैंक के अर्जन अर्थात् निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़ता है। ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घावधि प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) अथवा निवल संपत्ति पर पड़ता है क्योंकि बैंक की आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र बाह्य स्थितियों का आर्थिक मूल्य बाजार ब्याज दर में अंतर आने से प्रभावित होता है।
- आय पर प्रभाव (लाभार्जन दृष्टिकोण) को परम्परागत अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से मापा जाता है जो दर संवेदी देयताओं और दर संवेदी आस्तियों (तुलनपत्र बाह्य स्थिति सहित) के बीच बेमेलता को विभिन्न समय अंतराल पर किसी दी गई तारीख को मापता है। एनआईआई पर ब्याज दर जोखिम को बैंक की एएलएम पालिसी में यथानिर्धारित एक विभिन्न समय सीमा के संबंध में 100,200,300 बीपीएस की आनुमानिक दर लगाते हुए निर्धारित किया जाता है।
- बैंक ने आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में अपने तुलन पत्र में बाजार दर जोखिम के मापन हेतु डूरेशन गैप ऐनालिसिस को अपनाया है। बैंक भारिबैं/ बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य परिपक्वता, कूपन और आगम पैरामीटरों का उपयोग करते हुए दर संवेदी देयताओं और आस्तियों का बकेट वार संशोधित अवधि की गणना करता है। संशोधित अवधि अंतराल की गणना कुल दर संवेदी आस्तियों और देयताओं की भारित औसत संशोधित अवधि से किया जाता है निवल संपत्ति पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का विलेखन 100,200 और 300 बीपीएस की आनुमानिक ब्याज दर शॉक को लगाते हुए किया जाता है।
- ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण और रिपोर्टिंग बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ मिलियन में)

क्रम सं		
1.	ब्याज दर में परिवर्तन 1.00%	जोखिम पर अर्जन (एनआईआई) 606
2.	ब्याज दर में परिवर्तन 1.00%	जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य (नेटवर्थ) 4,611

TABLE DF – 8

OPERATIONAL RISK

Operational Risk

- Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.
- The Bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Compliance Risk Management Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy Document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Policy (e) Fraud Risk Management Policy etc.
- The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control frameworks.

Capital Requirement

- The Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to 15% of average positive annual Gross Income of previous three years as defined by RBI.
- Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2018 is ₹16,187 Million.**

TABLE DF – 9

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

- Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates might adversely affect a Bank's financial condition. The immediate impact of changes in interest rates is on Bank's earnings i.e. Net Interest Income (NII). A long -term impact of changing interest rates is on Bank's Market Value of Equity (MVE) or Net Worth as the economic value of Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates.
- The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of Traditional Gap analysis, which measures mismatch between rate sensitive liabilities and rate sensitive assets (including off-balance sheet positions) over different time intervals, as at a given date. The impact of interest rate risk on NII is assessed by applying notional rate shock of 100, 200 & 300 bps on gaps in various time bucket up to a period of one year as prescribed in Bank's ALM Policy.
- The Bank has adopted Duration Gap Analysis (DGA) to measure interest rate risk in its balance sheet from the economic value perspective. The Bank computes bucket-wise Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities and Assets using the suggested common maturity, coupon and yield parameters, prescribed by RBI/BOARD. The Modified Duration Gap is computed from weighted average modified duration of total rate sensitive assets and rate sensitive liabilities. The impact of change in interest rate on net worth is analyzed by applying a notional interest rate shock of 100, 200 & 300 bps.
- The analysis & reporting of Interest rate risk is done by the Bank on a monthly basis.

Quantitative Disclosures

(₹ in Million)

S.No.		
1.	Change in Interest Rate 1.00%	Earnings at Risk (NII) 606
2.	Change in Interest Rate 1.00%	Economic Value of Equity at Risk (Net Worth) 4,611

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटीकरण.

- प्रतिपक्ष ऋण जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय संविदा में शामिल प्रतिपक्ष संविदा की समाप्ति से पूर्व चूक करता है एवं संविदा के अनुसार सारा भुगतान नहीं करता है।
- ओवर-दी-काउंटर (ओटीसी) डिराइवेटिव एवं प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) से उत्पन्न केन्द्रीय प्रतिपक्ष को एक्सपोजर केन्द्रीय प्रतिपक्ष पर प्रयोज्य पूंजी प्रभार को आकर्षित करता है।
- केन्द्रीय प्रतिपक्षियों द्वारा गारंटीकृत व्यापार हेतु प्रयोज्य जोखिम भार, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सेबी द्वारा क्वालीफाइंग केन्द्रीय प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है, ओटीएस डील की तुलना में कम होता है।
- भारत में वर्तमान में चार क्यूसीसीपी है अर्थात् क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल), नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(एनएससीसीएल), इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लि. (आईसीसीएल) और एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(एमसीएक्स।एसएक्ससीसीएल)। ये क्यूसीसीपी सीपीएसएस-आईओएससीओ के वित्तीय बाजार अवसंरचना सिद्धांतों के अनुरूप सतत आधार पर नियमों और विनियमों के अधीन हैं।
- बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता। डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना चालू एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करके की जाती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	
1.	संविदाओं का सकल धनात्मक मूल्य	6,304
2.	लाभों की निवल राशि	-
3.	निवल चालू ऋण निवेश	6,304
4.	धारित संपार्श्विक	-
5.	निवल डिराइवेटिव: ऋण एक्सपोजर	6,304

मद	नोशनल राशि	चालू ऋण एक्सपोजर (धनात्मक एमटीएम)	कुल ऋण एक्सपोजर (सीईएम के अनुसार)
वायदा संविदाएं	15,09,024	6,304	36,479

TABLE DF – 10

**GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES
RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK**
GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

- Counterparty Credit risk is the risk that the counterparty to a financial contract will default prior to the expiration of the contract and will not make all the payments required under the contract.
- Exposure to Central counterparties arising from over-the-counter derivative trades, exchange traded derivatives transactions and security financing transactions (SFTs), attracts capital charges applicable to Central Counterparty.
- Applicable risk weights for trades, guaranteed by central counterparties, which are recognised as qualifying central counterparty (QCCP) by Reserve Bank of India or SEBI, are comparatively lower than OTC deals.
- In India, presently there are four QCCPs viz. Clearing Corporation of India (CCIL), National Securities Clearing Corporation Ltd (NSCCL), Indian Clearing Corporation Ltd (ICCL) and MCX-SX Clearing Corporation Ltd (MCX-SXCCL). These QCCPs are subjected, on an ongoing basis, to rules and regulations that are consistent with CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures.
- The Bank does not recognise bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM).

Quantitative Disclosures
(Amount in ₹ Millions)

S. No.	Particulars	Amount
1.	Gross positive value of contracts	6,304
2.	Netting Benefits	-
3.	Netted current credit exposure	6,304
4.	Collateral held	-
5.	Net Derivative: Credit Exposure	6,304

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure (Positive MTM)	Total Credit Exposure (as per CEM)
Forward Contracts	15,09,024	6,304	36,479

सारणी डीएफ - 11
पूंजी का गठन

(₹ मिलियन में)

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां			
1 प्रत्यक्ष रूप से जारी सामान्य शेयर पूंजी + संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	49,410		ए 1+ ए 2
2 प्रतिधारित उपार्जन	(50,779)		ए3
3 संचित अन्य समग्र आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	106,124		बी1+ बी2 + बी3 + बी4+ बी5 + बी6 + बी7
4 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी, सीईटी1 से फेज आऊट के अध्यधीन (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)	-		
1 जनवरी, 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र हेतु प्राप्त होने वाली पूंजी	-		
5 अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी1 में अनुमत)	-		-
6 विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	104,829		
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-		-
8 गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9 बंधक-सर्विसिंग अधिकार को छोड़कर अन्य अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	394	-	सी1
10 आस्थगित कर आस्तियां	11,182		सी2 का भाग
11 नकदी-प्रवाह हैज आरक्षिति	-		
12 प्रत्याशित हानि के संबंध में प्रावधानों की कमी	-		
13 विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-		
14 उचित मूल्य वाली देयताओं पर निजि ऋण जोखिम में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि	-		
15 परिभाषित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-		
16 अपने शेयरों में निवेश (अगर प्रतिवेदित तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी पहले ही समंजित नहीं की गई हो)	-		
17 सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	1,038	-	सी3
18 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
19 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
20 बंधक सर्विसिंग अधिकार (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
21 अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का निवल)	8,269		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
22 न्यूनतम 15% से अधिक की राशि	-		
23 जिसमें से: सामान्य वित्त स्टॉक में प्रमुख निवेश	-		
24 जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	-		
25 जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उत्पन्न अस्थायित कर आस्तियां	-		
26 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	1,050		
26ए जिसमें से: असमेकित बीमा अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1,050		सी5 का भाग
26बी जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश			
26सी जिसमें से: बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं में शेयर पूंजी की कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है।			
26डी जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय			
जिसमें से: समेकित वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी निवेश	-		
27 कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 में किए गए विनियामक समायोजन	-		
28 सामान्य टियर 1 पर किए गए कुल विनियामक समायोजन	21,934		
29 सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	82,895		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें			
30 प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+ 32)	15,000		
31 जिसमें से : प्रयोज्य लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी असंचयी अधिमानित शेयर)	-		
32 जिसमें से : प्रयोज्य लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (वर्गीकृत ऋण लिखतें)	15,000		ई5
33 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखतें बशर्ते अतिरिक्त टियर 1 से लिया गया हो	1,200		ई1
34 अनुबंधियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों (ग्रुप एटी1 में अनुमत राशि) द्वारा रखी गई अतिरिक्त टियर-1 की लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी1 की लिखतें)	-		
35 जिसमें से: अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें बशर्ते उनका समय समाप्त हो गया हो	-		
36 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर-1 पूंजी	16,200		
अतिरिक्त टियर-1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37 अपने अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	-		
38 अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में आपसी प्रतिधारिता	-	-	
39 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं			

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
40 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति)	-		
41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)	-		
41ए असमेकित बीमा अनुबंधियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	-		
41बी बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है।	-		
बासेल-III पूर्व प्रतिपादन के अधीन की राशियों के संबंध में	-		
अतिरिक्त टियर 1 किए गए विनियामक समायोजन	-		
42 कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में किए गए विनियामक समायोजन	-		
43 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किए गए कुल विनियामक समायोजन	-		
44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	16,200		
45 टियर 1 पूंजी (टी 1= सीईटी1 + एटी1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44 ए)	99,095		
टियर 2 पूंजी : लिखतें और प्रावधान			
46 प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	25,000		ई4
47 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखतें बशर्ते अतिरिक्त टियर 2 से लिया गया हो	10,900		ई2+ ई3
48 अनुबंधियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) द्वारा धारित टियर 2 की लिखतें (और सीईटी 1 एवं पंक्ति 5 या 34 में शामिल न की गई की लिखतें)	-		
49 जिसमें से: अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें बशर्ते उनका समय समाप्त हो गया हो	-		
50 प्रावधान 8,681	6,979		डी1+ डी2 + डी3 का भाग
51 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर 2 पूंजी	42,879		
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52 स्वयं की अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में निवेश	-		
53 अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में आपसी प्रतिधारिता	50		सी4
54 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
55 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति)	-		
56 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए + 56बी)	-		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
56ए जिसमें से :असमेकित बीमा अनुषंगियों के अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश	-		
56बी बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टीयर 1 में की कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है। बासेल III पूर्व प्रतिपादन के अधीन की राशियों के संबंध में टियर 2 पर किए गए विनियामक समायोजन	-		
57 टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	50		
58 टियर 2 पूंजी (टी2)	42,829		
58ए विनियामक पूंजी प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय कुल टीयर पूंजी	29,011		
59 कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी 2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी) पूर्व-बासेल III के प्रतिपादन के अध्यधीन राशियों के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	1,28,106		
60 जोखिम भारित कुल आस्तियां (पंक्ति 60ए + पंक्ति 60बी +पंक्ति 60सी)	1,450,536		
60ए जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1,159,533		
60बी जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	142,153		
60सी जिसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	148,850		
पूंजी अनुपात			
61 सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.71%		
62 टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.83%		
63 कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.83%		
64 संस्था विशेष की बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी कनसर्वेशन तथा प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताएं जो जोखिम भारित आस्तियों के रूप में व्यक्त की गई)	7.375%		
65 जिसमें से : पूंजी कनसर्वेशन बफर आवश्यकता	1.875%		
66 जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	-		
67 जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	-		
68 बफर पूरा करने हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.21%		
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासेल III से भिन्न हो)			
69 राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो)	5.50%		
70 राष्ट्रीय ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो)	7.00%		
71 राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) कटौती के लिए सीमा से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)	9.00%		
72 अन्य वित्तीय की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	1,842		
73 वित्तीय के सामान्य स्टॉक में विशिष्ट निवेश	-		
74 बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल))	-		
75 अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	17,490		
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर प्रयोज्य उच्चतम सीमा			
76 एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान बशर्ते यह मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हो (उच्चतम सीमा लागू करने से पूर्व)	6,979		
77 मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर-2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	14,494		
78 एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान बशर्ते यह आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण पर हो (उच्चतम सीमा लागू करने से पूर्व)	NA		

(₹ मिलियन में)

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
79 आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर-2 में शामिल करने हेतु प्रावधान की उच्चतम सीमा। फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2021 के बीच प्रयोज्य)	NA		
80 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन सीईटी 1 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	NA		
81 उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	NA		
82 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन एटी1 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	NA		
83 उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	NA		
84 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन टी 2 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	NA		
85 उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	NA		

टेम्पप्लेट संबंधी नोट

टेम्पप्लेट की पंक्ति सं.	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानि से सहबद्ध आस्थगित कर आस्तियां आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानि से सहबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	11,182 17,490
	पंक्ति 10 में यथा इंगित कुल	28,672
19	बीमा अनुबंधियों में निवेश को यदि पूंजी में से पूरी तरह घटाया नहीं गया और इसकी बजाए घटाव हेतु 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत माना गया हो, बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	1,050
	जिसमें से : सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	1,050
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर-1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से : टियर-2 पूंजी में वृद्धि	-
26बी	असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश को यदि घटाया नहीं गया हो और इसलिए, जोखिम भारत, तब:	-
	(i) कॉमन इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	-
	(ii) सामान्य टियर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	(iii) जोखिम भारत आस्तियों में वृद्धि	-
44ए	अतिरिक्त टियर-1 पूंजी को पूंजी पर्याप्तता हेतु परिगणित नहीं किया गया (पंक्ति 44 में यथा सूचित अतिरिक्त टियर-1 पूंजी तथा पंक्ति 44ए में यथा सूचित अनुमत अतिरिक्त टियर-1 पूंजी के बीच का अंतर)	-
	जिसमें से : अधिक अतिरिक्त टियर-1 पूंजी जो पंक्ति 58बी के अन्तर्गत टियर-2 पूंजी मानी गई	-
50	टियर-2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	6,979
	टियर-2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	-
	पंक्ति 50 का कुल	6,979
58 ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु अपरिगणित अत्यधिक टियर-2 पूंजी (पंक्ति 58 में यथा सूचित टियर-2 पूंजी तथा पंक्ति 58ए में यथा सूचित टियर-2 पूंजी के बीच का अंतर)	13,818

TABLE DF – 11		Composition of Capital	
₹ in million			
Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves			
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	49,410		A1 + A2
2 Retained earnings	(50,779)		A3
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	106,124		B1 + B2+ B3+ B4 + B5 + B6+ B7
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	-	
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	104,829		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7 Prudential valuation adjustments		-	
8 Goodwill (net of related tax liability)	-		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	394	-	C1
10 Deferred tax assets	11,182		Part of C2
11 Cash-flow hedge reserve	-		
12 Shortfall of provisions to expected losses	-		
13 Securitization gain on sale	-		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15 Defined-benefit pension fund net assets	-		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity	1,038	-	C3
18 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19 Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	8,269		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref. No.
22 Amount exceeding the 15% threshold	-		
23 of which: significant investments in the common stock of financials	-		
24 of which: mortgage servicing rights	-		
25 of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26 National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	1,050		
26a Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	1,050		Part of C5
26b Of which: Investment in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries			
26c Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank			
26d Of which: Unamortized pension funds expenditures			
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
OF WHICH: Investment in the equity capital of consolidated financial subsidiaries	-		-
27 Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28 Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	21,934		
29 Common Equity Tier 1 capital (CET1)	82,895		
<u>Additional Tier 1 capital: instruments</u>			
30 Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	15,000		
31 of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32 of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	15,000		E5
33 Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	1,200		E1
34 Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	16,200		
<u>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</u>			
37 Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38 Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	-	-	

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref. No.
39 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions , where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40 Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41 National specific regulatory adjustments (41a + 41b)	-		
41a Investments in Additional Tier I Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	-		
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	-		
42 Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43 Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	-		
44 Additional Tier 1 capital (AT1)	16,200		
45 Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	99,095		
<u>Tier 2 capital: instruments and provisions</u>			
46 Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	25,000		E4
47 Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10,900		E2+ E3
48 Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50 Provisions	6,979		D1+ Part of D2+D3
51 Tier 2 capital before regulatory adjustments	42,879		
<u>Tier 2 capital: regulatory adjustments</u>			
52 Investments in own Tier 2 instruments	-		
53 Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	50		C4
54 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		
55 Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		
56a Of which: Investments in the Tier II capital of unconsolidated subsidiaries	-		
56b Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	-		
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	-		
57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	50		
58 Tier 2 capital (T2)	42,829		
58A Tier 2 capital admissible for regulatory capital purposes	29,011		
59 Total capital (TC = T1 + T2) {(row 45+row 58 (A))}	1,28,106		
RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
60 Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)	1,450,536		
60a of which: total credit risk weighted assets	1,159,533		
60b of which: total market risk weighted assets	142,153		
60c of which: total operational risk weighted assets	148,850		
Capital ratios			
61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	5.71%		
62 Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	6.83%		
63 Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	8.83%		
64 Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%		
65 of which: capital conservation buffer requirement	1.875%		
66 of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	-		
67 of which: G-SIB buffer requirement	-		
68 Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.21%		
National minima (if different from Basel III)			
69 National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70 National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71 National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72 Non-significant investments in the capital of other financials	1,842		
73 Significant investments in the common stock of financials	-		
74 Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75 Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	17,490		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	6,979		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
77 Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	14,494		
78 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA		
79 Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2021)			
80 Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81 Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82 Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83 Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84 Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85 Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		

Notes to the Template

Row No. of the Template	Particular	₹ in million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	11,182
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	17,490
	<u>Total as indicated in row 10</u>	28,672
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	1,050
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	1,050
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Tier 2 capital	-
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	-
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	(ii) Increase in risk weighted assets	-
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	6,979
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	-
	<u>Total of row 50</u>	6,979
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	13,818

सारणी डीएफ - 12
पूंजी का गठन - समाधान संबंधी आवश्यकताएं

चरण - 1

(₹ मिलियन में)

क्र. विवरण सं.	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र
ए. पूंजी एवं देयताएं		
i. प्रदत्त पूंजी	8,440	8,440
आरक्षितियां एवं अधिशेष	98,122	97,033
जिसमें से :		
सांविधिक आरक्षितियां	32,265	32,265
पूंजी आरक्षितियां	5,103	4,625
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	27,622	27,622
निवेश आरक्षित निधि खाता	1,386	1,386
शेयर प्रीमियम	4,0969	4,0969
विशेष आरक्षितियां	14,500	14,500
पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	25,569	25,569
लाभ एवं हानि खाते में शेष	(50,168)	(50,779)
जिसमें से : पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में शेष	(4,391)	(4,157)
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	857	857
आई आर एस रिजर्व	19	19
अल्पांश ब्याज	-	-
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	15,000	15,000
कुल पूंजी	121,563	120,473
ii. जमा	2,135,954	2,136,038
जिसमें से : बैंकों से जमा	19,705	19,705
जिसमें से : ग्राहकों से जमा	2,116,249	2,116,334
iii. उधार	214,124	214,124
जिसमें से : भा.रि.बैंक से	79,544	79,544
जिसमें से : बैंकों से	119	119
जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	5,017	5,017
जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	85,342	85,342
जिसमें से : पूंजी लिखत	54,500	54,500
जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत	3,000	3,000
	15,000	15,000
जिसमें से : गौण ऋण — अपर टियर 2 पूंजी	10,000	10,000
जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 पूंजी	8,500	8,500
जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 बैसल III पूंजी	25,000	25,000
जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत बासेल III अनुपालित एटी1 पूंजी.	-	-
iv. अन्य देयताएं एवं प्रावधान	66,057	59,422
कुल	2,537,697	2,530,058

चरण - 1
(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र (एकल)	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र (एकल)
बी.	आस्तियां		
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	92,911	92,910
ii.	निवेश :		
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	121,680	121,374
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित आस्तियां	685,023	679,941
	जिसमें से : शेयर	630,441	628,263
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बांड	31	-
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट	8,235	8,160
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	40,170	37,995
iii.	ऋण एवं अग्रिम	2,913	3,963
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	3,233	1,560
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,520,607	1,520,607
iv.	अचल आस्तियां	73,697	73,697
v.	अन्य आस्तियां	1,44,6910	1,44,6910
	जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां	31,476	31,349
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	85,999	83,877
vi.	समेकन पर साख	394	394
vii.	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	28,675	28,672
	कुल आस्तियां	-	-
		-	-
		2,537,697	2,530,058

चरण - 2

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
ए.	पूंजी एवं देयताएं			
i.	प्रदत्त पूंजी	8,440	8,440	
	जिसमें से : सीईटी1 हेतु पात्र राशि	-	8,440	ए 1
	जिसमें से : एटी1 हेतु पात्र राशि	-	-	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	98,122	97,033	
	जिसमें से :			
	सांविधिक आरक्षितियां	32,265	32,265	बी1
	पूंजी आरक्षितियां	5,102	4,624	बी2
	राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	27,622	27,622	बी3
	निवेश आरक्षित निधि खाता	1,386	1,386	डी1
	शेयर प्रीमियम	40,969	40,969	ए 2
	विशेष आरक्षितियां	14,500	14,500	बी4
	पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	25,569	25,569	
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	-	11,506	बी5

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
	जिसमें से : टियर 2 हेतु पात्र राशि	-	-	
	लाभ एवं हानि खाते में शेष	(50,168)	(50,779)	ए3
	जिसमें से : पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार			
	लाभ एवं हानि खाते में शेष अल्पांश ब्याज	(4,391)	(4,157)	
	विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	857	857	
	जिसमें से : पूंजीगत निधि के अन्तर्गत मानी गई	-	606	बी6
	आई आर एस रिजर्व	19	19	
	शेयर आवेदन राशि लम्बित आबंटन	15,000	15,000	बी7
	अल्पांश ब्याज	-	-	-
	कुल पूंजी	121,563	120,473	-
ii.	जमा	2,135,954	2,136,038	-
	जिसमें से : बैंकों से जमा	19,705	19,705	-
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	2,116,249	2,116,334	-
iii.	उधार	214,124	214,124	-
	जिसमें से : भा.रि.बैंक से	79,544	79,544	-
	जिसमें से : बैंकों से	119	119	-
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	5,017	5,017	
	जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	67,945	67,945	
	जिसमें से : पूंजी लिखत	61,500	61,500	
	जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत			
	जिसमें से : ए टी आई पूंजी हेतु पात्र	3,000	3,000	
		-	1200	ई1
	जिसमें से : गौण ऋण — अपर टियर 2 पूंजी	10,000	10,000	ई2
	जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 पूंजी	8,500	8,500	
	जिसमें से : पात्र गौण ऋण — टियर 2 बैसल III पूंजी	-	900	ई3
	जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 बैसल III पूंजी	25,000	25,000	ई4
	जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण			
	लिखत-बासेल III अनुपालित एटी1 पूंजी	15,000	15,000	ई5
iv.	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	66,057	59,422	
	जिसमें से : मानक अग्रिम हेतु प्रावधान	7512	7512	डी2
	जिसमें से : अनहेज्ड विदेशी मुद्रा हेतु प्रावधान	46	46	डी3
	जिसमें से : साख संबंधी डीटीएल	-	-	-
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	-	-	-
	जिसमें से : विशेष आरक्षतियां संबंधी डीटीएल	4949	4949	
	कुल	2,537,697	2,530,058	
B.	आस्तियां			
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	92,911	92,910	-
	बैंकों के पास मांग तथा अल्प सूचना पर धन	121,680	121,374	-
ii.	निवेश	685,023	679,941	-
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	630,441	628,263	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित आस्तियां	31	-	-

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
	जिसमें से : शेयर	8,235	8,160	
	जिसमें से : रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	1038	1038	सी3
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बांड	40,170	37,995	
	जिसमें से : एटी-1 के अंतर्गत रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	-	-	
	जिसमें से : टियर II के अंतर्गत रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	50	50	सी4
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट	2,913	3,963	सी5
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	3,233	1,560	-
iii.	ऋण एवं अग्रिम	1,520,607	1,520,607	-
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	73697	73697	-
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,446,910	1,446,910	-
iv.	अचल आस्तियां	31,476	31,349	-
v.	अन्य आस्तियां	85,999	83,877	-
	जिसमें से : साख	-	-	-
	अमूर्त आस्तियां	-	-	सी1
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	394	394	
vi.	समेकन पर साख	28,675	28,672	सी2
vii.	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-	-
	कुल आस्तियां	2,537,697	2,530,058	

चरण - 3

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का सार (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ - 11

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक चरण 2 समेकन फॉर्म के विनियामक गुंजाईश के अंतर्गत तुलनपत्र की संदर्भ संख्याओं/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी पात्र सामान्य शेयर (एवं गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु समतुल्य)		
	पूंजी + संबंधित स्टॉक अधिशेष	49,410	ए1अए2
2	प्रतिधारित उपार्जन	(50,779)	ए 3
3	संचित अन्य समग्र आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	106,124	वि1अवि2अवि3अवि4अवि5 अवि6अवि7
4	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी सीईटी 1 से फेज आऊट के अध्यक्षीन (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)	-	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी1 में अनुमत)	-	
6	विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	104,829	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-	

TABLE DF – 12

Composition of Capital-Reconciliation Requirements

Step - 1

(₹ in millions)

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation
A.	<u>Capital & Liabilities</u>		
i.	Paid-up Capital	8,440	8,440
	Reserves & Surplus	98,122	97,033
	of which:		
	Statutory Reserve	32,265	32,265
	Capital Reserve	5,103	4,625
	Revenue & Other Reserves	27,622	27,622
	Investment Reserve Account	1,386	1,386
	Share Premium	40,969	40,969
	Special Reserve	14,500	14,500
	Revaluation Reserve	25,569	25,569
	Balance in Profit & Loss Account	(50,168)	(50,779)
	of which: Balance in Profit & Loss Account as per last financial Year	(4,391)	(4,157)
	Foreign Currency Translation Reserves	857	857
	I R S Reserve	19	19
	Minority Interest	-	-
	Share application money pending allotment	15,000	15,000
	<u>Total Capital</u>	121,563	120,473
ii.	Deposits	2,135,954	2,136,038
	of which: Deposits from Banks	19,705	19,705
	of which: Customer deposits	2,116,249	2,116,334
iii.	<u>Borrowings</u>	214,124	214,124
	of which: From RBI	79,544	79,544
	of which: From Banks	119	119
	of which: From other institutions & agencies	5,017	5,017
	of which: Others (Outside India)	67,945	67,945
	of which: Capital instruments	61,500	61,500
	of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments	3,000	3,000
	of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments Basel III Compliant.	15,000	15,000
	of which: Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	10,000	10,000
	of which : Subordinated Debt - Tier II Capital	8,500	8,500
	of which : Subordinated Debt - Tier II Bael III Capital	25,000	25,000
iv.	<u>Other liabilities & provisions</u>	66,057	59,422
	Total	2,537,697	2,530,058

Step - 1

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation
B.	Assets		
i.	Cash and balances with Reserve Bank of India	92,911	92,910
	Balance with Banks and money at call and short notice	121,680	121,374
ii.	Investments:	685,023	679,941
	of which: Government securities	630,441	628,263
	of which: Other approved securities	31	-
	of which: Shares	8,235	8,160
	of which: Debentures & Bonds	40,170	37,995
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	2,913	3,963
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	3,233	1,560
iii.	Loans and advances	1,520,607	1,520,607
	of which: Loans and advances to Banks	73,697	73,697
	of which: Loans and advances to customers	1,44,6910	1,44,6910
iv.	Fixed assets	31,476	31,349
v.	Other assets	85,999	83,877
	of which: Goodwill and intangible assets	394	394
	of which: Deferred tax assets	28,675	28,672
vi.	Goodwill on consolidation	-	-
vii.	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	2,537,697	2,530,058

Step - 2

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation	Ref. No.
A.	Capital & Liabilities			
i.	Paid-up Capital	8,440	8,440	
	of which: Amount eligible for CET1	-	8,440	A1
	of which: Amount eligible for AT1	-	-	
	Reserves & Surplus	98,122	97,033	
	of which:			
	Statutory Reserve	32,265	32,265	B1
	Capital Reserve	5,102	4,624	B2
	Revenue & Other Reserves	27,622	27,622	B3
	Investment Reserve Account	1,386	1,386	D1
	Share Premium	40,969	40,969	A2
	Special Reserve	14,500	14,500	B4
	Revaluation Reserve	25,569	25,569	
	of which: Amount eligible for CET1	-	11,506	B5

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory requirement	Ref. No.
	<i>of which: Amount eligible for Tier II</i>	-	-	
	Balance in Profit & Loss Account	(50,168)	(50,779)	A3
	<i>of which: Balance in Profit & Loss Account as per last financial Year</i>	(4,391)	(4,157)	
	Foreign Currency Translation Reserves	857	857	
	<i>of which: Considered under Capital fund</i>	-	606	B6
	IRS Reserve	19	19	
	Share application money pending allotment	15,000	15,000	B7
	Minority Interest	-	-	-
	Total Capital	121,563	120,473	-
ii.	Deposits	2,135,954	2,136,038	-
	<i>of which: Deposits from Banks</i>	19,705	19,705	-
	<i>of which: Customer deposits</i>	2,116,249	2,116,334	-
iii.	Borrowings	214,124	214,124	
	<i>of which: From RBI</i>	79,544	79,544	-
	<i>of which: From Banks</i>	119	119	-
	<i>of which: From other institutions & agencies</i>	5,017	5,017	
	<i>of which: Others (Outside India)</i>	67,945	67,945	
	<i>of which: Capital instruments</i>	61,500	61,500	
	<i>of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments</i>	3,000	3,000	
	<i>of which: Eligible AT1 Capital</i>	-	1200	E1
	<i>of which: Subordinated Debt - Upper Tier II Capital</i>	10,000	10,000	E2
	<i>of which: Subordinated Debt - Tier II Capital</i>	8,500	8,500	
	<i>of which: Eligible Subordinated Debt Tier II Capital</i>	-	900	E3
	<i>of which: Subordinated Debt - Tier II Basel III Capital</i>	25,000	25,000	E4
	<i>of which: Subordinated Innovative Perpetual</i>	15,000	15,000	E5
	Debt Instruments - ATI Capital Basel III Compliant.			
iv.	Other liabilities & provisions	66,057	59,422	
	<i>Of which: provision for Standard Advances</i>	7512	7512	D2
	<i>Of which: provision for Unhedged Foreign Currency Exposure</i>	46	46	D3
	<i>of which: DTLs related to goodwill</i>	-	-	
	<i>of which: DTLs related to Intangible Assets</i>	-	-	
	<i>of which: DTLs related to Special Reserve</i>	4949	4949	
	Total	2,537,697	2,530,058	
B.	Assets			
i.	Cash and balances with Reserve Bank of India	92,911	92,910	-
	Balance with Banks and money at call and short notice	121,680	121,374	-
ii.	Investments:	685,023	679,941	-
	<i>of which: Government securities</i>	630,441	628,263	-
	<i>of which: Other approved securities</i>	31	-	-

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory requirement	Ref. No.
	of which: Shares	8,235	8,160	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding</i>	1,038	1,038	C3
	of which: Debentures & Bonds	40,170	37,995	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding under AT-1</i>	-	-	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding under Tier-II</i>	50	50	C4
	<i>of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates</i>	2,913	3,963	C5
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	3,233	1,560	-
iii.	Loans and advances	1,520,607	1,520,607	-
	of which: Loans and advances to Banks	73,697	73,697	-
	of which: Loans and advances to customers	1,446,910	1,446,910	-
iv.	Fixed assets	31,476	31,349	-
v.	Other assets	85,999	83,877	-
	of which: Goodwill	-	-	-
	of which: Intangible Assets	394	394	C1
	of which: Deferred tax assets	28,675	28,672	C2
vi.	Goodwill on consolidation	-	-	-
vii.	Debit balance in Profit & Loss account	-	-	-
	Total Assets	2,537,697	2,530,058	

Step - 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table DF-11

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	49,410	A1 + A2
2	Retained earnings	(50,779)	A3
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	106,124	B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	104,829	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	

ए. इक्विटी पूँजी इक्विटी पूँजी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	ईक्विटी
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	ISIN: INE428A01015
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
4	ट्रांजिशनल बैसल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पोस्ट ट्रांजिशनल बैसल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	कॉमन ईक्विटी
8	विनियामक पूँजी में अभिज्ञात राशि (नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि तक)	₹ 8,440.44 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹ 8,440.44 मिलियन
10	लेखा वर्गीकरण	₹10 प्रति शेयर
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	शेयरधारक की निधि
12	स्थायी या दिनांकित	विविध
13	मूल परिपक्वता तिथि	स्थायी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्याधीन जारीकर्ता की मांग	कोई परिपक्वता नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि तथा मोचन राशि	नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हो	अप्रयोज्य
कूपन/लाभांश		
17	स्थिर या चल लाभांश/कूपन	विवेकाधीन डिविडेंड
18	कूपन दर एवं कोई संबंधित इंडेक्स	अप्रयोज्य
19	लाभांश स्टांपर का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधीन
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अप्रयोज्य
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य
30	अवलिखित विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन, पूर्णता आंशिक	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन, आलेख प्रताली का विवरण	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम में स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अप्रयोज्य
36	अनअनुपालित रूपांतरित विशिष्टियां	नहीं
37	यदि हां, अनअनुपालित विशिष्टियां बताएं	अप्रयोज्य

बी. अतिरिक्त टियर 1 पूँजी लिखत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	स्थायी बॉण्ड सीरीज I	स्थायी बॉण्ड सीरीज II
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	INE428A09091	INE428A09125
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि
विनियामक उपचार			
4	ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	पोस्ट-ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	स्थायी	स्थायी
8	विनियामक पूँजी में अभिज्ञात राशि (₹ मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को)	₹ 600 मिलियन	₹ 600 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹1,500 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉण्ड)	₹1,500 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉण्ड)
10	लेखा वर्गीकरण	स्थायी	स्थायी
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	30 मार्च, 2009	18 दिसम्बर, 2009
12	स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी

क्र. सं.	विवरण	स्थायी बॉड सीरीज I	स्थायी बॉड सीरीज II
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	हां	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और	वैकल्पिक मांग तिथि : 30 मार्च, 2019 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन	वैकल्पिक मांग तिथि पर 18 दिसम्बर, 2019 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों	30 मार्च, 2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि	18 दिसम्बर, 2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
	कूपन / लाभांश		
17	अचल या चल लाभांश कूपन	अचल	अचल
18	कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	पहली मांग विकल्प तिथि तक निर्गम तिथि से वार्षिक रूप से देय 9.20% प्रति वर्ष और यदि बैंक मांग विकल्प का वर्ष उपयोग नहीं करता है, 9.20% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात 30 मार्च, 2019 के बाद 9.70% प्रति वर्ष	पहली मांग विकल्प तिथि तक निर्गम तिथि से वार्षिक रूप से देय 9.08% और यदि बैंक मांग विकल्प का उपयोग नहीं करता है, 9.08% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात 18 दिसम्बर, 2019 के बाद 9.58% प्रति वर्ष
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन केका उत्प्रेरक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
30	अवलिखित विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन, पूर्णतया आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन, राइट-अप प्रणाली का विवरण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में गौण अनुक्रम में स्थिति	बॉन्डधारकों के दावे (ए) इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावे से श्रेष्ठतर और (बी) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण	बॉन्डधारकों के दावे (ए) इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावे से श्रेष्ठतर और (बी) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण

सी. बासेल ।।। अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत
बासेल ।।। अनुपालित टियर 1 पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताएं :

क्र. सं.	विवरण	नवोन्मेषी स्थायी बॉन्ड सीरीज I	नवोन्मेषी स्थायी बॉन्ड सीरीज II	नवोन्मेषी स्थायी बॉन्ड सीरीज III	नवोन्मेषी स्थायी बॉन्ड सीरीज IV
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	INE428A08069	INE428A08077	INE428A08085	INE428A08093
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
विनियामक उपचार					
4	ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	पोस्ट-ट्रांजिशनल बासेल III नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
8	विनियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (₹ मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को)	₹3000 मिलियन	₹1000 मिलियन	₹6000 मिलियन	₹5000 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹3000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड) स्थायी	₹1000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड) स्थायी	₹6000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड) स्थायी	₹5000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड) स्थायी
10	लेखा वर्गीकरण	17 मार्च, 2017	25 सितम्बर, 2017	08 नवम्बर, 2017	29 दिसम्बर, 2017
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
12	स्थायी या दिनांकित	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं
13	मूल परिपक्वता तिथि	हां	हां	हां	हां
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्याधीन जारीकर्ता की मांग	वैकल्पिक मांग तिथि : 17 मार्च, 2022 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन	वैकल्पिक मांग तिथि पर 26 सितम्बर, 2022 (25 सितम्बर, 2022 रविवार) और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन	वैकल्पिक मांग तिथि 8 नवम्बर, 2022 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन	वैकल्पिक मांग तिथि 29 दिसम्बर 2022 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और				
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों				
	<u>कूपन / लाभांश</u>				
17	अचल या चल लाभांश कूपन	अचल	अचल	अचल	अचल
18	कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	पहली मांग विकल्प तिथि तक निर्गम तिथि से वार्षिक रूप से देय 11.15% प्रति वर्ष	पहली मांग विकल्प तिथि तक निर्गम तिथि से वार्षिक रूप से देय 11.85% प्रति वर्ष	पहली मांग विकल्प तिथि तक निर्गम तिथि से वार्षिक रूप से देय 9.34% प्रति वर्ष	पहली मांग विकल्प तिथि तक निर्गम तिथि से वार्षिक रूप से देय 10.00% प्रति वर्ष
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	हां	हां	हां	हां
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन	पूर्णतः विवेकाधीन	पूर्णतः विवेकाधीन
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन केका उत्प्रेरक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

[illegible]

ए. अपर टियर 2 पूंजी लिखत अपर टियर 2 पूंजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :

99

बी. गौण बांड, लोअर टियर 2

गौण बांड मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

क्र. सं. विवरण	सीरीज VIII	सीरीज IX
- जारीकर्ता - विशिष्ट पहचान - लिखत के शासी नियम	इलाहाबाद बैंक INE428A09083 भारतीय कानून	इलाहाबाद बैंक INE428A09109 भारतीय कानून
विनियामक उपचार - ट्रांजिशनल बैसल III नियम - पोस्ट-ट्रांजिशनल बैसल III नियम - एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता - लिखत का प्रकार - विनियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (₹मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को) - लिखत का सममूल्य	टियर 2 अपात्र एकल एवं समूह अपर टियर 2	टियर 2 अपात्र एकल एवं समूह अपर टियर 2
- लेखा वर्गीकरण - जारी किए जाने की मूल तिथि - स्थायी या दिनांकित - मूल परिपक्वता तिथि - पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग - वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और मोचन राशि - परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों	- ₹4,000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड) देयता 26 मार्च, 2009 दिनांकित 26 मार्च, 2019 नहीं नहीं अप्रयोज्य	₹900 मिलियन ₹4,500 मिलियन (₹1 मिलियन प्रति बॉन्ड) देयता 4 अगष्ट, 2009 दिनांकित 4 अगष्ट, 2019 नहीं नहीं अप्रयोज्य
कूपन / लाभांश - अचल या चल लाभांश कूपन - कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	अचल पहली मांग विकल्प तिथि तक जारी तिथि से वार्षिक भुगतान 9.23% प्रति वर्ष	अचल पहली मांग विकल्प तिथि तक जारी तिथि से वार्षिक भुगतान 8.45% प्रति वर्ष
- लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व - पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य - स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन - अ-संचयी या संचयी - परिवर्तनीय या अ-परिवर्तनीय - यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक - यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक - यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर - यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन - यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं - यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं - अवलिखित विशेषताएं - यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक - यदि अवलेखन, पूर्णतया आंशिक - यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी - यदि अस्थायी अवलेखन, राइट अप प्रणाली का विवरण - परिसमापन में गौण क्रम में स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत बताएं)	नहीं प्रत्येक वर्षगांठ तिथि पर हां अ-परिवर्तनीय अ-परिवर्तनीय अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टियर। पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) और अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे	नहीं प्रत्येक वर्षगांठ तिथि पर हां अ-परिवर्तनीय अ-परिवर्तनीय अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टियर। पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) और अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे
- अन-अनुपालित परिवर्तित विशिष्टियां - यदि हां, अन-अनुपालित विशिष्टियां बताएं	हां स्टेप अप, कोई बैसल III हानि अवशोषण नहीं	हां स्टेप अप, कोई बैसल III हानि अवशोषण

सी. बासेल III अनुपालित टियर 2 बांड
बासेल III अनुपालित टियर 2 बांड की मुख्य विशेषताएं :

क्रम सं.	विवरण	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III
1.	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2.	यूनीक आइडेंटिफायर (उदाहरणार्थ सीयूसआईपी, आईएसआईएन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट हेतु ब्लूमबर्ग आइडेंटिफायर)	INE428A08028	INE428A08044	INE428A08051
3.	लिखत के शासी कानून.	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
4.	ट्रांजीशनल बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5.	पोस्ट ट्रांजीशनल बासेल III नियम	पात्र	पात्र	पात्र
6.	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप
7.	लिखत का प्रकार	गौण टीयर II	गौण टीयर II	गौण टीयर II
8.	नियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि का (₹ मिलियन, रु मिलियन में)	₹ 5000 मिलियन	₹ 10000 मिलियन	₹ 10000 मिलियन
9.	लिखत का सम मूल्य	₹ 5000 मिलियन (₹ 1मिलियन प्रति बॉन्ड)	₹ 10000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड)	₹ 10000 मिलियन
10.	लेखा वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11.	जारी करने की मूल तिथि	20 जनवरी 2015	21 दिसम्बर 2015	25 जनवरी 2017
12.	शाश्वत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिपक्वता तिथि	20 जनवरी 2025	20 दिसम्बर 2025 21 दिसम्बर 2025 रविवार होने के कारण	25 जनवरी 2027
14.	पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की काल	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
15.	आपनल काल तिथि, आकस्मिक काल तिथि और मोचन राशि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
16.	परवर्ती काल दें यदि प्रयोज्य हो	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
कूपन/लाभंश				
17.	स्थिर या फ्लोटिंग लाभंश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18.	कूपन रेट और संबंधित सूचकांक	8.78% प्र.व. बांडों की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय	8.64% प्र.व. बांडों की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय	8.15% प्र.व. बांडों की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय
19.	लाभंश स्टापर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
20.	पूर्णतया विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन

क्रम सं.	विवरण	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III
21.	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
22.	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23.	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन ट्रिगर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25.	यदि परिवर्तनीय है, पूर्णतया या अंशतः	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26.	यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27.	यदि परिवर्तनीय है, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक कन्वर्जन	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28.	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तन किए जाने वाले लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29.	यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्ट किए जाने हेतु लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
30.	अवलेखन विशेषताएं	हां	हां	हां
31.	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर (एस)	बांड भारिबैं के आश्रय पर 'वाईट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा: क) यह निर्णय कि स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है ; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की गई पूंजी डाइल्यूट न हो।	बांड भारिबैं के आश्रय पर 'वाईट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा: क) यह निर्णय कि स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की गई पूंजी डाइल्यूट न हो।	बांड भारिबैं के आश्रय पर 'वाईट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा: क) यह निर्णय कि स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की गई पूंजी डाइल्यूट न हो।

क्रम सं.	विवरण	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III
32.	यदि अवलेखन, पूर्णतः या अंशतः	पूर्णतः	पूर्णतः	पूर्णतः
33.	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34.	यदि अस्थायी अवलेखन, राइट अप तंत्र का विवरण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
35.	परिसमापन में सर्वाङ्गिक अनुक्रम की स्थिति (लिखत से तत्काल उच्चतर लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	बांड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकौती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बांडधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।	बांड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकौती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बांडधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।	बांड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकौती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बांडधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।
36.	गैर अनुपालन ट्रांजिशंड विशेषताएं	नहीं	नहीं	
37.	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	

TABLE DF – 13	Main Features of Regulatory Capital
---------------	-------------------------------------

A. Equity Capital

The main features of Equity Capital are as follows:

S. No.	Particulars	Equity
1	Issuer	Allahabad Bank
2	Unique identifier	ISIN: INE428A01015
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier I
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Common Equity
8	Amount recognized in regulatory capital (as of most recent reporting date)	₹ 8,440.44 million
9	Par value of instrument	₹ 8,440.44 million (₹ 10 per share)
10	Accounting classification	Shareholder's Fund
11	Original date of issuance	Various
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Discretionary Dividend
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	NA
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

B. Basel II Compliant Tier I Capital instruments

The main features of Additional Tier I Capital Instruments are as follows :

S. No.	Particulars	Perpetual Bond Series I	Perpetual Bond Series II
1	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2	Unique identifier	INE428A09091	INE428A09125
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual	Perpetual
8	Amount recognized in regulatory capital		
9	Par value of instrument	₹ 600 million ₹1,500 million (₹1 million per Bond)	₹ 600 million ₹1,500 million (₹1 million per Bond)
10	Accounting classification	Liability	Liability
11	Original date of issuance	30th March, 2009	18th December, 2009
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual

S. No.	Particulars	Perpetual Bond Series I	Perpetual Bond Series II
13	Original maturity date	No Maturity	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Optional call date: 30 th March 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent Call Dates: NA Redemption at par	Optional Call Date: 18 th December 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On each anniversary date after 30 th March 2019	On each anniversary date after 18 th December 2019
Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.20% p.a. payable annually from issue date till the first call option date and if the Bank does not exercise the call option, 50 bps over and above coupon rate of 9.20% i.e. 9.70% p.a. after 30 th March, 2019	9.08% p.a., payable annually from issue date till first call option date and if the Bank does not exercise the call option, 50 bps over and above coupon rate of 9.08% i.e. 9.58% p.a. after 18 th December, 2019
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation	The claims of the Bondholders shall be (a) superior to the claims of investors in equity shares and (b) subordinated to the claims of all other creditors	The claims of the Bondholders shall be (a) superior to the claims of investors in equity shares and (b) subordinated to the claims of all other creditors

C. Basel III Compliant Additional Tier I capital instruments

The main features of Basel III Compliant Additional Tier I capital instruments are as follows:

S. No.	Particulars	AT 1 Perpetual Bonds Series I	AT 1 Perpetual Bonds Series II	AT 1 Perpetual Bonds Series III	AT 1 Perpetual Bonds Series IV
1	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2	Unique identifier	INE428A08069	INE428A08077	INE428A08085	INE428A08093
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	<u>Regulatory Treatment</u>				
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
8	Amount recognized in regulatory capital	₹. 3000 million	₹ 1000 million	₹ 6000 million	₹ 5000 million
9	Par value of instrument	₹ 3000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 1000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 6000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 5000 million (₹ 1 million per Bond)
10	Accounting classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	17 th March, 2017	25 th September, 2017	08 th November, 2017	29 th December, 2017
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity	No Maturity	No Maturity	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Optional Call Date: 17th March 2022 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption At Par	Optional Call Date: 26th September 2022 (25th September 2022 being Sunday) and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption At Par	Optional Call Date: 08th November 2022 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption At Par	Optional Call Date: 29th December 2022 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On each anniversary date after 17th March 2022	On each anniversary date after 25th September 2022	On each anniversary date after 08th November 2022	On each anniversary date after 29th December 2022
	<u>Coupons/Dividends</u>				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.15% p.a., payable annually from issue date.	11.85% p.a., payable annually from issue date.	9.34% p.a., payable annually from issue date.	10.00% p.a., payable annually from issue date.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA

S. No.	Particulars	AT 1 Perpetual Bonds Series I	AT 1 Perpetual Bonds Series II	AT 1 Perpetual Bonds Series III	AT 1 Perpetual Bonds Series IV
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	There are two types of write down triggers: 1. Trigger Event means that the Bank's CET 1 Ratio is: (i) if calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5%; or (ii) if calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125%, (the "CET1 Trigger Event Threshold") 2. PONV Trigger, in respect of the Bank means the earlier of: (i) a decision that the conversion or permanent write off, without which the Bank would become nonviable, is necessary, as determined by the Reserve Bank of India; and b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the RBI/ Relevant authority.	There are two types of write down triggers: 1. Trigger Event means that the Bank's CET 1 Ratio is: (i) if calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5%; or (ii) if calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125%, (the "CET1 Trigger Event Threshold") 2. PONV Trigger, in respect of the Bank means the earlier of: (i) a decision that the conversion or permanent write off, without which the Bank would become nonviable, is necessary, as determined by the Reserve Bank of India; and b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the RBI/ Relevant authority.	There are two types of write down triggers: 1. Trigger Event means that the Bank's CET 1 Ratio is: (i) if calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5%; or (ii) if calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125%, (the "CET1 Trigger Event Threshold") 2. PONV Trigger, in respect of the Bank means the earlier of: (i) a decision that the conversion or permanent write off, without which the Bank would become nonviable, is necessary, as determined by the Reserve Bank of India; and b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the RBI/ Relevant authority.	There are two types of write down triggers: 1. Trigger Event means that the Bank's CET 1 Ratio is: (i) if calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5%; or (ii) if calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125%, (the "CET1 Trigger Event Threshold") 2. PONV Trigger, in respect of the Bank means the earlier of: (i) a decision that the conversion or permanent write off, without which the Bank would become nonviable, is necessary, as determined by the Reserve Bank of India; and b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the RBI/ Relevant authority.
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially as determined by the RBI	Fully or Partially as determined by the RBI	Fully or Partially as determined by the RBI	Fully or Partially as determined by the RBI
33	If write-down, permanent or temporary	1. In case of PONV Trigger - only Permanent. 2. In case of pre specified trigger - only Temporary.	3. In case of PONV Trigger - only Permanent. 4. In case of pre specified trigger - only Temporary.	5. In case of PONV Trigger - only Permanent. 6. In case of pre specified trigger - only Temporary.	7. In case of PONV Trigger - only Permanent. 8. In case of pre specified trigger - only Temporary.

S.No.	Particulars	AT 1 Perpetual Bonds Series I	AT 1 Perpetual Bonds Series II	AT 1 Perpetual Bonds Series III	AT 1 Perpetual Bonds Series IV
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Following a write-down pursuant to Pre-specified CET1 Trigger Event (Temporary write down), the outstanding principal amount of the bonds may be increased in accordance with RBI guidelines. Bonds may be subject to more than one Reinstatement.	Following a write-down pursuant to Pre-specified CET1 Trigger Event (Temporary write down), the outstanding principal amount of the bonds may be increased in accordance with RBI guidelines. Bonds may be subject to more than one Reinstatement.	Following a write-down pursuant to Pre-specified CET1 Trigger Event (Temporary write down), the outstanding principal amount of the bonds may be increased in accordance with RBI guidelines. Bonds may be subject to more than one Reinstatement.	Following a write-down pursuant to Pre-specified CET1 Trigger Event (Temporary write down), the outstanding principal amount of the bonds may be increased in accordance with RBI guidelines. Bonds may be subject to more than one Reinstatement.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation	The claims of the Bondholders shall be (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares of the Issuer, if any; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) pari-passu without preference amongst themselves and other debt instruments classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) to the extent permitted by the Basel III Guidelines, pari-passu with any subordinated obligation eligible for inclusion in hybrid Tier 1 capital under the then prevailing Basel II guidelines; and v) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors.	The claims of the Bondholders shall be (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares of the Issuer, if any; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) pari-passu without preference amongst themselves and other debt instruments classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) to the extent permitted by the Basel III Guidelines, pari-passu with any subordinated obligation eligible for inclusion in hybrid Tier 1 capital under the then prevailing Basel II guidelines; and v) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors.	The claims of the Bondholders shall be (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares of the Issuer, if any; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) pari-passu without preference amongst themselves and other debt instruments classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) to the extent permitted by the Basel III Guidelines, pari-passu with any subordinated obligation eligible for inclusion in hybrid Tier 1 capital under the then prevailing Basel II guidelines; and v) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors.	The claims of the Bondholders shall be (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares of the Issuer, if any; (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors and subordinated debt of the Issuer other than subordinated debt qualifying as Additional Tier1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) of the Issuer; (iii) pari-passu without preference amongst themselves and other debt instruments classifying as Additional Tier 1 Capital in terms of Basel III Guidelines; (iv) to the extent permitted by the Basel III Guidelines, pari-passu with any subordinated obligation eligible for inclusion in hybrid Tier 1 capital under the then prevailing Basel II guidelines; and v) Neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors.

D. Tier II Capital Instruments

a. **Upper Tier II Capital Instruments** : The main features of Upper Tier II Capital Instruments are as follows :

S.No.	Particulars	Series I	Series II
1.	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2.	Unique identifier	INE428A09075	INE428A09117
3.	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	<u>Regulatory treatment</u>		
4.	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5.	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6.	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7.	Instrument type	Upper Tier II	Upper Tier II
8.	Amount recognized in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	₹ 5,000 million	₹ 5,000 million
9.	Par value of instrument	₹ 5,000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 5,000 million (₹ 1 million per Bond)
10.	Accounting classification	Liability	Liability
11.	Original date of issuance	19 th March 2009	18 th December 2009
12.	Perpetual or dated	Dated	Dated
13.	Original maturity date	19 th March 2024	18 th December 2024
14.	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15.	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Optional Call Date: 19 th March 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption at Par	Optional Call Date: 18 th December 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption at Par
16.	Subsequent call dates, if applicable	On each anniversary date after optional call date i.e. 19.03.2019.	On each anniversary date after optional call date i.e. 18.12.2019.
	<u>Coupons / dividends</u>		
17.	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed
18.	Coupon rate and any related index	9.28% p.a. payable annually from issue date till the first call option date and if the call option is not exercised by the Bank then 50 bps over and above coupon rate of 9.28% i.e. 9.78% p.a. payable annually after 19 th March 2019	8.58% p.a. payable annually from issue date till the first call option date and if the call option is not exercised by the Bank then 50 bps over and above coupon rate of 8.58% i.e. 9.08% p.a. payable annually after 18 th December 2019
19.	Existence of a dividend stopper	No	No
20.	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary
21.	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes
22.	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23.	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24.	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25.	If convertible, fully or partially	NA	NA
26.	If convertible, conversion rate	NA	NA
27.	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28.	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29.	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30.	Write-down feature	No	No
31.	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32.	If write-down, full or partial	NA	NA
33.	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34.	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35.	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.
36.	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37.	If yes, specify non-compliant features	Step up; No Basel III Loss Absorbency	Step up; No Basel III Loss Absorbency

b. Subordinated Bonds, Lower Tier II : The main features of Subordinate Bonds are as follows :

S. No.	Particulars	Series VIII	Series IX
1.	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2.	Unique identifier	INE428A09083	INE428A09109
3.	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4.	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5.	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6.	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7.	Instrument type	Tier 2 Instruments	Tier 2 Instruments
8.	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	-	₹900 million
9.	Par value of instrument	₹ 4,000 million (₹1 million per Bond)	₹ 4,500 million (₹1 million per Bond)
10.	Accounting classification	Liability	Liability
11.	Original date of issuance	26th March 2009	4th August 2009
12.	Perpetual or dated	Dated	Dated
13.	Original maturity date	26th March 2019	4th August 2019
14.	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15.	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No
16.	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
	<u>Coupons / dividends</u>		
17.	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed
18.	Coupon rate and any related index	9.23% p.a. payable annually	8.45% p.a. payable annually
19.	Existence of a dividend stopper	No	No
20.	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21.	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22.	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23.	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24.	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25.	If convertible, fully or partially	NA	NA
26.	If convertible, conversion rate	NA	NA
27.	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28.	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29.	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30.	Write-down feature	No	No
31.	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32.	If write-down, full or partial	NA	NA
33.	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34.	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35.	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.
36.	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37.	If yes, specify non-compliant features	No Basel III Loss Absorbency	No Basel III Loss Absorbency

c. Basel III Complaint Tier 2 Bonds

The main features of Basel III Complaint Tier II Bonds are as follows:

S. No.	Particulars	Series I	Series II	Series III
1.	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2.	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08028	INE428A08044	INE428A08051
3.	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
4.	Regulatory treatment	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5.	Transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible
6.	Post-transitional Basel III rules	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7.	Eligible at solo/group/ group & solo	Subordinate Tier II	Subordinate Tier II	Subordinate Tier II
8.	Instrument type			
9.	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	₹ 5000 million	₹ 10000 million	₹ 10000 million
10.	Par value of instrument	₹ 5000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 10000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 10000 million (₹ 1 million per Bond)
11.	Accounting classification	Liability	Liability	Liability
12.	Original date of issuance	20th January 2015	21 st December 2015	25 th January 2017
13.	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
14.	Original maturity date	20 th January 2025	20 th December 2025 *21 st December 2025 being Sunday	25 th January 2027
15.	Issuer call subject to prior supervisory approval	NA	NA	NA
16.	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA
17.	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
Coupons / dividends				
17.	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18.	Coupon rate and any related index	8.78% p.a. payable annually till Maturity of Bonds	8.64% p.a. payable annually till Maturity of Bonds	8.15% p.a. payable annually till Maturity of Bonds
19.	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20.	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary

S.No.	Particulars	Series I	Series II	Series III
21.	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22.	Noncumulative or cumulativeNon-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23.	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24.	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25.	If convertible, fully or partiallyNA	NA	NA	NA
26.	If convertible, conversion rateNA	NA	NA	NA
27.	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28.	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29.	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30.	Write-down feature	YES	YES	YES
31.	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.

S.No.	Particulars	Series I	Series II	Series III
32.	If write-down, full or partial	Full	Full	Full
33.	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent	Permanent
34.	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35.	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36.	Non-compliant transitioned features	NO	NO	NO
37.	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

सारणी डीएफ – 14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें
-----------------	---------------------------------------

विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधनों एवं शर्तों से संबंधित प्रकटन बैंक की वेबसाइट में विनियामक प्रकटन के अंतर्गत पृथक रूप से प्रकट किए गए हैं। इस सेक्शन का लिंक है https://www.allahabadbank.in/English/Capital_Instruments.aspx

सारणी डीएफ – 15	परिलब्धियों हेतु प्रकटीकरण अपेक्षाएं
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हेतु अप्रयोज्य	

सारणी 16	इक्विटी-बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटीकरण
----------	---

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश को क्रय की तारीख को व्यापार हेतु धारित (एचटीएफ), विक्रय हेतु उपलब्ध(एएफएस), और परिपक्वता तक धारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेश को बैंकिंग बही में पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु वर्गीकृत किया जाता है।
- भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगी और एसोसिएट के इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। इन्हें व्यावसायिक प्रयोजन हेतु संबंध बनाए रखने के रणनीतिपरक उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को उनकी अर्जित लागत पर लिया जाता है न कि मार्कड टू मार्केट हेतु। इक्विटी निवेश के मूल्य में यदि कोई कमी, अस्थायी से इतर, होती है तो उसका प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के निवेश की बिक्री से हुई किसी हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। एचटीएम श्रेणी के निवेश की बिक्री से हुए किसी लाभ को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है और भारिबैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी रिजर्व में कर और सांविधिक रिजर्व के निवल के रूप में विनियोजित किया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

क. निवेशों का मूल्य

(₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से कोटेड शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से काफी भिन्न है)
अन कोटेड	1,812	2,672	अप्रयोज्य
कोटेड	शून्य	शून्य	अप्रयोज्य

ख. निवेशों का प्रकार और स्वरूप

(₹ मिलियन में)

सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड	—
निजी रूप से धारित	1,812

ग. लाभ/ हानि विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	राशि
रिपोर्टिंग अवधि में विक्रय और परिसमापन से उत्पन्न होने से हुए संचयी लाभ(हानि)	—
वसूल न किए गए कुल लाभ(हानि)	859
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यन लाभ(हानि)	—
पूँजी में शामिल वसूल न किए गए कुल लाभ(हानि)	—
पूँजी में शामिल अव्यक्त पुनर्मूल्यन लाभ(हानि)	—

घ. बैंकिंग बहियों हेतु पूँजी अपेक्षा

(₹ मिलियन में)

इक्विटी समूहन	बासेल III के अंतर्गत उपचार	पूँजी अपेक्षा
पीएसयू/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 2 मार्च 2004 को यथास्थिति एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत बैंक की बहियों में थे, इस प्रकार रखे जा सकते हैं।	जोखिम भारित	15

सारणी डीएफ 17

लेवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय बनाम लेखा आस्तियों के मिलान का सारांश

(₹ मिलियन में)

मद	31 मार्च 2018 को यथास्थिति
1 प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आसितयां	2,530,058
2 बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखा प्रयोजन हेतु समेकित किया जाता है किंतु विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है।	(1,050)
3 परिचालनगत लेखा ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र मानी गई में प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन किंतु जिसे लेवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर रखा जाता है	(394)
4 डेरिवेटिव वित्तीय विवरणों का समायोजन	46,879
5 प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेनों का समायोजन (अर्थात रेपो और इसी प्रकार के प्रतिभूत ऋण)	—
6 तुलनपत्र बाह्य मदों का समायोजन (अर्थात तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य राशि का संपरिवर्तन)	1,67,648
7 अन्य समायोजन	(20,490)
8 लेवरेज अनुपात एक्सपोजर	27,22,651

सार्वजनिक वित्तीय विवरणों का समाधान

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को यथास्थिति
1	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल आसितयां	25,30,058
2	प्रतिभूति वित्तीय विवरण हेतु समायोजन	(13,585)
3	अन्य समायोजन	(21,934)
4	लेवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र एक्सपोजर	24,94,539

सारणी डीएफ 18	लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट
----------------------	---

लेवरेज अनुपात जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षा हेतु विश्वसनीय अनुपूरक उपाय है। बैंक से अपेक्षित है कि वह न्यूनतम 4.5S का लेवरेज अनुपात बनाए रखे। समेकित ढांचे के अंतर्गत भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित बैंक का लेवरेज अनुपात निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में)

मद	31 मार्च 2018 को यथास्थिति
तुलनपत्र एक्सपोजर	
1 तुलनपत्र मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी रहित किंतु संपार्श्विक सहित)	25,16,473
2 (बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण हेतु घटाई गई आस्ति की राशि)	(21,934)
3 कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	24,94,540
डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध पुनर्स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी अंतर मार्जिन का निवल)	9,725
5 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध पीएफई हेतु एड आन राशि	37,154
6 परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में डेरिवेटिव सांपार्श्विक प्रावधान का सकल जहां तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया है	-
7 (नकदी अंतर मार्जिन हेतु डेरिवेटिव लेनदेन में प्रावधान हेतु प्राप्य आस्तियों से कटौती)।	-
8 क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग	-
9 रिटन क्रेडिट डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	-
10 रिटन क्रेडिट डेरिवेटिव हेतु आनसेट आफसेट हेतु समायोजित प्रभावी नोशनल कटौती	-
11 कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर(पंक्ति 4 से 10 का योग)	46,879
प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	
12 विक्रय लेखा लेनदेनों के समायोजन के बाद सकल एसएफटी आस्तियां(बिना निवल किए)	13,585
13 (सकल एसएफटी आस्तियों की नकद देय और नकद प्राप्य राशियों का निवल)	-
14 एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	-
15 एजेंट ट्रांजेक्शन एक्सपोजर	-
16 कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर(पंक्ति 12 से 15 का योग)	13,585
अन्य तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	
17 सकल नोशनल राशि पर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	6,63,299
18 समतुल्य ऋण राशि में संपरिवर्तन हेतु समायोजन	(4,95,651)
19 तुलनपत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का योग)	1,67,648
पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20 टियर I पूंजी	99,095
21 कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 और 19 का योग)	2,722,651
लेवरेज अनुपात	
22 बासेल III लेवरेज अनुपात	3.64%

लेवरेज अनुपात प्रकटीकरण

(₹ in millions)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 दिसम्बर, 2017	30 सितम्बर, 2017	30 जून, 2017
टियर 1 पूंजी	99,095	1,33,977	1,35,950	1,34,195
एक्सपोजर उपाय	2,722,651	2,679,056	2,622,322	2,566,815
लेवरेज अनुपात	3.64%	5.00%	5.18%	5.23%

TABLE DF – 14	FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
----------------------	--

Disclosures pertaining to the terms and conditions of regulatory capital instruments have been disclosed separately on the Bank's website under the Regulatory Disclosures Section.

The link to this section is https://www.allahabadbank.in/english/Capital_Instruments.aspx.

TABLE DF – 15	DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION
Not Applicable For Public Sector Bank	

TABLE DF – 16	EQUITIES—DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS
----------------------	---

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures

A. Value of Investment

(₹ in millions)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	1,812	2,672	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

B. Types And Nature of Investment

(₹ in millions)

Publicly traded	–
Privately held	1,812

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in millions)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	859
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in millions)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd March 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted	15

TABLE DF – 17**SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE**

(₹ in millions)

Item	As on Mar 31, 2018
1 Total consolidated assets as per published financial statements	25,30,058
2 Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(1,050)
3 Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	(394)
4 Adjustments for derivative financial instruments	46,879
5 Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	–
6 Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	1,67,648
7 Other adjustments	(20,490)
8 Leverage ratio exposure	27,22,651

Reconciliation with public financial statements

(₹ in millions)

Particulars	As on Mar 31, 2018
1 Total assets as per financial statement	25,30,058
2 Adjustments for securities financial statement	(13,585)
3 Other adjustments	(21,934)
4 On-Balance Sheet exposure under Leverage Ratio	24,94,539

TABLE DF – 18

LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

The leverage ratio act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 4.5%. The Bank's leverage ratio, calculated in accordance with the RBI guidelines under consolidated framework is as follows:

(₹ in millions)

Item	As on Mar 31, 2018
<u>On-balance sheet exposures</u>	
1 On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	25,16,473
2 (Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(21,934)
3 Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	24,94,540
<u>Derivative exposures</u>	
4 Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	9,725
5 Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	37,154
6 Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	–
7 (Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	–
8 (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	–
9 Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	–
10 (Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	–
11 Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	46,879
<u>Securities financing transaction exposures</u>	
12 Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	13,585
13 (Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	–
14 CCR exposure for SFT assets	–
15 Agent transaction exposures	–
16 Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	13,585
<u>Other off-balance sheet exposures</u>	
17 Off-balance sheet exposure at gross notional amount	6,63,299
18 (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(4,95,651)
19 Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	1,67,648
<u>Capital and total exposures</u>	
20 Tier 1 capital	99,095
21 Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	27,22,651
<u>Leverage ratio</u>	
22 Basel III leverage ratio	3.64%

LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

(₹ in millions)

Particulars	Mar 31, 2018	Dec 31, 2017	Sep 30, 2017	June 30, 2017
Tier 1 capital	99,095	133,977	135,950	134,195
Exposure Measure	2,722,651	2,679,056	2,622,322	2,566,815
Leverage Ratio	3.64%	5.00%	5.18%	5.23%

कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट गवर्नेंस का दर्शन :

इलाहाबाद बैंक की कारपोरेट नीति, कारपोरेट गवर्नेंस के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है जिसका उद्देश्य है अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कारपोरेट विकास की जिम्मेदारी लेते समय शेयरधारकों के मूल्य को अत्यधिक महत्व देते हुए अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। बैंक अपने प्रचारों में सतत उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। बैंक खुलेपन तथा पूरी स्पष्टता के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बैंक को ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के विश्वास की परम्परा हासिल होगी। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कारपोरेट उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है।

- देश के कानूनी ढाँचे तथा नैतिक मूल्यों के सिद्धान्तों के अधीन शेयरधारकों का मान बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना।
- अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना।
- अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों, निवेशकों और समग्रतः समाज के अन्य तबकों के लिए एक खुली एवं साफसुथरी परिस्थिति तैयार करना।
- समाज के सभी वर्गों के लिए निरपेक्ष एवं समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतिसक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

2. निदेशक मंडल :

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। अन्य निदेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(ए) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :

- i) भारत सरकार
- ii) कामगार कर्मचारी (वर्तमान में पद रिक्त है)
- iii) अधिकारी कर्मचारी (वर्तमान में पद रिक्त है)

(बी) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण के मामलों के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

(सी) तीन स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक

(डी) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार निदेशक (वर्तमान में पद रिक्त है)

(ई) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (वर्तमान में एक पद रिक्त है)

2.2. बोर्ड की समितियाँ :

बोर्ड ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेंस प्रदान करती हैं

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy:

Allahabad Bank's corporate policy envisages sound principles of Corporate Governance aimed at protecting the interests of all its stakeholders, giving utmost importance to shareholders' value while catering to the needs of the economy, national priorities and corporate growth. The Bank believes in highest standard of ethical values, transparency and disciplined approach to achieve sustainable excellence in its functioning. It is committed to comply with the best international practices coupled with continued openness and fairness and thereby enjoying "A Tradition of Trust" from its customers, shareholders and all other stakeholders. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by-

- Upholding and enhancing the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country.
- Extending best of services to its customers.
- Proclaiming a free and fair environment for its customers, employees, investors and other sections of the society at large.
- Ensuring a proactive management free from bias, ensuring fair and equitable justice to all sections of the society.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Chairman and Managing Director/ Managing Director & CEO and two Executive Directors are the whole time Directors appointed by the Government of India. The other Directors include the following:-

(a) A representative each of:

- i) Government of India (GOI),
- ii) Workmen Employees (Post presently lying vacant),
- iii) Officer Employees (Post presently lying vacant).

(b) One director possessing necessary expertise and experience in the matter relating to regulation or supervision of commercial bank, to be nominated by the Central Govt. on the recommendation of RBI.

(c) Three Independent Shareholder Directors.

(d) One Chartered Accountant Director appointed by Government of India (Post presently lying vacant).

(e) Three part-time Non-Official Directors (One post presently vacant).

2.2 Committees of Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focussed approach towards

एवं बैंक के मामलों में समुचित दिशानिर्देश देती हैं, कारगर मानिट्रिंग और नियंत्रण करती हैं :-

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबीओडी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) [पूर्व में निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी) के रूप में ज्ञात]
- हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
- आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति(आईटी समिति) [पूर्व में सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटी समिति) के रूप में ज्ञात]
- धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- परिलब्धि समिति (परि.समि)
- नामांकन समिति (नामां. समि)
- शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति (एसआईएसी)
- ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- वसूली समिति (आरसीबी)
- निर्वाचन समिति (ईसीबी)
- एचआर संबंधी स्टीयरिंग समिति [पूर्व में बोर्ड की एचआर समिति (एचआर समिति) के रूप में ज्ञात]
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.4 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मागदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.5 31.03.2018 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत है:-

governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank :-

- Management Committee of the Board (MCBOD)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Risk Management Committee (RMC)
- Committee of Directors (COD) on Vigilance [previously known as Directors' Promotion Committee (DPC)]
- Stakeholders' Relationship Committee (SRC)
- IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.) [Previously known as IT Committee (IT Com.)]
- Fraud Monitoring Committee (FMC)
- Customer Service Committee (CSC)
- Remuneration Committee (Remu. Com.)
- Nomination Committee (Nom. Com.)
- Share Issue and Allotment Committee (SIAC)
- Credit Approval Committee (CAC)
- Recovery Committee (RCB)
- Election Committee (ECB)
- Steering Committee on HR (HR Comm.) [previously known as HR Committee of the Board (HR Com.)]
- Willful Defaulters Review Committee (WDRC)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.4 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.5 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2018 was as under:

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति/नामांकन की तिथि Date of Appointment/ Nomination	बैंक के बोर्ड स्तरीय समितियों की सदस्यता Membership of Bank's Board Level Committees	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता Membership of other Board and Committees	धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held
1.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	06.05.2017	एमसीबी, आरएमसी, एफएमसी, आईटी समिति, सीएससी, सीओडी, सीएसी, डब्ल्यूडीआरसी, एचआर समिति व एसआईएसी MCB, RMC, FMC, IT Comm, CSC, COD, CAC, RCB, ECB, WDRC, HR Comm. & SIAC		6600

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता	धारित शेयरों की संख्या
Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board Level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
2.	श्री एन.के. साहू Shri N.K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director	12.03.2015	एमसीबी, आरएमसी, एसआरसी, आईटी समिति, सीएससी, सीएससी आरसीबी, ईसीबी, एचआर समिति व एसआईएसी MCB, RMC, SRC, IT Comm, CSC, CAC, RCB, ECB, HR Comm. & SIAC	मे. युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. - निदेशक M/s Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. - Director	6550
3.	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	18.02.2017	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआरसी, आईटी समि., सीएससी, सीएससी, आरसीबी, ईसीबी, एचआर समिति व एसआईएसी MCB, ACB, RMC, SRC, IT Comm, CSC, CAC, RCB, ECB, HR Comm. & SIAC	शून्य Nil	6550
4.	श्री राजीव रंजन Shri Rajeev Ranjan	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	17.08.2017	एसीबी, एफएमसी, सीओडी, परि.समि., नामांकन समि., आरसीबी एवं एचआर समिति ACB, FMC, COD, Remu. Comm., Nom. Comm., RCB & HR Comm.	शून्य Nil	शून्य Nil
5.	श्री विवेक दीप Shri Vivek Deep	भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director	06.12.2016	एमसीबी, एसीबी, सीओडी, परि.समिति MCB, ACB, COD, Remu. Comm.	शून्य Nil	शून्य Nil
6.	श्री राधा आर. शर्मा Shri Radha R. Sharma	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non-Official Director	28.01.2016	एफएमसी. एसआरसी. सीएससी. नामां. समि., एसआईएसी, परि. समि. और ईसीबी. FMC, SRC, CSC, Nom. Comm. SIAC. Remu. Com. & ECB	शून्य Nil	शून्य Nil
7.	श्री गौतम गुहा Shri Gautam Guha	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non-Official Director	25.04.2016	एसीबी, डब्ल्यूडीआरसी, एफएमसी, नामां. समि., एसआईएसी और आईटी समि. ACB, WDRC, FMC, Nom. Comm., SIAC & IT Comm.	शून्य Nil	शून्य Nil

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता	धारित शेयरों की संख्या
Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board Level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
8.	डा. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	22.03.2018	एसीबी, एसआरसी, आरएमसी, एफएमसी एवं आरसीबी ACB, SRC, RMC, FMC & RCB	1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. 2. जेएसएस साफ्टवेयर एंड पार्क्स लि. 3. जेएसएस आईटी साल्यूशन्स प्रा.लि. 4. साहू प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. 5. संत शिरडी साई एड्युकेशन सोसाइटी प्रा.लि. 6. एसआरबी टेक्नोलोजीस प्रा.लि. 1. Hindustan Shipyard Ltd. 2. JSS Software & Parks Pvt. Ltd. 3. JSS IT Solutions Pvt. Ltd. 4. Sahoo Projects Pvt. Ltd. 5. St. Shirdi Sai Education Society Pvt. Ltd. 6. SRB Technologies Pvt. Ltd.	500
9.	श्री सारथ सूर Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	22.03.2018	एमसीबीओडी, एसआरसी, आईटी समि., और डब्ल्यूडीआरसी MCBOD, SRC, IT-Comm., & WDRC	ग्रेकैम्पस एडुटेक प्रा. लि. हैदराबाद Greycampus Edutech Pvt. Ltd., Hyderabad.	100
10.	श्री पार्थप्रतिम पाल Shri Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	22.03.2018	एमसीबीओडी, आरएमसी, सीएससी और आईटी समि. MCBOD, RMC, CSC & IT Comm.	शून्य Nil	100

नोट :

- (i) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के सदस्य नहीं है अथवा उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 से अधिक समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
- (ii) कोई भी निदेशक एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं है।
- 2.6.** वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (06.05.2017 को कार्यभार ग्रहण) और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त/नामित निदेशक का ब्योरा एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशक का विवरण नीचे दिया गया है।

Note:

- (i) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.
- (ii) None of the Directors is relative of each other.
- 2.6** The profiles of the Managing Director & CEO of the Bank (assumed office on 06.05.2017) and the directors who were appointed/nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2017-18 are furnished hereunder:

2.6.1 श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बैंक में कार्यग्रहण करने से पूर्व श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन 14 अगस्त, 2015 से पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थीं वह पूर्ववर्ती भारतीय महिला बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी थीं। जुलाई 2011 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान वह पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं। वह महिला संकेंद्रित बैंक की स्थापना की प्रक्रिया के समन्वय हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित मुख्य प्रबंधन दल की प्रमुख थीं।

श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन मद्रास विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में मास्टर डिग्री और मुम्बई विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय संस्कृति में मास्टर डिग्री धारक हैं।

उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया अर्थात कैल्लाग स्कूल, नार्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, शिकागो, आईएसबी हैदराबाद उनमें से कुछ उल्लिखित संस्थान हैं। वह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता रही और कगजात प्रस्तुत किए।

श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन ने 06.05.2017 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2.6.2 श्री राजीव रंजन, सरकार द्वारा नामित निदेशक:

श्री राजीव रंजन 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनका लगभग 28 वर्षों का अनुभव है। वह भू अभिलेख आयुक्त, भोपाल, निदेशक-मंत्रिमंडल सचिवालय आदि जैसे विभिन्न पदों पर रहे हैं। वर्तमान में श्री राजीव रंजन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थ हैं।

श्री राजीव रंजन ने 17.08.2017 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

2.6.3 डा. बिजय कुमार साहू, शेयरधारक निदेशक

डा. बिजय कुमार साहू ने 22.03.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। डा. साहू एक सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार और एमबीए(फाइनेंस) हैं। इसके अतिरिक्त वे एल.एल.बी. डिग्री धारक और शिक्षा में पीएच.डी. हैं। भुवनेश्वर के निवासी डा. साहू साई इंटरनेशनल कालेज आफ कामर्स एंड इकानामिक्स, साई इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष और साईआंगन, प्ले स्कूल एवं डे केयर सेंटर के संस्थापक हैं। वह जेएसएस साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और जेएसएस आईटी सॉल्यूशन्स लि. के संस्थापक भी हैं।

2.6.4 श्री सारथ सूरा, शेयरधारक निदेशक

श्री सारथ सूरा ने 22.03.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। एक उद्यमी, श्री सूरा आईआईटी, कानपुर से एमटेक हैं और उन्होंने बिट्स, पिलानी से बी.ई.(आनर्स) पूरा किया है। उन्हें बैंकों सहित वित्तीय उद्योग में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष ज्ञान है। वह सिएरा एटलांटिक, भारत और चीन सहित वैश्विक परिचालन वाली अग्रणी यूएस एचक्यू आईटी सर्विस कंपनी के सह-संस्थापक हैं और ग्रे कैम्पस ऐडुटेक प्रा.लि. के प्रधान शेयरधारक तथा अध्यक्ष हैं।

2.6.1 Smt. Usha Ananthasubramanian, Managing Director & CEO

Prior to joining the Bank, Smt. Usha Ananthasubramanian was MD & CEO of Punjab National Bank since 14.08.2015. She was Chairman & Managing Director of erstwhile Bharatiya Mahila Bank also. Smt. Usha Ananthasubramanian was the Executive Director of Punjab National Bank from July 2011 to November 2013. She was the head of the core management team constituted by the Ministry of Finance, Govt. of India for co-ordinating the process of formation of a women centric Bank.

Smt. Usha Ananthasubramanian holds a Masters' Degree in Statistics from the University of Madras and also a Masters' Degree in Ancient Indian Culture from University of Mumbai.

She has undergone training programmes at prestigious institutions viz. Kellogg School, North West University, Chicago, ISB Hyderabad to mention a few. She has been a speaker at International Conferences and has contributed papers.

Smt. Usha Ananthasubramanian joined the Bank as MD & CEO w.e.f. 06.05.2017.

2.6.2 Shri Rajeev Ranjan, Govt. Nominee Director

Shri Rajeev Ranjan is an IAS officer of 1989 Batch and has an experience of around 28 years. He has held various posts as Commissioner of Land Records, Bhopal, Director - Cabinet Secretariat etc. At present, Shri Rajeev Ranjan is posted as Joint Secretary in Department of Expenditure, Ministry of Finance.

Shri Rajeev Ranjan has joined the Bank's Board as Government Nominee Director w.e.f. 17.08.2017.

2.6.3 Dr. Bijaya Kumar Sahoo, Shareholder Director

Dr. Bijaya Kumar Sahoo joined the Bank as Shareholder Director with effect from 22.03.2018. Dr. Sahoo is a Chartered Accountant, Cost Accountant and MBA (Finance). Besides, he also holds L.L.B. degree and has done Ph. D. in Education. Resident of Bhubaneswar, Dr. Sahoo is Founder Chairman of SAI International College of Commerce and Economics, SAI International School and Founder of SAIANGAN, a Play School and Day Care centre. He is also Founder Chairman of JSS Software Technology Park and JSS IT Solutions Ltd.

2.6.4 Shri Sarath Sura, Shareholder Director

Shri Sarath Sura joined the Bank as Shareholder Director with effect from 22.03.2018. An entrepreneur, Shri Sura is M.Tech from IIT, Kanpur and completed his B. E. (Hon.) from BITS, Pilani. He has special knowledge of Information Technology as applied to Financial Industry including Banks. He is Co-Founder and MD of Sierra Atlantic, a leading US HQ IT service company with global operations including India and China and Principal shareholder and Chairman of Grey Campus Edutech Pvt. Ltd.

2.6.5 डॉ. पार्थप्रतिम पाल, शेयरधारक निदेशक

डॉ. पार्थप्रतिम पाल ने 22.03.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। वह 2006 से आईआईएम कोलकाता में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इससे पूर्व वह आईआईएफटी और आईसीआरआईआईआर से जुड़े थे।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड / समिति की बैठक का विवरण :

3.1 बैठकों में वर्तमान एवं पिछले निदेशकों की उपस्थिति का विवरण (01.04.2017 से 31.03.2018):-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एमसीबी	एसीबी	आरएमसी	सीओडी	एस आर सी	आईटी समि.	एफएमसी	सीएससी	परिचय समि.	एसआईसी	आर सीबी	ईसीबी	नामा. समि.	एचआर समि.	डब्ल्यूडी आरसी
Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD#	SRC	IT Com.	FMC	CSC	Remu. Com.	SIAC	CAC	RCB	ECB	Nomn. HR	WDRC Com.
1	श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi*	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0
2	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian	13	14	0	4	1	0	5	3	4	0	2	47	8	0	0	1
3	श्री एन.के. साहू Shri N. K. Sahoo	13	14	12	5	1	1	5	3	4	0	2	50	9	0	0	1
4	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	14	14	12	5	0	1	6	3	4	0	2	49	9	0	0	1
5	श्री अंशुमान शर्मा Shri Anshuman Sharma**	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	श्री राजीव रंजन Shri Rajeev Ranjan	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
7	श्री विवेक दीप Shri Vivek Deep	14	15	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	प्रो. राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	13	5	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	1	0	1	0
9	श्री गौतम गुहा Shri Gautam Guha	14	0	12	2	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	1	0
10	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	14	0	12	5	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
11	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	13	7	0	0	0	1	6	3	3	0	0	0	5	0	0	0
12	श्री परवीन कुमार छोकड़ा Shri Parveen Kumar Chhokra #	11	5	0	2	0	1	3	1	1	0	0	0	3	0	0	0
13	डॉ. पार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

* 30.04.2017 तक बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/Chairman and Managing Director of the Bank upto 30.04.2017

** 16.08.2017 तक निदेशक/Director upto 16.08.2017

(#) पूर्व में डीपीसी के रूप में ज्ञात/Previously known as DPC

2.6.5 Dr. Parthapratim Pal, Shareholder Director

Dr. Parthapratim Pal has joined the Bank as Shareholder Director w.e.f. 22.03.2018. He is professor of Economics in IIM Calcutta since 2006. Prior to that he was associated with IIFT and ICRIER.

3. Details of the Board/Committee meeting held during financial year 2017-18:

3.1 Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2017 to 31.03.2018):

3.2 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की चौदह(14) बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

3.2 During the financial year 2017-18, fourteen (14) Board Meetings were held as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details are given below:-

क्रम सं Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड में निदेशकों की संख्या Number of Directors on Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1	28.04.2017	10	10
2	17.05.2017	10	8
3	23.06.2017	10	8
4	10.08.2017	10	7
5	11.08.2017	10	9
6	20.09.2017	10	9
7	30.10.2017	10	9
8	10.11.2017	10	9
9	12.12.2017	10	9
10	16.01.2018	10	10
11	02.02.2018	10	9
12	14.02.2018	10	9
13	28.02.2018	10	9
14	22.03.2018	10	9

4. बोर्ड की समितियां :

4. Committees of the Board:

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

4.1 Management Committee of the Board:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 यथासंशोधित के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया गया। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended, read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India. The committee is re-constituted from time to time.

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन :

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

यथास्थिति 31.03.2018 को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

The members of the Management Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:

1.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO
2.	श्री एन.के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4.	श्री विवेक दीप Shri Vivek Deep	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director
5.	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director
6.	डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director

28.04.2017 को आयोजित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता श्री राकेश सेठी, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई और शेष 14 बैठकों की अध्यक्षता श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

4.1.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति के कार्य :

प्रबंधन समिति का कार्य उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता/बट्टे खाते डालना, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की संस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक(कों) को प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समीक्षा करना है। समिति निवेश संविभाग, अनुपयोज्य आस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा भी करती है।

4.1.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की पंद्रह (15) बार बैठकें आयोजित की गई :-

1st meeting of the Committee held on 28.04.2017 was chaired by Shri Rakesh Sethi, the then Chairman & Managing Director and the remaining 14 meetings were chaired by Smt. Usha Ananthasubramanian, Managing Director & CEO.

4.1.2 Function of the Management Committee of the Board:

The function of the Management Committee is to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise/write off, sanction of capital and revenue expenditure and review the exercise of delegated authority by the Chairman and Managing Director / Managing Director & CEO and the Executive Director(s). The Committee also reviews the performance of key areas like investment portfolio, non-performing assets and other important management decisions referred to the Committee by the Board.

4.1.3 Details of meetings:

The Committee met fifteen (15) times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:-

क्र.सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Management Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	28.04.2017	6	6
2.	23.06.2017	6	5
3.	28.06.2017	5	5
4.	10.08.2017	5	5
5.	29.08.2017	5	5
6.	12.09.2017	5	5
7.	20.09.2017	5	5
8.	30.10.2017	5	5
9.	16.11.2017	5	5
10.	12.12.2017	5	5
11.	26.12.2017	6	4
12.	02.02.2018	6	6
13.	14.02.2018	6	6
14.	28.02.2018	6	5
15.	22.03.2018	6	5

4.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 31.05.1994 को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया तथा उसे समय-समय पर पुनर्गठित किया।

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

As per the directives of Reserve Bank of India and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally constituted an Audit Committee on 31.05.1994 and reconstituted the same from time to time.

4.2.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2017 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नोक्त सदस्य थे:-

1. डा. बिजय कुमार साहू (सनदी लेखाकार)
Dr. Bijaya Kr. Sahoo (Chartered Accountant)
2. श्री एस. हरिशंकर
Shri S. Harisankar
3. श्री राजीव रंजन
Shri Rajeev Ranjan
4. श्री विवेक दीप
Shri Vivek Deep
5. श्री गौतम गुहा
Shri Gautam Guha

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The member of the Audit Committee of the Board, as on 31.03.2018 were as under:-

- शेयरधारक निदेशक एवं एसीबी के अध्यक्ष
Shareholder Director & Chairman of the ACB
- कार्यपालक निदेशक और निरीक्षण एवं लेखापरीक्षण के प्रभारी
Executive Director & in-charge of inspection & audit
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
Government Nominee Director
- भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
RBI Nominee Director
- अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part Time Non-Official Director

डा. बिजय कुमार साहू, शेयरधारक निदेशक और सनदी लेखाकार को निदेशक मंडल द्वारा 24.12.2016 से 03.03.2018 तक से एसीबी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और पुनः 22.03.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में उनके निर्वाचन के बाद 22.03.2018 से एसीबी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया क्योंकि उनके अलावा बैंक के बोर्ड में कोई सनदी लेखाकार नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 24 सितम्बर 2015 के पत्रांक आरबीआई/2015-16/181 डीबीएस.बीसी 4/08.91.020/2015-16 दिशानिर्देशों के अनुसार श्री एन.के.साहू, कार्यपालक निदेशक को एसीबी की बैठक में तभी आमंत्रित किया जाता है जब उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित कार्यसूची मद पर बैठक में चर्चा की जानी हो।

Dr. Bijaya Kr. Sahoo, Shareholder Director & Chartered Accountant was nominated to the ACB as Chairman by the Board of Directors w.e.f. 24.12.2016 till 03.03.2018 and again nominated to the ACB as Chairman w.e.f. 22.03.2018 after his election as Shareholder Director w.e.f. 22.03.2018 as there is no chartered accountant on the Board of the Bank except him.

In terms of RBI guidelines vide RBI/2016-17/181 DBS.ARC.BC 4/ 08.91.020/2016-17 dated 24th September, 2015, Shri N. K. Sahoo, Executive Director is invited to ACB, only if any agenda belonging to his domain is to be discussed in that particular ACB meeting.

4.2.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के कार्य :

लेखापरीक्षा समिति का कार्य अन्य बातों के साथ साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का मूल्यांकन एवं उसकी समीक्षा करना है ताकि विवरणों की सत्यता, पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति निदेश भी देती है तथा बैंक के अंतर्गत संगठन, परिचालन, कार्यनिष्पादन, स्वतंत्रता, कारगरता तथा आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारिबैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसके स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त यह बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करती है। यह बैंक के व्हीसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखाओं और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक

4.2.2 Function of the Audit Committee of the Board:

The function of Audit Committee inter alia includes assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank so as to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews with the management the annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides direction and oversees the operations of total audit function of the Bank including the organization, operation, performance, independence, effectiveness and quality control of internal audit and inspection within the Bank, follow up on the Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control system, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussion with the internal auditors/Inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

Audit committee evaluates internal financial controls and risk management system. It also reviews Whistle Blower mechanism of the Bank.

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Annual/

केन्द्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह लॉग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.2.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की निम्नानुसार बारह(12) बैठकें आयोजित की गईं:-

Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.2.3 Details of meetings:

During the period from 01.04.2017 to 31.03.2018, twelve (12) meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:-

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Audit Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors attended the meeting
1.	17.05.2017	6	5
2.	23.05.2017	6	4
3.	10.08.2017	6	5
4.	11.08.2017	6	5
5.	29.08.2017	6	5
6.	30.10.2017	6	5
7.	09.11.2017	6	5
8.	10.11.2017	6	6
9.	16.01.2018	6	6
10.	13.02.2018	6	5
11.	14.02.2018	6	5
12.	28.02.2018	6	5

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूलतः 04 मार्च, 2003 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

4.3 Risk Management Committee of the Board:

As per the directives of the Reserve Bank of India, a Risk Management Committee of the Board was originally constituted on 04.03.2003 and the same has been reconstituted from time to time.

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2018 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of the Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO
2.	श्री एन. के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4.	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director
5.	डॉ. प्रार्थप्रतिम पाल Dr. Parthapratim Pal	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director

28.04.2017 को आयोजित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता श्री राकेश सेठी, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई और शेष 4 बैठकों की अध्यक्षता श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई।

4.3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य :

जोखिम प्रबंधन समिति ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम निवेशों से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा रणनीति निरूपित करती है।

4.3.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं. बैठक की तिथि Sl.No. Date of Meeting	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Risk Management Committee of Board.	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors attended the meeting
1. 28.04.2017	5	5
2. 28.06.2017	5	5
3. 20.09.2017	5	5
4. 16.01.2018	5	5
5. 29.03.2018	5	5

4.4 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) [पूर्व में निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी) के रूप में ज्ञात]

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग)के निदेशों के अनुसरण में निदेशक पदोन्नति समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। पिछली बार इसका पुनर्गठन 10.08.2017 को किया गया था और इसे सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) का नाम दिया गया था।

4.4.1 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) का गठन :

यथास्थिति 31.03.2018 को निदेशकों की पदोन्नति समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन :	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री राजीव रंजन :	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. श्री विवेक दीप :	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता, श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई थी।

4.4.2 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) के कार्य :

सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति(सीओडी) [पूर्व में निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी) के रूप में ज्ञात] का गठन सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा करने एवं कार्पोरेट गवर्नेन्स एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

1st meeting of the Committee held on 28.04.2017 was chaired by Shri Rakesh Sethi, the then Chairman & Managing Director and the remaining 4 meetings were chaired by Smt. Usha Ananthasubramanian, Managing Director & CEO.

4.3.2 Function of Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee devises the policy and strategy for integrated risk management pertaining to various risk exposures of the Bank including Credit, Market and Operational Risk.

4.3.3 Details of meetings:

The Committee met five (5) times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:-

4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance [previously known as Directors' Promotion Committee (DPC)]:

The Bank in pursuance to the directives of Govt. of India, Ministry of Finance (Banking Division) constituted Directors Promotion Committee (DPC) and the same has been reconstituted from time to time. The last time it was reconstituted w.e.f. 10.08.2017 and renamed as Committee of Directors (COD) on Vigilance

4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The members of the Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2018 were as under:-

1. Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
2. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
3. Shri Vivek Deep	RBI Nominee Director

The Committee was chaired by Smt. Usha Ananthasubramanian, Managing Director & CEO.

4.4.2 Function of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

Committee of Directors (COD) on Vigilance [previously known as Directors' Promotion Committee (DPC)] has been constituted to review disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary cases and other cases of strategic importance in terms of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) guidelines on Corporate Governance and Risk Management System.

4.4.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान निम्नोक्त तिथियों को समिति की एक बैठक आयोजित की गई :-

4.4.3 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:

क्र.सं. बैठक की तिथि Sl.No. Date of Meeting	निदेशक पदोन्नति समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Directors Promotion Committee	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1. 10.08.2017	03	03

4.5 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति :

दिनांक 2 सितम्बर 2015 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2015-16/013 के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण भाग III खंड 4) में अधिसूचित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के अनुसरण में 09.11.2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा बैंक की हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया।

4.5 Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The Stakeholders' Relationship Committee of the Bank was constituted by the Board in its meeting dated 09.11.2015 pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notified in Gazette of India (Extraordinary Part-III-Section 4) vide Notification No. SEBI/LAD- Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/013 dated 2nd September, 2015.

4.5.1 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति का गठन:

31.03.2018 को यथास्थिति हितधारक संबंध समिति के निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
2. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
4. डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
5. श्री सारथ सूरु	शेयरधारक निदेशक

4.5.1 Composition of the Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The members of the Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non-Official Director
2. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
3. Shri S. Harisankar	Executive Director
4. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Directors
5. Shri Sarath Sura	Shareholder Directors

समिति की अध्यक्षता प्रो. राधा आर. शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक द्वारा की गई।

The Committee is chaired by Prof. Radha R. Sharma, Part Time Non Official Director

4.5.2 हितधारक संबंध समिति के कार्य :

समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शेयर प्रमाणपत्र स्थानान्तरण, सब डिवीजन समेकन, नवीकरण आदि हेतु आवेदन की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर जारी हो जाए। इसके अतिरिक्त, समिति निवेशकों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण की मॉनिटरिंग भी करती है।

4.5.2 Function of Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The Committee ensures that all share certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal etc. The committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

The details of shareholders' complaints are as under:

31.03.2017 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31.03.2017	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the Year	वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the Year	31.03.2018 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31.03.2018
01	277	278	Nil

4.5.3 बैठकों का विवरण

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

4.5.3 Details of meetings

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of Meeting	हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1	20.09.2017	05	05

4.6 आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति(आईटी समि.) [पूर्व में आईटी समिति (आईटी समि.) के रूप में ज्ञात]

बैंक की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु बैंक ने 24 अप्रैल 2003 को आईटी समिति गठित की जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया। 12.12.2017 से समिति का पुनर्गठन किया गया और इसे आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति (आईटी समि.) का नाम दिया गया।

4.6.1 आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति(आईटी समि.) का गठन:

यथास्थिति 31.03.2018 को आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति(आईटी समि.) में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
2. श्रीमती उषा	
अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
5. श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
6. डा. प्रार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री सारथ सूरा, शेयरधारक निदेशक द्वारा की गई थी।

4.6.2 आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति(आईटी समि.) के कार्य :

समिति का गठन बैंक की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है।

4.6.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान इस समिति की छह बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई:-

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की आईटी समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the IT Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1	28.04.2017	6	6
2	23.06.2017	6	5
3	10.08.2017	6	5
4	12.09.2017	6	6
5	12.12.2017	6	6
6	28.02.2018	6	5

4.7 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति :

बैंक ने एक करोड़ रुपए और अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 28.02.2004 को धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.6 IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.) [Previously known as IT Committee (IT Com.)]:

The Bank constituted the IT Committee on April 24th, 2003 and it was further reconstituted from time to time. The Committee was reconstituted w.e.f. 12.12.2017 and rechristened as IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.).

4.6.1 Composition of the IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.):

The members of the IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.) as on 31.03.2018 were as under:

1. Shri Sarath Sura	Shareholder Director
2. Smt. Usha	
Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Shri S. Harisankar	Executive Director
5. Shri Gautam Guha	Part Time Non-Official Director
6. Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

The Committee was chaired by Shri Sarath Sura, Shareholder Director.

4.6.2 Function of the IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee (IT Com.):

This Committee was constituted to monitor the implementation of various IT projects of the Bank.

4.6.3 Details of meetings:

The Committee held six meetings during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018, as detailed below:-

4.7. Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Bank has constituted Fraud Monitoring Committee on 28.02.2004 and reconstituted it from time to time with a purpose to monitor and follow up cases of frauds involving amount of rupees one crore and above.

4.7.1 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2018 को धोखाधड़ी निगरानी समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
4. श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
5. डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
6. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
7. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई एवं बैंक के कार्यपालक निदेशक समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित हुए।

4.7.2 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के कार्य :

धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं अर्थात् धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना, तथा धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनन्य रूप से रुपये एक करोड़ रुपए और अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की मानिट्रिंग और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन किया गया।

4.7.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की दो बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Fraud Monitoring Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	28.06.2017	6	6
2	20.09.2017	7	6
3	14.02.2018	7	6

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

निदेशक मंडल ने 09.09.2004 को आयोजित बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दिनांक 14 अगस्त, 2004 के पत्र के अनुपालन में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि सतत आधार पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

4.7.1 Composition of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The members of the Fraud Monitoring Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1. Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
2. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
3. Prof. Radha R. Shama	Part Time Non-Official Director
4. Shri Gautam Guha	Part Time Non-Official Director
5. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholders' Director
6. Shri N. K. Sahoo	Executive Director (Spl. Invitee)
7. Shri S. Harisankar	Executive Director (Spl. Invitee)

The Executive Director (s) of the Bank attended the meeting of committee as special invitee and the meetings of the committee were chaired by the Managing Director & CEO.

4.7.2 Function of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Fraud Monitoring Committee has been constituted exclusively for monitoring, review and follow up cases of frauds involving amount of Rupees one crore and above, keeping in view the delay caused in various aspects of fraud like detecting, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against perpetrators of the fraud.

4.7.3 Details of meetings :

The Fraud Monitoring Committee held three meetings during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:-

4.8 Customer Service Committee of the Board:

In compliance with RBI letter dated August 14th, 2004, the Board of Directors in its meeting held on 09.09.2004 constituted Customer Service Committee and reconstituted it from time to time. The committee has been constituted with a view to bring out improvements in the quality of customer service in the Bank on a continuous basis.

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन :

31.03.2018 को ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
4. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
5. डा. प्रार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई।

4.8.2 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

हर समय सभी प्रकार के ग्राहकों के ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीन उपाय करना।

4.8.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	28.06.2017	5	5
2	30.10.2017	5	5
3	16.01.2018	5	5
4	22.03.2018	5	5

4.9 बोर्ड की परिलब्धि समिति :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 9 मार्च 2007 की अधिसूचना एफ. सं. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के पात्र होंगे बशर्ते कि लक्ष्य और गुणात्मक पैरामीटर संबंधी आशय विवरण और पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों से संबंधित बैंचमार्क पर आधारित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु तय मात्रात्मक पैरामीटरों को बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बोर्ड की उप समिति- “परिलब्धि समिति” द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

4.9.1 निदेशक मंडल ने 23.03.2007 की अपनी बैठक में कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रयोजन हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से परिलब्धि समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The members of the Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1. Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
2. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
3. Shri S. Harisankar	Executive Director
4. Prof. Radha R. Shama	Part Time Non-Official Director
5. Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

The Committee was chaired by Smt. Usha Ananthasubramanian, Managing Director and CEO.

4.8.2 Function of the Customer Service Committee of the Board:

To innovate measures for enhancing the quality of customer service and improve the level of customer satisfaction to all categories of clientele at all times.

4.8.3 Details of meetings:

The Committee held four meetings during the period 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:-

4.9 Remuneration Committee of the Board:

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F. No. 20/1/2005-BOI dated 9th March, 2007, whole time directors of the Public Sector Banks will be entitled to performance linked incentives, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the Statement of Intent on goals and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last year. Sub Committee of the Board called "Remuneration Committee" consisting of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors would do the evaluation of performance.

4.9.1 The Board of Directors in its meeting dated 23.03.2007 constituted the Remuneration Committee to evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.9.2. बोर्ड की परिलब्धि समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2018 को बोर्ड की परिलब्धि समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. श्री विवेक दीप	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
3. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

4.9.3. बोर्ड की परिलब्धि समिति के कार्य :

कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।

4.9.4. बैठक का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.10 बोर्ड की नामांकन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवम्बर 2007 के पत्रांक डीबीओडी सं. बीसी.सं. 47/29.32.001/2007-08 के अनुसार 21.04.2008 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया। समिति का समय समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.10.1 बोर्ड की नामांकन समिति का गठन :

31.03.2018 को यथास्थिति बोर्ड की नामांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
3. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक

4.10.2 बोर्ड की नामांकन समिति के कार्य :

नामांकन समिति को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के “योग्य एवं उचित” स्तर का सम्यक तत्परता के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

4.10.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति की एक बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की नामांकन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Nomination Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	08.03.2018	3	3

4.9.2 Composition of Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1. Shri Rajeev Ranjan	Govt. Nominee Director
2. Shri Vivek Deep	RBI Nominee Director
3. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non Official Director

4.9.3 Function of Remuneration Committee of the Board:

To evaluate the performance of the Whole Time Directors for the purpose of performance linked incentives.

4.9.4 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018.

4.10 Nomination Committee of the Board:

In terms of Reserve Bank of India letter DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007, the Bank constituted Nomination Committee of the Board on 21.04.2008. The Committee has been reconstituted from time to time.

4.10.1 Composition of Nomination Committee of the Board:

The members of the Nomination Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1. Shri Rajeev Ranjan	Govt. Nominee Director
2. Prof. Radha R. Shama	Part Time Non Official Director
3. Shri Sarath Sura	Shareholder Director

4.10.2 Function of Nomination Committee of the Board:

The Nomination Committee have to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and Proper" status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec. 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

4.10.3 Details of meetings:

The Nomination Committee held one meeting during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:-

4.11 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति:

4.11.1 बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 18.02.2011 को आयोजित अपनी बैठक में शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन किया। समिति को समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

4.11.2 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन :

31.03.2018 को शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
4. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
5. श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

4.11.3 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति के कार्य :

समिति अधिमानी/क्यूआईपी आबंटन आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन के संबंध में यथाअपेक्षित सभी कार्य करने और इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाने के लिए प्राधिकृत है।

4.11.4 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार 2 बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं. बैठक की तिथि	बोर्ड की शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No. Date of Meeting	Number of Directors on the Share Issue and Allotment Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1. 07.08.2017	5	3
2. 13.10.2017	5	5

4.12 ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 05.12.2011 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 13/1/2006 और इस संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने ₹400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन और ₹2.50 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट-ऑफ प्रस्तावों के अनुमोदन के उद्देश्य से 22.02.2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है।

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन :

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन निम्नानुसार था

- (ए) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- (बी) दो कार्यपालक निदेशक
- (सी) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
- (डी) महाप्रबंधक (ऋण)
- (ई) महाप्रबंधक (आईआरएम)

4.11 Share Issue and Allotment Committee:

4.11.1 The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 18.02.2011 constituted Share Issue Allotment Committee. The Committee has been reconstituted from time to time.

4.11.2 Composition of Share Issue and Allotment Committee:

The members of the Share Issue and Allotment Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1. Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
2. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
3. Shri S. Harisankar	Executive Director
4. Prof. Radha R. Shama	Part Time Non-Official Director
5. Shri Gautam Guha	Part Time Non-Official Director

4.11.3 Function of Share Issue and Allotment Committee:

The committee is authorized to do all such acts, deeds and things as may be required in connection with the issue and allotment of Equity Shares on preferential/QIP allotment basis and get the same listed with the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange.

4.11.4 Details of meetings:

The Committee held two meetings during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:-

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance Notification vide Gazette Notification no. 13/1/2006 dated 05.12.2011 and further clarification in this regard, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board on 22.02.2012 for the purpose of approval of the credit proposals upto ₹400.00 Crore and Loan Compromise/Write-Off proposals upto ₹2.50 Crore.

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board consists of the following:-

- (a) Chairman and Managing Director/Managing Director & CEO
- (b) Two Executive Director(s)
- (c) General Manager (F & A)
- (d) General Manager (Credit)
- (e) General Manager (IRM)

4.12.2 ऋण अनुमोदन समिति के कार्य :

ए) ₹400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों (निधिक एवं गैर-निधिक) की संस्वीकृति

बी) ₹2.50 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट आफ प्रस्तावों का अनुमोदन

4.12.2 Function of Credit Approval Committee of the Board:

a) Sanctioning of Credit Proposals of upto ₹400.00 Crore [Funded and Non-Funded]

b) Approval of Loan Compromise/Write-Off proposals of upto ₹2.50 Crore

4.12.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 51 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:-

4.12.3 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held Fifty one meetings during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018, as detailed below:-

क्र.सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में सदस्यों की संख्या Number of members on the Credit Approval Committee of Board	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या Number of Members Attended the meeting
1.	07.04.2017	6	6
2.	13.04.2017	6	6
3.	20.04.2017	6	6
4.	26.04.2017	6	6
5.	12.05.2017	6	6
6.	18.05.2017	6	6
7.	24.05.2017	6	5
8.	31.05.2017	6	6
9.	02.06.2017	6	5
10.	09.06.2017	6	6
11.	14.06.2017	6	6
12.	21.06.2017	6	6
13.	30.06.2017	6	6
14.	06.07.2017	6	6
15.	14.07.2017	6	6
16.	19.07.2017	6	6
17.	26.07.2017	6	6
18.	03.08.2017	6	6
19.	09.08.2017	6	6
20.	18.08.2017	6	6
21.	23.08.2017	6	6
22.	31.08.2017	6	6
23.	05.09.2017	6	6
24.	16.09.2017	6	6
25.	25.09.2017	6	6
26.	26.09.2017	6	6
27.	06.10.2017	6	6
28.	12.10.2017	6	6
29.	21.10.2017	6	6
30.	25.10.2017	6	6
31.	03.11.2017	6	6
32.	09.11.2017	6	6
33.	16.11.2017	6	6
34.	23.11.2017	6	6
35.	01.12.2017	6	6
36.	06.12.2017	6	6
37.	16.12.2017	6	6
38.	20.12.2017	6	6
39.	29.12.2017	6	6

क्र.सं. बैठक की तिथि Sl.No. Date of Meeting	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में सदस्यों की संख्या Number of members on the Credit Approval Committee of Board	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या Number of Members Attended the meeting
40.	30.12.2017	6
41.	06.01.2018	6
42.	15.01.2018	5
43.	21.01.2018	6
44.	25.01.2018	6
45.	03.02.2018	6
46.	09.02.2018	6
47.	07.03.2018	6
48.	17.03.2018	6
49.	27.03.2018	6
50.	29.03.2018	6
51.	31.03.2018	6

4.13 बोर्ड की वसूली समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 27.11.2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में वसूली प्रक्रिया की मानिट्रिंग करने और नियमित आधार पर बैंक के वसूली तंत्र की समीक्षा करने हेतु बोर्ड की वसूली समिति का गठन किया गया। बोर्ड द्वारा समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.13.1 बोर्ड की वसूली समिति का गठन:

31.03.2018 को बोर्ड की वसूली समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
6. डॉ. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई।

4.13.2 बोर्ड की वसूली समिति के कार्य:

वसूली समिति का कार्य वसूली प्रक्रिया की मानिट्रिंग करने और नियमित आधार पर बैंक के वसूली तंत्र की समीक्षा करना है।

4.13 Recovery Committee of the Board:

As per the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Recovery Committee of the Board was constituted at the Board Meeting held on 27.11.2012 to monitor the progress of recovery and to review the recovery mechanisms of the Bank on regular basis. The committee has been reconstituted by the Board from time to time.

4.13.1 Composition of the Recovery Committee of the Board:

The members of the Recovery Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

1. Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
2. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
3. Shri S. Harisankar	Executive Director
4. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
5. Prof. Radha R. Shama	Part Time Non-Official Director
6. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director

The Committee was chaired by the Managing Director & CEO.

4.13.2 Function of the Recovery Committee of the Board:

The function of the Recovery Committee is to monitor the progress of recovery and to review the recovery mechanisms of the Bank on regular basis.

4.13.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार नौ (9) बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की वसूली समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of meeting	Number of Directors on the Recovery Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	28.04.2017	5	5
2.	28.06.2017	5	4
3.	11.08.2017	5	4
4.	20.09.2017	5	4
5.	30.10.2017	5	4
6.	12.12.2017	5	4
7.	16.01.2018	5	5
8.	14.02.2018	5	4
9.	22.03.2018	6	5

4.13.3 Details of meetings:

The Committee met nine (9) times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below :-

4.14 बोर्ड की निर्वाचन समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 30.05.2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड की निर्वाचन समिति का गठन किया गया। समिति महाप्रबंधक (ट्रेजरी) को प्राधिकृत करती है कि वे बैंक के किसी अधिकारी को उन कंपनियों की वार्षिक आम सभा और असाधारण आम सभा में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करे जिसमें हमारा बैंक शेयर और वोट धारित करता है।

4.14.1 बोर्ड की निर्वाचन समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2018 को बोर्ड की निर्वाचन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| 2. श्री एन.के. साहू | कार्यपालक निदेशक |
| 3. श्री एस. हरिशंकर | कार्यपालक निदेशक |

4.14 Election Committee of the Board:

As per the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Election Committee of the Board was constituted at the Board Meeting held on 30.05.2012. The Committee authorizes the General Manager (Treasury) to authorize an officer of the Bank to represent the Bank in Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of the Companies in which our Bank holds Shares and vote as per its decision.

4.14.1 Composition of the Election Committee of the Board:

The members of the Election Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:-

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Smt. Usha Ananthasubramanian | Managing Director & CEO |
| 2. Shri N. K. Sahoo | Executive Director |
| 3. Shri S. Harisankar | Executive Director |

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई।

The Managing Director & CEO chaired the meeting.

4.14.2 बोर्ड की निर्वाचन समिति के कार्य

समिति अपने शेयरधारकों में से सबसे उचित उम्मीदवार के चयन को अनुमोदित करती है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं, जिनमें बैंक के शेयर हैं, का निदेशक बनने हेतु चुनाव में उतारा जा सके इसके लिए समिति ने महाप्रबंधक (ट्रेजरी) को प्राधिकृत किया है कि वे बैंक के किसी अधिकारी को ऐसी कंपनियों, अपने बैंक को छोड़कर, की वार्षिक आम सभा और असाधारण आम सभा में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करे।

4.14.2 Function of the Election Committee of the Board:

The Committee approves selection of most suitable candidates(s) amongst shareholders contesting election to become Directors in Public Sector Banks, Insurance Companies and Financial Institutions (FIs) where the Bank holds share by authorizing the General Manager (Treasury) to authorize an officer of the Bank to represent the Bank in Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of such Companies, except our own Bank.

4.14.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.14.3 Details of meetings:

No meeting of the Committee was held during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018.

4.15 एच.आर. संबंधी स्टीयरिंग समिति(एच.आर.समि.) [पूर्व में बोर्ड की एचआर समिति एचआर समि.] के रूप में ज्ञात:]

बैंक के बोर्ड ने 15.07.2005 को आयोजित अपनी बैठक में समय समय पर मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करने और अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और कार्यपालक निदेशक एवं बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों हेतु भी क्षतिपूर्ति संरचना की समीक्षा हेतु 15.07.2005 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन एवं प्रतिफल समिति का गठन किया है।

4.15 Steering Committee on HR (HR Comm.) [previously known as HR Committee of the Board (HR Comm.)]:

The Bank's Board in its meeting held on 15.07.2005 constituted the HR & Compensation Committee to review the HR policies of the Bank from time to time & the compensation structure of the C&MD and ED as also other senior executives.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 09.03.2007 की अधिसूचना संख्या एफन. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक की क्षतिपूर्ति संरचना पर विचार करने हेतु 23.03.2007 को बोर्ड की परिलब्धि समिति गठित की गई। इसके साथ साथ बोर्ड की मानव संसाधन एवं क्षतिपूर्ति का नाम परिवर्तित कर इसे बोर्ड की मानव संसाधन समिति के नाम से पुनर्गठित किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 28.02.2014 को उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया ताकि उद्योग में सर्वोत्तम परिपाटियों के संदर्भ में बैंक की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की जा सके।

निदेशक मंडल द्वारा 10.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित पुनर्गठन के दौरान खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुसार बोर्ड की एचआर समिति का नाम एच.आर. संबंधी स्टीयरिंग समिति(एच.आर.समि.) रखा गया था।

हाल ही में, 16.01.2018 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का कोरम एक बाहरी एचआर प्रोफेशनल सहित 04 सदस्य है।

4.15.1 बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन :

बोर्ड की मानव संसाधन समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:-

1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्रीमती शरबरी साह	बाह्य एचआर प्रोफेशनल
6. श्री सुजय बनर्जी	बाह्य एचआर प्रोफेशनल

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई थी।

4.15.2 एचआर संबंधी स्टीयरिंग समिति के कार्य :

उद्योग में सर्वोत्तम परिपाटियों के संदर्भ में बैंक की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करती है।

4.15.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान समिति की एक बैठक निम्नानुसार आयोजित हुई।

क्र.सं. बैठक की तिथि	एचआर संबंधी स्टीयरिंग समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No. Date of Meeting	Number of Directors on the Steering Committee on HR	Number of Directors Attended the meeting
1. 29.03.2018	6	5

4.16 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक ने "इरादतन चूककर्ताओं संबंधी मास्टर परिपत्र के संशोधन" के संबंध में दिनांक 01.07.2014 के अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/73 डीबीआर सं. सीआईडी.बीसी. 57/20.16.003/2014-15 के तहत बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति के गठन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष/सीईओ और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी और इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

As per Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F.No. 20/1/2005-BOI dated 09.03.2007, Remuneration Committee of the Board was constituted on 23.03.2007 for looking after the compensation structure of the C&MD and ED. Simultaneously, HR & Compensation Committee of the Board was reconstituted with changed name as Human Resource Committee of the Board.

The said committee was reconstituted further on 28.02.2014 as per directives of Reserve Bank of India so as to review HR policies of the Bank in the context of best practices in the industry.

HR Committee of the Board was renamed as Steering Committee on HR (HR Comm.) during the reconstitution approved by the Board of Directors in its meeting dated 10.11.2017 with two outstanding HR professionals from reputed companies, as per Khandelwal Committee recommendations.

Lately, the Committee was reconstituted by the Board of Directors in its meeting dated 16.01.2018. The quorum of the committee is 04 members including one external HR professional.

4.15.1 Composition of the Steering Committee on HR:

The members of the HR Committee of the Board were as under:-

1. Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
2. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
3. Shri S. Harisankar	Executive Director
4. Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
5. Smt. Sharbari Saha	External HR Professional
6. Shri Sujoy Banerjee	External HR Professional

The Committee was chaired by the Managing Director & CEO.

4.15.2 Function of the Steering Committee on HR:

The Committee reviews HR policies of the Bank in the context of best practices in the industry.

4.15.3 Details of meetings:

The Committee met once during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:

4.16 Willful Defaulters Review Committee of the Board:

Reserve Bank of India vide Circular Letter No. RBI/2014-15/73 DBR No. CID.BC.57/20.16.003/2014-15 Dated 01.07.2014 on "Modifications of Master Circular on Willful Defaulters" has issued guidelines for formation of Willful Default Review Committee of the Board headed by Chairman/CEO and MD and consisting, in addition, of two independent directors of the Bank.

तदनुसार 30.03.2015 के संकल्प के तहत निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया। समिति का समय समय पर पुनर्गठन किया गया।

4.16.1 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन :

31.03.2018 को यथास्थिति बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
3. श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
4. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
5. श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक द्वारा की गई।

4.16.2 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति के कार्य :

समिति एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली और दो महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करती है और इरादतन चूक के तथ्यों और उसके कारणों का अभिलेख रखती है।

4.16.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार 8 बैठकें आयोजित की गई:-

क्र. सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Willful Defaulters Review Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1	28.06.2017	5	5
2	11.08.2017	5	4
3	20.09.2017	5	5
4	30.10.2017	5	5
5	12.12.2017	5	5
6	16.01.2018	5	5
7	28.02.2018	5	4
8	22.03.2018	5	4

5. निदेशकों की परिलब्धियाँ :

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दी जाने वाली परिलब्धियों का भुगतान भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही हैं।

5.1 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के विगत एवं वर्तमान पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं

Accordingly, Willful Defaulters Review Committee was constituted by the Board of Directors vide its Resolution dated 30.03.2015. The Committee was reconstituted from time to time.

4.16.1 Composition of the Willful Defaulters Review Committee of the Board:

The members of the Willful Defaulters Review Committee of the Board as on 31.03.2018 were as under:

1. Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
2. Shri Sarath Sura	Shareholder Director
3. Shri Gautam Guha	Part Time Non-Official Director
4. Shri N. K. Sahoo	Executive Director (Spl. Invitee)
5. Shri S. Harisankar	Executive Director (Spl. Invitee)

The Committee was chaired by the Managing Director & CEO.

4.16.2 Function of the Willful Defaulters Review Committee of the Board:

The Committee reviews the order of the Internal Committee on Willful Default headed by an Executive Director and two GM/DGM recording the fact of Willful Default and the reasons of the same.

4.16.3 Details of meetings:

Committee held eight meetings during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 as detailed below:-

5. Remuneration to Directors & Familiarization Programmes:

The remuneration including traveling and halting expenses to the Non-Executive Directors is paid as per Government of India /RBI guidelines.

5.1 The details of salary including incentives paid to the Whole-Time Directors of the Bank past and present, i.e. Chairman and Managing Director (CMD)/ Managing

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान किए गए वेतन एवं प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

Director & CEO and Executive Directors (EDs) during the financial year 2017-18 are as under:

क्रम सं. Sl. No.	नाम Name	मूल वेतन Basic Pay (₹)	मंहगाई भत्ता Dearness Allowance (₹)	बकाया Arrear (₹)	प्रोत्साहन Incentives (₹)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment (₹)	कुल Total (₹)
1.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन (प्रनि एवं मुकाअ) Smt. Usha Ananthasubramanian (MD&CEO)	2420254.84	110274.19	*6732.00	-----	-----	2537261.03
2.	श्री एन. के. साहू (का.नि.) Shri N. K. Sahoo (ED)	2234700.00	100644.00	*16554.00	-----	-----	2351898.00
3.	श्री एस. हरिशंकर (का.नि.) Shri S. Harisankar (ED)	2121600.00	95472.00	*10229.15	-----	-----	2227301.15
4.	श्री राकेश सेठी (भू.पू. अ.प्र.नि.) Shri Rakesh Sethi, Ex-CMD	211600.00	8464.00	*12696.00	-----	1210352.00	1443112.00
5.	श्री जे. के. सिंह खर्ब (भू.पू. का.नि.) Shri J.K. Singh Kharb, (Ex-ED)	-----	-----	#156975.00	-----	409477.05	566452.05

*मंहगाई भत्ता बकाया # वेतन बकाया

* Dearness Allowance Arrear. # Salary Arrear

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its directors.

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

5.2 भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 27.07.2015 से गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹20,000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹10,000/- का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) और 9(3)(सी) के अंतर्गत क्रमशः बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और सरकार और भारिबैं द्वारा नामित निदेशकों, को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

5.2 As per Government of India guidelines, the Non-Executive Directors are being paid a sitting fee of ₹20,000/- for attending each Board Meetings and ₹10000/- for Committee Meetings with effect from 20.07.2015. Sitting fees are, however, not paid to the Managing Director & CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed/nominated under Section 9(3)(b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 respectively.

5.3 स्वतंत्र निदेशकों के लिए किए गए फेमिलियराइजेशन कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

5.3 Details of familiarization programmes imparted to independent Directors is available on Bank's website www.allahabadbank.in

6. जनरल बॉडी बैठकें:

6.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

6 General Body Meetings:

6.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	तारीख एवं समय Date and Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
तेरहवीं वार्षिक आम सभा	गुरुवार, 26 जून, 2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027	31.03.2015 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।
Thirteenth Annual General Meeting	Friday, the 26 th June, 2015, 10.30 A.M.	Bhasha Bhavan Auditorium National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700 027	To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report and to declare Dividend on Equity Shares.
चौदहवीं वार्षिक आम सभा	बुधवार 29 जून, 2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर, कोलकाता-700027	31.03.2016 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण।
Fourteenth Annual General Meeting	Wednesday, the 29 th June, 2016, 10.30 A.M.	Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027	To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report.
प्रंद्रहवीं वार्षिक आम सभा	बुधवार 28 जून, 2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर, कोलकाता-700027	1. 31.03.2017 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू आदि के माध्यम से पूंजी जुटाना।
Fifteenth Annual General Meeting	Wednesay, the 28 th June, 2017, 10.30 A.M.	Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027	1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report and 2. To raise equity capital through QIP/FPO/ Rights issue etc.

6.2 दिनांक 28.06.2017 की वार्षिक आम सभा में क्यूआईपी/एफपीओ/ राइट इश्यू आदि के माध्यम से पूंजी जुटाने से संबंधित विशेष संकल्प के अलावा, उपर्युक्त तीन वार्षिक आम सभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

6.2 Except the Special Resolution related to raising of equity capital through QIP/ FPO/ Rights issue etc. passed in the Annual General Meeting dated 28.06.2017, No other special resolution was passed in aforementioned three Annual General Meetings.

6.3 28.06.2017 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :-

श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
श्री परवीन कुमार छोकरा	शेयरधारक निदेशक

6.3 The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 28.06.2017:

Smt. Usha Ananthasubramanian	Managing Director & CEO
Shri N. K. Sahoo	Executive Director
Shri S. Harisankar	Executive Director
Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non-official Director
Shri Gautam Guha	Part Time Non-official Director
Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director
Shri Sarath Sura	Shareholder Director
Shri Parveen Kumar Chhokra	Shareholder Director

6.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। तथापि बैंक के शेयरधारकों ने निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए:

6.4.1 17.05.2017 को आयोजित असाधारण आम सभा में :

यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹63.95 (रुपये तिरसठ एवं पैसे पंचानवे मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹73.95 (रुपये तिहत्तर एवं पैसे पंचानवे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,65,24,678 (पाँच करोड़ पैंसठ लाख चौबीस हजार छह सौ अठहत्तर) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर संकलित ₹418.00 करोड़ (रुपये चार सौ अठारह करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करना।

6.4.2 17.01.2018 को आयोजित असाधारण आम सभा में :

कर्मचारी शेयर क्रय योजना (जिसे इसमें इसके बाद “आलबैंक-ईएसपीएस” के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत ऐसी कीमत अथवा कीमतों पर बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार यथानिर्णीत निबंधनों और शर्तों पर लाभान्श के भुगतान सहित समस्त प्रयोजनों और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की सममित्रा रैंकिंग के साथ ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रदान प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन।

6.4.3 21.03.2018 को आयोजित असाधारण आम सभा में :

यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹61.18 (रुपये इकसठ एवं पैसे अट्ठारह मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹71.18 (रुपये इकसठ एवं पैसे अट्ठारह मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 21,07,33,352 (इक्किस् करोड़ सात लाख तैतीस हजार तीन सौ बावन) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर संकलित ₹1500.00

6.4 No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2017-18. However, the shareholders of the Bank passed the following Special Resolutions:

6.4.1 In the Extraordinary General Meeting held on 17.05.2017:

To create, offer, issue and allot 5,65,24,678 (Five crore sixty five lakh twenty four thousand six hundred seventy eight) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹73.95 (Rupees seventy three and paise ninety five only) per equity share including a premium of ₹63.95 (Rupees sixty three and paise ninety five only) per equity share determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹418.00 crore (Rupees four hundred eighteen crore only) on preferential basis to Government of India (President of India).

6.4.2 In the Extraordinary General Meeting held on 17.01.2018:

To create, grant offer, issue and allot up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (AllBank-ESPS) in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion.

6.4.2 In the Extraordinary General Meeting held on 21.03.2018:

To create, offer, issue and allot 21,07,33,352 (Twenty one crore seven lakh thirty three thousand three hundred fifty two) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹71.18 (Rupees seventy one and paise eighteen only) per equity share including a premium of ₹61.18 (Rupees sixty one and paise eighteen only) per equity share determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹1500.00 crore (Rupees fifteen hundred crore only) on

करोड़ (रुपये पंद्रह सौ करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करना।

7. व्हिसल ब्लोअर नीति :

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, जो यह संचालित करता है, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आने वाली आम जनता के सदस्यों के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पालिसी का नाम है **आल बैंक व्हिसल ब्लोअर पालिसी** जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्यवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्यवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से वंचित नहीं किया गया है।

8. प्रकटीकरण :

बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।

वर्ष 2017-18 हेतु कारपोरेट गवर्नेंस की स्थिति के अनुपालन पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) में यथानिर्धारित प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन का अंश है।

preferential basis to Government of India (President of India).

7. Whistle Blower Policy:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees/ officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff/officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'ALL-Bank Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website www.allahabadbank.in.

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

8. Disclosures:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI.

The Bank has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable to Nationalized Banks.

A certificate of the Statutory Central Auditors on Corporate Governance for the year 2017-18 is annexed to this report.

A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated in Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.

Management discussion and analysis forms part of the Annual Report.

9. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् एनएसई और बीएसई को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक कोलकाता स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2017-2018 के दौरान तिमाही वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं अर्थात् “बिजनेस लाइन” (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), मिनट (अंग्रेजी), सन्मार्ग (हिंदी), आज (हिंदी), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), एई सोमय (बंगला) और आज कल (बंगला) आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक के वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रेजेंटेशन बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर दिए गए हैं।

9. Means of Communication::

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper and one regional language newspaper based at Kolkata as per statutory requirement. During the financial year 2017-18, the quarterly/half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Business Line (English), Business Standard (English), Financial Express (English), Mint (English), Sanmarg (Hindi), Aaj(Hindi), Business Standard (Hindi), Aei Somay (Bengali), and Aajkal (Bengali) etc. The results are also displayed on the web site of the Bank www.allahabadbank.in.

The presentation made to the analysts/institutional investors if any, are hosted on the Bank's Website www.allahabadbank.in

10. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी:

10.1 16वीं वार्षिक आम सभा का विवरण:

दिन और दिनांक	बुधवार, 27 जून, 2018
समय	पूर्वाह्न 10.30
स्थान	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर, कोलकाता - 700027

10.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर (अंतिम) :

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2018	- जुलाई-अगस्त 2018
30 सितम्बर 2018	- अक्तूबर-नवम्बर 2018
31 दिसम्बर 2018	- जनवरी-फरवरी 2019
31 मार्च 2019	- लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल-मई 2019

10.3 वार्षिक आम सभा हेतु वार्षिक बुक क्लोजर :

बुक-क्लोजर गुरुवार 21 जून, 2018 से बुधवार 27 जून, 2018 (दोनों दिन शामिल हैं)

10.4 लाभांश:

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

10. General Shareholders Information:

10.1 Particulars of 16th Annual General Meeting:

Day and Date	Wednesday, the 27 th June, 2018
Time	10.30 A.M.
Venue	Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027

10.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April to March

Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2018	- July- August, 2018
September 30, 2018	- October- November, 2018
December 31, 2018	- January- February, 2019
March 31, 2019	- Audited Annual Accounts: April- May, 2019

10.3 Date of Annual Book Closure for the purpose of AGM:

Book closure- Thursday, the 21st June, 2018 to Wednesday, the 27th June, 2018 (Both days inclusive)

10.4 Dividend:

The Board of directors of the Bank has not recommended any dividend for Financial Year 2017-18.

10.5 लिस्टिंग :

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:-

10.5 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India (NSE) and BSE Ltd. (BSE). The other details are as under:-

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कोड Stock Code	लिस्टिंग की तिथि Date of Listing
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि.(एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा प्लॉट नं. सी/1, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(ई) मुम्बई 400051 National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	एएलबीके ALBK	27.11.2002
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई 400001 BSE Limited (BSE), PJ Towers, Dalal Street, Mumbai-400001	532480	27.11.2002

वित्त वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

10.6 अनुपालन अधिकारी :

31.03.2018 को यथास्थिति श्री वि. कु. मित्र, महाप्रबंधक को सेबी, अन्य सांविधिक प्राधिकरणों और स्टॉक एक्सचेंजों के विभिन्न अनुबन्धों का अनुपालन करने हेतु अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

The advance annual listing fee for the financial year 2018-19 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

10.6 Compliance Officer

As on 31.03.2018, Shri B. K. Mitra, General Manager was designated as the Compliance Officer for complying with various stipulations of SEBI, other statutory authorities and Stock Exchanges.

10.7 बाजार मूल्य डाटा :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा:

10.7 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange Ltd.(NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2017-18 were as under:

माह / Month	एनएसई / NSE			बीएसई / BSE		
	Closing Price		मात्रा (ट्रेडेड शेयरों की संख्या) Volume (Number of shares Traded)	Closing Price		मात्रा (ट्रेडेड शेयरों की संख्या) Volume (Number of shares Traded)
	उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)		उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)	
अप्रैल/April 17	82.35	72.25	61985484	82.20	72.35	5399080
मई/May 17	89.95	70.05	155056253	89.95	70.05	14815533
जून/June 17	72.25	67.00	97362754	72.25	66.95	9539714
जुलाई/July 17	76.50	66.40	69976313	76.45	66.45	7290654
अगस्त/Aug 17	74.15	64.10	65307417	74.10	64.20	5413809
सितम्बर/Sep 17	73.10	65.65	55615268	73.30	65.85	4184526
अक्तूबर/Oct 17	84.60	65.10	79193449	84.40	65.25	7264617
नवम्बर/Nov 17	83.00	74.95	82746384	83.10	75.15	8225864
दिसम्बर/Dec 17	77.15	71.75	39322522	77.15	71.80	3064012
जनवरी/Jan 18	73.75	66.80	58836478	73.90	66.65	5553130
फरवरी/Feb 18	64.65	51.25	106877440	64.85	51.30	9576979
मार्च/Mar 18	51.50	45.40	98962005	51.50	45.25	7781730

10.8 इन्डेक्स (एस एंड पी बीएसइ सेनसेक्स एवं निफ्टी-50) की गतिविधि की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

10.8 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty-50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:

दिनांक Date	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (₹) Closing Share Price of Bank at NSE (₹)	निफ्टी-50 (अंतिम) Nifty-50 (Closing)	एस एंड पी बीएसइ सेनसेक्स (अंतिम) S&P BSE Sensex (Closing)
3-Apr-17	73.45	9237.85	29910.22
2-May-17	82.90	9313.80	29921.18
1-Jun-17	71.05	9616.10	31137.59
3-Jul-17	67.80	9615.00	31221.62
1-Aug-17	74.15	10114.65	32575.17
1-Sep-17	69.30	9974.40	31892.23
3-Oct-17	65.85	9859.50	31497.38
1-Nov-17	83.00	10440.50	33600.27
1-Dec-17	74.60	10121.80	32832.94
1-Jan-18	73.75	10435.55	33812.75
1-Feb-18	64.65	11016.90	35906.66
1-Mar-18	51.50	10458.35	34046.94
28-Mar-18	49.60	10113.70	32968.68

10.9 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट :

मेसर्स सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. पी-22 बंडेल रोड कोलकाता - 700019, बैंक का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट है।

10.9 Registrar and Share Transfer Agent:

CB Management Services Private Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019 is Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10.10 शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.12.2012 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि बोर्ड स्तरीय शेयर अंतरण समिति को जारी न रखा जाए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति का गठन करने हेतु प्राधिकार दिया गया। तदनुसार बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन अनुरोध और गुम हुए/चोरी हुए शेयरों की रिपोर्ट मिलने पर उनके बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन देने के लिए एक कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति के गठन का अनुमोदन किया। कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अनुसमर्थन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशकगण एक साथ शेयरों के अंतरण-सह-डिमाटेरियलाइजेशन की सुविधा अपना सकते हैं। शेयरों के हस्तांतरण के बाद रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट हस्तांतरिती को हस्तांतरण की सूचना भेजेगा। हस्तांतरितियों को यह अवगत कराया जाता है कि वे इसे डिमाटेरियलाइजेशन हेतु अपने अनुरोध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत करें। डिमाटे हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरों को डिमाटेरियलाइज कर दिया जाता है। यदि 30 दिनों के अंदर डिमाटे हेतु अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्र हस्तांतरिती को भौतिक रूप में भेज दिया जाता है।

10.10 Share Transfer System:

The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 17.12.2012 decided to discontinue the Board level Share Transfer Committee and authorised the Chairman and Managing Director/ Managing Director & CEO to constitute an Executive Level Share Transfer Committee. Accordingly, the Chairman and Managing Director of Bank, approved constitution of an Executive Level Share Transfer Committee for approving Share Transfer, Transmission requests and issue of duplicate shares against the shares reported to have been lost/misplaced/stolen. The minutes of the Executive Level Share Transfer Committee meetings are placed before the Board of Directors for ratification.

As per SEBI guidelines, investors can avail the facility of simultaneous transfer-cum-dematerialization of shares. Registrar and Share Transfer Agent, on transfer of shares, would be sending the intimation of transfer to the transferee. Transferees are apprised to submit their request for dematerialization to their Depository Participant. On receipt of Demat request, the shares are dematerialized. If the demat request is not received within a period of 30 days, the transferred share certificate is dispatched to the transferee in physical form.

10.11 31.03.2018 को यथास्थिति शेयरधारिता का वितरण:

10.11 Distribution of shareholding as on 31.03.2018:

शेयरधारिता Shareholding	शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत (%) Percentage of Total shareholders (%)	शेयरों की संख्या Number of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत (%) Percentage of Total shares (%)
1 - 500	181884	80.07	31486962	3.73
501 - 1000	18765	8.26	13792965	1.63
1001 - 2000	10224	4.50	14150081	1.68
2001 - 3000	10472	4.61	26063585	3.09
3001 - 4000	2865	1.26	11094724	1.31
4001 - 5000	1283	0.57	6110608	0.72
5001 - 10000	1118	0.49	7428095	0.88
10001 - 50000	417	0.18	8373044	0.10
50001 - 100000	46	0.02	3355133	0.40
Above 100000 / एवं अधिक	94	0.04	722189115	85.56
कुल/Total	227168	100.00	844044312	100.00

10.12 शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन :

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड **INE428A01015** है।

31.03.2018 को यथास्थिति बैंक के 829380039 इक्विटी शेयर, डिमैटरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 98.26% है।

31.03.2018 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डीमैट और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

10.12 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE428A01015**.

As on 31.03.2018, 829380039 equity shares constituting 98.26% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2018 are as under:

शेयरधारण Shares held in	शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders	शेयरधारकों का % % of shareholders	शेयरों की संख्या Number of shares	शेयरधारिता का % % of shareholding
भौतिक रूप / Physical form	47410	20.87	14664273	1.74
डीमैट रूप / Dematerialized form				
एनएसडीएल / NSDL	123411	54.33	257298426	30.48
सीडीएसएल / CDSL	56347	24.80	572081613	67.78
कुल /TOTAL	227168	100.00	844044312	100.00

31.03.2018 को यथास्थिति भारत सरकार द्वारा धारित ₹10 के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 546733089 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 64.78% है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 21.03.2018 के अपने पत्र सं. एफ सं. 7/38/2014-बीओए के तहत सरकारी निवेश के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन में केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में इलाहाबाद बैंक में ₹1500 करोड़ (रुपए एक हजार पांच सौ करोड़ मात्र) निर्मुक्त करने हेतु भारत के राष्ट्रपति की संस्वीकृति की सूचना दी है। भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के संवर्धक ने ₹1500 करोड़ (रुपए एक हजार पांच सौ करोड़ मात्र) की राशि का पूंजी अंशदान पहले ही शेयर आवेदन राशि के रूप में 27.03.2018 विप्रेषित कर दिया है। बैंक इसे "शेयर आवेदन राशि खाता" में रख रहा है और सभी सांविधिक/विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को शेयर आबंटित करेगा

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2018 is 546733089 equity shares of ₹10/- each, which constitutes 64.78% of the paid up capital of the Bank.

The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their letter No. F.No. 7/38/2014-BOA dated 21.03.2018 has conveyed the sanction of the President of India for release of ₹1500.00 crore (Rupees one thousand five hundred crore only) in Allahabad Bank towards contribution of the Central Government in the Preferential Allotment of equity shares of the Bank during the financial year 2017-18 as Government's Investment. Government of India (President of India), the promoter of the Bank has already remitted the capital contribution amount of ₹1500.00 crore (Rupees one thousand five hundred crore only) on 27.03.2018. The Bank is maintaining the same in the "Share Application Money Account", and will allot the shares to the Government of India (President of India) after receipt of all Statutory/Regulatory approvals.

10.13 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं है।

10.14 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:

विदेश में उपस्थिति के साथ बैंकिंग व्यवसाय करते हुए बैंक को विदेशी मुद्रा जोखिम हो सकता है। तथापि, विदेशी मुद्रा में बैंक का महत्वपूर्ण निवेश नहीं है और मुद्रा अंतराल अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है। तुलन पत्र की तिथि को यथास्थिति बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और फारवर्ड संविदाएं और व्यापार हेतु धारित मुद्रा का क्रमशः फेडरल द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट और फारवर्ड दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदाओं हेतु इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है।

अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश के संबंध में बैंक ने उधारकर्ताओं द्वारा की गई घोषणा के आधार पर अपनी देयता का अनुमान लगाया है और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने इसके लिए प्रावधान किया है। उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं, जहां प्राप्त हुई हैं, के आधार पर बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 और परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 दिनांक 3 जून 2014 के परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश के संबंध में 31 मार्च 2018 तक अपने संघटकों के लिए ₹2.25 करोड़ (विगत वर्ष ₹9.04 करोड़) की देयता का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

10.15 अधिमानी आबंटन के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बैंक द्वारा 31.03.2017 को भारत सरकार से प्राप्त ₹418 करोड़ के पूंजी अंतः प्रवाह के सापेक्ष ₹63.95 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹73.95 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 07.08.2017 को भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ₹10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 5,65,24,678 नए इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है। बैंक ने उपर्युक्त अधिमानी निर्गम की समस्त आय का प्रयोग बैंक के पूंजी आधार को बढ़ाने और मजबूत करने तथा बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के निधियन हेतु किया है।

11. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण :

बैंक ने सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि., कोलकाता, को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों का अंतरण/ प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के प्रधान कार्यालय, कोलकाता में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:-

सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.

(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)

पी-22 बंडेल रोड, कोलकाता-700019

दूरभाष सं. : 033-40116700, फैक्स सं. : 033-40116739

ईमेल: rta@cbmsl.com

मुख्य प्रबंधक (कंपनी सचिव)

निवेशक सेवा कक्ष

शेयर और बांड विभाग

इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय

2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

दूरभाष सं. : 033-22420878, फैक्स सं. : 033-22623279

ईमेल: investors.grievance@allahabadbank.in

10.13 There are no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.

10.14 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

Being in banking business with overseas presence, the Bank is exposed to Foreign Exchange Risk. However, exposure of the Bank to foreign currencies is not significant and currency gaps are within its internal prudential limits. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹2.25 crore up to 31st March, 2018 (previous year ₹9.04 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

10.15 Utilization of funds raised through Preferential Allotment:

During the financial year 2017-18, the Bank made allotment of 5,65,24,678 new equity shares of face value of ₹10.00 each on preferential basis to the Government of India (President of India) on 07.08.2017 at an issue price of ₹73.95 per equity share including a premium of ₹63.95 per equity share against the capital infusion of ₹418.00 crore received by the Bank on 31.03.2017 from the Government of India for FY 2016-17. The Bank has utilized the entire proceeds of the aforesaid Preferential Issue for enhancing and strengthening the capital base of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

11. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed CB Management Services Private Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer/transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank's Head Office in Kolkata.

The shareholders may lodge their requests/complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address:-

CB Management Services (P) Ltd.

(Unit: Allahabad Bank)

P-22, Bondel Road, Kolkata-700019.

Tel; 033-40116700, Fax : 033-40116739

Email: rta@cbmsl.com

The Chief Manager, (Company Secretary)

Investors' Service Cell,

Shares and Bonds Department

Allahabad Bank, Head Office ,

2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001.

Tele: 033-22420878, Fax: 033-22623279

Email: investors.grievance@allahabadbank.in

11.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु इसे बैंक के आरटीए अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2018 को लंबित अनुरोधों / शिकायतों का विवरण निम्नवत है :-

11.1 Number of complaints received, resolved and pending :

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests/complaints received and resolved during the financial year 2017-18 and pending as on 31.03.2018 are as follows:-

यथास्थिति 31.03.2017 को लंबित Pending as on 31.03.2017	2017-18 के दौरान प्राप्त Received during 2017-18	2017-18 के दौरान निस्तारित Resolved during 2017-18	31.03.2018 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31.03.2018
शिकायतों/अनुरोधों की संख्या Number of Complaints/requests	01	277	278
			Nil

12. डीमेट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण**12. Disclosure with respect to demat suspense account/unclaimed suspense account**

डीमेट उचंत खाता में रखे अदावी शेयरों का विवरण:

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

वर्ष के आरंभ में अर्थात् 01.04.2017 को उचंत खाते में रखे गए शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2017	शेयरधारक-13 शेयर-3791 Shareholders-13 Shares-3791
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सेचीबठ संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	शून्य Nil
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	शून्य Nil
वर्ष के अंत में अर्थात् 31.03.2018 को उचंत खाते में रखे गए शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the end of the year i.e. 31.03.2018	शेयरधारक-13 शेयर-3791 Shareholders-13 Shares-3791

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा।

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

वैध समी से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमेट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

On the receipt of valid claim from the rightful owner the shares lying in the Demat Suspense account are credited to the claimant.

13. शेयरधारिता संरचना (31.03.2018 को यथास्थिति)**13. Shareholding Pattern (as on 31.03.2018)**

श्रेणी Category	शेयर धारकों की संख्या Number of shareholders	धारित शेयरों की संख्या Number of shares held	शेयरधारिता % % of shareholding
भारत सरकार / Govt. of India	1	546733089	64.78
बीमा कंपनियाँ / Insurance Companies	5	107579077	12.74
भारतीय म्यूचुअल फंड / Indian Mutual Funds	21	32209499	3.82
बैंक / Banks	6	559289	0.07

श्रेणी Category	शेयर धारकों की संख्या Number of shareholders	धारित शेयरों की संख्या Number of shares held	शेयरधारिता % % of shareholding
विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	47	15050165	1.78
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Port-folio Investors	36	12029526	1.43
आईएफआई/IFIs	1	325000	0.04
कर्मचारी / Employees	23213	44902938	5.32
निगमित निकाय / Bodies Corporate	905	7953129	0.94
अनिवासी भारतीय / Non-resident Indians	1140	1438882	0.17
न्यास/एचयूएफ / Trust/HUF	11	63469	0.01
निवासी भारतीय / Resident Individuals	201622	74488127	8.82
निदेशक एवं संबंधी / Directors and Relatives	6	20400	0.00
क्लियरिंग सदस्य / Clearing Members	154	691722	0.08
कुल / Grand Total	227168	844044312	100

14. नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभान्श का भुगतान :

नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभान्श के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभान्श सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की केन्द्रीयकृत बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट मैनडेट फॉर्म, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे फिजिकल शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जा सकता है। डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट मैनडेट हेतु अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। शेयरधारक द्वारा आग्रह करने पर एनएसीएच के माध्यम से लाभान्श प्राप्त करने का विकल्प समाप्त किया जा सकता है।

15. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्त्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पालिसी बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

16. आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य “आचार संहिता” तैयार की है और इसे 17.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है।

14. Payment of Dividend through National Automated Clearing House (NACH)

National Automated Clearing House is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his/ her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

The Electronic Credit mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participant for their Electronic Credit mandate. The option to receive dividend through NACH may be discontinued at any time at the instance of the shareholders.

15. Related Party Transactions

Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2017-18. The policy on dealing with related party transactions is available on Bank's website www.allahabadbank.in

16. Code of Conduct

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board at its meeting held on 17.10.2005 and the same is available on the Bank's website viz. www.allahabadbank.in

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

17. कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की शर्तों के अनुसार कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

17. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is attached.

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

For and on behalf of the Board of Directors

दिनांक: 11.05.2018

स्थान: कोलकाता

उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Date: 11.05.2018

Place: Kolkata

Usha Ananthasubramanian

Managing Director & CEO

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में सीईओ द्वारा घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात् महाप्रबंधकगण) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की शर्तों के अनुसरण में 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है। उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is to declare that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. General Managers) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2018 in terms of Regulation 26(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.allahabadbank.in

दिनांक : 11.05.2018
स्थान: कोलकाता

उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Date: 12.05.2018
Place: Kolkata

Usha Ananthasubramanian
Managing Director & CEO

**कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थिति के अनुपालन पर
लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र**

सेवा में,

इलाहाबाद बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46(2) (बी से आई) में यथानिर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु **इलाहाबाद बैंक**, के कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन की जाँच की है।

कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- (ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।
- (बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथाप्रमाणित एवं हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

**Auditors' Certificate on Compliance of Conditions
of Corporate Governance**

To,

The Members of Allahabad Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **ALLAHABAD BANK** for the year ended on March 31st, 2018, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- (a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent these do not violate RBI/Government of India guidelines.
- (b) We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No.003475S
(सीए अविनाश टी. जैन)
(CA Avinash T. Jain)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.041689

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 003897N
(सीए सुरिन्दर कुमार)
(CA Surinder Kumar)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.070405

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 302017E
(सीए राणा प्रताप नंदी)
(CA Rana Pratap Nandy)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं./Firm Regn. No.302175E
(सीए तरित दासगुप्ता)
(CA Tarit Dasgupta)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.053380

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं./ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी साहु)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)}

विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसरण में}

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इलाहाबाद बैंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(ए) हमने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बैंक के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

- i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई त्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।
- ii) ये विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की रूपरेखा या परिचालन की उन विसंगतियों को, यदि कोई हो, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतु हमने जो कदम उठाए हैं या उठाया जाना प्रस्तावित है, उसे लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।

(डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि-

- (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (ii) पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपनायी गई लेखा नीतियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अंगीकृत लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है सिवाय संशोधित एएस-10 के अनुसार । इन्हें वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकट किया गया है।
- (iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

(संजय अग्रवाल)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 11.05.2017

COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

To
The Board of Directors,
Allahabad Bank

This is to certify that:

- (A) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement of the Bank for the financial year 2017-18 and that to the best of our knowledge and belief:
- (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - (2) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (B) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (C) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to the financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (D) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
- (1) that no significant change in internal control over financial reporting has been made during the financial year 2017-18;
 - (2) that there has been no significant changes in accounting policies during the financial year 2017-18 as compared to those followed in preceding financial year 2016-17 except treatment of revaluation reserve as per revised AS-10. The same has been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (3) the instances of significant fraud of which we become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sanjay Aggarwal)
General Manager (F&A) and CFO

(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place: Kolkata
Date: 11.05.2018

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK
31 मार्च, 2018 को यथास्थिति तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
Capital and Liabilities	Schedule		
पूंजी / Capital	1	8,440,443	7,436,899
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	94,243,472	135,527,105
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन / Share application money pending allotment		15,000,000	4,180,000
जमा राशियाँ / Deposits	3	2,136,038,278	2,018,702,157
उधार / Borrowings	4	214,005,155	146,703,247
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	59,415,755	57,829,424
कुल /Total:		2,527,143,103	2,370,378,832
आस्तियाँ /ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India			
	6	92,909,660	85,857,980
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice			
	7	121,309,226	134,695,189
निवेश /Investments	8	677,140,245	551,360,686
अग्रिम /Advances	9	1,520,607,442	1,507,526,993
अचल आस्तियाँ /Fixed Assets	10	31,320,863	31,918,503
अन्य आस्तियाँ /Other Assets	11	83,855,667	59,019,481
कुल /Total:		2,527,143,103	2,370,378,832
आकस्मिक देयताएँ /Contingent Liabilities	12	2,121,472,384	1,680,857,731
समाहरण के लिए बिल /Bills for Collection		128,770,524	156,698,334
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी /Notes on Accounts	18		
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Usha Ananthasubramanian Managing Director & CEO	एन. के. साहू कार्यपालक निदेशक N. K. Sahoo Executive Director	एस. हरिशंकर कार्यपालक निदेशक S. Harisankar Executive Director	एस. अग्रवाल महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) S. Aggarwal General Manager (Finance & Accounts and CFO)	एस. के. जैन उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. K. Jain Dy. General Manager(F&A)	एस. बल सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. Bal Asstt General Manager(F&A)
--	---	--	--	---	---

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

निदेशक / Directors:

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan
श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep
श्री सारथ सूरा/Shri Sarat Sura
श्री बिजय कुमार साहू/ Shri Bijaya Kumar Sahoo
डॉ. पार्थ प्रतीम पाल/Dr. Partha Pratim Pal
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S
(सीए अविनाश टी. जैन)
(CA Avinash T. Jain)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.041689

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N
(सीए सुरिन्दर कुमार)
(CA Surinder Kumar)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.070405

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E
(सीए राणा प्रताप नंदी)
(CA Rana Pratap Nandy)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E
(सीए तरित दासगुप्ता)
(CA Tarit Dasgupta)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.053380

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी साहू)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 11.05.2018

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2018

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ '000)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017 (₹ '000)
I. आय /INCOME			
अर्जित ब्याज /Interest earned	13	163,584,926	176,603,936
अन्य आय /Other income	14	26,925,602	26,443,311
कुल /Total :		190,510,528	203,047,247
II. व्यय /EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज /Interest expended	15	116,261,027	123,733,636
परिचालन व्यय /Operating expenses	16	39,866,261	40,645,920
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & contingencies		81,126,919	41,802,851
कुल /Total :		237,254,207	206,182,407
III. निवल लाभ /Net Profit		(46,743,679)	(3,135,160)
अग्रानीत शेष /Balance brought forward		(6,163,198)	(3,600,813)
कुल /Total :		(52,906,877)	(6,735,973)
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Statutory Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Revenue & Other Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूंजी प्रारक्षिति-अन्य को अंतरण/Transfer to Capital Reserve - Others		शून्य/NIL	शून्य/NIL
विशेष प्रारक्षितियों को अंतरण, आइटी एक्ट की धारा 36(1)(viii) के अनुसार/ Transfer to Special Reserve (in terms of Sec 36(1)(viii) of IT Act, 1961)		शून्य/NIL	शून्य/NIL
आईआरएस प्रारक्षिति को/से अंतरण / Transfer to / from IRS Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		शून्य/NIL	शून्य/NIL
लाभांश पर कर /Tax on Dividend		शून्य/NIL	शून्य/NIL
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष/Balance carried to Balance Sheet		(52,906,877)	(6,735,973)
कुल /Total :		(52,906,877)	(6,735,973)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies 17			
लेखा पर टिप्पणियाँ /Notes on Accounts 18			
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डाइल्यूटेड) (₹){अनु.18 (4.7) का संदर्भ लें } / Earnings per share (Basic and Diluted) (₹) {refer Sch.18 (4.7)}		(59.63)	(4.36)
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Usha Ananthasubramanian Managing Director & CEO	एन. के. साहू कार्यपालक निदेशक N. K. Sahoo Executive Director	एस. हरिशंकर कार्यपालक निदेशक S. Harisankar Executive Director	एस. अग्रवाल महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) S. Aggarwal General Manager (Finance & Accounts and CFO)	एस. के. जैन उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. K. Jain Dy. General Manager(F&A)	एस. बल सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. Bal Asstt General Manager(F&A)
---	--	---	---	--	--

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

निदेशक / Directors:

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan
श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep
श्री सारथ सूरा/Shri Sarat Sura
श्री बिजय कुमार साहू/ Shri Bijaya Kumar Sahoo
डॉ. पार्थ प्रतीम पाल/Dr. Partha Pratim Pal
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
संनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S

(सीए अविनाश टी जैन)
(CA Avinash T. Jain)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.041689

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
संनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N

(सीए सुरिन्दर कुमार)
(CA Surinder Kumar)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.070405

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
संनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E

(सीए राणा प्रताप नंदी)
(CA Rana Pratap Nandy)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
संनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E

(सीए तरित दासगुप्ता)
(CA Tarit Dasgupta)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.053380

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
संनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E

(सीए नारद पी साहू)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं./Membership No.055224

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 11.05.2018

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी /AUTHORISED CAPITAL		
₹10/- प्रत्येक के 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	30,000,000	30,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹10/- प्रत्येक 54,67,33,089 इक्विटी शेयर 54,67,33,089 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	5,467,331	4,902,085
जनता एवं अन्य द्वारा धारित ₹10/- प्रत्येक के 29,73,11,223 इक्विटी शेयर 29,73,11,223 Equity Shares of ₹10/- each held by Public & Others	2,973,112	2,534,814
कुल /Total :	8,440,443	7,436,899
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षितियां/Statutory Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	32,043,870	32,043,870
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	32,043,870	32,043,870
II. पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves		
ए/Α) पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां /Revaluation Reserves		
i) अथशेष /Opening Balance	26,004,674	26,480,257
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	(435,432)	शून्य/NIL
iv) लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण /Transfer to Profit & Loss Account	शून्य/NIL	(475,583)
कुल /Total :	25,569,242	26,004,674
बी/Β) स्थिर आस्तियों के विक्रय में से प्रारक्षितियां		
Reserve out of sale of Fixed Assets		
i) अथशेष /Opening Balance	103,251	103,251
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Addition during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	103,251	103,251

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
सी/C) अन्य / Others		
i) अथशेष /Opening Balance	4,124,627	4,124,627
ii) लाभ एवं हानि खाते से अंतरण / Transfer from Profit & Loss Account	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	4,124,627	4,124,627
कुल (ए+बी+सी) /Total (A+B+C)	29,797,120	30,232,552
III. शेयर प्रीमियम /Share Premium		
i) अथशेष / Opening Balance	34,640,641	27,428,075
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	6,328,693	7,212,566
कुल /Total :	40,969,334	34,640,641
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां/Revenue & Other Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	28,583,242	31,047,396
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	2,900,439	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	(3,905,796)	(2,464,154)
कुल /Total :	27,577,885	28,583,242
V. विनिधान प्रारक्षिती खाता / Investment Reserve Account		
i) अथशेष / Opening Balance	1,385,855	1,385,855
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the period	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) लाभ एवं हानि खाते में अंतरण/Transfer to Profit & Loss Account	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	1,385,855	1,385,855
VI. विशेष प्रारक्षितियां (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत)/ Special Reserve (U/S 36(1)(viii) of I T Act,1961)		
i) अथशेष / Opening Balance	14,500,000	14,500,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total	14,500,000	14,500,000
VII. विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षिति /Foreign Currency Translation Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	857,855	970,743
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन / Deduction/Adj. during the year	(633)	(112,888)
कुल /Total:	857,222	857,855
VIII. आई. आर. एस. प्रारक्षिती / I R S RESERVE		
i) अथशेष / Opening Balance	19,063	19,063
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	19,063	19,063
IX. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	(52,906,877)	(6,735,973)
कुल /Total: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	94,243,472	135,527,105

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा		
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
I. मांग जमा /Demand Deposits		
i) बैंकों से /From Banks	201,437	517,410
ii) अन्य से /From Others	103,823,361	117,827,938
कुल /Total :	104,024,798	118,345,348
II. बचत बैंक जमा /Savings Bank Deposits	880,168,369	797,637,895
III. मीयादी जमा /Term Deposits		
i) बैंकों से /From Banks	19,503,133	17,633,791
ii) अन्य से /From Others	1,132,341,978	1,085,085,123
कुल /Total :	1,151,845,111	1,102,718,914
कुल /Total : (I+II+III)	2,136,038,278	2,018,702,157
i) भारत में स्थित शाखाओं के जमा / Deposits of branches in India	2,108,417,008	1,993,347,791
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के जमा / Deposits of branches outside India	27,621,270	25,354,366
कुल /Total :	2,136,038,278	2,018,702,157

अनुसूची 4 - उधार

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक /Reserve Bank of India	79,543,600	शून्य/NIL
ii) अन्य बैंक /Other Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण /Other Institutions and Agencies	5,016,567	6,860,769
iv) गौण नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत / Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument.	3,000,000	3,000,000
v) गौण ऋण-अपर टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	10,000,000	10,000,000
vi) गौण ऋण - टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	8,500,000	13,500,000
vii) गौण ऋण-बासेल III अनुपालित टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital (Basel III Compliant)	25,000,000	25,000,000
viii) गौण ऋण-बासेल III अनुपालित टियर 2 पूँजी / Subordinated Perpetual Debt - Additional Tier I Capital (Basel III Compliant)	15,000,000	3,000,000
कुल /Total :	146,060,167	61,360,769
II. भारत के बाहर उधार /Borrowings outside India	67,944,988	85,342,478
कुल /Total : (I+II)	214,005,155	146,703,247
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	शून्य/NIL	शून्य/NIL

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. संदेय बिल /Bills Payable	7,409,529	10,421,924
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter Office Adjustment (Net)	1,427,692	633,646
III. उपचित ब्याज /Interest Accrued	4,653,276	3,974,530
IV. आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities (Net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
V. अन्य (प्रावधान सहित) /Others (including provisions)	45,925,258	42,799,324
कुल /Total :	59,415,755	57,829,424

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / Cash in hand	6,188,892	5,820,178
(विदेशी करेंसी नोट सहित)(including foreign currency notes)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष /Balances with Reserve Bank of India		
- चालू खाते में / -in Current Account	86,720,768	80,037,802
- अन्य खातों में -/in Other Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	92,909,660	85,857,980

अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I. भारत में /In India		
i. बैंकों में शेष /Balances with Banks		
a) चालू खातों में /in Current Accounts	257,394	318,481
b) अन्य जमा खातों में /in Other Deposit Accounts	44,980,375	38,585,375
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at Call and Short Notice		
ए/अ) बैंकों में / With Banks	39,584,581	64,965,310
बी/ब) अन्य संस्थाओं में /With Other Institutions	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total : (i + ii)	84,822,350	103,869,166
II. भारत के बाहर /Outside India		
i. बैंकों में शेष /Balances with Banks		
ए/अ) चालू खातों में /in Current Accounts	10,156,116	21,098,548
बी/ब) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at Call and Short Notice		
ए/अ) बैंकों में /With Banks	26,330,760	9,727,475
बी/ब) अन्य संस्थाओं में /With Other Institutions	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total : (i + ii)	36,486,876	30,826,023
कुल /Total : (I+II)	121,309,226	134,695,189

अनुसूची 8 - निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

I. भारत में निवेश /Investments in India in		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /Government Securities	625,284,005	474,122,687
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /Other Approved Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii. शेयर/Shares	8,160,364	9,386,483
iv. डिबेंचर और बंध पत्र /Debentures & Bonds	37,994,616	36,541,277
v. अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में विनिधान		
Investments in Subsidiaries and / or	1,557,913	1,553,146
Joint Ventures		
vi. अन्य (म्युचुअल फंड, यूटीआई आदि) /		
Others (Mutual Funds, UTI etc.)	1,164,528	26,971,103
कुल /Total :	674,161,426	548,574,696

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
II. भारत के बाहर निवेश/Investments Outside India		
i. सरकारी प्रतिभूतियां /Government Securities	2,978,819	2,785,990
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां /Other Approved Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii. शेयर /Shares	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iv. डिबेंचर और बांड /Debentures & Bonds	शून्य/NIL	शून्य/NIL
v. अनुषंगियों और/ अथवा संयुक्त उद्यमों में निवेश Investments in Subsidiaries and / or Joint Ventures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
vi. अन्य (म्युच्युअल फंड, यूटीआई इत्यादि/ Others (Mutual Funds, UTI etc.)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	2,978,819	2,785,990
सकल योग /GRAND TOTAL (I and II)	677,140,245	551,360,686
III. भारत में निवेश /Investments in India		
(i) निवेशों में सकल लागत/Gross Value of Investments	687,382,353	554,333,561
(ii) घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान / Less: Provision for Depreciation	13,220,927	5,758,865
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के तहत) / Net Investments (vide I above)	674,161,426	548,574,696
IV. भारत के बाहर निवेश /Investments Outside India		
(i) निवेशों में सकल लागत/Gross Value of Investments	2,978,819	2,785,990
(ii) घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान / Less: Provision for Depreciation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II के तहत) / Net Investments (vide II above)	2,978,819	2,785,990
सकल योग /GRAND TOTAL (III and IV)	677,140,245	551,360,686

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए/A i. क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	13,952,850	25,667,339
ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण / Cash credits, Overdrafts and loans repayable on demand	719,877,640	721,271,332
iii. मीयादी ऋण /Term Loans	786,776,952	760,588,322
कुल /Total :	1,520,607,442	1,507,526,993
बी/B मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)		
i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	1,186,391,814	1,253,693,259
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	61,847,435	72,579,239
iii) अप्रतिभूत /Unsecured	272,368,193	181,254,495
कुल /Total :	1,520,607,442	1,507,526,993
सी/C. I. भारत में अग्रिम /Advances in India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र /Priority Sector	622,652,000	653,784,100
ii. सार्वजनिक क्षेत्र /Public Sector	98,013,951	62,320,773
iii. बैंक /Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iv. अन्य /Others	699,721,965	676,414,518
कुल /Total :	1,420,387,916	1,392,519,391
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
ए/a) बैंक से प्राप्य / Due from Bank	73,696,683	76,219,788
बी/b) अन्य से प्राप्य / Due from others		
i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल / Bills Purchased & Discounted	2,144,943	9,822,719
ii) सामूहिक ऋण/Syndicated Loan	22,259,095	26,274,202
iii) अन्य /Others	2,118,805	2,690,893
कुल /Total :	100,219,526	115,007,602
कुल /Total : (CI+CII)	1,520,607,442	1,507,526,993

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित) / Premises (including Revalued Premises)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित राशि पर At cost / Revalued amount as on 31st March of the preceding year	29,408,849	29,076,585
ii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित /Revalued during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	47,624	332,264
	29,456,473	29,408,849
iv. वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन / Deductions/ Adjustment during the year	66	शून्य/NIL
	29,456,407	29,408,849
v. पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन/ Adjustment Related to previous year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	29,456,407	29,408,849
vi. बही मूल्य की तिथि को मूल्यहास/ Depreciation to date on book value	599,702	535,855
	28,856,705	28,872,994
vii. पुनर्मूल्यन तिथि को मूल्यहास/ Depreciation to date on revaluation	1,542,020	1,106,588
	27,314,685	27,766,406
viii. निर्माणाधीन परिसर/Premises under Construction	104,189	146,105
कुल /Total	27,418,874	27,912,511
II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित) / Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर/ At cost as on 31st March of the preceding year	14,339,326	13,479,998
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	863,660	913,177
	15,202,986	14,393,175
iii. वर्ष के दौरान कटौती /Deductions during the year	35,925	53,849
	15,167,061	14,339,326
iv. विगत वर्ष से संबंधित समायोजन / Adjustment Related to previous year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	15,167,061	14,339,326
v. तिथि को मूल्यहास /Depreciation to date	11,265,072	10,333,334
कुल /Total:	3,901,989	4,005,992
कुल /Total :(I+II)	31,320,863	31,918,503

	यथास्थिति/As on 31.03.2018 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter Office Adjustment (Net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
II. उपचित ब्याज /Interest Accrued	11,373,583	10,745,094
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर (निवल) Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	18,967,896	6,206,258
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प /Stationery and Stamps	234,392	208,395
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	355,460	355,460
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)/Deferred Tax Assets (Net)	28,657,816	15,447,404
VII. अन्य (विविध एवं उचित)/ Others (Sundries and Suspense)	24,266,520	शून्य/NIL
कुल/Total :	83,855,667	59,019,481
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अपीलाधीन विवादित आयकर मांगों सहित) Claims against the bank, not acknowledged as debts (including disputed Income Tax demands under appeals)	20,167,125	20,948,140
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता/Liability for partly paid investments	1,600	1,600
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता/ Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1,925,905,107	1,489,748,365
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(i) भारत में /In India	86,199,723	73,994,964
(ii) भारत के बाहर /Outside India	30,339,889	42,188,202
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं/ Acceptances, endorsements and other obligations	56,749,571	53,407,884
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	2,109,369	568,576
कुल /Total :	2,121,472,384	1,680,857,731

	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ '000)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/discount on advances / bills	110,285,356	126,030,960
II) निवेशों पर आय /Income on investments	40,973,393	41,201,239
III) भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	9,686,567	6,126,904
IV) अन्य/Others	2,639,610	3,244,833
कुल /Total :	163,584,926	176,603,936

अनुसूची 14 - अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

I) कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज / Commission, exchange & brokerage	10,006,330	9,994,228
II) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ / Profit on sale of investments घटाएं: निवेश के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Investment	538,536,825 (532,431,088)	9,952,629 (832,878)
III) भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Building and Other Assets घटाएं: भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Land, Building and Other Assets	155 (219)	308 (37)
IV) विनिमय लेनदेनों पर लाभ Profit on exchange transactions घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि Less : Loss on exchange transaction	2,578,641 (692,413)	4,016,260 (491,395)
V) भारत में अनुषंगियों /कंपनियों तथा / अथवा संयुक्त उद्यमों इत्यादि से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries/ companies and / or joint ventures etc. in India.	76,767	56,312
VI) विविध आय / Miscellaneous Income	8,850,604	3,747,884
कुल /Total :	26,925,602	26,443,311

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

I) जमा राशियों पर ब्याज /Interest on deposits	108,600,273	117,592,519
II) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI/Inter bank borrowings	1,368,503	903,392
III) अन्य/Others	6,292,251	5,237,725
कुल /Total :	116,261,027	123,733,636

	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ '000)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017 (₹ '000)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I) कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	21,581,041	22,859,372
II) भाड़ा, कर एवं रोशनी /Rent, Taxes and Lighting	4,350,152	5,028,827
III) मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	404,028	361,722
IV) विज्ञापन और प्रचार /Advertisement and publicity	104,187	155,296
V) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षय /Depreciation on Bank's property	1,431,018	1,567,453
VI) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	15,094	14,457
VII) लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	260,787	253,360
VIII) विधि प्रभार /Law charges	223,484	233,194
IX) डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postages,Telegrams,Telephones etc	788,375	762,279
X) मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	1,246,747	1,384,242
XI) बीमा /Insurance	2,252,632	2,098,376
XII) अन्य व्यय / Other expenditure	7,208,716	5,927,342
कुल /Total :	39,866,261	40,645,920

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण को, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है।

वित्तीय विवरणियाँ बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक (भारि.बैंक) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देश भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं अन्य उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धति के अनुरूप भी हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक प्रावधानों एवं संबंधित विदेश में प्रचलित परिपाटी का अनुपालन किया जाता है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तिथि को आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि पर विचार करते हुए प्राक्कलन करे एवं अनुमान लगाए। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं समुचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन की, जब तक की अन्यथा उल्लिखित न हो, चालू एवं भावी अवधि हेतु भविष्यप्रभावी रूप से पहचान की जाती है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन

3.1 भारत के बाहर शाखाएं/कार्यालय :

(i) विदेशी शाखाओं को “नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है :

- ए) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकस्मिक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
- बी) राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती हैं।
- सी) सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते ‘विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व’ में रखा जाता है।

(ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :

- ए) सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती हैं।
- बी) गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती हैं।
- सी) राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The financial statements are prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.

The financial statements are prepared in accordance with requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect to income recognition, asset classification, provisioning and other related matters and Accounting Standards and other pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively unless otherwise stated.

3. Transactions involving Foreign Exchange:

3.1 Branches / Offices outside India

(i) Foreign Branches are classified as "Non-integral Foreign Operations" and their audited financial statements are translated as follows:

- (a) Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities are translated at the end of each quarter at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
- (b) Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
- (c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.

(ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:

- (a) All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian Rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
- (b) Non-monetary items are translated at exchange rates prevailing as on the date of transactions.
- (c) Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

- (डी) सभी परिणामी विनियम अंतरों को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

3.2 भारत में शाखाओं हेतु

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमा राशियों सहित) और बकाया वायदा विनियम संविदाओं को तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाता है। फेडआई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनियम करार के पूनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोट्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- (iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडआई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

4. निवेश

- (i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'क' की अपेक्षा के अनुसार निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :
- (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- (सी) शेयर,
- (डी) डिबेंचर एवं बॉन्ड,
- (ई) अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा
- (एफ) अन्य
- (ii) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है,
- (ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- (बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- (सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)
- (iii) (ए) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (बी) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, के व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (सी) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (डी) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।
- (ई) आनुषांगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- (d) All resulting exchange differences are accounted for in the Profit & Loss Account.

- (iii) Advances are classified under various categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances are made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

3.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
- The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.
- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rates prevailing as on the date of transactions.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

4. Investments:

- (i) In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, Investments are classified into the following six groups :
- (a) Government Securities,
- (b) Other Approved Securities,
- (c) Shares,
- (d) Debentures & Bonds,
- (e) Subsidiaries/ Joint Ventures and
- (f) Others
- (ii) The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,
- (a) Held to Maturity (HTM)
- (b) Available for Sale (AFS)
- (c) Held for Trading (HFT)
- (iii) (a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- (b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- (c) Investments which are not classified in the above two categories are classified as Available for sale.
- (d) An investment is classified as Held to Maturity or Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- (e) Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं;
- (ए) (i) 'एचटीएम' में धारित प्रतिभूति- अर्जन लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
मूल्यहास, अस्थाई से इतर, यदि कोई हो, ऐसे निवेश के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (बी) (i) 'एफएस' एवं 'एचएफटी' श्रेणियों में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिपवार किया जाता है। वृद्धि/हास को प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में जोड़ा जाता है और प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार लाभ-हानि खाते में निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है जबकि निवल वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- (v) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामलों में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।
- (vi) निवेशों की प्राप्ति की लागत
- सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
 - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।
- (vii) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के मामले में समतुल्य राशि (कर का निवल और सांविधिक अरक्षितियों के अंतरण का निवल) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।
- (viii) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशन/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
- (ix) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण
उपर्युक्त पैरा 4 (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कमतर मूल्य पर निकाला जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।
- (x) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।
- हेज स्वैप
ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।
- (iv) As per RBI guidelines, the following principles are adopted for the purpose of valuation;
- (a) (i) Securities held in 'HTM' - at acquisition cost
The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity,
- (ii) Investments in Regional Rural Banks, Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
Diminution, other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- (b) (i) Securities held in 'AFS' and 'HFT' categories are valued scrip-wise. Appreciation/Depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognized in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
- (v) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of assets classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (vi) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fee received in case of securities subscribed and
 - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (vii) Profit/Loss on sale of investments in any category is recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.
- (viii) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per the norms laid down by the Reserve Bank of India.
- (ix) Transfer of Securities between categories
The transfer of securities between categories specified at para 4 (ii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value as on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- (x) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:
- Hedge Swaps
Interest rate swap which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements.

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

- ट्रेडिंग स्वैप
ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिन्हित किया जाता है।

5. अग्रिम

- भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानिगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं में किए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं उनके स्थानीय कानूनों, जो अधिक कड़ा हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।
- प्रकटित अग्रिम अनर्जक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान और संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के बदले किए गए प्रावधानों का निवल होता है। संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के प्रावधान को भारिबे के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।
- तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोज्य) हेतु किए गए प्रावधान को “अन्य देयताएँ एवं प्रावधान” के तहत शामिल किया जाता है।

6. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

- फ्रीहोल्ड भूमि और लीज होल्ड भूमि सहित परिसरों को उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है। जब कभी कतिपय आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो बैंक इस संबंध में भारिबे द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाता है और लेखा मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एस-10 “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण” के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यह्रास को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व और अन्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है।
- निर्माणाधीन परिसरों को पृथक शीर्ष “निर्माणाधीन परिसर” के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को ‘अन्य आस्तियाँ’ के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- जहां भूमि की पृथक लागत उपलब्ध नहीं है वहां भूमि और भवन की संमिश्र लागत पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।
- पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान घटते शेष पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और आगे हेतु निर्णय लिया गया है।

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

• Trading Swaps

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

5. Advances:

- Advances in India are classified as Standard, Sub Standard, Doubtful or Loss Assets and provision for advances are made as per Prudential Norms of the RBI. In respect of advances made in overseas branches, advances are classified in accordance with prudential norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- Advances disclosed are net of provisions made for Non Performing Advances and provisions in lieu of diminution in the fair value of Restructured Advances. The provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

6. Fixed Assets and Depreciation:

- Premises including Freehold land and leasehold land are stated at their revalued amount and other Fixed Assets are stated at their historical cost. Whenever certain Assets are revalued, the Bank adopts the guidelines issued by RBI and compliances of Accounting Standards issued in this regard. Any upward revision on such revaluation is credited to Revaluation Reserve. As per Revised AS-10 "Property, Plant and Equipment" issued by ICAI, effective from 1st April 2017 additional depreciation charged on revalued assets is directly transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserves.
- Premises under construction is shown under a separate heading "Premises under Construction". Advances to contractors is shown under the head "Other Assets".
- Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- Depreciation on Fixed Assets including revalued assets is provided as per the following rates on diminishing balance method as decided by the Management from the Financial year 2014-15 and onwards.

क्रम संख्या Sr. No.	आस्तियों की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	मूल्यहास दर [%] DEPRECIATION RATE [%]
1	भवन एवं परिसर//Building and Premises	5.00
2	सामान्य फर्नीचर मर्चे यथा मेज, कुर्सी, अलमारी, केबिनेट, स्ट्रॉंग रूम दरवाजे इत्यादि (सुरक्षित जमा लाकर से इतर) General Furniture items viz., Table, Chair, Almirah, Cabinet, Strong room doors etc. (other than Safe Deposit Lockers).	18.10
3	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, पंखे, लाइट, एयरकंडीशनिंग मशीनरी- रूम एयरकंडीशनर सहित Electrical Installation, Fan, Light, Air-conditioning Machinery including- Room Air-conditioners etc.	13.91
4	फ्रेंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भारोत्तोलन मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, और अन्य कार्यालयीन उपकरण Franking machine, office machinery, weighing machine, typewriter, adding machine, Duplicating Machine & other office equipments.	13.91
5	सेफ डिपोजिट लाकर/Safe Deposit Lockers	13.91
6	मोटरकार//Motor Car	25.89
7	साइकिल//Cycle	20.00
8	मोटर वैन(कैश वैन)/Motor Van (Cash Van)	30.00

- (v) कम्प्यूटरों, डाटा प्रोसेसिंग मशीनों एलपीएम पर अवक्षय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है जिससे तीन वर्षों में आस्ति का मूल्य अवलिखित किया जा सके।
- (vi) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।
- (vii) जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहां लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि के दौरान लागत अथवा अवलिखित मूल्य पर परिशोधित किया जाता है।
- (viii) ₹5000/- तक के पूंजीगत व्यय सीधे "खर्च खाता - मरम्मत एवं रखरखाव" में नामे लिखे जाते हैं।
- (ix) वर्ष के दौरान क्रय की गई/बेची गई/हटाई गई आस्तियों पर यथानुपात आधार पर अवक्षय का प्रावधान किया जाता है।
- (x) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

7. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत ₹10 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम दस वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

8. कर्मचारी लाभ

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।

- (v) On Computers, Data Processing Machines, ALPMs, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years as per RBI guidelines.
- (vi) Premium on Leasehold Land (including revalued amount) is amortized over the period of the lease on Straight Line Method.
- (vii) Premium on Leasehold Land is amortized over the period of the lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (viii) The Capital Expenditure up to ₹5000/- is debited directly to "Charges Account - Repairs & Maintenance".
- (ix) Pro-rata depreciation is provided on the assets purchased / sold / discarded during the year.
- (x) Depreciation on Fixed Assets of Foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

7. Intangible Assets (Computer Software):

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

8. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

- (ii) दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण तिमाही और वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमाकर्तों द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधियन संबंध बैंक की नीति में लिखित विधियों का पालन करते हुए है और नीचे उल्लिखित नीतियों के अनुसार परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुने गए विभिन्न बीमांकिक पूर्वानुमान द्वारा किया जाता है।

ए. ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 /सेवा पंचाटों/ सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

बी. पेंशन (एबीईपीआर)

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीईपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29/09/1995 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर के लिखित अनुरोध पर मूल पेंशन के अधिकतम 1/3 को परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। परिवर्तित मूल पेंशन 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुनः चालू की जाती है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पी.एफ. की रैंकिंग हेतु शामिल कर्मचारियों के वेतन के 10% के सांविधिक मासिक अंशदान के अतिरिक्त बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

सी. अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

डी. अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम

- (ii) Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the quarter as well as in year-end by using various Actuarial Assumptions chosen following the modalities documented in the Bank's Policy on Funding Superannuation Schemes and the Projected Unit Credit method as per the policies mentioned herein below:

a. Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

b. Pension (ABEPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 (ABEPR-1995) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank's Service during the period from 29.09.1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. There is also provision for commutation of pension to a pensioner, against written request, to the maximum extent of 1/3rd of Basic Pension. The commuted basic pension is restored after completion of 15 years of commutation. Employees covered under ABEPR - 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary, in addition to the statutory monthly contribution of 10% of Pay of the covered employees, ranking for PF.

c. Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is debited/charged to the Profit and Loss Account.

d. Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation

240 दिनों के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधि योजना है। और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।
- (v) अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

9. आय और व्यय का अभिज्ञान

- (i) आय-व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय आधार पर किया जाता है।
- (ii) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।
- (iii) अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली के संबंध में संदिग्ध/हानिगत आस्तियों के मामले में पहले मूलधन और फिर ब्याज को विनियोजित किया जाएगा जबकि अवमानक आस्तियों के मामले में पहले ब्याज और फिर मूलधन को विनियोजित किया जाएगा।
- (iv) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

10. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।
परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

11. प्रति शेयर अर्जन

बैंक प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार करता है।

- 11.1 प्रति शेयर बेसिक अर्जन की गणना वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।
- 11.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रतिबिंबित करता है जो उस स्थिति में हो सकती है यदि इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियां अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है अथवा संपरिवर्तित किया जाता है। प्रति शेयर मूल डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is debited/charged to the Profit and Loss Account.

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to the Profit & Loss account.
- (iv) In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.
- (v) Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

9. Recognition of Income and Expenditure:

- (i) Income and Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- (ii) Interest and Other Income in cases of Non Performing Assets/Investments are recognized to the extent realized.
- (iii) Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs), in case of Doubtful/ Loss Assets is appropriated first against the Principal and then interest, whereas in case of Substandard Assets, such recovery is appropriated first against the interest and then against the Principal.
- (iv) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year in which it is received/adjusted.

10. Lease:

Rentals received by the Bank are recognized in the Profit and Loss Account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

11. Earnings Per Share:

The Bank reports Basic and Diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20 "Earnings per Share" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

- 11.1 Basic earnings per Share are computed by dividing the net profit after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.
- 11.2 Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

12. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखा", समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि बैंक आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

13. नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन शामिल है।

14. आस्तियों का इम्पेयरमेंट

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर 'इम्पेयरमेंट लॉसेस' (यदि कोई हो) को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 'आस्तियों का इम्पेयरमेंट' के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब
- ए) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है
- बी) यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और
- सी) जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।
- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता;
- ए) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं है। अथवा,
- बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :
- i) यह संभाव्य नहीं हैं कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा
- ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है।
- iii) आकस्मिक देयताओं का नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।
- iv) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।

12. Taxation :

- (i) Provision is made for both current tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India, Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.
- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

13. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATMs and balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

14. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to the Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

15. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

- (i) In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when
- a. it has a present obligation as a result of a past event;
- b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
- c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) No provision is recognized for;
- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because;
- i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- ii) a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.
- iii) Contingent Liabilities are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- iv) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची - 18 लेखा टिप्पणियाँ

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- 2.1 राष्ट्रीय और स्थानीय समाशोधन खाते, (एनएसीएच सहित) नोस्ट्रो खाते, वोस्ट्रो खाते, शाखा प्रणाली उच्चतम खाता सहित विभिन्न अंतर शाखा, अंतर बैंक खाते और एटीएम लेनदेन एक सतत प्रक्रिया है और प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर उपर्युक्त का प्रभाव, यदि कोई है, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- 2.2 (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 और 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः ₹125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), ₹370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा ₹298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) और ₹1802.10 करोड़ (आवासीय और वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन अरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹43.54 करोड़ [विगत वर्ष में ₹47.56 करोड़ अनुसूची सं.14 मद (vi) में शामिल "अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है] को सीधे पुनर्मूल्यन अरक्षित खाते से अंतरित किया गया है और राजस्व तथा "अन्य अरक्षित निधियाँ" [अनुसूची सं.2 मद (iv) में दर्शाया गया है।] अतः ₹43.54 करोड़ की गणना चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते में नहीं की गई है। ऐसा लेखानीति में परिवर्तन संशोधित एस10 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के अनुसरण में किया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की अलग लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय को भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर प्रभारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है, वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित संपत्तियों के पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।
- क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली दो (2) आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹0.86 करोड़ है।
- ख. हैदराबाद में 1.61 करोड़ की लागत की संपत्ति, जहाँ यूएलसी प्राधिकरण से स्वीकृति लंबित है और चेन्नै में 2.32 करोड़ की संपत्ति जहाँ डीआरिटी द्वारा अंतरिम स्टे प्रदान किया गया।
- ग. पारादीप, ओडीशा में 02.04.2013 से 24 आवासीय फ्लैट वाले 17520 वर्गफुट क्षेत्र के आवासीय प्लॉट के पट्टे का नवीकरण का मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।
- (v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है;

SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

1. Adequate provision has been made by the Bank in respect of performing and non-performing advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- 2.1. The reconciliation of various inter-branches, inter-bank accounts, National and Local Clearing accounts (including NACH), Nostro accounts, Vostro accounts, Branch System Suspense account and ATM transactions is an ongoing process and is under progress. The impact of the above, if any, on the financial results for the year ended 31st March, 2018, in the opinion of the management will not be significant.
- 2.2 (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005, 31.03.2007 and 31.03.2016 upward revision amounting to ₹125.99 Crore (commercial and residential), ₹370.08 Crore (commercial and residential), ₹298.32 Crore (commercial) and ₹1802.40 crore (Residential and commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of ₹43.54 Crore [previous year ₹47.56 Crore shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No.14 item (vi)] on account of revaluation has been directly transferred from the Revaluation Reserve Account and shown in "Revenue & Other Reserves" [Schedule No.2 item (iv)]. Hence, ₹43.54 Crore is not reckoned in the Profit and Loss Account of Current Year. This is done pursuant to change in Accounting Policy, Revised AS 10 'Property, Plant and Equipment'.
- (ii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land is amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) Registration formalities are yet to be completed for the following properties:
 - a. Two (2) residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹0.86 Crore.
 - b. Property at Hyderabad costing ₹1.61 crore, where Clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing ₹2.32 crore, where interim stay has been granted by DRAT.
 - c. Renewal of lease of residential plots of land measuring 17520 sq.ft area at Paradeep, Odisha having 24 residential flats w.e.f. 02.04.2013 has been taken up with Paradeep Port Trust (PPT) and is under their consideration.
- (v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
अथ शेष / Opening Balance	49.22	55.82
वर्ष के दौरान जोड़ / Additions during the year	0.01	5.13
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	9.78	11.73
इति शेष / Closing Balance	39.45	49.22

- 2.3. (i) ₹0.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹2298.42 करोड़ (विगत वर्ष ₹1313.58 करोड़) रहा।
- (iii) वर्ष के दौरान बैंक ने परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कतिपय प्रतिभूतियां बेची और ₹22.66 करोड़ (विगत वर्ष ₹223.30 करोड़) का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान निवल हानि के कारण पूंजी आरक्षित खाता-निवेश में कोई विनियोजन नहीं किया गया (विगत वर्ष शून्य)
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 4 (iv) (ए) में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹98.64 करोड़ (विगत वर्ष ₹56.51 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि खाते के 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत में दर्शाया गया है।
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 बैंक को यह विकल्प प्रदान करता है कि वह 31 दिसम्बर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों हेतु निवेशों पर बाजार हानि अंकन के लिए प्रावधानों का विस्तार हानि वाली तिमाही के आरंभ से चार तिमाहियों हेतु समान रूप से करे। तदनुसार बैंकने विकल्प का प्रयोग किया है और हानि वाली तिमाही में निवेश पर बाजार हानि अंकन (एमटीएम हानि) की पहचान की है। दिसम्बर, 2017 को यथास्थिति निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य ह्रास का प्रावधान ₹1279.00 करोड़ (स्प्रेड रहित) और ₹871.32 करोड़ था (स्प्रेड के बाद चार तिमाहियों में अर्थात् दिसम्बर, 2017 से सितम्बर, 2018) और मार्च, 2018 को यथास्थिति ₹1731.10 करोड़ (स्प्रेड रहित) और ₹1322.09 करोड़ (स्प्रेड सहित चार तिमाहियों में मार्च, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक) था। अतः परवर्ती तिमाहियों में प्रावधान किए जाने हेतु शेष अर्थात् ₹181.64 करोड़ जून, 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु, ₹181.63 करोड़ सितम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु और ₹45.74 करोड़ दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु है
- 2.4. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।

3. भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण :

3.1. पूंजी

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015, डीबीआर.बीपी.बीसी.43/21.06.001/2015-16 दिनांक 8 अक्तूबर 2015, डीबीआर सं.बीपी.बीसी. सं. 44/ 08.12.015/2015-16 दिनांक 8 अक्तूबर 2015, 44 और डीबीआर.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016, डीबीआर सं.बीपी.बीसी. सं.6/ 21.06.2001/2016-17 दिनांक 20 अक्तूबर 2016 और डीबीआर सं.बीपी.बीसी. सं.50/ 21.06.201/2016-17 दिनांक 2 फरवरी 2017, डीबीओडी मेल बाक्स स्पष्टीकरण दिनांक 25 अप्रैल, 2017, डीबीआर सं.बीपी.बीसी.74/21.06.009/2016-17 दिनांक 13 जून

- 2.3. (i) In respect of Investments of face value of ₹ 0.44 Crore (Previous year ₹0.44 Crore), the Bank is yet to receive scrips/certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds/ venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹2298.42 Crore (Previous year ₹1313.58 Crore).
- (iii) During the year, the Bank sold certain securities under Held to Maturity category and earned profit of ₹22.66 Crore (Previous Year ₹223.30 Crore). Due to net loss during the year, no appropriation has been made to 'Capital Reserve Account-Investment'.
- (iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. 4(iv)(a), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortized during the year amounting to ₹98.64 Crore (Previous year ₹56.51 Crore) has been netted-off from Income on Investment shown under the head "Interest Earned" of Profit and Loss Account in terms of the RBI guidelines.
- (v) RBI circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 grants the Banks an option to spread provisioning for mark to market losses on investments for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018 equally over the four quarters commencing with quarter in which the loss is incurred. Accordingly, the Bank has exercised the option and recognized the Mark to Market loss (MTM Loss) on investment in the quarter of incurrence. The provision for depreciation of the investment portfolio as on December 2017 was ₹1279.00 crore (without spreading) and ₹871.32 crore (after spreading in four quarters i.e from December, 2017 to September, 2018) and as on March 2018 was ₹1731.10 crore (without spread) and ₹1322.09 crore (with spread in four quarters from March, 2018 to December, 2018). Hence the balance to be provided in the subsequent quarters i.e. ₹181.64 crore for the quarter ending June, 2018, ₹181.63 crore for the quarter ending September, 2018 & ₹45.74 crore for the quarter ending December, 2018.
- 2.4. The Bank has not made any financing for margin trading and also not securitised any assets during the year.

3. Disclosure in terms of RBI guidelines:

3.1 Capital

In terms of RBI Circulars DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015, DBR.BP.BC. No.43/21.06.001/2015-16 dated October 8, 2015, DBR.BP.BC.No.44/ 08.12.015/2015-16 dated October 8, 2015 and DBR.No.BP.BC/83/21.06.201/2015-16 dated 1st March 2016, DBR.No.BP.BC.6/21.06.001/2016-17 dated 25th August 2016, DBR.BP.BC.No.20/21.06.001/2016-17 dated 20th October 2016 and DBR.BP.BC.No.50/21.06.201/2016-17 dated 2nd February 2017, DBOD Mail Box Clarification dated April 25, 2017, DBR.No.BP.BC.74/21.06.009/2016-17 dated June 13, 2017 and DBOD Mail

2017 और , डीबीओडी मेल बाक्स स्पष्टीकरण दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के अनुसार बासेल-III विनियमों के अंतर्गत गणना किए गए पूंजी पर्याप्तता अनुपात का विवरण निम्नानुसार है:

Box Clarification dated December 29, 2017, the details of Capital Adequacy Ratio computed under Basel-III regulations are as under;

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2016-17
i) सामान्य ईक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	5.57	8.20
ii) टियर-1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	6.69	8.49
iii) टियर-2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.00	2.96
iv) कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (%) / Total Capital ratio (CRAR) (%)	8.69	11.45
v) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता/ Percentage of the shareholding of the Government of India	64.78	65.92
vi) उगाही गई ईक्विटी पूंजी की राशि / Amount of Equity Capital raised		
i. भारत सरकार को अधिमानी आबंटन/Preferential allotment to GOI	418.00*	723.00
ii. एलआईसी को अधिमानीआबंटन /Preferential allotment to LIC	शून्य/NIL	128.14
iii. आलबैंक-ईएसपीएस/AllBank- ESPS	315.22	शून्य/NIL
कुल/Total	733.22	851.14
	(प्रीमियम सहित) / (including premium)	(प्रीमियम सहित) / (including premium)
vii) उगाही गई अतिरिक्त टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से/ Amount of additional Tier 1 capital raised; of which	1200.00	300.00
Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	शून्य/NIL	शून्य/NIL
परपेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीडीआई-एटी 1) / Perpetual Debt Instruments (PDI-AT1):	1200.00	300.00
viii) उगाही गई अतिरिक्त टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से/ Amount of Tier 2 capital raised; of which	शून्य/NIL	1000.00
डेट पूंजी लिखत/Debt capital instrument:	शून्य/NIL	1000.00
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत (पेपिच्युअल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (पीसीपीएस)) / (रिडीमेबल नॉन-क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर) (आरएनसीपीएस) / (रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (आरसीपीएस))		
Preference Share Capital Instruments: (Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)	शून्य/NIL	शून्य/NIL

* बैंक को 31.03.2017 को पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹418 करोड़(रुपए चार सौ अठ्ठारह करोड़) की राशि प्राप्त हुई। तथापि सभी विनियामक/सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उपर्युक्त पूंजी इंफ्यूजन के सापेक्ष भारत सरकार को शेयरों का आबंटन 07.08.2017 (वित्तीय वर्ष 2017-18) को किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन योजना के अंतर्गत 27.03.2018 को पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹1500.00 (रुपए एक हजार पांच सौ करोड़) की राशि प्राप्त हुई है। बैंक इसका 31.03.2018 को यथास्थिति शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के रूप में रखरखाव कर रहा है। बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त से ₹1500.00 (रुपए एक हजार पांच सौ करोड़) की पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि की गणना 31.03.2018 को यथास्थिति सीईटी 1 के रूप में की है।

*The capital infusion fund of ₹418.00 crore (Rupees Four hundred eighteen crore Only) was received by the Bank from GOI on 31.03.2017. However, the allotment of shares to GOI against the said capital infusion happened on 07.08.2017(FY 2017-18) after receipt of all regulatory/ statutory approvals. During FY 2017-18, the Bank received capital infusion fund of ₹1500.00 crore (Rupees One thousand five hundred crore) from Govt. of India on 27.03.2018 under PSBs recapitalization plan. The Bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2018. The Bank has reckoned the entire amount of capital infusion fund of ₹1500.00 crore (Rupees One thousand five hundred crore) received from Government of India as CET 1 capital as on 31.03.2018.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारिबैं दिशानिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य रिपोर्टिंग तिथियों को की जाती है और पिछली सदृश्य अवधि के

The Capital Adequacy Ratio is computed on the basis of RBI guidelines applicable on the relevant reporting dates and

अनुपात को परवर्ती परिवर्तनों यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार करने हेतु इसे समायोजित नहीं किया जाता।

the ratio for the corresponding previous period is not adjusted to consider the impact of subsequent changes if any in the guidelines.

बासेल-II मानदंडों के अनुसार सीआरएआर का प्रकटन निम्नानुसार है;

The disclosure of CRAR as per BASEL-II norms are given below;

क्रम सं. विवरण SI. No Particulars	वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2016-17
i. सीआरएआर (%) / CRAR (%)	9.30	10.90
ii. सीआरएआर टीयर-1 पूंजी (%) / CRAR-Tier 1 Capital (%)	5.50	7.12
iii. सीआरएआर टीयर-2 (%) CRAR-Tier 2 Capital (%)	3.80	3.78

3.2. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
(1) निवेशों के मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(ए/अ) भारत में/In India	68738.24	55433.36
(बी/ब) भारत से बाहर/Outside India	297.88	278.60
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation		
(ए/अ) भारत में/In India	1322.09	575.89
(बी/ब) भारत से बाहर/Outside India	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) निवेशों का निवल मूल्य/Net Value of Investments		
(ए/अ) भारत में/In India	67416.14	54857.47
(बी/ब) भारत से बाहर/Outside India	297.88	278.60
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथ शेष/Opening balance	575.89	376.21
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान/Add: Provisions made during the year	1155.21	245.79
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान Less: Write off/ write back of excess provision during the year	409.01	46.11
(iv) घटाएं: प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग से अंतरित राशि Less amount transferred on account of sale to ARCs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(v) इति शेष/Closing balance	1322.09	575.89

नोट: 1. भूतपूर्व आलबैंक फाइनेंस लि. से अर्जित ₹2.93 करोड़ के मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान को अनुसूची 8- तुलन पत्र के निवेश के शेयर पोर्टफोलियो के अंतर्गत माना गया है।

Note: 1. The retained Provision for depreciation acquired from erstwhile AllBank Finance Ltd. amounting to ₹2.93 crore has been considered under the shares portfolio of Schedule 8- Investments of Balance Sheet.

2. शेयर पोर्टफोलियो के अंतर्गत ₹18.37 करोड़ तथा बांड और डिबेंचर पोर्टफोलियो के अंतर्गत ₹1.15 करोड़ के अधिमूल्यन को आलबैंक फाइनेंस लि. के विलय के कारण प्राप्त प्रतिभूतियां माना गया है।

2. An appreciation of ₹18.37 crore under shares portfolio & ₹1.15 crore under Bonds and Debentures portfolio has been considered for the securities received due to merger of AllBank Finance Ltd.

3.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में) / Repo Transactions (in face value terms):

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31.03.2018 को यथास्थिति बकाया Outstanding As on 31.03.2018
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां /Securities sold under repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां /Govt Securities	300.00	8000.00	605.00	8000.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां /Corporate Debt Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under reverse repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां/Govt. Securities	100.00	19750.00	1269.31	1500.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां /Corporate Debt Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

3.2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

i) दिनांक 31.3.2018 को यथास्थिति गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन / Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2018

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं. Sl No	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	“बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities	“अन रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities	“अन लिस्टेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू / PSUs	2496.10	2278.85	0.00	1601.34	2278.85
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ /FIs	675.25	106.65	49.03	160.88	106.65
(iii)	बैंक / Banks	47.94	45.50	5.69	36.76	10.00
(iv)	प्राइवेट कारपोरेट/ Private Corporate	4080.16	3571.32	20.00	4043.16	3309.85
(v)	अनुषंगी संस्थाएँ / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	156.27	156.27	0.00	156.27	156.27
(vi)	अन्य/Others	5.33	0.00	0.00	5.33	5.33
	उपकुल/ Sub-total	7461.05	6158.59	74.72	6003.74	5866.95
(vii)	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards Depreciation	1048.28				
	कुल /Total	6412.77				

नोट:/Note:

1. कालम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर एकांतिक नहीं है/

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

2. आल बैंक फाइनेंस लि. (बैंक की पूर्ववर्ती अनुषंगी कंपनी) का इलाहाबाद बैंक में विलय हो गया निर्धारित तिथि 01.04.2017 और प्रभावी तिथि 14.03.2018

AllBank Finance Ltd. (Erstwhile Subsidiary of Bank) since amalgamated with Allahabad Bank w.e.f.appointed date 01.04.2017 and effective date 14.03.2018.

i)	शेयर / Shares	1496.26
ii)	डिबेंचर एवं बॉन्ड / Debentures and Bonds	5692.07
iii)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries /Joint Ventures	156.27
iv)	अन्य / Others	116.45
	कुल /Total	7461.05

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश/Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
अथ-शेष / Opening balance	98.87	95.57
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से / Additions during the year since 1 st April	610.69	142.38
उक्त अवधि के दौरान कमी / Reductions during the above period	0.32	139.08
इति-शेष / Closing balance	709.24	98.87
धारित कुल प्रावधान / Total provisions held	406.52	27.32

3.2.3 एच टी एम श्रेणी को / से विक्रय एवं अंतरण: वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से /को विक्रय वर्ष के प्रारम्भ में बही मूल्य के 5% की सीमा के अंदर रहा। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में कमी के फलस्वरूप बैंक ने एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण नहीं किया है। बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के दौरान एचटीएम से एएफएस में ₹22236.50 करोड़ के बहीमूल्य की प्रतिभूतियां एकबारगी अंतरित की है जिसकी अनुमति भारिबैं के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 द्वारा दी गई है।

3.2.3 Sale & Transfer to/from HTM category: All sales and transfers to/from HTM category during the year are within the limit of 5% of book value at the beginning of the year. The Bank has not made any sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent upon reduction of ceiling on SLR Securities under HTM category. The Bank has one time shifted the securities having book value of ₹22236.50 crore from HTM to AFS category during the first quarter of FY 2017-18 with the approval of Board of Directors which is permitted by RBI in terms of Master Circular No.RBI/2015-16/97 DBR No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

3.3. डेरिवेटिव / Derivatives :

3.3.1. फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars*	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2016-17
(i) स्वैप करारों का नोशनल मूलधन / Notional principal of swap agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(ii) अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(v) स्वैप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	शून्य /NIL	शून्य /NIL

* घरेलू निवेश रूपए में / Domestic investment in Rupees

3.3.2. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव : शून्य

(विगत वर्ष : शून्य)

3.3.3. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

बैंक की ट्रेजरी एवं डेरिवेटिव नीति में वित्तीय डेरिवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजिशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित है। नीति में क्रॉस करेंसी प्रोप्राइटी ट्रेडिंग पोजिशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैक टु बैक कवरिंग के अधधीन डेरिवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है।

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: NIL (Previous year: NIL)

3.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

Qualitative Disclosure:

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officers with defined responsibilities and back up roles.

The Treasury Policy & Derivative policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval processes as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customers subject to back to back covering by the Bank.

फ्रंट ऑफिस पोजीशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोद्दिष्ट स्वैप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वैप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वैप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वैप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्ष पार्टियाँ बैंक एवं कारपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडरल एवं एफआईएमएडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and Modified Durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Assets and Liability Management committee. The Back office settles all the deals with counter parties.

Interest Rate Swaps which hedge interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

*** परिमाणान्तरक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures :**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18		वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17	
		करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
SI No	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि) / Derivatives (Notional Principal Amount)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग के लिए / a) For hedging	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii)	मार्केड टू मार्केट पोजीशन (1) / Marked to Market Positions (1)				
	ए) आस्ति (+) / a) Asset (+)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) देयता / b) Liability (-)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii)	ऋण एक्सपोजर (2) / Credit Exposure (2)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01)				
	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर / a) on hedging derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर / b) on trading derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	Maximum and Minimum of 100*PV01	अधिकतम/Maximum	शून्य/NIL	अधिकतम/Maximum	शून्य/NIL
	observed during the year	न्यूनतम/Minimum	शून्य/NIL	न्यूनतम/Minimum	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग पर / a) on hedging	अधिकतम/Maximum	शून्य/NIL	अधिकतम/Maximum	शून्य/NIL
		न्यूनतम/Minimum	शून्य/NIL	न्यूनतम/Minimum	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग पर / b) on trading	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

* घरेलू निवेश रूपए में / Domestic investment in Rupees

3.4 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

3.4.1 अनुपयोज्य आस्तियाँ / Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	8.04	8.92
(ii) एनपीए का संचलन (सकल) / Movement of NPAs (Gross)		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	20687.83	15384.57
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	12903.28	11417.00
(सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	7028.32	6113.74
(डी) इति शेष / (d) Closing balance	26562.79	20687.83
(iii) निवल एनपीए का संचलन / Movement of Net NPAs		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	13433.51	10292.51
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	12903.28	4546.39
(सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	14107.66	1405.39
(डी) इति शेष / (d) Closing balance	12229.13	13433.51
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	7254.32	5092.06
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / (b) Provisions made during the year	10662.85	4552.37
(सी) सीसीपीबी एवं अन्य से प्राप्त प्रावधान (c) Provisions received from CCPB & Others	25.55	77.49
(डी) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक / (d) Write-off / write-back of excess provisions	3634.61	2467.60
(ई) इति शेष (e) Closing balance	14308.11	7254.32

पुनर्गठित अस्तित्यों का ब्योरा यथास्थिति 31.03.2018

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पुनर्गठन का प्रकार आवृत्ति वर्षीकरण विवरण	सीडीआर तंत्र के अंतर्गत				एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के अंतर्गत				अन्य				कुल						
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल				
1	वित्तवर्ष 17-18 के 1 अप्रैल को यथास्थिति पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की सं.	15	0	0	0	542	0	0	0	542	3036	0	0	0	3593				
		बकाया राशि	1567.00	0.00	0.00	0.00	383.18	2705.43	0.00	0.00	0.00	383.18	2705.43	4655.61	0.00	0.00	0.00	4655.61		
		उस पर प्रावधान	121.79	0.00	0.00	0.00	4.57	47.48	0.00	0.00	0.00	4.57	47.48	173.84	0.00	0.00	0.00	173.84		
		उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1		
2	वित्तवर्ष 17-18 के दौरान नयी पुनर्गठित	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	73.08	0.00	0.00	9.03	73.08	82.11	0.00	0.00	0.00	82.11			
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58			
		उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	वित्तवर्ष 17-18 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जिस कारण वित्तवर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरण एवं/अथवा अतिरिक्त भार समाप्त हो गया है एवं इसलिए आगामी वित्तवर्ष 18-19 के प्रारंभ में इसे पुनर्गठित मानक अग्रिम के रक में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की सं.	4				368	2497			368	2497	2869				2869			
		बकाया राशि	294.92				251.50	381.65			251.50	381.65	928.07				928.07			
		उस पर प्रावधान	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00			
		उधारकर्ताओं की सं.																		
5	वित्तवर्ष 17-18 के दौरान पुनर्गठित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.	-10	0	0	0	-170	-528	0	0	0	-528	-708	0	0	0	-708			
		बकाया राशि	-1248.38	0.00	0.00	0.00	-85.07	-955.71	0.00	0.00	0.00	-955.71	-2289.16	0.00	0.00	0.00	-2289.16			
		उस पर प्रावधान	-68.90	0.00	0.00	0.00	-3.50	-14.29	0.00	0.00	0.00	-14.29	-86.69	0.00	0.00	0.00	-86.69			
		उधारकर्ताओं की सं.	1	0	0	0	3	5	0	0	0	5	9	0	0	0	9			
6	वित्तवर्ष 17-18 के दौरान पुनर्गठित खातों का अपवर्धन	बकाया राशि	23.70	0.00	0.00	0.00	11.23	540.54	0.00	0.00	0.00	540.54	575.47	0.00	0.00	0.00	575.47			
		उस पर प्रावधान	18.26	0.00	0.00	0.00	0.01	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	26.09	0.00	0.00	0.00	26.09			
		उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	1	7	0	0	0	7	8	0	0	0	8			
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41	900.61	0.00	0.00	0.00	900.61	945.02	0.00	0.00	0.00	945.02			
7	वित्तवर्ष 17-18 के 31 मार्च को यथास्थिति पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)	उस पर प्रावधान	34.63	0.00	0.00	0.00	1.06	30.95	0.00	0.00	1.06	30.95	66.64	0.00	0.00	0.00	66.64			
		उधारकर्ताओं की सं.																		
		बकाया राशि																		
		उस पर प्रावधान																		

* मानक पुनर्गठित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्चतर प्रावधान अथवा जोखिम भार (यदि प्रयोज्य हो) को आकर्षित नहीं करती क्रम संख्या 2 में दर्शाई गई राशि में शेष में यदि और नए/मौजूदा पुनर्गठित खातों में अतिरिक्त संश्लेषणीय शामिल है।
क्रम संख्या 6 में दर्शाई गई राशि में मौजूदा पुनर्गठित खातों में विक्री/वसूली से प्राप्त राशि शामिल है।

Special Annexure

Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018

(₹ in Crore)

SL NO.	Type of Restructuring Asset Classification → ↓ Details	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total			
		STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	TOTAL
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY17-18 (Opening Fig.)*	15	0	0	0	15	542	0	0	0	542	3036	0	0	0	3036	3593
	Borrowers	1567.00	0.00	0.00	0.00	1567.00	383.18	0.00	0.00	0.00	383.18	2705.43	0.00	0.00	0.00	2705.43	4655.61
	Amt O/s	121.79	0.00	0.00	0.00	121.79	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57	47.48	0.00	0.00	0.00	47.48	173.84
2	Fresh Restructuring during the FY 2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	9.03	73.08	0.00	0.00	0.00	73.08	82.11
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	5.58
3	Upgradations to restructured STD Catg during the FY2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Restructured STD advance which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured STD advance at the beginning of the next FY 18-19	4	0.00	0.00	0.00	4	368	0.00	0.00	0.00	368	2497	0.00	0.00	0.00	2497	2869
	Borrowers	294.92	0.00	0.00	0.00	294.92	251.50	0.00	0.00	0.00	251.50	381.65	0.00	0.00	0.00	381.65	928.07
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Downgradations of restructuring accounts during the FY 2017-18	-10	0	0	0	-10	-170	0	0	0	-170	-528	0	0	0	-528	-708
	Borrowers	-1248.38	0.00	0.00	0.00	-1248.38	-85.07	0.00	0.00	0.00	-85.07	-955.71	0.00	0.00	0.00	-955.71	-2289.16
	Amt O/s	-68.90	0.00	0.00	0.00	-68.90	-3.50	0.00	0.00	0.00	-3.50	-14.29	0.00	0.00	0.00	-14.29	-86.69
6	Write- Offs of Restructured accounts during the FY 17-18	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	5	0	0	0	5	9
	Borrowers	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	11.23	0.00	0.00	0.00	11.23	540.54	0.00	0.00	0.00	540.54	575.47
	Amt O/s	18.26	0.00	0.00	0.00	18.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	26.09
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY 17-18 (Closing Figures)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	7	8
	Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00	44.41	900.61	0.00	0.00	0.00	900.61	945.02
	Amt O/s	34.63	0.00	0.00	0.00	34.63	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95	66.64

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).
Figures under Sr. No.2 represents balance increase & fresh/additional sanction in existing restructured accounts.
Figures under Sr. No.6 represents reduction from existing restructured accounts by way of sale /recovery.

3.4.2 ए. मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना संबंधी प्रकटीकरण/

3.4.2 A. Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

अवधि Period	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधार कर्ताओं की सं. / No. of borrowers takenup for flexible structuring	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि / Amount of loans taken up for flexible structuring			लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण का भारित औात अवधि निवेश / Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना लागू करने के बाद After applying flexible structuring	
पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 17 से मार्च 18) Current Financial year (From April '17 to March'18)	1	शून्य/NIL	63.07	6.92	13.66	

बी. रणनीतिपरक ऋण पुनर्संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण / B. Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एसडीआर का आह्वान किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount of outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहां इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण लंबित है Amount of outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहां इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण किया गया है Amount of outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place.	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
20	शून्य/NIL	2539.29	शून्य/NIL	1055.02	शून्य/NIL	1484.27

नोट: दवाबग्रस्त आस्ति-संशोधित ढांचा के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार रणनीतिपरक ऋण पुनर्संरचना योजना तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets-Revised Framework dated 12.02.2018, Strategic Debt Restructuring Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

सी. एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण/ C. Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या जिन्हें बैंक ने प्रभावित करने का निर्णय लिया है No of accounts where banks have decided to effect	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहां इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण/इक्विटी शेयर की गिरवी का लागू किया जाना लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity /invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहां इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण/इक्विटी शेयर की गिरवी को लागू किया गया है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity /invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहां नए शेयरों के निर्गम अथवा प्रमोटर की इक्विटी को बेव कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters' equity.	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
9	शून्य/NIL	683.55	शून्य/NIL	438.19	शून्य/NIL	245.36	शून्य/NIL	शून्य/NIL

नोट: दवाबग्रस्त आस्ति-संशोधित ढांचा के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets-Revised Framework dated 12.02.2018, Change in Ownership outside SDR Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

डी. कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण
D. Disclosures on change in Ownership of Projects under implementation

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA

नोट: दबावग्रस्त आस्ति-संशोधित ऋण के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets-Revised Framework dated 12.02.2018, Change in Ownership outside SDR Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

ई.31.03.2018 को यथास्थिति दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना की योजना(एस4ए) संबंधी प्रकटीकरण

E. Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2018.

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of accounts where S4A has been applied	सकल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	संदर्भित तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on reference date		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में In Part A	भाग ख में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	498.11	498.11	604.48	368.69
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	277.84	249.89	208.60	175.79

3.4.3 आस्ति पुनर्गठन हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

ए/आ. विक्रय का विवरण/Details of Sales

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

मद / Items	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	217	3
ii) एससी/आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	114.63	52.74
iii) कुल प्रतिफल/Aggregate consideration	652.18	104.13
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य/NIL	शून्य/NIL
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि / Aggregate gain/(loss) over net book value	537.55	51.39

बी/बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बहीमूल्य का विवरण /Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण Particulars	अंडरलाइंग के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		अंडरलाइंग के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total कुल	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1909.19	1457.99	शून्य/NIL	शून्य/NIL	1909.19	1457.99

सी. प्रतिभूति रसीदों(एसआर) में निवेश का विवरण

C. Details of Investment in Security Receipts (SRs)

(₹ करोड़ में) /(₹ in crore)

विवरण Particulars	विगत 5 वर्षों के अंदर जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से पहले किंतु 8 वर्षों के अंदर जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i) अंडरलाइंग के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPA s sold by the Bank as underlying	1834.08	3.32	71.79
(i) के सापेक्ष धारित प्रावधान Provision held against(i)	613.34	1.23	69.05
(ii) अंडरलाइंग के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non banking financial companies as underlying	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान Provision held against(ii)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल (i)+(ii) /Total (i)+(ii)	1834.08	3.32	71.79

3.4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण

Details of non-performing financial assets purchased/ sold from/to Banks

ए. बैंकों से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियां/

A. Non-performing financial assets purchased from Banks:

(₹ करोड़ में) /(₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2016-17
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते/ (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या/ (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

बी. बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण/

B. Details of non-performing financial assets sold to Banks:

(₹ करोड़ में) /(₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2016-17
1. बेचे गए खातों की संख्या /No of accounts sold	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. सकल बकाया /Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. प्राप्त सकल प्रतिफल /Aggregate consideration received	शून्य/NIL	शून्य/NIL

**3.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान /
Provisions on Standard Asset**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी) / Provisions towards Standard Assets (Cumulative)	686.40	1385.86

3.4.6 आस्ति वर्गीकरण में विचलन और एनपीए हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

3.4.6. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

क्रम सं. SI No.	विवरण/ Particulars	राशि/ Amount
1	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2017* को यथास्थिति सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2017* as reported by the Bank	20687.83
2	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2017 को यथास्थिति सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	21765.63
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	1077.80
4	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2017 को यथास्थिति निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	13433.51
5	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2017 को यथास्थिति निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	14358.91
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	925.40
7	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2017 को यथास्थिति एनपीए हेतु प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	7254.32
8	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2017 को यथास्थिति एनपीए हेतु प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	7406.72
9	प्रावधान में विचलन (8-7) Divergence in Provisioning (8-7)	152.40
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात निवल लाभ Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	(313.52)
11	प्रावधान में विचलन को हिसाब में लेने के बाद 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (कल्पित) कर पश्चात निवल लाभ Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning.	(465.92)

* 31 मार्च 2017 संदर्भित अवधि की समाप्ति है जिसके संबंध में विचलन का निर्धारण किया गया है।

* March 31, 2017 is the close of the reference period in respect of which divergence were assessed.

3.5 व्यवसाय अनुपात / Business Ratios

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय Interest Income as a percentage to Working Funds	6.84	7.57
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.13	1.13
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.44	1.66
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	-1.96 %	-0.13 %
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ in Crore)	15.86	15.03
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) / Profit per employee (₹ in Crore)	-0.195	-0.013

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management:

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न 31.03.2018

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2018

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)	जमा राशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
					आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1 दिन / Day 1	2220.58	1237.94	19854.22	0.41	196.41	68.53
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	5291.57	1474.67	440.83	8293.26	1892.34	367.55
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	3563.11	560.56	224.59	195.53	1106.88	232.29
15 से 30 दिन / 15 to 30 days	4629.25	980.70	1577.55	228.11	2001.05	1285.57
31 दिन से 2 माह तक 31 days and upto 2 months	8928.78	1939.63	986.45	642.72	1090.18	1319.77
2 माह से अधिक और 3 माह तक More than 2 months and upto 3 months	7803.40	1102.79	1455.36	419.17	815.23	1299.47
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	21713.25	15568.07	166.19	542.63	2838.90	2429.47
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	39345.48	12130.34	3313.90	1430.21	998.86	1669.92
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	65813.49	48902.31	7466.97	4250.22	6939.39	6098.29
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	26728.52	16490.20	4138.85	2898.25	2837.62	2648.19
5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	27566.41	51673.53	28089.11	2500.00	417.67	667.36
कुल / Total	213603.83	152060.74	67714.02	21400.52	21134.54	18086.41

3.7 एक्सपोजर / Exposures :

3.7.1 भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
(ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / (A) Direct exposure		
(i) रिहायशी बंधक - / Residential Mortgages - उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented - जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अग्रिम में समावेशन हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण - of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advance	12644.83 8352.82	10048.91 7562.97
(ii) वाणिज्यिक भू-संपदा / Commercial Real Estate - - उधार वाणिज्यिक भू-संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ शामिल हैं। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	2916.71	3019.32

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – ए. रिहायशी / a. Residential शून्य/NIL बी. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate. शून्य/NIL		शून्य/NIL शून्य/NIL
(बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर/B) Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs). 3203.43 975.83 भू संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector 18764.97 14044.06		

3.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / Sl.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
(I)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कारपोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1127.35	388.44
(ii)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को अप्रलेखी आधार पर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा शेयर/बांड/डिबेंचर/के बदले अग्रिम Advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(III)	अन्य किसी प्रयोजन, जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	1.15	0.11
(IV)	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं। Advances for any other purposes to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(V)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ। Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	100.25	10.00

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / SI.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
(VI)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कारपोरेट को शेयर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण। Loans sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VII)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के सापेक्ष कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VIII)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता Underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(IX)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण Financing to stock brokers for margin trading;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(X)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	5.33	6.60
	पूँजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market	1234.08	405.15

3.7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2018 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2018	31.03.2018 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2018	31.03.2017 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2017	31.03.2017 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2017
नगण्य/Insignificant	1875.69	शून्य/NIL	1603.33	शून्य/NIL
कम/Low	1038.10	शून्य/NIL	990.11	शून्य/NIL
साधारणतया निम्न/Moderately Low	8.14	शून्य/NIL	29.36	शून्य/NIL
मध्यम/Moderate	27.32	शून्य/NIL	69.14	शून्य/NIL
साधारणतया अधिक/Moderately High	0.81	शून्य/NIL	0.92	शून्य/NIL
अधिक/High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बहुत अधिक/Very High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
प्रतिबंधित/Restricted	16.93	शून्य/NIL	16.39	शून्य/NIL
ऑफ-क्रेडिट/Off-credit	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल/Total	2966.99	शून्य/NIL	2709.25	शून्य/NIL

3.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण :**Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank:**

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2016-17)/ Previous Year (FY 2016-17) ;

(₹ करोड़ में/₹ in crore)

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल निवेश सीमा (मौजूदा) Single Exposure Limit (Existing)			संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit			31.03.2017 को यथास्थिति बकाया शेष Outstanding Balance as on 31.03.2017		
	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total
मे. ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लि. M/s ONGC Petro Additions Ltd.	2600.00	0.00	2600.00	2645	700	3345	1608.78	105.10	1713.88

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अनुमोदन से विवेकपूर्ण सीमा से अधिक 5% की अनुमति दे सकता है। बोर्ड ने 28.09.2016 की अपनी बैठक में उपर्युक्त संस्वीकृति को अनुमोदित किया है।

Note: In terms of RBI guidelines, the Bank may permit 5% over and above the prudential limit with the approval. The Board in its meeting dated 28.09.2016 has approved the above sanction.

चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18)/ Current Year (FY 2017-18) ;

(₹ करोड़ में) /(₹ in crore)

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल निवेश सीमा (मौजूदा) Single Exposure Limit (Existing)			संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit			31.03.2018 को यथास्थिति बकाया शेष Outstanding Balance as on 31.03.2018		
	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total
1. मे. ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लि. M/s ONGC Petro Additions Ltd.	2680.00	0.00	2680.00	2582.73	200	2782.73	1516.53	169.09	1685.62
2. M/s HPCL Mittal Energy Ltd	2680.00	0.00	2680.00	2430.00	400.00	2830.00	0.00	2.96	2.96

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अनुमोदन से विवेकपूर्ण सीमा से अधिक 5% की अनुमति दे सकता है। बोर्ड ने 22.03.2018 की अपनी बैठक में उपर्युक्त संस्वीकृति को अनुमोदित किया है।

Note: In terms of RBI guidelines, the Bank may permit 5% over and above the prudential limit with the approval. The Board in its meeting dated 22.03.2018 has approved the above sanction.

3.7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

(₹ करोड़ में) /(₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
ए/अ) कुल अप्रतिभूत अग्रिम / Total Unsecured Advances	27236.82	18125.45
बी/ब) इसमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अग्रिम जैसे अधिकारों पर प्रभार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि Of which advances backed by intangible securities such as charge over rights, licenses, authority etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

3.8 विविध / Miscellaneous

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year

(₹ करोड़ में) /(₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	4.13	387.99
आस्थगित कर हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	(1321.04)	(679.18)

3.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया अर्थदंड:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की अपेक्षाओं का उल्लंघन करने अथवा उसका अनुपालन न करने के कारण बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

3.8.2. Penalties imposed by RBI:

During the Financial Year 2017-18, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949.

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाएं जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने 'लेखा टिप्पणी' हेतु प्रकटीकरण मदों की बाबत दिशानिर्देश जारी किए हैं:

4. Disclosure Requirements as per Accounting Standards where R.B.I has issued guidelines in respect of disclosure items for 'Notes to Accounts':

4.1 लेखा मानक 5 'अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मर्दे और लेखा नीतियों में परिवर्तन':

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार है:

4.1. Accounting Standard 5- Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies: Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
आय/Income	(0.55)	(1.06)
व्यय/Expenditure	1.48	0.11
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	(2.03)	(1.17)

पैरा सं. 22(i) में यथा उल्लिखित संशोधित लेखा मानक 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के अनुसार मूल्यहास के लेखा के संबंध में लेखा नीति में परिवर्तन हुआ है।

There is change in accounting policy with respect to accounting of depreciation as per Revised AS 10 'Property, Plant and Equipment' as detailed in Para No.2.2 (i).

4.2. राजस्व अभिज्ञान के संबंध में एएस 9 के अंतर्गत नकदी आधार पर अभिज्ञात आय मर्दे (गैर निष्पादक आस्तियों और निवेशों पर प्राप्त आय से इतर), या तो तात्त्विक नहीं थीं या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

4.2. Income items recognised on cash basis (other than income on non performing assets and investments) were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.

4.3. बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से कर्मचारी लाभों यथा पेंशन (नई), पेंशन (पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एलएफसी और बीमारी छुट्टी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) को अपनाया है।

4.3. The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised)- Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment, LFC w.e.f. 1st April, 2007.

4.3.1. निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर-1995), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एल.एफ.सी. के संबंध में बैंक की देयता को

4.3.1. Bank's liabilities in respect of the funded/non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR-1995), Gratuity, Leave Encashment and LFC are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per

(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा एएस 15 (संशोधित) में निर्धारित सिद्धांतों और

(a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and

(बी) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी जीएन 26 के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(b) Guidelines GN 26 issued by The Institute of Actuaries of India.

कर्मचारी लाभ के लेखा का प्रकटीकरण [एएस-15 के अनुसार (समीक्षित)]

Disclosure on accounting of employee benefits [as per AS-15 (revised)]

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN							
	निधिबद्ध / Funded				गैर-निधिबद्ध / Non-funded			
	पेंशन (एबीपीईआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी LFC	
	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2016-17
रियायती दर /Discount Rate	7.50%	7.00%	7.50%	7.00%	7.50%	7.00%	7.50%	7.00%
वेतन की बढ़ती दर Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	NA	NA
हास दर (प्र.व.) / Attrition Rate (p.a.)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	7.50%	7.00%	7.50%	7.00%	NA	NA	NA	NA

ए) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

A) Changes in the present value of Obligation

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के आरंभ में पीवीओ	C.Y.	5770.81	929.57	507.82	147.34
a) PVO at the beginning of the year	P.Y.	5207.63	863.30	468.01	121.92
बी) ब्याज लागत	C.Y.	415.72	65.76	37.56	10.80
b) Interest cost	P.Y.	349.85	56.44	30.97	7.47
सी) चालू सेवा लागत	C.Y.	610.10	127.16	92.14	0.00
c) Current Service Cost	P.Y.	654.29	52.49	88.43	0.00
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	455.82	105.46	13.93	6.77
d) Benefits Paid	P.Y.	419.49	114.05	51.28	30.28
ई) बाध्यता पर बीमांकक हानि/(लाभ)	C.Y.	(305.44)	(35.11)	(112.93)	10.17
e) Actuarial Loss/ (Gain) on Obligation	P.Y.	(21.47)	71.39	(28.31)	48.22
एफ) वर्ष के अंत में पीवीओ	C.Y.	6035.37	981.92*	510.66	161.54
f) PVO at the close of the year	P.Y.	5770.81	929.57	507.82	147.34

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

* गजट अधिसूचना दिनांक 29.03.2018 के साथ पठित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार ग्रेच्युटी की सीमा 29.03.2018 से ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई है जिससे ₹43.10 करोड़ की अतिरिक्त देयता आन पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र सं. डीबीआर.बीपी.9730/21/21.04.2018/2017-18 के तहत इस व्यय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से चार तिमाहियों में विस्तारित करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में ₹10.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष ₹32.32 करोड़ की राशि को अगली तीन तिमाहियों (जून, 2018, सितम्बर, 2018 और दिसम्बर, 2018) में समानुपातिक रूप से परिशोधित किया जाएगा।

* As per amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 read with Gazette notification dated 29.03.2018 the Gratuity ceiling has been increased from ₹10 lakh to ₹20 lakh with effect from 29.03.2018 for which an additional liability comes to ₹43.10 crore. Reserve Bank of India has accorded their approval vide letter no.DBR.BP.9730/21/21.04.2018/2017-18 dated 27th April, 2018, to spread the expenditure involved over four quarters beginning with the quarter ended 31st March, 2018. Accordingly, ₹10.78 crore provision has been provided in the quarter ended 31.03.2018 and rest ₹32.32 crore will be amortized proportionately in next three quarters (June 2018, September 2018 and December 2018).

बी) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन / B) Changes in the Fair Value of Plan Assets

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN		
		निधिबद्ध / Funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity
ए) वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य			
a) Fair Value of Plan Assets at the beginning of year	C.Y.	5769.63	965.79
	P.Y.	5211.15*	858.56*
बी) योजना आस्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल	C.Y.	432.72	72.43
b) Expected return of Plan Assets	P.Y.	364.78	60.10
सी) नियोक्ता का अंशदान	C.Y.	131.16	0.00
c) Employer's Contribution	P.Y.	480.50	138.11
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	455.82	105.46
d) Benefits Paid	P.Y.	419.49	114.05
ई) बीमांकक (हानि)/लाभ	C.Y.	57.96	6.06
e) Actuarial (Loss)/Gain	P.Y.	133.12	22.47
एफ) वर्ष के अंत में आस्तियों का उचित मूल्य			
f) Fair Value of Plan Assets at the close of year (a+b+c+d+e-f)	C.Y.	5935.64	938.82
	P.Y.	5769.63	965.19
जी) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	C.Y.	488.97	78.96
g) Actual return on Plan Assets	P.Y.	510.36	73.00

* संबंधित न्यास निधि के लेखापरीक्षित आंकड़े/*Audited Figure of the concerned Trust Fund

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

सी) निवल बीमांकक हानि / (लाभ) / C) Net Actuarial Loss / (Gain)

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (लाभ)					
a) Actuarial loss / (gain) on obligation (A)	C.Y.	(305.44)	(35.11)	(112.93)	10.17
	P.Y.	(21.47)	71.39	(28.31)	(48.22)
बी) योजना आस्तियों पर बीमांकक हानि/(लाभ)					
b) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (B)	C.Y.	(57.96)	(6.06)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	(133.11)	(22.47)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) निवल बीमांकक (हानि)/(लाभ)					
c) Net Actuarial loss / (gain)(a+b)	C.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
	P.Y.	(154.59)	48.91	(28.31)	(48.22)
डी) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/लाभ					
d) Actuarial loss / (gain) recognized in the period	C.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
	P.Y.	(154.59)	48.91	(28.31)	(48.22)
ई) अनभिज्ञात बीमांकक हानि					
e) Unrecognised actuarial loss	C.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

डी) तुलनपत्र में अभिज्ञात राशि / D) Amount recognized in Balance Sheet

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य a) Present value of defined benefit obligation at the end of the Year	C.Y.	6035.37	981.92*	510.66	161.54
	P.Y.	5770.81	929.57	507.82	147.34
घटाएं :/Less:					
बी) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य b) Fair value of Plan Assets at close of the Year	C.Y.	5935.64	938.82	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	5770.06	965.19	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता /(आस्ति) c) Unfunded Net Liability/ (Asset) recognized in Balance Sheet	C.Y.	99.73	43.10*	510.66	161.54
	P.Y.	0.75	(35.62)	507.82	147.34

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

* गजट अधिसूचना दिनांक 29.03.2018 के साथ पठित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार ग्रेच्युटी की सीमा 29.03.2018 से ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई है जिससे ₹43.10 करोड़ की अतिरिक्त देयता आन पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र सं. डीबीआर.बीपी.9730/21/21.04.2018/2017-18 के तहत इस व्यय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से चार तिमाहियों में विस्तारित करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में ₹10.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष ₹32.32 करोड़ की राशि को अगली तीन तिमाहियों (जून, 2018, सितम्बर, 2018 और दिसम्बर, 2018) में समानुपातिक रूप से परिशोधित किया जाएगा।

* As per amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 read with Gazette notification dated 29.03.2018 the Gratuity ceiling has been increased from ₹10 lakh to ₹20 lakh with effect from 29.03.2018 for which an additional liability comes to ₹43.10 crore. Reserve Bank of India has accorded their approval vide letter no.DBR.BP.9730/21/21.04.2018/2017-18 dated 27th April, 2018, to spread the expenditure involved over four quarters beginning with the quarter ended 31st March, 2018. Accordingly, ₹10.78 crore provision has been provided in the quarter ended 31.03.2018 and rest ₹32.32 crore will be amortized proportionately in next three quarters (June 2018, September 2018 and December 2018).

ई) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय

E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN			
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) चालू सेवा लागत	C.Y.	610.10	127.16	92.14	शून्य/Nil
a) Current service cost	P.Y.	654.29	52.49	88.43	शून्य/Nil
बी) ब्याज लागत	C.Y.	415.72	65.76	37.56	10.80
b) Interest Cost	P.Y.	349.85	56.44	30.97	7.47
सी) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	C.Y.	432.72	72.43	शून्य/Nil	शून्य/Nil
c) Expected return on Plan Assets	P.Y.	364.78	60.10	शून्य/Nil	शून्य/Nil
डी) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ)	C.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
d) Net actuarial loss / (gain) recognized in the year	P.Y.	(154.59)	48.91	(28.31)	(48.22)
ई) निवल लाभ व्यय	C.Y.	229.70	79.32	16.77	20.97
e) Net Benefit Expense	P.Y.	484.77	97.75	91.09	55.69

एफ) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN			
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) अथ निवल देयता	C.Y.	1.18	(36.21)	507.82	147.34
a) Opening Net Liability	P.Y.	(3.52)	4.74	468.01	121.92
बी) निवल लाभ व्यय	C.Y.	229.70	79.31	16.77	20.97
b) Net Benefit Expense	P.Y.	484.77	97.75	91.09	55.69
घटाएं / Less:					
सी) कर्मचारियों को भुगतान /अंशदान की गई राशि	C.Y.	131.16	0.00	13.93	6.77
c) Contribution paid / Amt. paid to employees	P.Y.	480.50	138.11	51.28	30.28
डी) इति निवल देयता	C.Y.	99.73	43.10*	510.66	161.54
d) Closing Net Liability (The excess amount may be retained as provision)	P.Y.	0.75	(35.62)	507.82	147.34

* गजट अधिसूचना दिनांक 29.03.2018 के साथ पठित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार ग्रेच्युटी की सीमा 29.03.2018 से ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई है जिससे ₹43.10 करोड़ की अतिरिक्त देयता आन पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र सं. डीबीआर.बीपी.9730/21/21.04.2018/

* As per amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 read with Gazette notification dated 29.03.2018 the Gratuity ceiling has been increased from ₹10 lakh to ₹20 lakh with effect from 29.03.2018 for which an additional liability comes to ₹43.10 crore. Reserve Bank of India has accorded their approval vide

2017-18 के तहत इस व्यय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से चार तिमाहियों में विस्तारित करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में ₹10.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष ₹32.32 करोड़ की राशि को अगली तीन तिमाहियों (जून, 2018, सितम्बर, 2018 और दिसम्बर, 2018) में समानुपातिक रूप से परिशोधित किया जाएगा।

letter no.DBR.BP.9730/21/21.04.2018/2017-18 dated 27th April, 2018, to spread the expenditure involved over four quarters beginning with the quarter ended 31st March, 2018. Accordingly, ₹10.78 crore provision has been provided in the quarter ended 31.03.2018 and rest ₹32.32 crore will be amortized proportionately in next three quarters (June 2018, September 2018 and December 2018).

जी) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत

G) Investment percentage maintained by the Trust

(%में)/(in %)

विवरण Particulars	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	11.70	11.91	35.60	31.66
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	52.80	52.45	40.04	38.08
उच्च स्तरीय कारपोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	35.23	35.37	24.23	30.13
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Schemes	0.27	0.27	0.13	0.13
अन्य निवेश / Other Investments	NA	NA	NA	NA

4.4. सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखामानक (एएस) 17 “ सेगमेंट रिपोर्टिंग”

सेगमेंट सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरण में लेखा-17 मानक के पैरा 4 के अनुसार दी गई हैं।

4.5. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18-
संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन: संबंधित पक्षकारों के नाम, बैंक के साथ उनके संबंध और किए गए लेनदेन-

4.4. Segment Reporting - Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"

Segment information is given in the Consolidated Financial Statement in terms of Para 4 of the AS-17.

4.5. Related Party Disclosures - Accounting Standard (AS) 18- List of Related Parties and Transactions: The names of the related parties, their relationship with the bank and transactions effected-

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / a) Key Management Personnel :

(₹ लाख में) / (₹ in Lac)

	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियां Remuneration	
			वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
1	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO (से/From 06.05.2017)	25.37	शून्य/NIL
2	श्री एन. के. साहू Shri N.K.Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director	23.52	22.02
3	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	22.27	2.51
भूतपूर्व निदेशक /Ex- Directors				
1	श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (Up to 30.04.2017 तक)	14.43	21.45
2	श्री जे. के. सिंह खर्ब Shri J. K.Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director (Up to 30.06.2016 तक)	5.66	4.52

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

संयुक्त उद्यम

i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि.
बैंक युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि. के ₹105 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹105 करोड़ के 30 प्रतिशत) के 28.52% शेयर धारित कर रहा है जो कंपनी द्वारा जारी शेयर के कारण था जिसमें बैंक ने सहभागिता नहीं की थी।

ii) एसएसआरईसी (इंडिया) लि.
बैंक एसएसआरईसी (इंडिया) लि. के ₹26.50 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹26.50 करोड़) के 27.04% प्रतिशत शेयर धारित करता है।

(बी) एसोसिएट्स

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक:
बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ₹21.67 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹21.67 करोड़) के 35 प्रतिशत को धारित करता है।

(सी) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यमक कंपनी के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

Joint Venture:

i) Universal Sompo General Insurance Company Limited.
The Bank is holding 28.52% share in Universal Sompo General Insurance Company Limited amounting to ₹105.00 Crore (previous year's holding 30% amounting to ₹105.00 Crore). The Bank's holding% was reduced to 28.52% due to issue of shares by the company where the bank had not participated.

ii) ASREC (India) Ltd.
The Bank is holding 27.04% share in ASREC (India) Ltd. amounting to ₹26.50 Crore (previous year ₹26.50 Crore)

b) Associates:

Allahabad U.P. Gramin Bank:
The Bank is holding 35% share in Allahabad U.P. Gramin Bank amounting to ₹21.67 Crore (previous year ₹21.67 Crore).

c) Transactions with joint venture company namely Universal Sompo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
अर्जित आय /Income Earned	17.04	11.81
प्रदत्त बीमा प्रिमियम / Insurance Premium Paid by the bank	1.48	1.77

संबंधित पक्षकारों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: /

Other Disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मद/संबंधित पार्टी Items/Related Party	पेरेंट (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership control)	अनुषंगी Subsidiary	एसोसिएट एवं संयुक्त उपक्रम Associate/ joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
	1	2	3	4	5	2+3+4+5
उधार / Borrowings	-	-	233.02	-	-	233.02
जमा राशियां / Deposits	893.00	-	-	-	-	-
जमा राशियों का प्लेसमेंट / Placement of Deposits	-	51.87	841.72	0.28	-	893.87
अग्रिम / Advances	233.02	-	-	-	-	-
निवेश / Investments	0.11	-	-	0.11	-	0.11
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं/ Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-
उपभोग की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद/ Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री/ Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज/Interest paid	64.01	-	19.03	-	-	19.03
प्राप्त ब्याज/Interest received	19.03	3.01	60.99	0.01	-	64.01
सेवा प्रदान करना/Rendering of Services	18.64	-	2.85	-	-	2.85
सेवा प्राप्त करना/Receiving of Services	2.85	-	18.64	-	-	18.64
प्रबंधन संविदा/Management contracts	2.55	0.25	2.30	-	-	2.55

नोट: आल बैंक फाइनेंस लि. (बैंक की पूर्ववर्ती अनुषंगी कंपनी) का इलाहाबाद बैंक में विलय हो गया निर्धारित तिथि 01.04.2017 और प्रभावी तिथि 14.03.2018

N.B.: AllBank Finance Ltd. (Erstwhile Subsidiary of Bank) since amalgamated with Allahabad Bank w.e.f. appointed date 01.04.2017 and effective date 14.03.2018.

4.6. पट्टा प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 19

ए) बैंक के पास कार्यालयों/आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग:

31.03.2018 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया

4.6. Lease Disclosure-Accounting Standard (AS) 19

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) Total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2018.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	यथास्थिति/ As on 31.03.2018	यथास्थिति / As on 31.03.2017
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	130.58	126.27
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	495.89	425.95
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	377.13	370.58

ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : ₹201.08 करोड़ (विगत वर्ष ₹188.74 करोड़)

iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non- cancellable subleases at the balance sheet date: NIL(Previous Year: Nil).

iii) Lease payments recognized in the statement of profit and loss for the period: ₹201.08 Crore (previous year ₹188.74 Crore)

iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: NIL (Previous Year: Nil).

बी) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

4.7 प्रति शेयर अर्जन - लेखा मानक (एएस) 20 / Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
ए. A	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (₹) Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	(59.63)	(4.36)

प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
ए. A	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ in Crores)	(4674.37)	(313.51)
बी. B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	78,38,74,547	71,86,46,131
सी. C	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (ए/बी) (₹) Basic and Diluted Earning per Share (A/B) (₹)	(59.63)	(4.36)
डी. D	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य (₹) Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

4.8. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में ₹1321.04 करोड़ (विगत वर्ष ₹679.19 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में जमा लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है:

4.8. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of ₹1321.04 Crore has been credited (Previous year ₹679.19 Crore) to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़ें/(घटाएं) Adjustment Add / (Less)		वर्ष की समाप्ति पर At the close of the year	
	वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
आस्थगित कर आस्तियाँ						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान Deferred Tax Assets						
Provision for Leave Encashment	119.16	105.38	0.98	13.78	120.14	119.16
एफआईटीएल हेतु प्रावधान/ Provision For FITL	191.75	290.71	(100.38)	(98.96)	91.37	191.75
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Provision For Bad & Doubtful Debts	1939.03	1156.80	216.97	782.23	2156.00	1939.03
आयकर के अनुसार हानि Loss as per Income tax	शून्य/NIL	शून्य/NIL	1118.19	शून्य/NIL	1118.19	शून्य/NIL
कुल /Total	2249.94	1552.89	1235.76	697.05	3485.70	2249.94
आस्थगित कर देयताएँ/ Deferred Tax Liabilities						
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	शून्य/NIL	67.42	0.00	(67.42)	0.00	शून्य/NIL
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत कटौती के कारण विशेष प्रारक्षिती को अंतरित राशि Amount transferred to Special Reserve on account of deduction under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961	494.94	494.94	0.00	शून्य/NIL	494.94	494.94
धोखाधड़ी हेतु अपरिशोधित प्रावधान/ Depreciation on Investment/ Securities	124.98	124.98	0.00	शून्य/NIL	124.98	124.98
निवेश/प्रतिभूतियों पर मूल्यहास/ Un amortised Fraud Provision	85.28	0.00	(85.28)	85.28	0.00	85.28
कुल /Total	705.20	687.34	(85.28)	17.86	619.92	705.20
आस्थगित कर देयताएं (निवल) / Deferred Tax Liabilities (Net)	(1544.74)	(865.55)	(1321.04)	(679.19)	(2865.78)	(1544.74)

चूंकि बैंक को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को हानि हुई है अतः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।

बैंक ने गहन समीक्षा के आधार पर और लेखा मानक (एएस)22- आय पर कर हेतु लेखांकन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु व्यवसाय हानि पर ₹1118.19 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों और अपरिशोधित मूल्यहास को अभिज्ञात किया है।

As Bank has incurred loss during the current financial year 2017-18, hence no amount was transferred to Special Reserve under section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961.

The Bank has recognized Deferred Tax Assets of ₹1118.19 Crore on business loss and unabsorbed depreciation as per Income Tax Act for the FY 2017-18 based on thorough review and according to Accounting Standard (AS) 22 - Accounting for Taxes on Income.

आयकर अधिनियम 1949 की धारा 145(2) के अंतर्गत 29 सितम्बर 2016 को आय संगणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) यथाप्रयोज्य का वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कर योग्य आय/हानि की गणना हेतु पालन किया है।

4.9. समाप्त परिचालन : लेखा मानक (एएस) 24

समीक्षाधीन वर्ष हेतु प्रकटीकरण अपेक्षा लागू नहीं है।

4.10. वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर **लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स'** प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2018 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु अपेक्षित कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है।

4.11. अन्य लेखा मानक:

लेखा मानक (एएस) 10 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण'

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्य ह्रास का विवरण।

Income computation and Disclosure Standards (ICDS) as notified u/s 145(2) of the Income Tax Act, 1961 on 29th September 2016, as applicable, has been followed in computation of Taxable Income/ Loss for the financial year 2017-18.

4.9. Discontinuing Operations: Accounting Standard (AS) 24

Disclosure requirement is not applicable for the year under review.

4.10. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which **Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets'** is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as on 31.03.2018 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

4.11. Other Accounting Standards:

Accounting Standard (AS) 10 'Property, Plant and Equipment'

Break up of total depreciation for the year ended March, 2018 for each class of assets.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

आस्तियों का वर्ग Class of Assets	वित्तीय वर्ष F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष F.Y. 2016-17
परिसर/Premises	49.93	51.59
अन्य स्थिर आस्तियां/Other Fixed Assets	93.17	105.15
पट्टाकृत आस्तियां/Leased Assets	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कंप्यूटर साफ्टवेयर/Computer Software	9.78	11.73
कुल/Total	152.88	168.47

4.12. अन्य लेखा मानक: लेखा मानक (एएस) 11

विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा वाले लेनदेन हेतु लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 11(विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव) के अनुसार किया जाता है।

जैसा कि एएस 11 में निर्धारित है बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को (क) समग्र परिचालन और (ख) गैर समग्र परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी विदेशी शाखाओं को गैर समग्र परिचालन समझा जाता है और विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालन और प्रतिनिधि गैर समग्र परिचालन को समग्र परिचालन के रूप में माना जाता है।

गैर समग्र परिचालनों के संबंध में लेनदेन

(क) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों में ट्रांसलेट किया जाता है।

(ख) तुलन पत्र की तिथि को यथास्थिति बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और फारवर्ड आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्रमशः क्लोजिंग स्पॉट और फारवर्ड दरों में और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदाओं हेतु इंटरपोलेटेड दरों पर ट्रांसलेट किया जाता है।

4.12. Accounting Standard (AS) 11

Foreign Currency Transactions

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 (The effects of changes in foreign exchange rates) issued by the ICAI.

As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as (a) Integral operations and (b) Non-integral operations. Overseas branch is treated as Non-integral operations and domestic operations in foreign exchange are treated as Integral operations.

Transactions in respect of Non-Integral operations

(a) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

(b) Foreign exchange spot and forward contingent liabilities outstanding as at the Balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

- (ग) आय और व्यय को प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर ट्रांसलेट किया जाता है।
- (घ) परिणामी विनिमय दर के अंतर को उस अवधि हेतु आय और व्यय के रूप में अभिज्ञात नहीं किया जाता अपितु निवल निवेश का निपटान होने तक पृथक खाते "विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व" में संचित किया जाता है।

समग्र परिचालनों के संबंध में लेनदेन

- (क) आय और व्यय को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ख) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों में ट्रांसलेट किया जाता है।
- (ग) परिणामी विनिमय दर के अंतर को आय और व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ हानि लेखा के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

फारवर्ड एक्सचेंज कांट्रैक्ट

फेडाई के दिशानिर्देशों और एस 11 के प्रावधानों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि को यथास्थिति बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और फारवर्ड संविदाओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्रमशः क्लोजिंग स्पॉट और फारवर्ड दरों में और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदाओं हेतु इंटरपोलेटेड दरों पर ट्रांसलेट किया जाता है। परिणामी फॉरवर्ड पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि लाभ एवं हानि खाता में समाविष्ट है।

- (c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- (d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

Transactions in respect of Integral operations

- (a) Income and expenses are translated and accounted for at exchange rates prevailing on the date of transaction.
- (b) Foreign currency assets and liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- (c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss account.

Forward exchange contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward revaluation profit or loss is included in the Profit & Loss account.

विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व का संचलन / Movement of Foreign Currency Translation Reserve:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
अथ शेष/ Opening Balance	85.79	97.07
वर्ष के दौरान जमा/ Credited during the Period 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान नामे	शून्य/NIL	शून्य/NIL
Debited during the period 01.04.2017 to 31.03.2018	0.07	11.28
इति शेष/Closing Balance	85.72	85.79

4.13 लेखा मानक (एस) 14- समामेलन हेतु लेखा:

आलबैंक फाइनेंस लि. इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का 01.04.2017 से इलाहाबाद बैंक में निलय हो गया लेखा प्रयोजन हेतु नियत तारीख है। आलबैंक फाइनेंस लि. अन्य के साथ-साथ निवेश गतिविधियों, मर्चेन्ट बैंकिंग, डिबेंचर ट्रस्टीशिप, प्रतिभूति ट्रस्टीशिप, म्यूचुअल फंड वितरण और टीईवी अध्ययन आदि गतिविधियों से संबंधित थी।

क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.03.2018 के आदेश के तहत आलबैंक फाइनेंस लि. के इलाहाबाद बैंक के साथ विलय की योजना की पुष्टि कर दी है।

समामेलन को प्रतिबिंबित करने हेतु प्रयुक्त लेखा पद्धति ब्याज पद्धति की पूलिंग है।

4.13. Accounting Standard (AS) 14 -Accounting for Amalgamations:

AllBank Finance Ltd., a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank is merged with Allahabad Bank with effect from 01.04.2017 which is the appointed date for accounting purpose. AllBank Finance Ltd. was inter alia engaged in investing activities, merchant banking, debenture trusteeship, Security trusteeship, Mutual Fund distribution and TEV study etc.

The Regional Director, Eastern Region, Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India has given confirmation to the scheme of amalgamation of AllBank Finance Ltd. with Allahabad Bank vide order dated 14.03.2018.

The method of accounting used to reflect the amalgamation is pooling of interests method.

तदनुसार, आलबैंक फाइनेंस लि. की समस्त आस्तियां और देयताओं को इलाहाबाद बैंक द्वारा उनकी मौजूदा वहन राशि पर अधिग्रहित किया गया है। आस्तियों, देयताओं और आरक्षित निधियों, वर्तमान अथवा आकस्मिक, को उसी रूप में अभिलिखित किया गया है, सामामलेन की तिथि को यथास्थिति लेखा नीतियों की एकस्मता सुनिश्चित करने को छोड़कर।

चूंकि आलबैंक फाइनेंस लि. पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, सामामलेन के समय कोई शेयर जारी नहीं किए गए हैं अथवा प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है।

Accordingly all the assets and liabilities of AllBank Finance Ltd. are taken over by Allahabad Bank at their existing carrying amounts. The assets, liabilities and reserves, present or contingent are recorded in the same form except to ensure uniformity of accounting policies as at the date of amalgamation.

Since AllBank Finance Ltd. is a wholly owned subsidiary and there are no shares issued or consideration paid at the time of amalgamation.

5. “प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियां” के संबंध में लेखा मानक (एस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

5. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

5.1.1. लाभ एवं हानि खाते में प्रावधान एवं आकस्मिक देयताओं हेतु नाम/Provisions & Contingencies debited to Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
(ए)/(a)निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	743.27	245.79
(बी)/(b)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision towards NPA	10326.45	4552.37
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	(634.39)	95.59
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	(595.61)	387.99
(ई)/(e)आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं/Deferred Tax (Assets) Liabilities	(1321.04)	(679.19)
(एफ)/(f)आईआरएस हेतु प्रावधान/Provision for IRS	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(जी)/(g)अन्य /Others	(405.99)	(422.27)
कुल/Total	8112.69	4180.28

5.1.2. प्रावधान और आकस्मिकताएं (इति शेष)

Provision and Contingencies (Closing balance)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
(ए)/(a)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	14308.11	7176.83
(बी)/(b)निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	1322.09	575.89
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	751.20	1385.86
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	4100.64	5080.10
(ई)/(e)आस्थगित कर (आस्तियां)/देयताएं/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	(2865.78)	(1544.74)
(एफ)/(f)अन्य /Others	1818.61	1991.89
कुल/Total	19434.87	14665.83

5.2. अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर)/Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer):

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर / Counter cyclical Provision Buffer		अस्थिर प्रावधान / Floating Provision	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
(ए)/(a)अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष / Opening Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी)/(b)वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Provision made during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(सी)/(c)वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and Amount of draw down during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(डी)/(d)अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष Closing Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL

5.3 आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से किसी राशि को ड्रा डाउन नहीं किया गया है (विगत वर्ष शून्य)

5.3. Draw Down from Reserves:

No amount has been drawn from the Reserve during the year. (Previous year Nil).

5.4. शिकायतों का प्रकटीकरण/Disclosure of Complaints :**ए/आ. ग्राहकों की शिकायतें/Customer Complaints :**

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	211	157
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Received during the year	14476	10284
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Redressed during the year	14553	10213
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the end of the year	134	228

बी/बी. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतें/Shareholders/Investors Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	01	02
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Received during the year	277	184
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Redressed during the year	278	185
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या / No. of Complaints pending at the end of the year	शून्य/NIL	01

सी/सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड/Awards passed by the Banking Ombudsman :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी)/(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	3	शून्य/NIL
(सी)/(c) कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards implemented during the year	3	शून्य/NIL
(डी)/(d) कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the end of the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL

सी/डी. एटीएम से संबंधित शिकायतें/ATM Related Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	3452	387
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Received during the year	95621	70417
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Redressed during the year	97570	67352
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the end of the year	1503	3452

5.5. बैंकों द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने क्रेता ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ₹4960.85 करोड़ मूल्य के 1537 एलओसी (विगत वर्ष ₹6410.74 करोड़ मूल्य के 1771 एलओसी) जारी किए। 31.03.2018 को बकाया एलओसी की राशि ₹1445.55 करोड़ (विगत वर्ष ₹2418.54 करोड़) थी अन्य बैंकों के एलओसी के आधार पर ₹1053.15 करोड़ दिए गए और इलाहाबाद बैंक के एलओसी के आधार पर ₹392.40 करोड़ के 352 एलओसी दिए गए। बैंक के निर्धारण के अनुसार इस संबंध में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.6. प्रावधान कवरेज अनुपात

31.03.2018 को यथास्थिति बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 62.91% है (विगत वर्ष 50.11%)

5.7. वर्ष के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय से आय:

जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त कमीशन : ₹27.37 करोड़ (विगत वर्ष ₹21.44 करोड़) रहा जिसमें प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु ₹2.42 करोड़ का कमीशन शामिल है।

5.8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण**5.8.1. जमाराशियों का संकेन्द्रण / Concentration of Deposits**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि Total deposit of twenty largest depositors	11152.38	12458.68
बैंक की कुल जमाराशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	5.22	6.17

5.8.2. अग्रिमों का संकेन्द्रण /Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम/ Total advances to twenty largest borrowers	31455.05	22814.56
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	15.78	14.43

5.8.3. एक्सपोजर का संकेन्द्रण / Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total exposure to twenty largest borrowers/ customers	34011.16	29569.85
बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposure to twenty largest borrowers/ customers to total exposure of the bank on borrowers/customers	14.49	13.76

5.8.4. एनपीए पर संकेन्द्रण /Concentration on NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (सकल) Total Exposure to top four NPA accounts (Gross)	4733.12	4086.53

5.5. Letters of Comfort (LoCs) issued by Bank:

During the current financial year, the Bank has issued 1537 number of LoCs amounting to ₹4960.85 Crore (previous year 1771 number of LoCs amounting to ₹6410.74 Crore) for providing Buyers Credit facility. The outstanding LoCs as on 31.03.2018 amount to ₹1445.55 Crore (previous year ₹2418.54 Crore) of LOCs given on the basis of LOUs of other banks amounting to ₹1053.15 Crore and given on the basis is of LOUs of Allahabad Bank are 352 in number amounting to ₹392.40 Crore. In Bank's assessment, no financial impact is likely to arise in this respect.

5.6. Provisioning Coverage Ratio (PCR):

The provision coverage ratio as on 31.03.2018: 62.91 % (Previous Year 50.11%)

5.7. Income from Bancassurance business during the year:

Commission received on life & non-life insurance business: ₹27.37 Crore (previous year ₹21.44 Crore) inclusive commission of ₹2.42 crore for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna).

5.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures & NPAs:

5.9. क्षेत्रवार एनपीए : संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत /

Sector-wise NPAs: Percentage of NPAs to Total Advances in that sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. SI No	क्षेत्र/Sector	चालू वर्ष/Current year			विगत वर्ष/Previous year		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
क/A	प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	26713.01	1603.46	6.00	26430.53	1296.35	4.90
2	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हेतु पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	12930.87	3052.29	23.60	12843.68	2122.29	16.52
3	सेवा/Services	17223.36	1651.25	9.59	16588.63	989.19	5.96
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	9726.67	219.68	2.26	8733.83	172.09	1.97
	उप जोड़(क)/Sub-Total (A)	66593.91	6526.68	9.80	64596.67	4579.92	7.09
ख/B	गैर प्राथमिकता क्षेत्र/Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग/Industry	38722.42	15715.93	40.59	42769.61	12417.46	29.03
3	सेवा/Services	37595.05	2954.63	7.86	14597.28	1580.59	10.83
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्य/Others	23524.48	1365.55	5.80	36139.81	2109.86	5.84
	उप जोड़(ख)/Sub-Total (B)	99841.95	20036.11	20.07	93506.70	16107.91	17.23
	कुल (क+ख)/Total (A+B)	166435.86	26562.79	15.96	158103.37	20687.83	13.09

5.10. एनपीए का संचलन / Movement of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
वर्ष के आरंभ में 1 अप्रैल को सकल एनपीए (अथशेष)/ Gross NPAs as on 1 st April-beginning of the year (Opening Balance)	20687.83	15384.57
वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)/Additions (Fresh NPAs) during the year	12903.28	11417.00
उप जोड़ (ए) / Sub- Total (A)	33591.11	26801.57
घटाएं / Less:-		
(i) उन्नयन / Upgradations	1307.22	2060.37
(ii) वसूली (अपग्रेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2071.86	1611.32
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण राइटऑफ Technical/Prudential Write-offs	2723.78	2225.23
(iv) उपर्युक्त (iii) में से इतर के अंतर्गत राइटऑफ Write-offs other than those under (iii) above	925.46	216.82
उप जोड़ (बी) / Sub- Total (B)	7028.32	6113.74
31 मार्च को यथास्थिति सकल एनपीए (इतिशेष) (ए-बी) Gross NPAs as on 31 st March of following year (Closing Balance) (A-B)	26562.79	20687.83

Disclosure on Technical write-offs and the recoveries made thereon

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
1 अप्रैल (वर्ष के आरंभ में) को यथास्थिति तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट आफ खातों में अथ शेष		
Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1 (Beginning of the year)	6235.76	4492.87
वृद्धि: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट आफ		
Add: Technical/ Prudential write-off during the year	2723.78	2225.23
उप जोड़ (ए) / Sub- Total(A)	8959.54	6718.10
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट आफ खातों में की गई वसूली (बी)		
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written- off accounts during the year (B)	2554.29	482.34
31 मार्च को यथास्थिति इतिशेष (ए-बी)		
Closing Balance as at March' 31 (A-B)	6405.25	6235.76

5.11. विदेशी आस्तियां एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
कुल आस्तियां / Total Assets	13125.03	12950.50
कुल एनपीए /Total NPAs	143.39	167.59
कुल राजस्व /Total Revenue	358.50	317.96

5.12. तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)- शून्य (विगत वर्ष: शून्य)**5.12. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):**
NIL (Previous year: NIL).**5.13. परिलब्धियों के संबंध में प्रकटीकरण:** इलाहाबाद बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी.72/29.67.001/2011-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अनुसार परिलब्धि संबंधी प्रकटन प्रयोज्य नहीं है।**5.13. Disclosure on Remuneration:** As Allahabad Bank is a Public Sector Bank, Disclosures on Remuneration is not applicable as per RBI Circular No.DBOD.No.BC.72/29.67.001/ 2011-12 dated January 13, 2012.**5.14. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन:**

चूंकि बैंक द्वारा किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया गया है अतः तुलनपत्र की तारीख को यथास्थिति प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि शून्य है (विगत वर्ष शून्य)

5.14. Disclosures relating to Securitization:

As there is no SPVs sponsored by the Bank, the outstanding amount of securitized assets of SPVs as on date of balance sheet is Nil (Previous year: Nil)

5.15. ऋण चूक स्वैप:शून्य

बैंक का ऋण चूक स्वैप में कोई एक्सपोजर नहीं है अतः यह ऋण चूक स्वैप हेतु कीमतों हेतु किसी आंतरिक माडल का प्रयोग नहीं कर रहा है।

5.15. Credit Default Swaps: Nil

Bank is not having any exposure in credit default swap and as such not using any internal model for pricing of credit default swaps.

5.16. इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

बैंक के पूर्णतया और अंशतया स्वामित्व वाली सामूहिक संस्थाओं में बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है।

5.16. Intra-Group Exposures:

Bank's exposure to the group entities that are owned by the bank fully or partly are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2016-17
क/अ) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि /Total amount of Intra-group exposures	156.27	171.27
ख/ब) शीर्ष 20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि/Total amount of top-20 intra-group exposures	156.27	171.27
ग/क) उधारकर्ताओं/ग्राहकों में बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.07	0.08
घ/द) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की सीमा तोड़ने और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो का विवरण Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL

5.17 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरण

अदावी देयताएं जहां रकम देय है को वर्ष के दौरान निम्नानुसार डीईएफ में अंतरित किया गया है

5.17. Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

Unclaimed liabilities where amount due has been transferred to DEAF during the year are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17
डीईएफ में अंतरित राशि का अथ शेष / Opening balance of amounts transferred to DEAF	19.29	14.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित राशि / Add: Amounts transferred to DEAF during the year	109.30*	4.71
घटाएं: दावों हेतु डीईएफ से प्रतिपूर्ति की गई राशि / Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.02	0.05
डीईएफ में अंतरित राशि का इति शेष / Closing balance of amounts transferred to DEAF	128.57	19.29

* माह अगस्त, 2017 हेतु 31.08.2017 को ई-कुबेर में गलत प्रविष्टि के कारण भारिबैं को ₹1,53,909.90 कम विप्रेषित किया गया। इस त्रुटि को तत्काल भारिबैं को रिपोर्ट किया गया और उनकी एडवाइस के अनुसार उक्त कम राशि को 27.04.2018 को भारिबैं को विप्रेषित किया गया।

*An amount of ₹1,53,909.90 was short remitted to RBI due to erroneous entry in E-Kuber on 31.08.2017 for the month of August , 2017. The error was immediately reported to RBI and as per their advice, the said short amount has been remitted to RBI on 27.04.2018.

5.18. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने 15 जनवरी 2014 के भारिबैं के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 3 जून 2014 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2018 तक ₹2.25 करोड़ (विगत वर्ष ₹9.04 करोड़) का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

5.18. Unhedged Foreign Currency Exposure:

Based on the available data, available financial statements and declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹2.25 crore up to 31st March, 2018 (previous year ₹9.04 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

6. तरलता कवरेज अनुपात :

31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही हेतु तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

6. Liquidity Coverage Ratio:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) related information for the year ending March 31, 2018 is given as under;

6.1. एलसीआर प्रकटन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 की चारों तिमाहियों को शामिल करते हुए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) निम्नानुसार है;

6.1. LCR Disclosure:

Liquidity Coverage Ratio(LCR)-covering all the four quarters of the FY 2017-18 for the year ended 31st March, 2018 is given as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17	
		कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
उच्च कोटि की तरल आस्तियां/ High Quality Liquid Assets					
1.	कुल उच्च कोटि की तरल आस्तियां(एचक्यूएलए)/ Total High Quality Liquid Assets(HQLA)		37198		29310
नकदी बहिर्प्रवाह/Cash Outflows					
2.	खुदरा जमाराशियां और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां जिनमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which	157757	15487	146311	14365
	(i) स्थिर जमा राशि/Stable deposits	5779	289	5318	266
	(ii) कम स्थिर जमाराशि/Less stable deposits	151978	15198	140993	14099
3.	अप्रतिभूत थोक निधियन जिसमें से / Unsecured wholesale funding, of which:	16250	6545	14967	6229
	(i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) / Operational deposits(all counterparties)	-	-	-	-
	(ii) गैर परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)/ Non-operational deposits(all counterparties)	16250	6545	14967	6229
	(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured debt	-	-	-	-
4.	प्रतिभूत थोक निधियन/ Secured wholesale funding		-		-
5.	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें/ Additional requirements, of which	2190	553	2245	338
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	431	431	105	105
	(ii) ऋण उत्पादों संबंधी निधियन की हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	1759	122	2140	232
6.	अन्य संविदागत निधियन बाध्यताएं/ Other contractual funding obligations	576	576	604	604
7.	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं/ Other contingent funding obligations	18119	544	20316	666
8.	कुल नकद बहिर्प्रवाह/Total cash Outflows		23704		22202

विवरण/Particulars		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2016-17	
		कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
नकद अंतःप्रवाह/Cash Inflows					
9.	प्रतिभूत ऋण (अर्थात रिवर्स रेपो)/ Secured lending (e.g. reverse repos)	-	-	-	-
10.	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतःप्रवाह/ Inflows from fully performing exposures	2802	1401	2864	1432
11.	अन्य नकदी अंतःप्रवाह/Other cash inflows	13114	13114	6186	6186
12.	कुल नकदी अंतःप्रवाह/Total Cash Inflows	15915	14514	9051	7619
			कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13.	कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA		37198		29310
14.	कुल निवल नकदी अंतःप्रवाह/Total Net Cash Outflows		9190		14584
15.	तरलता कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)		404.77%		200.98%

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार ने पूर्व के मासिक आधार के सापेक्ष एलसीआर की गणना 1 जनवरी, 2017 से दैनिक आधार पर करना शुरू कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2017-18 हेतु उपर्युक्त आंकड़े 226 दिनों को कवर करते हुए (गैर-कार्य दिवस को छोड़कर) दैनिक औसत दर्शाते हैं। तथापि पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े 31 दिसम्बर, 2016 तक औसत मासिक डाटा बिंदु दर्शाते हैं और 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक दैनिक डाटा बिंदु दर्शाते हैं।

In accordance with RBI guidelines, the Bank has started computing LCR on a daily basis from 1st Jan 2017 as against on a monthly basis earlier. For the current fiscal year i.e. 2017-18, the above figures represent a daily average covering 266 days (i.e. excluding non-working days). However, the previous fiscal year figures represent an average of monthly data points up to 31st Dec 2016 and daily data points from 01st Jan 2017 to 31st March 2017.

6.2 एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर) मानकों का उद्देश्य है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अभारित उच्च कोटि की तरल आस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट तरलता की अत्यधिक कमी होने के स्थिति में 30 कलेंडर दिवस के समय में अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने हेतु नकदी में बदला जा सकता है। एलसीआर बैंकों को संभावित तरलता घटने पर अल्पकालिक बल प्रदान करता है क्योंकि यह सुनिश्चित कराता है कि बैंकों के पास तरलता के अत्यधिक दबाव की स्थिति का सामना करने हेतु 30 दिनों हेतु पर्याप्त एचक्यूएलए हो।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) =

उच्च कोटि की तरल आस्तियों का स्टाक

अगले 30 कलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह

एलसीआर अपेक्षाएं बैंकों के लिए 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हैं। बैंकों को ट्रांजिशन अवधि प्रदान करने के लिए आरंभ में न्यूनतम अपेक्षा 60% थी जिसे धीरे धीरे प्रतिवर्ष 10% निम्नानुसार बढ़ाया जाना है

समय अवधि/Time Period	1 जनवरी 2015 January 1, 2015	1 जनवरी 2016 January 1, 2016	1 जनवरी 2017 January 1, 2017	1 जनवरी 2018 January 1, 2018	1 जनवरी 2019 January 1, 2019
न्यूनतम एलसीआर अपेक्षा Minimum LCR Requirement	60%	70%	80%	90%	100%

कलेंडर वर्ष 2017 के दौरान एलसीआर अपेक्षा 80% थी और अब 1 जनवरी, 2018 से बढ़कर 90% हो गई है। बैंक ने वर्ष भर एलसीआर की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा का पालन किया था।

6.2 Qualitative disclosure around LCR:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that the Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient HQLAs to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) =

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

Total net cash outflows over the next 30 calendar days

The LCR requirement has become effective for Banks from January 1, 2015. With a view to provide a transition time for Banks, the requirement was a minimum of 60% initially, with gradual increase of 10% every year, as specified below.

The LCR requirement was 80% during the calendar year 2017 and has now increased to 90% since 01st January 2018. The Bank was in compliance with the minimum regulatory requirement for LCR throughout the year.

अंतरा अवधि परिवर्तन और समय के साथ हुए परिवर्तन

बैंक का एलसीआर अनिवार्य अपेक्षाओं से ऊपर बना रहा। भारत सरकार के उच्च मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के बाद बैंक को बड़ी मात्रा में जमाराशियां प्राप्त हुईं जिसके परिणामस्वरूप तरल निधियों की उपलब्धता का अधिशेष हो गया। ऐसे अधिशेष की स्थिति वर्ष भर बनी रही जिससे बैंक के तरलता कवरेज अनुपात का स्तर उच्च बना रहा।

एलसीआर के मुख्य कारक:

एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत हमारे बैंक में एलसीआर परिणामों हेतु मुख्य कारक इस प्रकार हैं।

- अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अतिरिक्त बनाए रखे गए उच्च कोटि की तरल सरकारी प्रतिभूतियों का अनुकूल स्तर जिन्हें सहज तरलता प्राप्त करने हेतु सेकेंडरी बाजार में बेचा या रेपो किया जा सकता है।
- नकदी का समुचित स्तर और अतिरिक्त सीआरआर शक?
- बैंक के पास उपलब्ध अधिशेष तरल निधियां एक दिवसीय/मीयादी मुद्रा बाजार में उधार दी जाती हैं।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी के अंतर्गत भारिबैं से उपलब्ध अतिरिक्त तरलता सुविधा और तरलता कवरेज अनुपात हेतु तरलता प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर)
- खुदरा ग्राहकों से उच्च स्तर की खुदरा जमाराशियां जिनका दबाव की परिस्थिति में घटने की कम संभावना होती है।

एचक्यूएलए का संघटन

बैंक के एचक्यूएलए में बड़ा भाग स्तर 1 की आस्तियां हैं अर्थात् अत्यंत तरल स्वरूप की आस्तियां। इन आस्तियों में नकदी, अतिरिक्त सीआरआर शेष, अतिरिक्त एसएलआर निवेश, भारिबैं से उपलब्ध तरलता सुविधाएं अर्थात् एमएसएफ, एफएलएलसीआर आदि। स्तर 2 आस्तियों में कठोर छंटाई करने के बाद उच्च ऋण दर वाले कारपोरेट बांड और इक्विटी निवेश शामिल हैं।

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

बैंक की निधियों के स्रोत का विस्तार अनुकूल रूप से छोटी जमाराशियों पर निर्भर है बजाय बड़ी मात्रा में थोक निधियों के। निधियन स्रोतों के संकेन्द्रण के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष नहीं था। अतः किसी एक स्रोत का अनुचित संकेन्द्रण नहीं है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर, संभाव्य कोलेटरल काल्स और करेंसी मिसमैच

वर्ष के दौरान बैंक का डेरिवेटिव में नगण्य अनकवर्ड निवेश था। विदेशी मुद्रा में भी निवेश महत्वपूर्ण नहीं है और करेंसी अंतराल आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है और इसे एलसीआर की गणना में लिया गया है। इसके कारण तरलता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना न के बराबर है।

तरलता प्रबंधन

बैंक की तरल आस्तियों का प्रभार ट्रेजरी देखती है और यह बैंक की निधियों की स्थिति का प्रबंध करती है। आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष जो कारपोरेट स्तर पर बैंक की तरलता की स्थिति की प्रबंध करती है ट्रेजरी के सतत संपर्क में रहती है। शीर्ष क्षेत्र कार्याधिकारियों द्वारा तरलता स्थिति की दैनिक मानिटरिंग के अलावा पृथक बोर्ड स्तरीय और कार्यपालक स्तरीय समितियां विशिष्ट तरलता पैरामीटरों को मानिटर करती हैं और अधिकारियों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

Intra period changes as well as changes over time:

The LCR of the Bank has been well above the mandatory requirements. Following Government of India's demonetization of high value currency notes, the Bank received large inflow of deposits resulting in surplus availability of liquid funds. Such surplus position continued throughout the year leading to elevated level of Liquidity Coverage Ratio of the Bank.

Main drivers of LCR:

In our Bank, the main drivers for LCR results are,

- The comfortable level of high quality liquid Govt. Securities maintained over the mandatory SLR requirement, which can be sold or repo in the secondary market to avail easy liquidity;
- Reasonable level of cash and excess CRR balances;
- Surplus liquid funds available with the Bank, lent in the overnight / term money market.
- Liquidity facilities available from RBI under Marginal Standing Facility (MSF) and Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR); as also surplus funds lent in the overnight/term money market;
- Majority of deposits from retail customers which are expected to have low run-offs under stressed conditions.

Composition of HQLA:

Major portion of the Bank's HQLAs constitute of Level 1 Assets viz. most liquid in nature. Such assets include- Cash, excess CRR balances, excess SLR investments, liquidity facilities available from RBI such as MSF, FALLCR, etc. Level 2 Assets constitute of high credit rated Corporate Bonds and Equity Investments after considering stringent haircuts.

Concentration of Funding Sources:

Bank's source of funding are comfortably spread with major reliance on small deposits rather than large wholesale funds. There were no significant counterparties in terms of concentration of funding sources. Thus, there is no undue concentration in any one source.

Derivative Exposures, Potential Collateral Calls and Currency Mismatch:

The Bank has negligible uncovered exposure to Derivatives during the year. Exposure to foreign currencies is also not significant and currency gaps are within its internal prudential limits and have been accounted for in the LCR computation. Any significant impact on liquidity on account of this is least expected.

Liquidity Management:

The Treasury is in charge of the liquid assets of the Bank and manages the fund position of the Bank. The Assets Liability Management Cell, which monitors the liquidity position of the Bank at the corporate level, remains in constant touch with the Treasury. Apart from day-to-day monitoring of liquidity position by the top functionaries, separate Board level and top executive level committees monitor distinct liquidity parameters and provide strategic guidance to the functionaries.

अन्य प्रासंगिक नकदी प्रवाह:

बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं और कारपोरेट के बांडों में पर्याप्त निवेश है जिन्हें वित्तीय क्षेत्र में होने के कारण एलसीआर की गणना से बाहर रखा गया है। बैंक का विश्वास है कि दबाव की स्थिति में भी ये निवेश समुचित छंटाई के बाद भी तरलता के विश्वसनीय स्रोत का कार्य कर सकती है। सभी बहिर्प्रवाह जिसे बैंक पर्याप्त मानती है अथवा जिनका इसकी तरलता पर प्रभाव है की गणना एलसीआर के लिए की गई है।

6.3 वेतन संशोधन के कारण प्रावधान

कर्मचारियों के वेतन संशोधन (11वां द्विपक्षीय समझौता) के कारण, जो आईबीए के साथ विचाराधीन है और नवम्बर, 2017 से देय है, बैंक पर संभावित भार को पूरा करने के लिए बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹108.00 करोड़ का प्रावधान किया है।

7. आकस्मिक देयताएँ

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।

भूतपूर्व आलबैंक फाइनेंस लि. के निम्नलिखित मामले लंबित हैं जिसके लिए आकस्मिक देयता को परिमाणित नहीं किया जा सका।

- भूतपूर्व एबीएफएल के कुछ कर्मचारियों ने वेतन संशोधन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
- भूतपूर्व एबीएफएल के एक कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से डीए और सीसीए का दावा करते हुए दर्ज की गई शिकायत हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मामले को केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण मुम्बई को भेजा है।
- गुजरात एनआरई कोक लि. ने आस्टरल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (21.01.2010 से नाम परिवर्तित ग्रीनअर्थ रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट्स लि.) के विरुद्ध सिविल वाद दाखिल किया और भूतपूर्व मर्चेन्ट बैंकर (अर्थात् एबीएफएल), स्वतंत्र निदेशकों, लेखापरीक्षकों और सालिसिटर को वाद का पक्षकार बनाया
- ओएमडीसी के 6600 शेयरों की बिक्री की कथित संविदा के गैर निष्पादन के संबंध में एक ब्रोकरेज फर्म अर्थात् मे. एमरेक मार्केटिंग प्रा. लि.(एएमपीएल) ने जिला न्यायाधीश अलीपुर के समक्ष भूतपूर्व एबीएफएल के विरुद्ध वाद दाखिल किया है।

8. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) ₹82.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹120.48 करोड़)।
9. अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
10. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में बैंक द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से जोखिम बंटवारे के आधार पर क्रय किए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र हेतु ₹शून्य (विगत वर्ष ₹450 करोड़) शामिल हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण

Other Relevant Major Cash Flows:

Bank has sizeable investments in bonds of Public Sector Entities and Corporates which are excluded from LCR computation on account of being in the financial sector. The Bank believes that, even under stressed conditions, these investments can serve as a reliable source of liquidity, albeit with appropriate haircuts. All outflows that the Bank considers to be sizeable or bearing an impact on its liquidity are accounted for in the LCR computation.

6.3. Provision on account of Wage Revision:

To meet the probable load on the Bank on account of wage revision of employees (11th bipartite settlement) which is under discussion with IBA and due from November, 2017, the Bank has made an adhoc provision of ₹108.00 Crore during the current financial year.

7. Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

The following cases of erstwhile AIBank Finance Ltd. are pending for which no contingent liability could be quantified.

- A writ petition is filed by some of the employees of erstwhile ABFL in Delhi High Court for Salary revision.
 - A case is referred by the Ministry of Labour & Employment, Govt. of India to the Central Govt. Industrial Tribunal, Mumbai towards a complaint filed by a workman of erstwhile ABFL claiming DA & CCA from the date of his joining.
 - Gujarat NRE Coke Limited has filed civil suit against Austral Coke & Projects Limited (name changed to Greenearth Resources and Projects Limited w.e.f. 21.01.2010) and its promoters and had made erstwhile merchant banker (i.e. ABFL), independent directors, Auditors and Solicitors as party to the suit.
 - With respect to the non performance of alleged contract for sale of 6600 shares of OMDC, a title suit is filed by a brokerage firm namely M/s Amrex Marketing Pvt. Ltd. (AMPL) before the Dist. Judge at Alipore against erstwhile ABFL.
8. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of advance) is ₹82.36 Crore (Previous Year ₹120.48 Crore).
 9. Sector wise break-up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule-9 of the Balance Sheet.
 10. Priority Sector Advances include ₹NIL (previous year ₹450.00 Crore) on account of Inter Bank Participation Certificates (IBPC) of Direct Agriculture Advances purchased by the Bank on risk sharing basis from

बैंक को बेचे गए गैर प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र हेतु शून्य (विगत वर्ष 450 करोड़) को अग्रिमों में से घटाया गया है।

11. बासेल-III पूंजी विनियम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.2/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 के अनुसार बैंकों को पूंजी पर्याप्तता और तरलता मानक संशोधन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार बासेल-III संरचना के अंतर्गत लेवरेज अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात सहित प्रयोज्य पिलर 3 प्रकटन करना अपेक्षित है। प्रकटन को बैंक की निम्नलिखित वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध कराया गया है (<https://www.allahabadbank.in/english/home.aspx>)

12. बैंक ने कर्मचारी शेयर क्रय योजना अर्थात 'आलबैंकईएसपीएस' के अंतर्गत अपने पात्र कर्मचारियों को ₹10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5(पांच) करोड़ नए शेयर ₹53.94 प्रति शेयर के निर्गम/प्रयोग मूल्य पर प्रस्ताव दिया है। निर्गम/प्रयोग मूल्य का निर्धारण ईएसपीएस संबंधी निदेशकों की समिति द्वारा ₹71.92 के आधार मूल्य पर 25.00% डिस्काउंट पर किया गया है। बैंक द्वारा अपने पात्र कर्मचारियों को प्रस्तावित उक्त पांच करोड़ 1 शेयरों में से 21742 पात्र कर्मचारियों द्वारा 43829778 शेयरों का वैध रूप से प्रयोग किया गया है। ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटन 03.03.2018 को किया गया। आलबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत अपने पात्र कर्मचारियों को 43829778 नए इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन से बैंक को अभिदान/प्रयोग राशि के रूप में ₹236,41,78,225.32 (स्मए दो सौ छत्तीस करोड़ इकतालीस लाख अठत्तर हजार दो सौ पच्चीस और पैसे बत्तीस मात्र) प्राप्त हुए हैं। सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2015 के अनुसरण में तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मार्गदर्शी नोट के अनुसार ₹17.98 प्रति शेयर की डिस्काउंट राशि के घटक कुल ₹78,80,59,408.44 (स्मए अठहत्तर करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार चार सौ आठ और पैसे चवालीस मात्र) को कर्मचारी व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में नामे डाला गया है। ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटन के पश्चात भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) की शेयरधारिता घटकर 64.78% रह गई है।

13. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) से 31.03.2017 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹418 करोड़ के पूंजी अंतःप्रवाह के सापेक्ष ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,65,34,678 नए इक्विटी शेयरों का ₹73.95 के निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹63.95 प्रति शेयर प्रीमियम सहित भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) को 07.08.2017 को कुल अधिमानी आधार पर निर्गम और आबंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन योजना के अंतर्गत 27.03.2018 को को पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹1500.00 (रुपए एक हजार पांच सौ करोड़) की राशि प्राप्त हुई है। बैंक इसका 31.03.2018 को यथास्थिति शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के रूप में रखरखाव कर रहा है। बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त से ₹1500.00 (रुपए एक हजार पांच सौ करोड़) की पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि की गणना 31.03.2018 को यथास्थिति सीईटी 1 के रूप में की है।

Allahabad U.P. Gramin Bank. Likewise, ₹NIL (previous year ₹450.00 Crore) has been reduced from advances being amount of Inter Bank participation Certificates of non-priority sector advances sold by the Bank to Allahabad U.P.Gramin Bank.

11. In accordance with RBI circular DBOD.No.BP.BC.2/21.06.201/2015-16 dated 1st July, 2015, on 'Basel III capital Regulation' read together with RBI circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 on 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standard Amendments' requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel III Framework. These disclosures are being made available on Bank's website www.allahabadbank.in.

12. The Bank made an offer of upto 5 (five) crore new equity shares of face value of ₹10.00 each to its eligible employees under an Employee Share Purchase Scheme namely "AllBank-ESPS" at an issue/exercise price of ₹53.94 per share. The Issue/Exercise Price was fixed by the Committee of Directors on EPS at a discount of 25.00% on the floor price of ₹71.92 per share. Out of said five crore shares offered by the Bank to its Eligible Employees, 4,38,29,778 shares were validly exercised by the 21,742 Eligible Employees. The allotment of shares under the AllBank-ESPS were made on 03.03.2018. The Bank received an amount of ₹236,41,78,225.32 (Rupees two hundred thirty six crore forty one lakh seventy eight thousand two hundred twenty five and paise thirty two only) as subscription/exercise money for the issue and allotment of 4,38,29,778 new equity shares to its Eligible Employees under AllBank-ESPS. Pursuant to SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2015 and as per Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountant of India, the element of the discount amounting to ₹17.98 per share (i.e. the discount allowed per share) aggregating to ₹78,80,59,408.44 (Rupees seventy eight crore eighty lakh fifty nine thousand four hundred eight and paise forty four only) has been debited to P & L Account as Employee Expenses. Post allotment of shares under EPS, the shareholding of the Government of India (President of India) has come down to 64.78%.

13. The Bank has issued and allotted 5,65,24,678 new equity shares of face value of ₹10.00 at an issue price of ₹73.95 including a premium of ₹63.95 per equity share to Government of India (President of India) on preferential basis on 07.08.2017 against the capital infusion of ₹418 Crore received by the Bank on 31.03.2017 from Government of India (President of India) for FY 2016-17. During FY 2017-18, the Bank received capital infusion fund of ₹1500.00 crore (Rupees One thousand five hundred crore) from Govt. of India on 27.03.2018 under PSBs recapitalization plan. The Bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2018. The Bank has reckoned the entire amount of capital infusion fund of ₹1500.00 crore (Rupees One thousand five hundred crore) received from Government of India as CET 1 capital as on 31.03.2018.

14. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तैतालीस (43) घोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट मिली है जिसमें ₹1525.35 करोड़ की रकम शामिल है। इन खातों में से बैंक ने वर्ष के दौरान ₹2.76 करोड़ की कुल राशि वसूली की है और वर्ष के दौरान ₹1522.59 करोड़ की शेष राशि का प्रावधान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीसी.83/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 और डीबीआर.सं.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में 'अन्य आरक्षितियां' से नामे लिखी गई अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा वर्ष के अंत में ₹390.58 करोड़ है क्योंकि घोखाधड़ी हेतु प्रावधान को चार तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जाना है।
15. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने तीन श्रृंखलाओं में बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 शाश्वत बांड के निजी स्थानन के माध्यम से कुल ₹1200 करोड़ की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी उगाही है। तथापि समस्त बकाया एटीआई शायवत बांड (सारीज I से IV) के कुल ₹1500 करोड़ को बैंक ने 07.05.2018 को (मूलधन और देय ब्याज) विकनयामक काल (बैंक को भारिबैं के पीसीए ढांचे के अंतर्गत रखा गया है) के प्रयोग के माध्यम से चुकता कर दिया है
16. बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी (16.10.2006 को अंतःस्थापित) के उपबंधों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ. सं.7/93/2013 बीओए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 तक के बैंक के अदत्त और अदावी लाभान्श को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है।
17. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने ₹114.63 करोड़ के निवल बही मूल्य की वित्तीय आस्तियां आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को ₹652.18 करोड़ के प्रतिफल पर समनुदेशित की है। इन वित्तीय आस्तियों को विक्रय की तारीख को निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर बेचा गया वहां अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में नहीं लिया गया है सिवाय उसके जहां प्रतिफल नकद प्राप्त हुआ है।
18. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उपबंधों के अंतर्गत शामिल कतिपय एनपीए खातों के संबंध में भारिबैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 और पत्र सं. डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.1841/21.048/2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के तहत दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना अपेक्षित था। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति ₹672.61 करोड़ का प्रावधान किया।
19. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 2017-18 के दौरान पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की पुनः गणना की है और ₹106.84 करोड़ का प्रतिलिखित प्रावधान किया है।
20. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुबंध III में दर्शाए गए खातों, जिनमें कनिष्पादन मुद्दों अथवा कतिपय शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुनर्गठन विफल हो गया था और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया था, की 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति समीक्षा की गई और अब इन्हें वर्गीकृत किया जा रहा है और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
14. During the financial year 2017-18, forty three (43) number of fraud cases were reported involving a total amount of ₹1525.35 crore. Out of these accounts, the Bank has recovered a total amount of ₹2.76 crore and made provision for the balance amount of ₹1522.59 crore during the year. The quantum of unamortized provision debited from 'Other Reserves' as at the end of year amounting to ₹390.58 crore in pursuance to RBI circulars DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 1, 2015 and DBR.No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 as the provision for fraud can be amortized over a period of four quarters.
15. During the financial year 2017-18, the Bank raised Additional Tier 1 Capital aggregating to ₹1200 crore through private placement of BASEL-III compliant Additional Tier 1 perpetual Bonds in three tranches. However, the entire outstanding AT1 perpetual Bonds (Series I to IV) aggregating to ₹1500 crore has been repaid by the bank on 07.05.2018 (both principal and due interest) through exercise of Regulatory Call (the Bank placed under PCA framework of RBI).
16. In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(Inserted on 16.10.2006) and in terms of directives issued by the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends of the Bank for the FY 2009-10 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.
17. During the FY 2017-18, Bank has assigned financial assets having a net book value of ₹114.63 crore to Assets Reconstruction Companies for a consideration of ₹652.18 crore. These financial assets sold for value higher than Net Book value on the date of sale, the excess provision has not been taken to Profit and Loss account except where consideration received in cash.
18. In terms of RBI directions vide letter No.DBR.No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated 23rd June, 2017 and letter No. DBR. No. BP.BC.1841/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, in respect of certain NPA accounts covered under the provisions of insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank has made additional provision of ₹672.61 crores as at 31st March, 2018.
19. Pursuant to RBI guidelines the Bank has recalculated the diminution in the fair value of restructured advances and has written back provision of ₹106.84 crore during the year 2017-18.
20. In compliance with RBI directives, accounts shown under Annex III of Asset Quality Review (AQR) wherein restructuring was failed due to performance issues or non fulfillment of certain conditions and necessary provisions was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31st March 2018 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms.

21. भारिबैं परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.योजना.बीसी.23/04.09.01/15-16 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु ₹5255 करोड़(विगत वर्ष ₹1265.75 करोड़) का पीएससीएल सामान्य, ₹1080 करोड़ का पीएसएलसी माइक्रो, ₹3948 करोड़ का पीएसएलसीएसएफ/एमएफ बेचा है और ₹4048 करोड़ का पीएसएलसी कृषि (विगत वर्ष शून्य) ₹81.91 करोड़ की आय (विगत वर्ष ₹10.98 करोड़) के प्रतिफल पर खरीदा है।
22. आलबैंक फाइनेंस लि. का बैंक के साथ समामेलन होने के परिणामस्वरूप बैंक ने पट्टे के अंतर्गत ₹5लाख की आस्तियां अर्जित की हैं। चूंकि बैंक पट्टे के व्यवसाय में नहीं है, इसे गैर बैंकिंग आस्तियों के अंतर्गत रखा गया है। तथापि आस्तियों को इनके सापेक्ष धारित प्रावधानों के सापेक्ष निवल किया गया है।
23. आलबैंक फाइनेंस लि. के साथ समामेलन होने के परिणामस्वरूप निवल लाभ/(हानि) के आगे ले जाए गए आंकड़े संशोधित किए गए हैं, पिछले वर्ष से आगे ले जाए गए निवल लाभ/(हानि) की समाधानकृत स्थिति निम्नानुसार है:
21. In terms of RBI circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated April 7, 2016 Bank has sold PSLC General to the tune of ₹5255 crore (₹1265.75 crore in previous year), PSLC Micro to the tune of ₹1080 crore, PSLC SF/MF to the tune of ₹3948 crore and purchased PSLC Agril. to the tune of ₹4048 crore (NIL in previous year) for a consideration of income of ₹81.91 crore (₹10.98 crore in previous year) for the year ended March 31, 2018.
22. Consequent upon amalgamation of AllBank Finance Ltd. with the bank, the Bank has acquired assets under lease of ₹5 lakhs. Since the Bank is not in the business of lease, the same has been kept under Non Banking Assets. However, the assets have been netted off against the provisions which was held against the same.
23. The brought forward figure of net profit/(loss) has been revised consequent upon amalgamation with AllBank Finance Ltd., the reconciled position of net profit/(loss) brought forward from the previous year is as below;

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

1. पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/(हानि) Profit/(Loss) brought forward from previous year	(673.60)
2. जोड़ें: समामेलन पर आलबैंक फाइनेंस लि. का संचित लाभ/(हानि) Add: Accumulated Profit/(Loss) of AllBank Finance Ltd.on amalgamation	57.28
3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आरंभ के दौरान आगे लाया गया संशोधित लाभ/(हानि) Revised brought forward Profit/(Loss) during the beginning of FY 2017-18	(616.32)

24. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत में निगमित हर बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह प्रति वर्ष अपने लाभ का विनिर्दिष्ट अंश रिजर्व फंड में डाले। तथापि वर्तमान वर्ष में हानि की स्थिति को देखते हुए सांविधिक आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।
25. पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारिबैं दिशानिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य रिपोर्टिंग तिथियों को की जाती है और पिछली सद्श्य अवधि के अनुपात को परवर्ती परिवर्तनों, यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार करने हेतु इसे समायोजित नहीं किया जाता।
26. रत्न और जवाहरात के दो समूह के संबंध में, जहां कुछ बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की घोषणा की गई है, बैंक ने संपूर्ण निधिक एक्सपोजर हेतु पूर्ण प्रावधान किया है।
27. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु पुनः समूहित पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
24. Under sub section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 every Banking company incorporated in India is required to transfer specified percentage of its Profits to its Reserve Fund each year. However, in view of Loss position in the current year no amount has been transferred to Statutory Reserve.
25. The Capital Adequacy Ratio is computed on the basis of RBI guidelines applicable on the relevant reporting dates and the ratio for the corresponding previous period is not adjusted to consider the impact of subsequent changes if any, in the guidelines.
26. In respect of two Gems and Jewellery borrower Group, where fraud was declared by some banks, the Bank has fully provided for the entire funded exposure.
27. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary to make them comparable with that figures of the current year.

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु

Cash Flow Statement

For the year ended 31st March, 2018

(₹ हजार में / ₹ in thousand)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2017-18		वित्तीय वर्ष/FY 2016-17	
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from operating activities		(25,631,943)		(11,127,778)
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash flow from investing activities		(833,440)		(927,355)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash flow from financing activities		20,131,100		9,046,767
नकदी एवं नकदी तुल्य में निवल परिवर्तन Net Change in cash and cash equivalents		(6,334,283)		(3,008,366)
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year		220,553,169		223,561,535
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E. Cash and cash equivalents at the end of the year (ए + बी + सी + डी) (A+B+C+D)		<u>214,218,886</u>		<u>220,553,169</u>
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from operating activities				
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	(65,910,211)		(6,047,042)	
समायोजन: / Adjustment for:				
अवक्षय / Depreciation	1,431,018		1,567,453	
अचल आस्तियों (निवल) के विक्रय से (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net)	64		(271)	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण अल्पकालिक सहित हेतु प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts including floating	103,264,496		45,523,682	
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision for Standard Assets	(6,343,881)		955,891	
विनिधानों पर अवक्षय / Depreciation on Investments	7,432,688		2,457,863	
अन्य प्रावधान(निवल) / Other Provisions (Net)	(4,059,852)		(4,222,703)	
अन्य आय: पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति का अवक्षय Other income : Dep on revaluated property	शून्य/NIL		(475,583)	
आईपीडीआई एवं गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on IPDI & Subordinate Bonds	5,021,138		4,125,656	
कुल / TOTAL	40,835,460		43,884,946	
घटाएं: प्रत्यक्ष संदत्त कर / Less: Direct Taxes Paid	(3,750,000)	37,085,460	(51,140,000)	38,744,946
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन Changes in Operating Assets & Liabilities				
जमा में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits		117,336,120		12,258,179
उधार में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings		60,301,909		(47,748,159)
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी/(Increase)/Decrease in Investments		(132,638,620)		17,730,468
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/ Decrease in Advances		(115,276,546)		(27,965,561)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)				
Increase/ (Decrease) in Other Liabilities		28,646,555		2,980,468
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Assets		(21,086,821)		(7,128,119)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी Net cash used in operating activities		(25,631,943)		(11,127,778)

नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ हजार में / ₹ in thousand)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2017-18		वित्तीय वर्ष/FY 2016-17	
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash flow from investing activities अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Fixed Assets				
	(8,33,440)		(9,27,355)	
विनिधान गतिविधियों से निवल नकदी Net cash used in investing activities		(8,33,440)		(9,27,355)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash flow from financing activities				
वर्ष के दौरान संदत्त लाभांश Dividend paid during the year	शून्य/NIL		शून्य/NIL	
लाभांश पर संदत्त कर / Tax Paid on dividend	शून्य/NIL		शून्य/NIL	
गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on Subordinate bonds	(5,021,138)		(4,125,656)	
गौण ऋण (बॉण्ड्स) का निर्गम Issue of Subordinated Debt (Bonds)	शून्य/NIL		10,000,000	
अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड्स का निर्गम Issue of Additional Tier 1 Bonds	12,000,000		3,000,000	
गौण ऋण (बॉण्ड्स) का प्रतिदान Redemption of Subordinated Debt (Bonds)	(5,000,000)		(5,619,000)	
शेयर पूंजी / Share Capital	438,298		206,566	
शेयर प्रीमियम / Share Premium	2,713,940		1,404,857	
Fund infused by GOI for allotment of Capital	15,000,000		4,180,000	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from financing activities		20,131,100		9,046,767
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year				
रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold)	5,820,178		6,137,051	
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India	80,037,802		88,574,334	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	134,695,189		128,850,150	
		220,553,169		223,561,535
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E. Cash and cash equivalents at the end of the year				
रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold)	6,188,892		5,820,178	
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India	86,720,768		80,037,802	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	121,309,226		134,695,189	
		214,218,886		220,553,169

टिप्पणी :/Notes:

- नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है।
Cash Flow statement has been prepared under the Indirect Method in accordance with the Accounting Standard- 3, issued by the Institute of Chartered Accounts of India.
- नकदी एवं नकदी समतुल्य नकदी और बैंक में जमाशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Cash and Cash equivalent represent Cash and Bank Balances.
- विगत वर्ष के आंकड़े, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।
Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

लेखापरीक्षकों स्वतंत्र की रिपोर्ट

सेवा में

इलाहाबाद बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2018 को यथास्थिति इलाहाबाद बैंक के स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2018 को यथास्थिति तुलनपत्र, उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा उनसे संबंधित अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट है। इन वित्तीय विवरणों में प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों का विवरण तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा सहित सभी 49 मंडलीय कार्यालयों, 20 शाखाएं, संविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1652 शाखाएं और स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित 1 विदेशी शाखा शामिल है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एवं अन्य लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में 1623 शाखाओं/कार्यालयों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं थे। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में बैंक के अग्रिमों का 9.98 प्रतिशत, जमा राशि का 36.57 प्रतिशत, ब्याज आय का 8.57 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 34.98 प्रतिशत शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ साथ बैंकों पर यथाप्रयोज्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान विनिर्दिष्ट लेखामानकों में निर्धारित अभिज्ञान और मापन सिद्धांतों और समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, कार्यान्वयन करना और उसका रखरखाव करना शामिल है जो महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण, धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हो।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखापरीक्षा के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और योजना बना कर लेखापरीक्षा को निष्पादित करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि क्या समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं।

4. किसी लेखापरीक्षा में राशि के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है और एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है। चुनी जाने वाली प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर धारित होती है जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण के जोखिम का निर्धारण, कपट अथवा चूक के कारण, शामिल होता है। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखापरीक्षक बैंक की तैयारी और लेखपरीक्षा विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हैं और परिस्थितियों के अनुरूप उचित लेखपरीक्षा प्रक्रिया निर्धारित करते हैं किन्तु बैंक के आन्तरिक नियंत्रण की कारगरता पर अपनी राय व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की समुचितता के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्रतः प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल होता है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित है।

अभिमत

6. हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों से प्रदर्शित होता है, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Allahabad Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of the ALLAHABAD BANK as at 31st March, 2018, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, and the Profit and Loss account, and Cash Flow statement for the year then ended, a summary of significant accounting policies and other explanatory information thereon. Incorporated in these financial statements are the returns of various departments of Head Office, all the 49 zonal offices and 20 branches including 1 Integrated Treasury Branch, audited by us and 1652 branches audited by the statutory branch auditors and one overseas branch audited by the local auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in these financial statements are the returns from 1623 branches/ offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.98 percent of advances, 36.57 percent of deposits, 8.57 percent of interest income and 34.98 percent of interest expenses of the Bank.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us :

- (i) तुलनपत्र, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, एक पूर्ण एवं उचित तुलनपत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं इसे उचित रूप से तैयार किया गया है, जिससे बैंक के कार्यों की 31 मार्च 2018 को यथास्थिति सही और उचित स्थिति प्रकट हो और यह सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है;
- (ii) लाभ हानि खाता, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप खातों द्वारा शामिल वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; और
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

मामले पर बल

7. हम ₹1118.19 करोड़ की व्यवसाय हानि और अपरिशोधित मूल्यहास के कारण आस्थगित कर आस्तियों(डीटीए) के अभिज्ञान के संबंध में वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(समेकित लेखा टिप्पणियां) के पैरा 4.8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसे मामले के संबंध में हमारा अभिमत आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- (ए) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।
- (सी) बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
10. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि
- क) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र एवं लाभ और हानि लेखा बहीखातों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
- ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसार बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इस पर समुचित ध्यान दिया गया है और
- ग) हमारी राय में लेखापरीक्षा हेतु तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

- (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2018 in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
- (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts ; and
- (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to para No. 4.8 of schedule 18 (Notes to Accounts) to the Financial Statement regarding recognition of Deferred Tax Assets (DTA) on account of business loss and unabsorbed depreciation for ₹1118.19 crore. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. We further report that:
- a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and returns;
- b) the reports on the accounts of the branch offices audited by the branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S
(सीए अविनाश टी. जैन)
(CA Avinash T. Jain)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.041689

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N
(सीए सुरिन्दर कुमार)
(CA Surinder Kumar)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.070405

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E
(सीए राणा प्रताप नंदी)
(CA Rana Pratap Nandy)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E
(सीए तरित दासगुप्ता)
(CA Tarit Dasgupta)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.053380

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी साहु)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK
31 मार्च, 2018 को यथास्थिति समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2018

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति AS ON 31.03.2018	यथास्थिति AS ON 31.03.2017
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी/Capital	1	844.04	743.69
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष/Reserves & Surplus	2	9812.22	13874.50
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन / Share Application Money Pending Allotment		1500.00	418.00
जमा राशियां/Deposits	3	213595.39	201835.31
उधार/Borrowings	4	21412.42	14682.51
अन्य देयताएं और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	6605.65	6408.62
कुल /Total		253769.72	237962.63
आस्तियां / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष / Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	9291.10	8585.97
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	12168.04	13500.54
विनिधान/Investments	8	68502.31	55805.28
ऋण एवं अग्रिम /Loans & Advances	9	152060.74	150752.69
अचल आस्तियां /Fixed Assets	10	3147.62	3203.07
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	8599.91	6115.08
कुल /Total		253769.72	237962.63
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	212168.59	168116.17
समाहरण के लिए बिल / Bills for Collection		12877.05	15669.83
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां /Significant Accounting Policies	18		
लेखा टिप्पणी /Notes on Accounts	19		
ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं/ The schedules referred to above form an integral part of the Accounts			

उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Usha Ananthasubramanian Managing Director & CEO	एन. के. साहू कार्यपालक निदेशक N. K. Sahoo Executive Director	एस. हरिशंकर कार्यपालक निदेशक S. Harisankar Executive Director	एस. अग्रवाल महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) S. Aggarwal General Manager (Finance & Accounts and CFO)	एस. के. जैन उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. K. Jain Dy. General Manager(F&A)	एस. बल सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. Bal Asstt General Manager(F&A)
--	---	--	--	---	---

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

निदेशक / Directors:

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan
 श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep
 श्री सारथ सूरा/Shri Sarat Sura
 श्री बिजय कुमार साहू/Shri Bijaya Kumar Sahoo
 डॉ. पार्थ प्रतीम पाल/Dr. Partha Pratim Pal
 प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
 सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
 फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S
 (सीए अविनाश टी. जैन)
 (CA Avinash T. Jain)
 पार्टनर / Partner
 सदस्यता सं. / Membership No.041689

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
 सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
 फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N
 (सीए सुरिन्दर कुमार)
 (CA Surinder Kumar)
 पार्टनर / Partner
 सदस्यता सं. / Membership No.070405

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
 सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
 फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E
 (सीए राणा प्रताप नंदी)
 (CA Rana Pratap Nandy)
 पार्टनर / Partner
 सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
 सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
 फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E
 (सीए तरित दासगुप्ता)
 (CA Tarit Dasgupta)
 पार्टनर / Partner
 सदस्यता सं. / Membership No.053380

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
 सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
 फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E
 (सीए नारद पी साहू)
 (CA Narad P. Sahu)
 पार्टनर / Partner
 सदस्यता सं./Membership No.055224

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
 दिनांक / Date: 11.05.2018

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2018

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति AS ON 31.03.2018	यथास्थिति AS ON 31.03.2017
I. आय / Income			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	16398.44	17694.35
अन्य आय / Other income	14	3075.17	2873.93
कुल /Total		19473.60	20568.28
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	11626.74	12372.93
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4281.47	4297.19
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		8153.50	4187.82
कुल /Total		24061.72	20857.94
एसोसिएट्स से आय/हानि का अंश Share of earnings/loss in Associates	17	13.90	10.66
अल्पसंख्यक ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		(4,574.21)	(279.00)
घटाएं : अल्पसंख्यक ब्याज समूह से संबद्ध वर्ष हेतु समेकित लाभ/(हानि) / Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		(4,574.21)	(279.00)
जोड़ें: समूह से संबद्ध समेकित लाभ/(हानि) अग्रानीत Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(439.13)	(158.59)
कुल /Total		(5,013.34)	(437.59)
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		3.48	2.75
अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Other Reserves		शून्य/NIL	शून्य/NIL
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) Interim / Proposed Dividend (Including Tax on Dividend)		शून्य/NIL	शून्य/NIL
समेकित तुलन पत्र में अग्रणीत शेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		(5,016.81)	(440.34)
कुल /Total		(5,013.34)	(437.59)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	18		
लेखा टिप्पणियां/Notes on Accounts	19		
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डाइल्यूटेड) / Earnings per share (Basic and Diluted) (refer Sch. 19(7.8))		(58.35)	(3.88)

उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Usha Ananthasubramanian Managing Director & CEO	एन. के. साहू कार्यपालक निदेशक N. K. Sahoo Executive Director	एस. हरिशंकर कार्यपालक निदेशक S. Harisankar Executive Director	एस. अग्रवाल महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) S. Aggarwal General Manager (Finance & Accounts and CFO)	एस. के. जैन उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. K. Jain Dy. General Manager(F&A)	एस. बल सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) S. Bal Asstt General Manager(F&A)
---	--	---	---	--	--

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

निदेशक / Directors:

श्री राजीव रंजन/Shri Rajeev Ranjan
श्री विवेक दीप /Shri Vivek Deep
श्री सारथ सुरा/Shri Sarat Sura
श्री बिजय कुमार साहू/Shri Bijaya Kumar Sahoo
डॉ. पार्थ प्रतिम पाल/Dr. Partha Pratim Pal
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S

(सीए अविनाश टी. जैन)
(CA Avinash T. Jain)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.041689

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N

(सीए सुरिन्दर कुमार)
(CA Surinder Kumar)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.070405

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E

(सीए राणा प्रताप नंदी)
(CA Rana Pratap Nandy)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E

(सीए तरित दासगुप्ता)
(CA Tarit Dasgupta)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.053380

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E

(सीए नारद पी साहू)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं./Membership No.055224

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 11.05.2018

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 1 - पूँजी

SCHEDULE 1 - CAPITAL

प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000.00	3000.00
निर्गमित पूँजी (84,40,44,312 शेयर, प्रत्येक ₹10)/ Issued Capital (84,40,44,312 Shares of ₹10 each)	844.04	743.69
अभिदत्त पूँजी (84,40,44,312 शेयर, प्रत्येक ₹10)/ Subscribed Capital (84,40,44,312 Shares of ₹10 each)	844.04	743.69
मांगी गई पूँजी (84,40,44,312 शेयर, प्रत्येक ₹10) Called-up Capital (84,40,44,312 Shares of ₹10 each)	844.04	743.69
घटाएँ: अदत्त मांगें / Less: Calls unpaid	शून्य/NIL	शून्य/NIL
जोड़ें: जब्त शेयर / Add: Forfeited shares	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल / Total	844.04	743.69

अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

विवरण / Particulars

सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves	3226.53	3223.05
पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves	2980.86	3024.41
समेकन पर पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves on Consolidation	86.32	64.25
शेयर प्रीमियम / Share Premium	4096.93	3464.06
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue and other Reserves	4438.40	4539.07
लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit and Loss Account	(5,016.81)	(440.34)
कुल / Total	9812.22	13874.50

अनुसूची 3 - जमाराशियां

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

विवरण / Particulars

ए/ A. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
(i) बैंक से / From banks	20.14	51.74
(ii) अन्य से / From others	10373.90	11776.11
II. बचत बैंक जमा / Savings Bank Deposits	88016.84	79763.79
III. मीयादी जमा / Term Deposits		
(i) बैंक से / From banks	1950.31	1763.38
(ii) अन्य से / From others	113234.20	108480.29
कुल / Total (I, II, III)	213595.39	201835.31
बी/ B. (i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	210833.26	199299.87
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	2762.13	2535.44
कुल / Total (I and II)	213595.39	201835.31

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 4 - उधार

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

विवरण/Particulars

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	7954.36	शून्य/NIL
(ii) अन्य बैंक / Other banks	11.90	12.19
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other institutions and agencies	501.66	686.08
(iv) गौण नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत/ Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument	300.00	300.00
(v) गौण ऋण-अपर टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	1000.00	1000.00
(vi) गौण ऋण- टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	850.00	1350.00
(vii) गौण ऋण- बासेल III टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital Basel 3	2500.00	2500.00
(viii) गौण बेमीयादी ऋण : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी / Subordinated Perpetual Debt : Additional Tier I Capital	1500.00	300.00
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	6794.50	8534.24
कुल /Total (I and II)	21412.42	14682.51
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I and II above	शून्य/NIL	शून्य/NIL

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

विवरण / Particulars

I. संदेय बिल / Bills payable	740.95	1042.19
II. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल) / Inter -office adjustments (net)	142.77	63.37
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	465.33	397.14
IV. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	शून्य/NIL	शून्य/NIL
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	5256.60	4905.92
कुल /Total	6605.65	6408.62

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

विवरण / Particulars

I. रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट सहित)/ Cash in hand (including foreign currency notes)	619.02	582.19
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	8672.08	8003.78
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल / Total (I & II)	9291.10	8585.97

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

SCHEDULE-7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

विवरण / Particulars

I. भारत में / In India

(i) बैंकों में शेष / Balances with banks

(ए)/(a) चालू खातों में / In Current accounts

61.61

62.17

(बी)/(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts

4499.28

3859.25

(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call and short notice

(ए)/(a) बैंकों में / With banks

3958.46

6496.52

(बी)/(b) अन्य संस्थाओं में / With other institutions

शून्य/NIL

शून्य/NIL

कुल / Total

8519.35

10417.94

II. भारत के बाहर / Outside India

(ए)/(a) चालू खातों में / In Current account

1015.61

2109.85

(बी)/(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts

शून्य/NIL

शून्य/NIL

(सी)/(c) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call and short notice

2633.08

972.75

कुल / Total

3648.69

3082.60

कुल योग / Grand Total (I & II)

12168.04

13500.54

अनुसूची 8 - विनिधान

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

विवरण / Particulars

I. भारत में विनिधान / Investment in India in

(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities

62746.24

47584.82

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities

3.14

1.20

(iii) शेयर / Shares

823.51

945.71

(iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds

4016.97

3817.29

(v) एसोसिएट्स, अनुषंगी संस्था एवं संयुक्त उधम में विनिधान /

Investment in Associates

291.28

260.31

(vi) अन्य (म्युचुअल फंड्स यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc)

323.28

2917.35

कुल / Total (I)

68204.43

55526.68

II. भारत के बाहर विनिधान / Investments outside India in

(i) सरकारी / Government securities (including local authorities)

297.88

278.60

(ii) एसोसिएट्स में विनिधान / Investment in Associates

शून्य/NIL

शून्य/NIL

(iii) अन्य विनिधान / Other Investment

शून्य/NIL

शून्य/NIL

कुल / Total (II)

297.88

278.60

कुल योग / Grand Total (I) & (II)

68502.31

55805.28

III. भारत में विनिधान / Investment in India

(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments

69532.82

56109.97

(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation

1328.40

583.29

(iii) निवल विनिधान / Net Investment

68204.43

55526.68

IV. भारत के बाहर विनिधान / Investment outside India

(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments

297.88

278.60

(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation

शून्य/NIL

शून्य/NIL

(iii) निवल विनिधान / Net Investment

297.88

278.60

कुल योग / Grand Total (III) & (IV)

68502.31

55805.28

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 -ADVANCES		
विवरण / Particulars		
ए/A. (i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	1395.28	2566.73
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	71987.76	72127.13
(iii) मीयादी ऋण / Term loans	78677.70	76058.83
कुल /Total	152060.74	150752.69
बी/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ Secured by tangible assets	118639.18	125369.32
(बही ऋण पर अग्रिम सहित/Includes advances against book debts)		
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees	6184.74	7257.92
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	27236.82	18125.45
कुल /Total	152060.74	150752.69
सी/C. I. भारत में अग्रिम /Advances in India		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र /Priority sector	62265.20	65378.41
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	9801.39	6232.08
(iii) बैंक / Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iv) अन्य /Others	69972.20	67641.45
कुल /Total	142038.79	139251.94
सी/C. II. भारत के बाहर अग्रिम /Advances outside India		
(I) बैंकों से प्राप्य /Due from banks	7369.67	7621.98
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others		
(ए/a) क्रय किए गए और भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	214.49	982.27
(बी/b) समूहित ऋण / Syndicated Loans	2225.91	2627.42
(सी/c) अन्य /Others	211.88	269.08
कुल /Total	10021.95	11500.75
कुल योग (सी I+ सी II) /Grand Total (C. I.+ C. II.)	152060.74	150752.69

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

विवरण / Particulars

I. परिसर /Premises

पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर

At cost as on 31st March of the preceding year

वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year

वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year

वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year

आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date

कुल /Total I

2943.97	2910.74
4.76	33.24
शून्य/NIL	शून्य/NIL
शून्य/NIL	शून्य/NIL
214.58	164.61
2734.15	2779.37

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
I ए/आ. निर्माणाधीन परिसर / Premises under construction		
अथ शेष / Opening Balance	14.61	41.01
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0.01	4.58
वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	4.20	30.98
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total I ए/आ	10.42	14.61
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	1454.43	1367.35
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	93.52	94.25
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	3.89	5.98
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	1142.43	1047.98
कुल /Total II	401.60	407.64
II ए/आ. पट्टे पर दी गई आस्तियां / Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	4.55	4.78
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	0.01	0.19
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	शून्य/NIL	0.13
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	4.38	4.31
कुल /Total II ए/आ	0.18	0.53
कुल / Total (I, I ए/आ, II & II ए/आ)	3146.35	3202.15
III. पूंजी - प्रगतिरत कार्य (लीज आस्तियां)/ Capital- Work - in - progress (Leased Assets)		
अथ शेष /Opening Balance	0.87	0.74
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	0.40	0.18
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total III	1.27	0.92
कुल /Total (I, I ए/आ, II, II ए/आ & III)	3147.62	3203.07

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
विवरण /Particulars		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter-Office Adjustments (net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
II. उपचित ब्याज /Interest accrued	1157.73	1090.33
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर/ Tax paid in advance/tax deducted at source	1880.23	629.69
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and stamps	23.44	20.84
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	35.55	35.54
VI. आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax assets	2867.52	1546.33
VII. अन्य /Others	2635.43	2792.35
कुल /Total	8599.91	6115.08
Grand Total	253769.72	237962.63
अनुसूची 12 - समाश्रित देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
विवरण /Particulars		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	2016.71	2096.40
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0.16	0.16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	192590.51	148974.83
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ / Guarantees given on behalf of constituents (ए/अ) भारत में / In India	8619.97	7399.50
(बी/ब) भारत के बाहर / Outside India	3033.99	4218.82
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	5674.96	5340.79
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	232.29	85.67
कुल /Total	212168.59	168116.17

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

विवरण /Particulars

I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	11028.53	12603.09
II. निवेशों पर आय /Income on investments	4137.20	4153.93
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	968.75	612.85
IV. अन्य/Others	263.96	324.48
कुल /Total	16398.44	17694.35

अनुसूची 14 - अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

विवरण / Particulars

I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज / Commission, exchange and brokerage	1038.27	1012.30
II. भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	0.02	0.03
घटाएं: भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	(0.03)	शून्य/NIL
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions	257.86	401.63
घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	(69.24)	(49.14)
IV. विनिधानों के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments (net)	53857.56	1013.32
घटाएं: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on sale of investments	(53243.13)	(83.30)
V. विनिधानों के विक्रय पर लाभ / Profit on revaluation investments	शून्य/NIL	शून्य/NIL
घटाएं: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on revaluation of investments	शून्य/NIL	शून्य/NIL
VI. (a) पट्टा अग्रिम आय/ Lease finance income	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(b) पट्टा प्रबंधन शुल्क/ Lease management fee	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(c) बकाया प्रभार/ Overdue charge	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(d) पट्टा किराया पर प्राप्य ब्याज/ Interest on lease rent receivable	शून्य/NIL	शून्य/NIL
VII. विविध आय / Miscellaneous income	1233.85	579.09
कुल / Total	3075.17	2873.93

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

विवरण / Particulars

I. जमाशायियों पर ब्याज / Interest on deposits	10860.03	11758.54
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	136.85	90.34
III. अन्य / Others	629.86	524.05
कुल / Total	11626.74	12372.93

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2018 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2017 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

विवरण / Particulars

I. कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	2178.63	2306.32
II. भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, taxes and lighting	442.00	516.46
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	42.02	37.20
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	17.58	18.99
V. (ए/अ) पट्टा आस्तियों के अतिरिक्त बैंक की संपत्ति पर अवक्षण/ Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	143.47	158.96
V. (बी/ब) पट्टा आस्तियों पर अवक्षण/ Depreciation on Leased Assets	2.35	0.43
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1.87	1.82
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय/ (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	26.20	25.48
VIII. विधि प्रभार / Law charges	26.26	25.48
IX. डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones, etc.	80.74	78.15
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	129.03	142.14
XI. बीमा / Insurance	224.85	209.37
XII. बीमा / Amortisation of Goodwill, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL
XIII. अन्य व्यय / Other expenditure	966.47	776.39
कुल /Total	4281.47	4297.19

अनुसूची 17

SCHEDULE 17

एसोसिएट्स में अर्जन/ (हानि) का अंश / Share of Earnings/(Loss) in Associates

एसोसिएट्स का विवरण / Details of Associates

नाम / Name

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक / Allahabad UP Gramin Bank	39.72	31.37
इलाहाबाद बैंक का अंश / Allahabad Bank's share (35%)	13.90	10.98
पूर्व वर्षों हेतु समायोजन / Adjustment relating to earlier years	शून्य/NIL	(0.32)
वर्ष के दौरान माना गया / Considered during the year	13.90	10.66

अनुसूची-18: 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित मुख्य लेखा नीतियाँ।

1. तैयारी का आधार

बैंक और इसके संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी निदेशानिर्देशों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तिथि को आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि पर विचार करते हुए प्राक्कलन करे एवं अनुमान लगाए। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं समुचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन की, जब तक की अन्यथा उल्लिखित न हो चालू एवं भावी अवधि हेतु भविष्यप्रभावी रूप से पहचान की जाती है।

3. समेकन प्रक्रिया

- समेकित वित्तीय विवरणों में इलाहाबाद बैंक और इसके संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स के लेखे शामिल हैं।
- बैंक और इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरणों को आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी समान मदों के बहीमूल्य को जोड़ते हुए, इंद्रा ग्रुप शेष एवं इंद्रा ग्रुप लेनदेनों, को पूरी तरह हटाकर, जहां अन्यथा उल्लिखित है उसे छोड़कर, पंक्ति दर पंक्ति आधार पर समेकित किया गया है।
- निम्नलिखित एसोसिएट और संयुक्त उद्यम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मनक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा" एवं लेखा मानक 27, "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार क्रमशः समेकित किए गए हैं।

SCHEDULE-18: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018.

1. Basis of Preparation:

The Consolidated Financial Statements of the Bank and its Joint Ventures & Associate are prepared in accordance with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India and Guidelines issued by the respective Regulatory Authorities from time to time and Generally Accepted Accounting Principles.

2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively unless otherwise stated.

3. Consolidation procedure:

- The Consolidated Financial Statements include the accounts of Allahabad Bank and its Joint Ventures & Associate.
- The financial statements of the Bank and its joint ventures are combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating intra group balances and intra group transactions except wherever otherwise stated.
- The following Associate and Joint Ventures are consolidated as per the Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27, "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by The Institute of Chartered Accountants of India respectively:

संस्था का नाम Name of the Entity	देश/निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
इलाहाबाद ग्रामीण बैंक Allahabad UP Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Associate (Sponsor Bank)	35%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	28.52%
असरेक (इंडिया) लिमिटेड ASREC (India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04%

4. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण

उल्लिखित बैंकिंग नीतियाँ मुख्यतः बैंक संस्था से संबंधित हैं। बैंक की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में लगी है और एक संयुक्त उद्यम कंपनी आस्ति पुनर्गठन व्यवसाय में लगी है। एक एसोसिएट बैंकिंग व्यवसाय में है। संयुक्त उद्यम कंपनियाँ और एसोसिएट उनके शासी नियामकों द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करते हैं। इन्हें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये निवेश समग्रतः वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण नहीं हैं।

4. Disclosure of significant accounting policies:

The accounting policies mentioned primarily relate to the Bank entity. The Bank has one Joint Venture Company is in the business of non-life insurance and one Joint Venture Company is in asset reconstruction business. One Associate is in the banking business. The Joint Venture Companies and Associate follow accounting policies prescribed by their governing regulators. These have not been specified separately as these investments are not material in the context of the overall financial statements.

5. विदेशी मुद्रा से संबद्ध लेन-देन

5.1 भारत से बाहर शाखाएं/कार्यालय

- (i) विदेशी शाखाओं को “नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है।
- मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकिस्मक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
 - राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते ‘विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व’ में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
- सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
 - गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती है।
 - राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि लेखा में लिखा जाता है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

5.2 भारत में शाखाएं

- (i) विदेशी मुद्रा शेष चाहे आस्ति अथवा देयता (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना आदि के अन्तर्गत संग्रहित जमा राशियों सहित) हो तथा बकाया वायदा विनिमय संविदा को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा यथा सूचित तिमाही अंत की दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- वायदा विनिमय संविदा के पूनर्मूल्यांकन पर परिणामी लाभ /हानि तथा नोस्ट्रो खाते एफ ई डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व में लिए गए हैं।
- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय और व्यय की मदों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को प्रयोग कर संपरिवर्तित किया जाता है।
- (iii) स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और गारंटियों सहित अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित दर पर आँका जाता है।

6. निवेश

- (i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ‘क’ की अपेक्षा के अनुरूप निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :
- (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

5. Transactions involving Foreign Exchange:

5.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as "Non-integral Foreign Operations" and their audited financial statements are translated as follows:
- Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities are translated at the end of each quarter at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
 - Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:
- All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian Rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - Non-monetary items are translated at exchange rates prevailing as on the date of transactions.
 - Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing as on the date of transactions.
 - All resulting exchange differences are accounted for in the Profit & Loss Account.
- (iii) Advances will be classified under various categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

5.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
- The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.
- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

6. Investments:

- (i) In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, Investments are classified into the following six groups :
- (a) Government Securities,
- (b) Other Approved Securities,

- (सी) शेयर,
(डी) डिबेंचर एवं बॉन्ड,
(ई) अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा
(एफ) अन्य
- (ii) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है
- (ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
(बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)
(सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)
- (iii) (ए) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(बी) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(सी) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(डी) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।
(ई) आनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं।
- (ए) (i) एचटीएम में धारित प्रतिभूति- अर्जन लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
मूल्यहास, अस्थाई से इतर, यदि कोई हो, ऐसे निवेश के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (बी) एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिपवार किया जाता है। वृद्धि/हास को प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में जोड़ा जाता है और प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार लाभ-हानि खाते में निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है जबकि निवल वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- (v) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामले में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।
- (vi) निवेशों के अर्जन की लागत
- सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
 - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।
- (c) Shares,
(d) Debentures & Bonds,
(e) Subsidiaries/ Joint Ventures and
(f) Others
- (ii) The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,
- (a) Held to Maturity (HTM)
(b) Available for Sale (AFS)
(c) Held for Trading (HFT)
- (iii) a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
c) Investments which are not classified in the above two categories are classified as Available for sale.
d) An investment is classified as Held to Maturity or Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
e) Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.
- (iv) As per RBI guidelines, the following principles are adopted for the purpose of valuation
- (a) (i) Securities held in 'HTM' - at acquisition cost.
The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity
(ii) Investments in Regional Rural Banks, Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
Diminution, other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- (b) Securities held in 'AFS' and 'HFT' categories are valued scrip-wise. Appreciation/Depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognized in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
- (v) In respect of non-performing securities (where interest/ principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (vi) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fee received in case of securities subscribed and
 - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.

- (vii) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के मामले में समतुल्य राशि (कर का निवल और सांविधिक अरक्षितियों के अंतरण का निवल) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।
- (viii) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशन/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
- (ix) **श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण**
उपर्युक्त पैरा 6(ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कमतर मूल्य पर निकाला जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।
- (x) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।
- **हेज स्वैप**
ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।
स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।
 - **ट्रेडिंग स्वैप**
ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।
- (vii) Profit/Loss on sale of investments in any category is recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.
- (viii) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per the norms laid down by the Reserve Bank of India.
- (ix) **Transfer of Securities between categories**
The transfer of securities between categories specified at para 6 (ii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value as on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- (x) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:
- **Hedge Swaps:**
Interest rate swap which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements.
Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.
 - **Trading Swaps:**
Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

7. अग्रिम

- (i) भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानिगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं में किए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं उनके स्थानीय कानूनों, जो अधिक कड़ा हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।
- (ii) प्रकटित अग्रिम अनर्जक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान और संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के हास के बदले किए गए प्रावधानों का निवल होता है। संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के हास के प्रावधान को भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।
- (iii) तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोज्य) हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएँ एवं प्रावधान" के तहत शामिल किया जाता है।

8. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- (i) फ्रीहोल्ड भूमि और लीज होल्ड भूमि सहित परिसरों को उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है और अन्य स्थिर

7. Advances:

- (i) Advances in India are classified as Standards, Sub Standard, Doubtful or Loss Assets and provision for advances are made as per Prudential Norms of the RBI. In respect of advances made in overseas branches, advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or Local Laws of the host countries in which advances are made, whichever is more stringent.
- (ii) Advances disclosed are net of provisions made for non performing advances and provisions in lieu of diminution in the fair value of restructured advances. The provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- (iii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

8. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold land and leasehold land are stated at their revalued amount and other Fixed

आस्तियों को उनकी परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है। जब कभी कतिपय आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो बैंक इस संबंध में भारिबैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाता है और लेखा मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस-10 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यहास को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व और अन्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है।

- (ii) निर्माणाधीन परिसरों को पृथक शीर्ष 'निर्माणाधीन परिसर' के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (iii) जहां जमीन की पृथक लागत उपलब्ध नहीं है वहां जमीन और भवन की संमिश्र लागत पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान घटते शेष पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और आगे हेतु निर्णय लिया गया है।

Assets are stated at their historical cost. Whenever certain Assets are revalued the Bank adopts the guidelines issued by the RBI and compliances of Accounting Standards issued in this regard. Any upward revision on such revaluation is credited to Revaluation Reserve. As per Revised AS-10 "Property, Plant and Equipment" issued by ICAI, effective from 1st April 2017 Additional depreciation charged on revalued assets is directly transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserves.

- (ii) Premises under construction is shown under a separate heading "Premises under Construction". Advances to contractors is shown under the head "Other Assets".
- (iii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iv) Depreciation on Fixed Assets including revalued assets is provided as per the following rates on diminishing balance method as decided by the Management from the Financial year 2014-15 and onwards.

क्रम संख्या Sl. No.	आस्तियों की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	मूल्यहास दर DEPRECIATION RATE [%]
1	भवन एवं परिसर /Building and Premises	5.00
2	सामान्य फर्नीचर मर्चे यथा मेज, कुर्सी, अलमारी, केबिनेट, स्ट्रांग रूम दरवाजे इत्यादि (सुरक्षित जमा लॉकर से इतर) / General Furniture items viz., Table, Chair, Almirah, Cabinet, Strong room doors etc. (other than Safe Deposit Lockers).	18.10
3	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, पंखे, लाइट, एयरकंडीशनिंग मशीनरी- रूम एयरकंडीशनर सहित / Electrical Installation, Fan, Light, Air-conditioning Machinery including- Room Air-conditioners etc.	13.91
4	फ्रैंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भारोत्तोलन मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, और अन्य कार्यालयीन उपकरण / Franking machine, office machinery, weighing machine, typewriter, adding machine, Duplicating Machine & other office equipments.	13.91
5	सेफ डिपोजिट लाकर / Safe Deposit Lockers	13.91
6	मोटरकार / Motor Car	25.89
7	साइकिल/Cycle	20.00
8	मोटर वैन(कैश वैन) / Motor Van (Cash Van)	30.00

- (v) कम्प्यूटरों, डाटा प्रोसेसिंग मशीनों एएलपीएम पर अवक्षय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है जिससे तीन वर्षों में आस्ति का मूल्य अवलिखित किया जा सके।
- (vi) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।
- (vii) जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहां लीजहोल्ड भूमि के प्रीमियम को लागत अथवा अवलिखित मूल्य पर परिशोधित किया जाता है।
- (viii) ₹5000/- तक के पूंजीगत व्यय सीधे "खर्च खाता - मरम्मत एवं रखरखाव" में नामे लिखे जाते हैं।

- (v) On Computers, Data Processing Machines, ALPMs, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years as per RBI guidelines.
- (vi) Premium on Leasehold Land (including revalued amount) is amortized over the period of the lease on Straight Line Method.
- (vii) Premium on Leasehold Land is amortized over the period of the lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (viii) The Capital Expenditure up to ₹5000/- is debited directly to "Charges Account - Repairs & Maintenance."

- (ix) वर्ष के दौरान क्रय की गई/बेची गई/हटाई गई आस्तियों पर यथानुपात आधार पर अवक्षय का प्रावधान किया जाता है।
- (x) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

9. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कंप्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत ₹10 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम दस वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

10. कर्मचारी लाभ

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।
- (ii) दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण तिमाही और वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमाकर्तों द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधियन संबंधी बैंक की नीति में लिखित विधियों का पालन करते हुए है और नीचे उल्लिखित नितियों के अनुसार परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुने गए विभिन्न बीमाकिक पूर्वानुमान द्वारा किया जाता है।

ए. ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/सेवा पंचाटों/सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमाकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

बी. पेंशन (एबीईपीआर)

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीईपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29.09.1995 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर के लिखित अनुरोध पर मूल पेंशन के अधिकतम 1/3 को परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। परिवर्तित मूल पेंशन 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुनः चालू की जाती है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पी.एफ. की रैंकिंग हेतु शामिल कर्मचारियों के वेतन के 10% के सांविधिक

- (ix) Pro-rata depreciation is provided on the assets purchased / sold / discarded during the year.
- (x) Depreciation on Fixed Assets of Foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

9. Intangible Assets (Computer Software):

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed asset and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, Computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

10. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the year-end by using various Actuarial Assumptions chosen following the modalities documented in the Bank's Policy on Funding Superannuation Schemes and the Projected Unit Credit method as per policies mentioned herein below:

a. Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

b. Pension (ABEPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995(ABEPR-1995) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank's Service during the period from 29.09.1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. There is also provision for commutation of pension to a pensioner, against written request, to the maximum extent of 1/3rd of Basic Pension. The commuted basic pension is restored after completion of 15 years of commutation. Employees covered under ABEPR - 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions

मासिक अंशदान के अतिरिक्त बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

सी. अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

डी. अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिना के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।
- (v) अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

11. आय और व्यय का अभिज्ञान

- (i) आय-व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो।
- (ii) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।
- (iii) अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली संदिग्ध/हानिगत आस्तियों के मामले में पहले मूलधन और बाद में ब्याज विनियोजित किया जाता है जबकि अवमानक आस्तियों के मामले में पहले ब्याज और बाद में मूलधन को विनियोजित किया जाता है।

to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary, in addition to the statutory monthly contribution of 10% of Pay of the covered employees, ranking for PF.

c. Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is debited/charged to the Profit and Loss Account.

d. Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is debited/charged to the Profit and Loss Account.

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to the Profit & Loss account.
- (iv) In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.
- (v) Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

11. Recognition of Income and Expenditure :

- (i) Income and Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- (ii) Interest and Other Income in cases of Non Performing Assets/Investments are recognized to the extent realized.
- (iii) Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs), in case of Doubtful/ Loss Assets is appropriated first against the Principal and then interest, whereas in case of Substandard Assets, such recovery is appropriated first against the interest and then against the Principal.

- (iv) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना उस वर्ष की जाती है जिसमें यह प्राप्त/समायोजित हुआ है।

12. पट्टा

- (i) बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।
- (ii) परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार करता है।

- (i) प्रति शेयर बेसिक अर्जन की गणना वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।
- (ii) प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रतिबिंबित करता है जो उस स्थिति में हो सकती है यदि इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियां अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है अथवा संपरिवर्तित किया जाता है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

14. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखा", समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि बैंक आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

15. नकदी एवं समतुल्य नकदी

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन शामिल है।

16. स्थिर आस्तियों में ह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर 'इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस' (यदि कोई हो) को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस' के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 प्रावधान, 'आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब

- (iv) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year in which it is received/adjusted.

12. Lease:

Rentals received by the Bank are recognized in the Profit and Loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss account.

13. Earnings Per Share:

The Bank reports Basic and Diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20 "Earnings per Share" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

- 13.1 Basic earnings per Share are computed by dividing the net profit after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.
- 13.2 Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

14. Taxation:

- (i) Provision is made for both current Tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and Deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India, Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.
- (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

15. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATMs and balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

16. Impairment of Fixed Assets:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to the Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

17. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

- (i) In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when

- ए. किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है
- बी. यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और
- सी. जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।
- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता
- ए) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएं जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं है।
- बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :
- i) यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा
- ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है।
- (iii) आकस्मिक देयताओं का नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।
- (iv) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूल नहीं की जा सकती।
- a. it has a present obligation as a result of a past event;
- b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
- c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) No provision is recognized for
- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because;
- i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.
- (iii) Contingent Liabilities are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- (iv) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची 19: 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियाँ

1. भारतीय रिजर्व बैंक (भारि बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
2. राष्ट्रीय और स्थानीय समाशोधन खाते (एनएसीएच सहित), नोस्ट्रो खाते वोस्ट्रो खाते, शाखा प्रणाली उचित खाता सहित विभिन्न अंतर शाखा, अंतर बैंक खाते और एटीएम लेनदेन का समाधान एक सतत प्रक्रिया है और प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर उपर्युक्त का प्रभाव, यदि कोई है, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।
3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु बैंक द्वारा कुल ₹2354.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3543.56 करोड़) (आस्थगित कर सहित) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
4. (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 और 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकनों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः ₹125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), ₹370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा ₹298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) और ₹1802.10 करोड़ (आवासीय और वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹43.54 करोड़ [विगत वर्ष में ₹47.56 करोड़ अनुसूची सं.14 मद (vii) में शामिल "अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है] को सीधे पुनर्मूल्यन अरक्षित खाते से अंतरित किया गया है और राजस्व तथा "अन्य अरक्षित निधियाँ" [अनुसूची सं. 2 मद राजस्व तथा अन्य अरक्षित निधियाँ में दर्शाया गया है]। अतः ₹43.54 करोड़ को चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते में नहीं किया गया है। ऐसा लेखा नीति, संशोधित एएस 10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में परिवर्तन के अनुसरण में किया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।
 - ए. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹0.86 करोड़ है।
 - बी. हैदराबाद में ₹1.61 करोड़ की लागत की संपत्ति, जहाँ यूएलसी से स्वीकृति लंबित है और चेन्नै में ₹2.32 करोड़ की संपत्ति जहाँ डीआरटी द्वारा अंतरिम स्टे प्रदान किया गया है।
 - सी. पारादीप, ओडीशा में 02.04.2013 से 24 आवासीय फ्लैट वाले 17520 वर्गफीट क्षेत्र वाले आवासीय प्लॉट के पट्टे का नवीकरण का मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।

SCHEDULE 19: NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018.

1. Adequate provision has been made by the Bank in respect of performing and non-performing advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
2. The reconciliation of various inter-branches, inter-bank accounts, National and Local Clearing accounts (including NACH), Nostro accounts, Vostro accounts, Branch System Suspense account and ATM transactions is an ongoing process and is under progress. The impact of the above, if any, on the financial results for the year ended 31st March, 2018, in the opinion of the management will not be significant.
3. The cumulative provision for income tax (including deferred tax) aggregating to ₹2354.76 Crore (previous year ₹3543.56 Crore) held is considered adequate after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005, 31.03.2007 and 31.03.2016 upward revision amounting to ₹125.99 Crore (commercial and residential), ₹370.08 Crore (commercial and residential), ₹298.32 Crore (commercial) and ₹1802.40 crore (Residential and commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of ₹43.54 Crore [previous year ₹47.56 Crore shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No.14 item (vii)] on account of revaluation has been directly transferred from the Revaluation Reserve Account and shown in "Revenue & Other Reserves" (Schedule No.2, item:Revenue and Other Reserves). Hence ₹43.54 Crore is not reckoned in the Profit and Loss Account of Current Year. This is done pursuant to change in Accounting Policy, Revised AS 10 'Property, Plant and Equipment'.
- (ii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land is amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) Registration formalities are yet to be completed for the following properties.
 - a. Two (2) residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹0.86 Crore.
 - b. Property at Hyderabad costing ₹1.61 crore, where Clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing ₹2.32 crore, where interim stay has been granted by DRAT.
 - c. Renewal of lease of residential plots of land measuring 17520 sq.ft area at Paradeep, Odisha having 24 residential flats w.e.f. 02.04.2013 has been taken up with Paradeep Port Trust (PPT) and is under their consideration.

(v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(v) Other Assets include intangible assets, details of which are as under.

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
अथ शेष / Opening Balance	50.19	55.82
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0.64	10.14
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	10.26	15.77
इति शेष / Closing Balance	40.57	50.19

5. (i) ₹0.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹2298.42 करोड़ (विगत वर्ष ₹1313.58 करोड़) रहा।
- (iii) वर्ष के दौरान बैंक ने परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कतिपय प्रतिभूतियां बेची और ₹22.66 करोड़ (विगत वर्ष ₹223.30 करोड़) का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान निवल हानि के कारण पूंजी आरक्षित खाता—निवेश में कोई विनियोजन नहीं किया गया।
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 6 (iv) (क) में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹98.64 करोड़ (विगत वर्ष ₹56.51 करोड़) की राशि अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ एवं हानि खाते के 'अर्जित ब्याज और लाभांश' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 बैंक को यह विकल्प प्रदान करता है कि वह 31 दिसम्बर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों हेतु निवेशों पर बाजार हानि अंकन के लिए प्रावधानों का विस्तार हानि वाली तिमाही के आरंभ से चार तिमाहियों हेतु समान रूप से करे। तदनुसार बैंक ने विकल्प का प्रयोग किया है और हानि वाली तिमाही में निवेश पर बाजार हानि अंकन (एमटीएम हानि) की पहचान की है। दिसम्बर, 2017 को यथास्थिति निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य ह्रास का प्रावधान ₹1279.00 करोड़ (स्प्रेड रहित) और ₹871.32 करोड़ था (स्प्रेड के बाद चार तिमाहियों में अर्थात् दिसम्बर, 2017 से सितम्बर, 2018) और मार्च, 2018 को यथास्थिति ₹1731.10 करोड़ (स्प्रेड रहित) और ₹1322.09 करोड़ (स्प्रेड सहित चार तिमाहियों में मार्च, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक) था। अतः परवर्ती तिमाहियों में प्रावधान किए जाने हेतु शेष अर्थात् ₹181.64 करोड़ जून, 2018 को समाप्त तिमाही हेतु, ₹181.63 करोड़ सितम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु और ₹45.74 करोड़ दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु है।
- (vi) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण: वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से की गई सभी बिक्रियां और अंतरण वर्ष के आरंभ के बही मूल्य के 5% की सीमा के अंदर है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में कमी के फलस्वरूप
5. (i) In respect of Investments of face value of ₹0.44 Crore (Previous year ₹0.44 Crore) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 2298.42 Crore (Previous year ₹1313.58 Crore).
- (iii) During the year the Bank sold certain securities under Held to Maturity category and earned profit of ₹22.66 Crore ((Previous Year ₹223.30 crore). Due to net loss during the year, no appropriation has been made to 'Capital Reserve Account-Investment'
- (iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. [6 (iv) (a)], the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounting to ₹98.64 Crore (Previous year ₹56.51 Crore) has been netted-off from income on investments and shown under the head "Interest and Dividend earned" in Profit and Loss Account in terms of RBI guidelines.
- (v) RBI circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 grants the Banks an option to spread provisioning for mark to market losses on investments for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018 equally over the four quarters commencing with quarter in which the loss is incurred. Accordingly, the Bank has exercised the option and recognized the Mark to Market loss (MTM Loss) on investment in the quarter of incurrence. The provision for depreciation of the investment portfolio as on December 2017 was ₹1279.00 crore (without spreading) and ₹871.32 crore (after spreading in four quarters i.e from December, 2017 to September, 2018) and as on March 2018 was ₹1731.10 crore (without spread) and ₹1322.09 crore (with spread in four quarters from March, 2018 to December, 2018). Hence the balance to be provided in the subsequent quarters i.e. ₹181.64 crore for the quarter ending June, 2018, ₹181.63 crore for the quarter ending September, 2018 & ₹45.74 crore for the quarter ending December, 2018.
- (vi) Sale & Transfer to/from HTM category: All sales and transfers to/from HTM category during the year are within the limit of 5% of book value at the beginning of the year. The Bank has not made any sale of securities

बैंक ने एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण नहीं किया है। बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के दौरान एचटीएम से एएफएस में ₹22336.50 करोड़ के बहिर्मुख की प्रतिभूतियां एकबारगी अंतरित की है जिसकी अनुमति भारिबैं के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 द्वारा दी गई है।

6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।

7. लेखा मानकों का अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है तथा ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नोक्त प्रकटीकरण किये जा रहे हैं।

- 7.1. लेखा मानक 5 : 'अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व वर्ष की मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन।

पूर्व वर्ष से संबंधित आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है;

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)		
विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
आय/Income	(0.55)	(1.06)
व्यय/Expenditure	1.48	0.11
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	(2.03)	(1.17)

संशोधित एस 10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार मूल्यहास के लेखा के संबंध में लेख नीति में परिवर्तन हुआ है जैसा कि पैरा 4 (i) में उल्लिखित है।

7.2 लेखा मानक (एएस)14- समांगन हेतु लेखा:

आलबैंक फाइनेंस लि., इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनपंगी कंपनी का 01.04.2017 से इलाहाबाद बैंक में विलय हो गया जो लेखा प्रयोजन हेतु नियत तारीख है। आलबैंक फाइनेंस लि. अन्य के साथ-साथ निवेश गतिविधियों, मर्चेट बैंकिंग, डिबेंचर ट्रस्टीशिप, प्रतिभूति ट्रस्टीशिप, म्यूचुअल फंड वितरण और टीईवी अध्ययन आदि गतिविधियों से संबंधित थी।

क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.03.2018 के आदेश के तहत आलबैंक फाइनेंस लि का इलाहाबाद बैंक के साथ विलय की योजना की पुष्टि कर दी है।

समांगन को प्रतिबिंबित करने हेतु प्रयुक्त लेखा पद्धति ब्याज पद्धति की पूर्ण है।

तदनुसार, आलबैंक फाइनेंस लि. की समस्त आस्तियों और देयताओं को इलाहाबाद बैंक द्वारा उनकी मौजूदा वहन राशि पर अधिग्रहित किया गया है। आस्तियों, देयताओं और आरक्षित निधियों, वर्तमान अथवा आकस्मिक, को उसी रूप में अभिलिखित किया गया है, समांगन की तिथि को यथास्थिति लेखा नीतियों की एकरूपता सुनिश्चित करने को छोड़कर।

or transfer to AFS/HFT consequent upon reduction of ceiling on SLR Securities under HTM category. The Bank has one time shifted the securities having book value of ₹22336.50 crore from HTM to AFS category during the first quarter of FY 2017-18 with the approval of Board of Directors which is permitted by RBI in terms of Master Circular No.RBI/2015-16/97 DBR No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.

7. Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by The Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.

- 7.1. Accounting Standard 5 "Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Changes in Accounting Policies"

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
आय/Income	(0.55)	(1.06)
व्यय/Expenditure	1.48	0.11
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	(2.03)	(1.17)

There is change in accounting policy with respect to accounting of depreciation as per Revised AS 10 'Property, Plant and Equipment' as detailed in Para No.4 (i).

- 7.2. Accounting Standard (AS) 14 -Accounting for Amalgamations:

AllBank Finance Ltd., a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank is amalgamated with Allahabad Bank with effect from 01.04.2017 which is the appointed date for accounting purpose. AllBank Finance Ltd. was inter alia engaged in investing activities, merchant banking, debenture trusteeship, Security trusteeship, Mutual Fund distribution and TEV study etc.

The Regional Director, Eastern Region, Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India has given confirmation to the scheme of amalgamation of AllBank Finance Ltd. with Allahabad Bank vide order dated 14.03.2018.

The method of accounting used to reflect the amalgamation is pooling of interests method.

Accordingly all the assets and liabilities of AllBank Finance Ltd. are taken over by Allahabad Bank at their existing carrying amounts. The assets, liabilities and reserves, present or contingent are recorded in the same form except to ensure uniformity of accounting policies as at the date of amalgamation.

चूंकि आलबैंक फाइनेंस लि. पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, समामेलन के समय कोई शेयर जारी नहीं किए गए हैं अथवा प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है।

7.3. बैंक ने कर्मचारी लाभों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, और एलएफसी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) को अपनाया है।

7.4. निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर-1995), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एलएफसी के संबंध में बैंक की देयता को निम्नानुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) में निर्धारित सिद्धांत और

(बी) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश जीएन 26।

Since AllBank Finance Ltd. is a wholly owned subsidiary and there are no shares issued or consideration paid at the time of amalgamation.

7.3. The Bank adopted Accounting Standard 15 (Revised)-Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment and LFC.

7.4. Bank's liabilities in respect of the funded/ non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR-1995), Gratuity, Leave Encashment and LFC Leave are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per following:

(a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and

(b) Guidelines GN 26 issued by Institutes of Actuaries of India.

7.5. सेगमेंट सूचना: लेखा मानक (ए एस) 17 / Segment Information: Accounting Standard (AS) 17

भाग ए : व्यवसायिक सेगमेंट / Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/थोक प्रतिभूतियां Corporate/ wholesale banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operation		कुल Total	
विवरण Particulars	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year
राजस्व/Revenue	6012.18	6119.27	5227.20	6767.98	6762.32	6791.57	1485.82	900.12	19487.51	20578.94
परिणाम/Result	1794.16	1953.43	-1361.48	-619.79	2174.32	2082.21	972.30	492.97	3579.30	3908.82
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									10031.27	4472.00
परिचालन लाभ Operating Profit									-6451.97	-563.18
आय कर / Income taxes									-1877.76	-284.18
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ /Net Profit									-4574.21	-279.00
अन्य सूचना: Other Information:										
खंडवार देयताएं Segment assets	69853.53	56460.95	109405.78	110623.02	69006.64	65531.69	2356.15	2143.91	250622.10	234759.57
गैर आबंटित आस्तियां Unallocated assets									3147.62	3203.07
कुल आस्तियां Total assets									253769.72	237962.63
खंडवार देयताएं Segment liabilities	67856.20	53779.81	106277.54	105369.91	67033.54	62419.81	1946.18	1774.91	243113.46	223344.44
गैर आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									10656.26	14618.19
कुल देयताएं Total liabilities									253769.72	237962.63

भाग बी : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic Segments

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	घरेलू Domestic		अंतरराष्ट्रीय International		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
राजस्व /Revenue	19129.01	20260.98	358.50	317.96	19487.51	20578.94
आस्तियां/Assets	240644.69	225012.13	13125.03	12950.50	253769.72	237962.63

सेगमेंट सूचना पर नोट:

- संयुक्त उद्यम (गैर बैंकिंग संस्थाएं) एवं एसोसिएट के व्यवसाय को समेकित सेगमेंट रिपोर्टिंग में अवशिष्ट व्यवसाय के रूप में माना गया है।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस 17 और उस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन हेतु बैंक के व्यवसाय को चार सेगमेंट में वर्गीकृत किया गया है अर्थात्
 - ट्रेजरी परिचालन
 - कारपोरेट/थोक बैंकिंग
 - खुदरा बैंकिंग
 - अन्य बैंकिंग व्यवसाय
- भौगोलिक सेगमेंट को (क) घरेलू और (ख) अंतरराष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सांविधिक अपेक्षा से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश को ट्रेजरी परिचालन हेतु निवेश के रूप में माना गया है।
- किसी विशेष सेगमेंट से सीधे संबंधित व्यय, आस्तियों और देयताओं को उसी सेगमेंट को आबंटित किया जाता है और जहां कोई मद सीधे किसी विशिष्ट सेगमेंट से संबंधित नहीं है उसे प्रबंधित व्यवसाय के अनुपात में आबंटित किया गया है।

7.6 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन।

(ए) मुख्य प्रबंधन कार्मिक / (a) Key Management Personnel:
Notes to Segment Information:

- The business of the Joint Ventures (non-banking entities) and Associate has been considered as residual business in consolidated segment reporting.
- For the purpose of segment reporting in terms of AS 17 issued by The Institute of Chartered Accountants of India and RBI guidelines thereon, the business of the bank has been classified into four segments, viz.
 - Treasury Operations,
 - Corporate / Wholesale Banking
 - Retail Banking
 - Other Banking business
- Geographical segment has been classified as (a) Domestic and (b) International.
- Investment in SLR securities in excess of statutory requirements and investment in non-SLR securities have been considered as investment for Treasury Operations.
- Expenses, assets and liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment and wherever the items are not directly attributable to specific segment the same has been allocated in proportion to business managed.

7.6. Related Party Disclosures - Accounting Standard (AS) 18

List of Related Parties and Transactions:

The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected- (₹ लाख में) / (₹ in Lac)

क्र.सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ / Remuneration	
31.03.2018 को यथास्थिति वर्तमान निदेशक / Existing Directors as on 31.03.2018			वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
1	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthasubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO (जबसे/since 06.05.2017)	25.37	शून्य/NIL
2	श्री एन. के. साहू Shri N. K.Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director	23.52	22.02
3	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	22.27	2.51
भू. पू. निदेशक / Ex Directors				
1	श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (तक/upto 30.04.2017)	14.43	21.45
2.	श्री जे. के. सिंह खर्ब Shri J.K. Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director (तक/upto 30.06.2016)	5.66	4.52

ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

संयुक्त उद्यम कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किए गए लेनदेन निम्नानुसार हैं।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

Transactions with joint venture company Universal Sompo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y.2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y.2016-17
अर्जित आय / Income Earned	17.04	11.81
प्रदत्त बीमा प्रीमियम / Insurance Premium Paid	1.48	1.77

(बी) संयुक्त उद्यम

i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि.

बैंक युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि.के ₹105 करोड़ मूल्य(विगत वर्ष ₹105 करोड़ के 30 प्रतिशत) के 28.52% शेयर धारित कर रहा है जो कंपनी द्वारा जारी शेयर के कारण था जिसमें बैंक ने सहभागिता नहीं की थी।

ii) एसएसआईसी (इंडिया) लि.

बैंक एसएसआईसी (इंडिया) लि. के ₹26.50 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹26.50 करोड़) के 27.04% प्रतिशत शेयर धारित करता है।

(सी) एसोसिएट्स :

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक:

बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ₹21.67 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹21.67 करोड़) के 35 प्रतिशत को धारित करता है।

संबंधित पक्षकारों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(b) Joint Venture:

i) Universal Sompo General Insurance Company Limited.

The Bank is holding 28.52% share in Universal Sompo General Insurance Company Limited amounting to ₹105.00 Crore (previous year's holding 30% amounting to ₹105.00 Crore). The holding percentage was changed due to issue of shares by the company where the bank had not participated.

ii) ASREC (India) Ltd.

The Bank is holding 27.04% share in ASREC (India) Ltd. amounting to ₹26.50 Crore (previous year ₹26.50 Crore)

(c) Associates:

Allahabad U.P. Gramin Bank:

The Bank is holding 35% share in Allahabad U.P. Gramin Bank amounting to ₹21.67 Crore (previous year ₹21.67 Crore).

Other Disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

मद/ संबंधित पक्षकार	पेरेंट (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership control)	अनुषंगी, Subsidiary	ऐसोसिएट/ संयुक्त उपक्रम Associate/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
Items/Related Party	1	2	3	4	5	2+3+4+5
उधार /Borrowings	-	-	233.02	-	-	233.02
जमा राशियां /Deposits	893.00	-	-	-	-	-
Placement of Deposits	-	51.87	841.72	0.28	-	893.87
अग्रिम / Advances	233.02	-	-	-	-	-
निवेश / Investments	0.11	-	-	0.11	-	0.11
गैर निधित्व प्रतिबद्धताएं / Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-
उपभोग की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज / Interest paid	64.01	-	19.03	-	-	19.03
प्राप्त ब्याज / Interest received	19.03	3.01	60.99	0.01	-	64.01
सेवा प्राप्त करना / Rendering of Services	18.64	-	2.85	-	-	2.85
सेवा प्राप्त करना / Receiving of services	2.85	-	18.64	-	-	18.64
प्रबंधन संविदाएं / Management contracts	2.55	0.25	2.30	-	-	2.55

नोट: आल बैंक फाइनेंस लि. (बैंक की पूर्ववर्ती अनुषंगी कंपनी) का इलाहाबाद बैंक में विलय हो गया निर्धारित तिथि 01.04.2017 और प्रभावी तिथि 14.03.2018

N.B. : AllBank Finance Ltd. (Erstwhile wholly owned Subsidiary of Bank) since amalgamated with Allahabad Bank w.e.f. appointed date 01.04.2017 and effective date 14.03.2018.

7.7. पट्टा प्रकटीकरण-लेखा मानक (ए एस) 19

ए) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न परिचालन पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है:

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग:

असमाप्त पट्टा अवधि हेतु देय किराया

7.7. Lease Disclosure- Accounting Standard (AS) 19:

A) The Bank has various operating leases for offices/ residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) The total of future minimum lease payments under non-cancelable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	को यथास्थिति /As on 31.03.2018	को यथास्थिति /As on 31.03.2017
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	130.58	126.27
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	495.89	425.95
पाँच वर्ष के बाद /Later than five years	377.13	370.58

अपनी अनुषंगी संस्था के संबंध में पट्टा लेखा मानक प्रयोज्य नहीं है इसलिए कंपनी ने 01.04.2001 के बाद से कोई पट्टा संस्वीकृत नहीं किया है।

In respect of its subsidiary, lease accounting standard is not applicable since the Company has not sanctioned any lease after 01.04.2001.

- ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (पिछला वर्ष: शून्य)
- iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : ₹201.08 करोड़ (पिछला वर्ष ₹188.74 करोड़)
- iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य (पिछला वर्ष: शून्य)

- ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancelable subleases at the balance sheet date: NIL (Previous Year: NIL)
- iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: ₹201.08 Crore (Previous Year: ₹188.74 Crore)
- iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: NIL (Previous Year: NIL)

बी) वित्तीय पट्टा

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

7.8. प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (ए एस) 20

7.8. Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
1.	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	(58.35)	(3.88)

प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share:

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
ए/A	वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ In Crores)	(4574.22)	(279.00)
बी/B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	78,38,74,547	71,86,46,131
सी/C	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन(ए/बी) (₹) Basic and Diluted Earning per Share (A/B) (₹)	(58.35)	(3.88)
डी/D	प्रति शेयर नामिनल मूल्य (₹) Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

7.9. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (ए एस) 22

7.9. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में ₹1321.20 करोड़ (विगत वर्ष ₹677.62 करोड़ (निवल)जमा) को लाभ एवं हानि खाते में जमा लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत हैं:

During the year, an amount of ₹1321.20 Crore has been credited (Previous year ₹677.62 Crore (Net)) to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

विवरण / Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़/ (घटाव) Adjustment Add/(Less)		वर्ष के अंत में At the close of the Year	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets						
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	119.51	105.73	0.63	13.78	120.14	119.51
एफआईटीएल हेतु प्रावधान / Provision for FITL	191.75	290.71	(100.38)	(98.96)	91.37	191.75
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Prov. For Bad & Doubtful Debts	1939.03	1156.80	216.97	782.23	2156.00	1939.03
धारा 32 के अनुसार मूल्यहास Depreciation as per Sec.32	0.00	1.50	0.00	(1.50)	0.00	0.00
Loss as per Income Tax	0.00	0.00	1118.19	0.00	1118.19	0.00
अन्य /Others	1.26	1.30	0.93	(0.04)	2.19	1.26
कुल /Total	2251.55	1556.04	1236.34	695.51	3487.89	2251.55
आस्थगित कर देयताएँ /Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	0.03	शून्य/NIL	0.42	0.03	0.45	0.03
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	शून्य/NIL	67.42	0.00	(67.42)	0.00	शून्य/NIL
धारा 36(1) (viii)के अंतर्गत कटौती के कारण विशेष रिजर्व में अंतरित राशि Amount transferred to Special Reserve on account of deduction under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961.	494.94	494.94	0.00	शून्य/NIL	494.94	494.94
निवेश/प्रतिभूतियों पर मूल्यहास Depreciation on Investment / Securities	124.98	124.98	0.00	शून्य/NIL	124.98	124.98
अपरिशोधित कपट प्रावधान Un amortised Fraud Provision	85.28	शून्य/NIL	(85.28)	85.28	0.00	85.28
अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL	0.00	शून्य/NIL	0.00	शून्य/NIL
कुल /Total	705.23	687.33	(84.86)	17.89	620.37	705.22
आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Liability (Net)	(1546.32)	(868.71)	(1321.20)	(677.62)	(2867.52)	(1546.32)

चूंकि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को हानि हुई है अतः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।

बैंक ने गहन समीक्षा के आधार पर और लेखा मानक (एएस)22- आय पर कर हेतु लेखांकन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु व्यवसाय हानि पर ₹1118.19 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों और अपरिशोधित मूल्यहास को अभिज्ञात किया है।

As Bank has incurred loss during the current financial year 2017-18, hence no amount was transferred to Special Reserve under section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961.

The Bank has recognized Deferred Tax Assets of ₹1118.19 Crore on business loss and unabsorbed depreciation as per Income Tax Act for the FY 2017-18 based on thorough review and according to Accounting Standard (AS) 22-Accounting for Taxes on Income.

आयकर अधिनियम 1949 की धारा 145(2) के अंतर्गत 29 सितम्बर 2016 को आय संगणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) यथाप्रयोज्य का वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कर योग्य आय/हानि की गणना हेतु पालन किया है।

Income computation and Disclosure Standards (ICDS) as notified u/s 145(2) of the Income Tax Act, 1961 on 29th September 2016, as applicable, has been followed in computation of Taxable Income/ Loss for the financial year 2017-18.

7.10. एसोसिएट में निवेश हेतु लेखा(एस-23)

निम्नलिखित एसोसिएट को लेखा मानक (एस) 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखा” के अनुसार समेकित किया गया है।

7.10. Accounting for Investment in Associates (AS) 23:

The following Associate has been consolidated as per the Accounting Standard (AS)-23 "Accounting for investments in Associates in Consolidated financial statements."

संस्था का नाम Name of the entity	देश/निवास Country/ residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest	शेयरधारिता की राशि Amount of Shareholding (₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक Allahabad U.P. Gramin Bank	भारत India	प्रायोजक बैंक Associates (Sponsor Bank)	35.00%	21.67

7.11. संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु लेखा(एस) 27

निम्नलिखित संयुक्त उद्यम को लेखा मानक (एस) 27 “समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु लेखा” के अनुसार समेकित किया गया है।

7.11. Accounting for Investment in Joint Ventures (AS) 27:

The following Joint Venture has been consolidated as per the Accounting Standard (AS) 27 "Accounting for investments in Joint Ventures in consolidated financial statements"

संस्था का नाम Name of the entity	देश/निवास Country/ residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest	शेयरधारिता की राशि Amount of Shareholding (₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कं.लि. Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	28.52%	105.00
एसएसआरईसी(इंडिया)लि. ASREC(India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04%	26.50

7.12. वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एस) 28 ‘इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स’ प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2018 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और उक्त मानक के अनुसार अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

7.12. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2018 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

7.13. ‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ’ के संबंध में लेखा मानक (एस)29 के अनुसार प्रकटीकरण

7.13. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष)

Provision for Liabilities (Closing Balance)

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2018	को यथास्थिति As on 31.03.2017
(ए/अ) एनपीए हेतु प्रावधान/Provision toward NPA	14308.11	7176.83
(बी/ब) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान/Provision for Depreciation on Investment	1328.40	575.89
(सी/स) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision towards Standard Assets	751.20	1385.86
(डी/द) आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	4117.62	5089.89
(ई/इ) आस्थगित कर आस्ति/ देयता/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	(2867.52)	(1546.33)
(एफ/फ) अन्य/Others	1818.91	1991.89
कुल/Total	19456.72	14674.03

8. आकस्मिक देयताएँ

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथाउल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर है। आलबैंक फाइनेंस लि. की आकस्मिक देयताओं से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

भूतपूर्व आलबैंक फाइनेंस लि. के निम्नलिखित मामले लंबित हैं जिसके लिए आकस्मिक देयता को परिमाणित नहीं किया जा सका।

- भूतपूर्व एबीएफएल के कुछ कर्मचारियों ने वेतन संशोधन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
- भूतपूर्व एबीएफएल के एक कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से डीए सीसीए का दावा करते हुए दर्ज की गई शिकायत हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मामले को केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई को भेजा है।
- गुजरात एनआरई कोक लि. ने आस्टरल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (21.01.2010 से नाम परिवर्तित ग्रीनअर्थ रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स लि.) के विरुद्ध सिविल वाद दाखिल किया और भूतपूर्व मर्वेन्ट बैंकर (अर्थात एबीएफएल), स्वतंत्र निदेशकों, लेखापरीक्षकों और सालिसिटर को वाद का पक्षकार बनाया
- ओएमडीसी के 6600 शेयरों की बिक्री की कथित संविदा के गैर निष्पादन के संबंध में एक ब्रोकरेज फर्म अर्थात मे. एमरेक मार्केटिंग प्रा. लि. (एमपीएल) ने जिला न्यायाधीश अलीपुर के समक्ष भूतपूर्व एबीएफएल के विरुद्ध वाद दाखिल किया है।

9. पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) ₹82.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹120.48 करोड़) है।
10. अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलनपत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
11. उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने 15 जनवरी 2014 के भारिबैं के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 3 जून 2014 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2018 तक ₹2.25 करोड़ (पिछला वर्ष ₹9.04) करोड़ की देयता का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्णतया प्रावधान किया गया है।
12. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने तीन श्रृंखलाओं में बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 शाश्वत बांड के निजी स्थानन के माध्यम से कुल ₹1200 करोड़ की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी उगाही है। तथापि समस्त बकाया एटीआई शायवत बांड (सारीज I से IV) के कुल ₹1500 करोड़ को बैंक ने 07.05.2018 को (मूलधन और देय ब्याज) विनियामक काल (बैंक को भारिबैं के पीसीए ढांचे के अंतर्गत रखा गया है) के प्रयोग के माध्यम से चुकता कर दिया है।
13. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में बैंक द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से जोखिम बंटवारे के आधार पर क्रय किए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र हेतु ₹शून्य (विगत वर्ष ₹450 करोड़) शामिल हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक को बेचे गए गैर प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर बैंक सहभागिता

8. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Consolidated Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

The following cases of erstwhile AIBank Finance Ltd. are pending for which no contingent liability could be quantified.

- A writ petition is filed by some of the employees of erstwhile ABFL in Delhi High Court for Salary revision.
- A case is referred by the Ministry of Labour & Employment, Govt. of India to the Central Govt. Industrial Tribunal, Mumbai towards a complaint filed by a workman of erstwhile ABFL claiming DA & CCA from the date of his joining.
- Gujarat NRE Coke Limited has filed civil suit against Austral Coke & Projects Limited (name changed to Greenerth Resources and Projects Limited w.e.f. 21.01.2010) and its promoters and had made erstwhile merchant banker (i.e. ABFL), independent directors, Auditors and Solicitors as party to the suit.
- With respect to the non performance of alleged contract for sale of 6600 shares of OMDC, a title suit is filed by a brokerage firm namely M/s Amrex Marketing Pvt. Ltd. (AMPL) before the Dist. Judge at Alipore against erstwhile ABFL.

9. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) ₹82.36 Crore (Previous Year ₹120.48 Crore).
10. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
11. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹2.25 crore upto 31st March, 2018 (previous year ₹9.04 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD. No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.
12. During the financial year 2017-18, the Bank has raised Additional Tier 1 Capital aggregating to ₹1200 crore through private placement of BASEL-III compliant Additional Tier 1 perpetual Bonds in three tranches. However, the entire outstanding AT1 perpetual Bonds (Series I to IV) aggregating to ₹1500 crore has been repaid by the bank on 07.05.2018 (both principal and due interest) through exercise of Regulatory Call (the Bank placed under PCA framework of RBI).
13. Priority Sector Advances include ₹NIL (previous year ₹450.00 Crore) on account of Inter Bank Participation Certificates (IBPC) of Direct Agriculture Advances purchased by the Bank on risk sharing basis from Allahabad U.P. Gramin Bank. Likewise, ₹NIL (previous

प्रमाणपत्र हेतु ₹शून्य करोड़ (विगत वर्ष 450 करोड़) को अग्रिमों में से घटाया गया है।

14. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 2017-18 के दौरान पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की पुनः गणना की है और ₹106.84 करोड़ का प्रतिलिखित प्रावधान किया है

year ₹450.00 Crore) has been reduced from advances being amount of Inter Bank participation Certificates of non-priority sector advances sold by the Bank to Allahabad U.P.Gramin Bank.

14. Pursuant to RBI guidelines the Bank has recalculated the diminution in the fair value of restructured advances and has written back provision of ₹106.84 crore during the year 2017-18.

15. अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर) / Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer):

₹./A.

(₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)

विवरण Particulars	प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर Counter cyclical Provision Buffer		अस्थिर प्रावधान Floating Provisions	
	वित्तीय वर्ष F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष F.Y. 2016-17	वित्तीय वर्ष F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष F.Y. 2016-17
(ए/अ) अथ शेष / Opening Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी/ब) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान का परिमाण Quantum of Provision made during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(सी/स) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose & Amount of draw down during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(डी/द) इति शेष/Closing Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL

बी. आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई ड्रा डाउन नहीं किया गया है (विगत वर्ष शून्य)।

B. Draw Down from Reserves:

No amount has been drawn from the Reserve during the year (Previous year Nil).

16. अदावी देयताएं जहां रकम देय है को वर्ष के दौरान निम्नानुसार जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित किया गया है:

16. Unclaimed liabilities where amount due has been transferred to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF) during the year are as under:

(₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2016-17
डीईएएफ में अंतरित राशि का अथ शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	22.41	17.54
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amounts transferred to DEAF during the year	109.74	5.09
घटाएं: दावों हेतु डीईएएफ से प्रतिपूर्ति की गई राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.07	0.22
डीईएएफ में अंतरित राशि का इति शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	132.08	22.41

* माह अगस्त, 2017 हेतु 31.08.2017 को ई-कुबेर में गलत प्रविष्टि के कारण भारिबैं को ₹153909.90 कम विप्रेषित किया गया। इस त्रुटि को तत्काल भारिबैं को रिपोर्ट किया गया और उनकी एडवाइस के अनुसार उक्त कम राशि को 27.04.2018 को भारिबैं को विप्रेषित किया गया।

*An amount of ₹1,53,909.90 was short remitted to RBI due to erroneous entry in E-Kuber on 31.08.2017 for the month of August, 2017. The error was immediately reported to RBI and as per their advice; the said short amount has been remitted to RBI on 27.04.2018.

17. कर्मचारियों के वतन संशोधन (11वां द्विपक्षीय समझौता) के कारण, जो आईबीए के साथ विचाराधीन है और नवम्बर, 2017 से देय है, बैंक पर संभावित भार को पूरा करने के लिए बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹108.00 करोड़ का प्रावधान किया है।

17. To meet the probable load on the Bank on account of wage revision of employees (11th bipartite settlement) which is under discussion with IBA and due from November, 2017, the Bank has made an adhoc provision of ₹108.00 Crore during the current financial year.

18. बैंक ने कर्मचारी शेयर क्रय योजना अर्थात 'आलबैंक ईएसपीएस' के अंतर्गत अपने पात्र कर्मचारियों को ₹10.00 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5 (पांच) करोड़ नए शेयर ₹53.94 प्रति शेयर के निर्गम/प्रयोग मूल्य पर प्रस्ताव दिया है। निर्गम/प्रयोग मूल्य का निर्धारण ईएसपीएस

18. The Bank has made an offer of upto 5 (five) crore new equity shares of face value of ₹10.00 each to its eligible employees under an Employee Share Purchase Scheme namely "AllBank-ESPS" at an issue/exercise price of ₹53.94 per share. The Issue/Exercise Price was fixed by

संबंधी निदेशकों की समिति द्वारा ₹71.92 के आधार मूल्य पर 25.00% डिस्काउंट पर किया गया है। बैंक द्वारा अपने पात्र कर्मचारियों को प्रस्तावित उक्त पांच करोड़ शेयरों में से 21742 पात्र कर्मचारियों द्वारा 43829778 शेयरों का वैध रूप से प्रयोग किया गया है। ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटन 03.03.2018 को किया गया। आलबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत अपने पात्र कर्मचारियों को 43829778 नए इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन से बैंक को अभिदान/प्रयोग राशि के रूप में ₹236,41,78, 225.32 (स्मए दो सौ छत्तीस करोड़ इकतालीस लाख अठत्तर हजार दो सौ पच्चीस और पैसे बत्तीस मात्र) प्राप्त हुए हैं। सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2015 के अनुसरण में तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मार्गदर्शी नोट के अनुसार ₹17.98 प्रति शेयर की डिस्काउंट राशि के घटक कुल ₹78,80,59,408.44 (स्मए अठहत्तर करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार चार सौ आठ और पैसे चवालीस मात्र) को कर्मचारी व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में नामे डाला गया है। ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटन के पश्चात भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की शेयरधारित घटकर 64.78% रह गई है।

19. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उपबंधों के अंतर्गत शामिल कतिपय एनपीए खातों के संबंध में भारिबैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 और पत्र सं. डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.1841/21.04/2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के तहत दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति ₹672.61 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
20. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) से 3103.2017 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹418 करोड़ के पूंजी अंतःप्रवाह के सापेक्ष ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,65,34,678 नए इक्विटी शेयरों का ₹73.95 के निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹63.95 प्रति शेयर प्रीमियम सहित भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को 07.08.2017 को कुल अधिमानी आधार पर निर्गम और आबंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन योजना के अंतर्गत 27.03.2018 को को पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹1500.00 (स्मए एक हजार पांच सौ करोड़) की राशि प्राप्त हुई है। बैंक इसका 31.03.2018 को यथास्थिति शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के रूप में रखरखाव कर रहा है। बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त से ₹1500.00 (स्मए एक हजार पांच सौ करोड़) की पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि की गणना 31.03.2018 को यथास्थिति सीईटी 1 के रूप में की है।
21. आलबैंक फाइनेंस लि. का बैंक के साथ सामेलन होने के परिणामस्वरूप बैंक ने पट्टे के अंतर्गत ₹5 लाख की आस्तियां अर्जित की हैं। चूंकि बैंक पट्टे के व्यवसाय में नहीं है, इसे गैर बैंकिंग आस्तियों के अंतर्गत रखा गया है। तथापि आस्तियों को इनके सापेक्ष धारित प्रावधानों के सापेक्ष निवल किया गया है।
22. वर्ष के दौरान युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. में बैंक की धारिता 30% से घटकर 28.52% रह गई है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए शेयर निर्गम में बैंक ने सहभागिता नहीं की थी। पूंजी धारिता प्रतिशत में इस कमी के कारण समेकित वित्तीय विवरण की आगे ले जाई गई हानि ₹1.21 करोड़ से घट गई अर्थात ₹440.34 करोड़ से ₹439.13 करोड़।
23. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तैतालीस (43) घोखाघड़ी के मामले की रिपोर्ट मिली है जिसमें ₹1525.35 करोड़ की रकम शामिल है। इन खातों में से बैंक ने वर्ष के दौरान ₹2.76 करोड़ की कुल राशि वसूली की है और वर्ष के दौरान ₹1522.59 करोड़ की शेष राशि का प्रावधान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीसी.83/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 और डीबीआर.सं.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में 'अन्य आरक्षितियां' से नामे लिखी

the Committee of Directors on ESPS at a discount of 25.00% on the floor price of ₹71.92 per share. Out of said five crore shares offered by the Bank to its Eligible Employees, 4,38,29,778 shares were validly exercised by the 21,742 Eligible Employees. The allotment of shares under the AllBank-ESPS were made on 03.03.2018. The Bank received an amount of ₹236,41,78,225.32 (Rupees two hundred thirty six crore forty one lakh seventy eight thousand two hundred twenty five and paise thirty two only) as subscription/exercise money for the issue and allotment of 4,38,29,778 new equity shares to its Eligible Employees under AllBank-ESPS. Pursuant to SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2015 and as per Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountant of India, the element of the discount amounting to ₹17.98 per share (i.e. the discount allowed per share) aggregating to ₹78,80,59,408.44 (Rupees seventy eight crore eighty lakh fifty nine thousand four hundred eight and paise forty four only) has been debited to P&L Account as Employee Expenses. Post allotment of shares under ESPS, the shareholding of the Government of India (President of India) has come down to 64.78%.

19. In terms of RBI directions vide letter No.DBR.No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated 23rd June, 2017 and letter No. DBR. No. BP.BC.1841/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, in respect of certain NPA accounts covered under the provisions of insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank has made additional provision of ₹672.61 crore as at 31st March 2018.
20. The Bank has issued and allotted 5,65,24,678 new equity shares of face value of ₹10.00 at an issue price of ₹73.95 including a premium of ₹63.95 per equity share to Government of India (President of India) on preferential basis on 07.08.2017 against the capital infusion of ₹418 Crore received by the Bank on 31.03.2017 from Government of India (President of India) for FY 2016-17. During FY 2017-18, the Bank received capital infusion fund of ₹1500.00 crore (Rupees One thousand five hundred crore) from Govt. of India on 27.03.2018 under PSBs recapitalization plan. The Bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2018. The Bank has reckoned the entire amount of capital infusion fund of ₹1500.00 crore (Rupees One thousand five hundred crore) received from Government of India as CET 1 capital as on 31.03.2018.
21. Consequent upon amalgamation of AllBank Finance Ltd. with the bank, the Bank has acquired an assets under lease of ₹5 lakhs. Since the Bank is not in the business of lease, the same has been kept under Non Banking Assets. However, the assets have been netted off against the provision which was held against the same.
22. During the year the holding of the Bank in Universal Sompoo General Insurance Co. Ltd. has decreased to 28.52% from 30% due to issue of shares by the company where the bank had not participated. Owing to such decrease in capital holding percentage the brought forward loss of the consolidated financial statement has decreased by ₹1.21 crore i.e. from ₹440.34 crore to ₹439.13 crore.
23. During the financial year 2017-18, forty three (43) number of fraud cases were reported involving a total amount of ₹1525.35 crore. Out of these accounts, the Bank has recovered a total amount of ₹2.76 crore and made provision for balance amount of ₹1522.59 crore during the year. The quantum of unamortized provision debited from 'Other Reserves' as at the end of year amounts to ₹390.58 crore in pursuance to RBI circulars DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 1, 2015 and DBR.No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18,

गई अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा वर्ष के अंत में ₹390.58 करोड़ है क्योंकि धोखाधड़ी हेतु प्रावधान को चार तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जाना है।

2016 as the provision for fraud can be amortized over a period of four quarters.

24. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुबंध III में दर्शाए गए खातों, जिनमें कार्यनिष्पादन मुद्दों अथवा कतिपय शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुनर्गठन विफल हो गया था और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया था, की 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति समीक्षा की गई और अब इन्हें वर्गीकृत किया जा रहा है और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
24. In compliance with RBI directives, accounts shown under Annex III of Asset Quality Review (AQR) wherein restructuring was failed due to performance issues or non fulfillment of certain conditions and necessary provisions was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31st March 2018 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms.
25. 1 अप्रैल, 2017 से प्रयोज्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधी लेखा मानक (एएस)-10(संशोधित 2016) के अनुसरण में स्थिर आस्तियों के पुनःमूल्यांकित अंश पर वर्ष हेतु ₹43.54 करोड़ का मूल्यहास (चालू तिमाही हेतु ₹10.64 करोड़) वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते की अन्य आय में जमा करने के बजाय पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित किया गया। एएस-10 में परिवर्तन से पूर्व आस्तियों का पुनःमूल्यांकित अंश ₹47.56 करोड़ पिछले वर्ष (2016-17) में पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को प्रभारित किया गया था।
25. Pursuant to the Accounting Standard (AS)-10 (revised 2016) on Property Plant & Equipment, applicable from 1st April, 2017, depreciation of ₹43.54 crore for the year on revalued portion of fixed assets (₹10.64 crore for the current quarter) has been transferred during the year from the Revaluation Reserve to Revenue Reserve instead of crediting to other income of Profit & Loss account. Prior to change in AS-10, depreciation on revalued portion of fixed assets amounting to ₹47.56 crore was charged to Revaluation Reserve in the previous year (2016-17).
26. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत में निगमित हर बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह प्रति वर्ष अपने लाभ का विनिर्दिष्ट अंश रिजर्व फंड में डाले। तथापि वर्तमान वर्ष में हानि की स्थिति को देखते हुए सांविधिक आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।
26. Under sub section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 every Banking company incorporated in India is required to transfer specified percentage of its Profits to its Reserve Fund each year. However, in view of Loss position in the current year no amount has been transferred to Statutory Reserve.
27. भारिबैंक परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.योजना.बीसी.23/04.09.01/15-16 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु ₹5255 करोड़ (विगत वर्ष ₹1265.75 करोड़) का पीएससीएल सामान्य, ₹1080 करोड़ का पीएसएलसी माइक्रो, ₹3948 करोड़ का पीएसएलसी एसएफ/एमएफ बेचा है और ₹4048 करोड़ का पीएसएलसी (विगत वर्ष शून्य) ₹81.91 करोड़ की आय (विगत वर्ष ₹10.98 करोड़) के प्रतिफल पर खरीदा है।
27. In terms of RBI circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated April 7, 2016 Bank has sold PSLC General to the tune of ₹5255 crore (₹1265.75 crore in previous year), PSLC Micro to the tune of ₹1080 crore, PSLC SF/MF to the tune of ₹3948 crore and purchased PSLC Agril to the tune of ₹4048 crore (NIL in previous year) for a consideration of income of ₹81.91 crore (₹10.98 crore in previous year) for the year ended March 31, 2018.
28. बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी (16.10.2006 को अंतःस्थापित) के उपबंधों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ. सं.7/93/2013 बीओए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 तक के बैंक के अदत्त और अदावी लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है।
28. In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(Inserted on 16.10.2006) and in terms of directives issued by Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends of the Bank for the FY 2009-10 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.
29. पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारिबैंक दिशानिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य रिपोर्टिंग तिथियों को की जाती है और पिछली सदृश्य अवधि के अनुपात को परवर्ती परिवर्तनों, यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार करने हेतु इसे समायोजित नहीं किया जाता।
29. The Capital Adequacy Ratio is computed on the basis of RBI guidelines applicable on the relevant reporting dates and the ratio for the corresponding previous period is not adjusted to consider the impact of subsequent changes if any, in the guidelines.
30. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने ₹114.63 करोड़ की निवल बही मूल्य की वित्तीय आस्तियां ₹652.18 करोड़ के प्रतिफल पर आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को समनुदेशित की हैं। इन वित्तीय आस्तियों को बिक्री की तिथि को निवल बही मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बेचा गया है, अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में नहीं लिया गया है, सिवाय उसके जहो प्रतिफल नकद प्राप्त हुआ है।
30. During the FY 2017-18, Bank has assigned financial assets having a net book value of ₹114.63 crore to Assets Reconstruction Companies for a consideration of ₹652.18 crore. These financial assets sold for value higher than Net Book value on the date of sale, the excess provision has not been taken to Profit and Loss account except where consideration received in cash.
31. रत्न और जवाहरात के दो समूह के संबंध में, जहां कुछ बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की घोषणा की गई है, बैंक ने संपूर्ण निधिक एक्सपोजर हेतु पूर्ण प्रावधान किया है।
31. In respect of two Gems and Jewellery borrower Group, where fraud was declared by some banks, the Bank has fully provided for the entire funded exposure.
32. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु पुनः समूहित अथवा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
32. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary to make them comparable with that figures of the current year.

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु

Consolidated Cash Flow Statement

For the year ended 31st March, 2018

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2017-18		वित्तीय वर्ष/FY 2016-17	
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
A. Cash flow from operating activities		(2,550.10)		(1,100.84)
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
B. Cash flow from investing activities		(90.38)		(96.01)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
C. Cash flow from financing activities		2,013.11		904.67
नकदी एवं नकदी तुल्य में निवल परिवर्तन				
Net Change in cash and cash equivalents		(627.37)		(292.18)
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य				
D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year		22,086.51		22,378.69
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य				
E. Cash and cash equivalents at the end of the year (ए+बी+सी+डी)/(A+B+C+D)		<u>21,459.14</u>		<u>22,086.51</u>
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
A. Cash flow from operating activities				
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	(6,451.97)		(563.18)	
समायोजन:/Adjustment for:				
अवक्षय/Depreciation	145.82		159.39	
अचल आस्तियों (निवल) के विक्रय से (लाभ)/हानि (Profit)/ Loss on sale of Fixed Assets (Net)	0.01		(0.03)	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण अल्पकालिक सहित हेतु प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts including floating	10,326.45		4,552.37	
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision for Standard Assets	(634.39)		95.59	
विनिधानों पर अवक्षय/Depreciation on Investments	745.20		246.27	
अन्य प्रावधान(निवल)/Other Provisions (Net)	(405.99)		(422.23)	
अन्य आय: पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति का अवक्षय Other income : Dep on revaluated property	शून्य/NIL		(47.56)	
आईपीडीआई एवं गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on IPDI & Subordinate Bonds	502.11		412.57	
	<u>4,227.23</u>		<u>4,433.19</u>	
घटाएं: प्रत्यक्ष संदत्त कर/ Less: Direct Taxes	(375.00)	3,852.23	(522.81)	3,910.38
समायोजन:/Adjustment for:				
जमा में वृद्धि/(कमी)/ Increase/ (Decrease) in Deposit		11,760.08		1,210.89
उधार में वृद्धि/(कमी)/ Increase/(Decrease) in Borrowings		6,029.91		(4,769.94)
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी/(Increase)/ Decrease in Investments		(13,418.94)		1,605.51
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)/(Increase)/ Decrease in Advances		(11,527.66)		(2,796.55)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)/				
Increase/ (Decrease) in Other Liabilities		2,864.17		559.55
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी				
(Increase) / Decrease in Other Assets		(2,109.89)		(820.68)
Net cash used in operating activities		<u>(2,550.10)</u>		<u>(1,100.84)</u>

नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 2017-18		वित्तीय वर्ष/FY 2016-17	
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash flow from investing activities अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Fixed Assets विनिधान गतिविधियों से निवल नकदी Net cash used in investing activities				
	(90.38)		(96.01)	
		(90.38)		(96.01)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash flow from financing activities Dividend paid including tax लाभांश पर संदत्त कर/ Interest on Subordinate bonds गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Issue of Subordinated Debt (Bond) Tier II Capital Basel 3 वर्ष के दौरान संदत्त लाभांश/ Subordinated Perpetual Debt: Additional Tier 1 capital गौण ऋण (बॉण्ड्स) का निर्गम Redemption of Subordinated Debt (Bonds) शेयर पूंजी/Share Capital शेयर प्रीमियम/Share Premium शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन Fund infused by GOI for allotment of Capital वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from financing activities				
	शून्य/NIL		शून्य/NIL	
	(502.11)		(412.57)	
	शून्य/NIL		1,000.00	
	1,200.00		300.00	
	(500.00)		(561.90)	
	43.83		20.65	
	271.39		140.49	
	1,500.00		418.00	
		2,013.11		904.67
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice				
	582.19		613.80	
	8,003.78		8,857.43	
	13,500.54		12,907.46	
		22,086.51		22,378.69
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E. Cash and cash equivalents at the end of the year रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice				
	619.02		582.19	
	8,672.08		8,003.78	
	12,168.04		13,500.54	
		21,459.14		22,086.51

टिप्पणी :/Notes:

- समेकित नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है। Consolidated Cash Flow has been prepared under the Indirect Method in accordance with the Accounting Standard- 3, issued by the Institute of Chartered Accounts of India.
- नकदी एवं नकदी समतुल्य नकदी और बैंक में जमाशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। Cash and Cash equivalent represent Cash and Bank Balances.
- विगत वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं अपेक्षित हो, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं। Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
इलाहाबाद बैंक

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

- हमने 31, मार्च 2018 को यथास्थिति इलाहाबाद बैंक ("बैंक"), इसकी अनुषंगी कंपनी (01.04.2017 से बैंक में विलयित), एक एसोसिएट्स और दो संयुक्त उद्यमों (समूह) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ-हानि खाता तथा उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट हैं। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के लेखापरीक्षित लेखे, एक संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे और एक संयुक्त उद्यम तथा एक एसोसिएट के अलेखापरीक्षित लेखे समाविष्ट हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" एवं लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखा" तथा लेखामानक 27 "संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन का है। इस दायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, कार्यान्वयन करना और उसका रखरखाव करना शामिल है जो सही और निष्पक्ष राय देता हो और महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण, धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हो।

समूह के संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होगा कि वे समूह की आस्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनके बचाव करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करें, समुचित लेखानीतियों का चयन करें और उन्हें लागू करें, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करें, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तैयार करें, उसे कार्यान्वित करें और उसे बनाए रखें जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु परिचालित किए गए थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक हों जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हों और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हो जिनका प्रयोग उपर्युक्त बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु किया गया हो।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखापरीक्षा के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और योजना बना कर लेखापरीक्षा को निष्पादित करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि क्या समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं।
- किसी लेखापरीक्षा में राशि के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है और समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है। चुनी जाने वाली प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर धारित होती है जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण के जोखिम का निर्धारण, कपट अथवा चूक के कारण, शामिल होता है। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखापरीक्षक बैंक की तैयारी और समेकित लेखापरीक्षा विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हैं और परिस्थितियों के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया निर्धारित करते हैं किन्तु बैंक के आन्तरिक नियंत्रण की कारगरता पर अपनी राय व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की समुचितता के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्रतः प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल होता है।
- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं।

अभिमत

- हमारी राय में, जैसा कि बैंक, इसके एक एसोसिएट एवं दो संयुक्त उद्यम (समूह) की बहियों से प्रदर्शित होता है, एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - समेकित तुलनपत्र, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, एक पूर्ण एवं उचित समेकित तुलनपत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं इसे उचित रूप से तैयार किया गया है, जिससे इलाहाबाद बैंक, इसके एक एसोसिएट और दो संयुक्त उद्यमों वाले समूह के कार्यों की 31 मार्च 2018 को यथास्थिति सही और उचित स्थिति प्रकट हो और यह सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है।
 - समेकित लाभ हानि खाता, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप संबंधित वर्ष की हानि का सही शेष दर्शाता है।
 - समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

अन्य मामले

- हमने निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:
 - एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंडोरेंस कंपनी लिमिटेड, जो एक बीमा कंपनी है और जिसके वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति ₹3078.41 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹1476.75 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Board of Directors
Allahabad Bank

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Allahabad Bank ("the Bank"), its subsidiary (since merged with the Bank on 01.04.2017) and an associate and two joint ventures (the Group), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2018, Consolidated Profit and Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the audited accounts of bank audited by us, audited accounts of one joint venture and unaudited accounts of one joint venture and one associate.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The Management of the Bank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and in accordance with the Banking regulation Act 1949 and applicable guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The respective Board of Directors of the Group's jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Group; for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, its one associate and two joint ventures (group) and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. the consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair consolidated Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the group comprising of Allahabad Bank, its one associate and two joint ventures as at 31st March 2018 in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
 - ii. the consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - iii. the consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements of:
 - i. One Joint Venture Company i.e. Universal Sompo General Insurance Company Limited, which is an insurance company, whose financial statements are audited, reflect total assets of ₹3,078.41 Crore as at 31st March, 2018 and total revenues of ₹1,476.75 Crore for the year ended on that date.

इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिन्होंने हमें रिपोर्ट प्रस्तुत की है और हमारी राय, जहां तक उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंध में निहित राशि से संबंधित है, पूर्णतया संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

8. हमने निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:

- एक एसोसिएट अर्थात् इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के वित्तीय विवरण जो अलेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति ₹12153.27 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹1016.84 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।
- एक संयुक्त उद्यम अर्थात् मै. आसरेक (इंडिया) लि. जो एक आस्ति पुनर्गठन कंपनी है और जिसके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति ₹188.51 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹25.50 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।

हमने अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया है जिन्हें प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरण आधार पर समेकित किया गया है।

9. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और निम्नलिखित अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त मामलों के संबंध में किए गए गए कार्यों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर हमारे विश्वास के संबंध में संशोधित नहीं हैं।

मामले पर बल

10. हम ₹1118.19 करोड़ की व्यवसाय हानि और अपरिशोधित मूल्यहास के कारण आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के अभिज्ञान के संबंध में वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(समेकित लेखा टिप्पणियां के पैरा 4.8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसे मामले के संबंध में हमारा अभिमत आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

- समेकित तुलन पत्र एवं समेकित लाभ हानि खाता भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” एवं लेखा मानक 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखा” तथा लेखा मानक 27 “संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - हमारी जानकारी में आए इलाहाबाद बैंक, इसके एक एसोसिएट, और दो संयुक्त उद्यम(समूह) के लेनदेन उस समूह के अधिकारों के अंतर्गत हैं जिनमें इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी कंपनी, और दो संयुक्त उद्यम(समूह) शामिल हैं।
 - इलाहाबाद बैंक, इसके एक एसोसिएट और दो संयुक्त उद्यम (समूह) से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
- हमारी राय में समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S
(सीए अविनाश टी. जैन)
(CA Avinash T. Jain)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.041689

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N
(सीए सुरिन्दर कुमार)
(CA Surinder Kumar)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.070405

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E
(सीए राणा प्रताप नंदी)
(CA Rana Pratap Nandy)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E
(सीए तरित दासगुप्ता)
(CA Tarit Dasgupta)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.053380

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी साहु)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of the above joint venture, is based solely on the report of the respective auditors.

8. We did not audit;

- ii. The financial statements of one associate i.e. Allahabad U.P. Gramin Bank (RRB) whose financial statements are unaudited, reflect total asset of ₹12,153.27 Crore as at 31st March, 2018 and revenue of ₹1,016.84 Crore for the year ended on that date.
- iii. The financial statements of one joint venture i.e. ASREC (India) Ltd., which is an asset reconstruction company, whose financial statements are unaudited and reflect the total assets of ₹188.51 Crore as at 31st March, 2018 and total revenue of ₹25.50 Crore as on that date.

We have relied on the unaudited financial statements, which have been consolidated on the basis of management certified financial statements.

9. Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

10. Emphasis of Matter:

We draw attention to para no. 7.9 of Schedule 19 (Notes to Accounts on the consolidated financial statements) of the Financial Statement regarding recognition of Deferred Tax Assets (DTA) on account of business loss and unabsorbed depreciation for ₹1118.19 crore.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The consolidated Balance Sheet and the consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, in accordance with the Banking Regulation Act, 1949 and the requirements of the Reserve Bank of India.
12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of Allahabad Bank, its one associate and two joint ventures (group), which have come to our notice, have been within the powers of the group comprising of Allahabad Bank, its one associate and two joint ventures.
 - c. The returns received from Allahabad Bank, its one associate and two joint ventures (group) have been found adequate for the purposes of our audit.
13. In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

कृते मे. राजू एंड प्रसाद For M/s Raju & Prasad सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No.003475S (सीए अविनाश टी. जैन) (CA Avinash T. Jain) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.041689	कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स For M/s Kansal Singla & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 003897N (सीए सुरिन्दर कुमार) (CA Surinder Kumar) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.070405	
कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली For M/s Nandy Halder & Ganguli सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 302017E (सीए राणा प्रताप नंदी) (CA Rana Pratap Nandy) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.051027	कृते मे. दे एंड बोस For M/s De & Bose सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं./Firm Regn. No.302175E (सीए तरित दासगुप्ता) (CA Tarit Dasgupta) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.053380	कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स For M/s GNS & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E (सीए नारद पी साहु) (CA Narad P. Sahu) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./Membership No.055224



इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्राप्त करने हेतु मैडेट फार्म

(भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु)

मैं/हम एतद्वारा मेरा लाभांश ईसीएस द्वारा सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करने हेतु इलाहाबाद बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करती हूँ/करते हैं:

मेरा/हमारा फोलियो सं. एएलबी शेयरों की संख्या

बैंक खाते का विवरण

क. बैंक का नाम : _____

ख. शाखा का नाम और पता : _____

ग. एमआईसीआर चेक पर उल्लिखित बैंक शाखा की 9 अंकों वाली माइकर कूट सं : _____

घ. आईएफएससी कोड : _____

ङ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) : _____

च. चेकबुक में उल्लिखित खाता संख्या : _____

छ. शेयरधारक का एसटीडी कोड सहित टेलीफोन संख्या, / मोबाइल नं. : _____

ज. ईमेल आई डी यदि कोई हो : _____

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि गलत और अधूरी सूचना देने के कारण अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से लेनदेन में विलम्ब होता है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता है तो मैं इलाहाबाद बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा।

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

सेवा में :

सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (यूनिट: इलाहाबाद बैंक) पी-22, बंडेल रोड, कोलकाता-700 019	अथवा मुख्य प्रबंधक (कंपनी सचिव) निवेशक सेवा कक्ष शेयर एवं बांड विभाग इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
---	---

कोड संख्या की सटीकता के सत्यापन हेतु कृपया अपने उक्त खाते के संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी चेक का निरस्त कोरा पन्ना संलग्न करें।

यदि आप डिमैट फार्म में शेयर धारण कर रहे हैं तो कृपया अपना ईसीएस मैडेट संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित फार्मेट में सीधे भेजें।



MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ELECTRONICALLY

(FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM)

I/We----- do hereby authorize Allahabad Bank to credit my dividend amount directly to my bank account by ECS.

My/Our Folio No. ALB..... No. of Shares.....

Particulars of Bank Account

A. Bank Name	:	_____
B. Branch Name and Address	:	_____
	:	_____
C. 9 Digit MICR Code No. of the Bank Branch Appearing on the MICR Cheque	:	_____
D. IFSC Code	:	_____
E. Account Type (Saving/Current)	:	_____
F. Account No. as appearing in the Cheque Book	:	_____
G. Telephone No. with STD Code/ Mobile No. of shareholder	:	_____
H. Email ID, if any	:	_____

I/we hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information or due to any other technical error, I would not hold Allahabad Bank responsible.

Mail to :

Signature of the shareholder (s)

Either CB Management Services Pvt. Ltd. (Unit: Allahabad Bank) P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019	Or The Chief Manager (Company Secretary) Investors' Services Cell Shares and Bonds Department Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001
---	--

Please attach a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

In case you are holding shares in demat form, kindly send the ECS Mandate to the concerned Depository Participant (DP) directly, in the format prescribed by the concerned DP.



बुक पोस्ट
Book Post

इलाहाबाद बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
ALLAHABAD BANK

(A Govt. of India Undertaking)
www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा
A TRADITION OF TRUST

If undelivered
Please return to our Registrar & Share Transfer Agent

M/s CB Management Services (P) Ltd.
(Unit : Allahabad Bank)
P-22, Bondel Road, Kolkata-700019.